# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 10

**मंगलवार**

**8 मार्च, 1994**

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर मे प्रारम्भ हुई।

**(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)**

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री अध्यक्ष :** श्री माधवसिंह दीवान।

**माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के परीक्षा-परिणाम**

**236. श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 से वर्ष 1993-94 तक माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, कितने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तथा कितनों के सप्लीमेंटरी आयी तथा कितने अनुत्तीर्ण हुए? प्रथम व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना रहा? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस प्रकार के परीक्षा परिणामों से सन्तुष्ट है? यदि नहीं, तो इतने कम प्रतिशत परिणाम आने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार बिना टैस्ट लिए निचले स्तर की कक्षाओं में पास करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार पांचवी तथा आठवीं कक्षा के लिए परीक्षा बोर्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु जिन अध्यापकों का परीक्षा परिणाम कमजोर रहा है अथवा रहता है तथा जो ट्यूशन में ही लगे रहते हैं, उनको शहरी क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या नवीन कदम उठाने जा रही है?

**शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) :** (1) वर्ष 1988-89 से वर्ष 92-93 तक के बोर्ड की परीक्षा का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। 93-94 की परीक्षा होनी है।

(2) सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। परीक्षा परिणाम कम रहने के कारण कक्षा में छात्रों की संख्या, पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश, साधनों की कमी, अध्यापकों के रिक्त पद।

(3) जी नहीं।

(4) ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(5) जिन अध्यापकों के परीक्षा परिणाम न्यून रहते हैं अथवा जो अध्यापक ट्यूशन में ही लगे रहते हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तथा दोषी अध्यापकों को राजकीय अधिनियम की धारा 16 व 17 के तहत दोष के अनुसार दंडित किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

**श्री माधवसिंह दीवान** : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि यह जो सूची आपने दी हैं, बिल्कुल ही गलत है। जो पर्सेण्टेज आपने केलकूलेट किये हैं, आप सदन में रखने के पहले कम से कम पर्सेण्टेज देखते तो सही। फर्स्ट व सैकण्ड का देखें तो तीन लाख बच्चे आज बैठे हैं, 11 हजार बच्चे पास हुए, कितना पर्सेण्ट हुआ ? तीन पर्सेण्ट और आप लिख रहे हैं नौ पर्सेण्ट हरेक में ही पर्सेण्टेज गलत केलकूलेट करके दिया हुआ है। मेहरबानी करके कम से कम हाउस में जवाब देने के पहले देख तो लिया करें कि पर्सेण्टेज मैथेमेटिक्स में तो सही हों, (व्यवधान) सारे पर्सेण्टेज गलत केलकूलेट किये हुए हैं। आपके खुद के फिगर्स दिये हुए हैं....(व्यवधान)....आपने तो आगे से आया हुआ सीधा-सीधा पास आन कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, आप इनको कुछ तो फरमाइये कि पर्सेण्टेज केलकूलेट तो सही करें। जब पर्सेण्टेज मांगे ही है....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : यह पर्सेण्टेज की, दीवान साहब, इनको जानकारी नहीं है। आपको अनुभव है कांग्रेस वालों को, पर्सेण्टेज कितना आता है, कितना जाता है। इनको जानकारी नहीं है।

**श्री माधवसिंह दीवान** : यह पर्सेण्टेज आने वाली जानकारी आपको ज्यादा है.... (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, इस पर्सेण्टेज को गलत मानते हुए मैं यह पूछ रहा हूं कि आप इनके फिगर्स देख लीजिये कि 60 पर्सेण्ट तो हुए हैं फेल, 28 पर्सेण्ट थर्ड डिवीजन, 12 पर्सेण्ट फर्स्ट डिवीजन व सैकिण्ड डिवीजन आये हैं। यह कौनसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ?

दूसरा, आप इनके हायर सैकण्डरी के रिजल्ट देखिये। यह भाजपा की सरकार नहीं थी जब तो 60 पर्सेण्ट रिजल्ट आ रहा था टोटल। यह घटते-घटते 56,53,45 और पिछले साल 43 पर आ गया। पर्सेण्टेज भी डाउन हो रहा है पढ़ाई का। शिक्षा मंत्री जी, आप कम से कम बताओ तो सही कि इसका क्या करने जा रहे हो, क्या विचार है ?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : इस पर्सेण्टेज के लिए तो आप जिम्मेदार हैं।.... (व्यवधान) ... राष्ट्रपति शासन तो आपने कहकर लगवाया था।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती उजला अरोड़ा कृपया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, अभी आप मंत्री बनी नहीं हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्सेण्टेज के बारे में जो बात कही वह गलत रही है, वास्तव में देखने से ही लगा। मैं इसके लिए जो भी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सम्बन्धित व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और मेरे से भी भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह बात सही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों का परीक्षा परिणाम निरन्तर 1988-89 से....

**श्री अध्यक्ष** : यह आपके पर्सेण्टेज में आपका डिपार्टमेंट तो फेल हो गया, लड़कों को भी फेल करोगे।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : यह सच है। जो गलती हो गयी है उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट और सैकिण्ड डिवीजन का जो पर्सेण्टेज निकाला है, तीन लाख बच्चों में से ग्यारह हजार बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए उसका पर्सेण्ट वास्तव में 9 पर्सेण्ट नहीं होता है। यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि तीन हजार पर एक निकलता है।

**श्री अध्यक्ष** : यह तीन लिखा है, 10 पर्सेण्ट में से .. (व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : नहीं नहीं, सब अलग-अलग है। इन्होंने अलग-अलग मांगा है। वैसे जो परीक्षा परिणाम उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरन्तर गिर रहा है, यह बात बिलकुल सही है कि लगातार गिर रहा है। कोई भी साल ऐसा नहीं कि बीच में कोई बढ़ा भी हो। निरन्तर ग्राफ नीचे आया है, यह परीक्षा परिणामों से बिलकुल स्पष्ट है। इसमें मुख्य कमी हो रही है वह व्याख्याताओं की कमी भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसमें सीनियर सैकण्डरी स्कूल का यह रिजल्ट उसके कारण से भी है। जब से मैंने यह विभाग संभाला, मैं इस बारे में बराबर प्रयत्नशील हूं और मैंने विभाग के सारे जो डी.ई.ओ. हैं उनको कहा है कि वह अपना हर साल का परीक्षा परिणाम अपने कमरे में सामने लगाकर रखें ताकि निरन्तर उन विद्यालयों की प्रगति उनके सामने दिखाई दे और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके लिए वह भी प्रयत्न करें। जिन अध्यापकों का पर्सेण्टेज बोर्ड के पर्सेण्टेज से भी नीचे जा रहा है उनको आइडेन्टिफाई करके उनके सारे नाम मैंने मंगाये हैं। उनके खिलाफ वैसे तो मैंने कहा कि नियमों के तहत कार्यवाही होती है लेकिन इन नियमों के तहत अब तक केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हुई है। मैं कहता हूं कि पर्सेण्टेज जिन लोगों के भी इतने निम्न गये हैं उनके खिलाफ 17 या 16 में जो भी कार्यवाही की जा सकती है वह निश्चित रूप से करेंगे और परीक्षा परिणाम को इम्प्रूव करेंगे।

**श्री माधवसिंह दीवान** : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने यह कहा है कि शिक्षकों की संख्या कम है, हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी में टीचर टू स्टूडेंट जो रेश्यो है 1 : 6 बच्चों के पीछे एक मास्टर है, कभी केलकूलेट किया क्या आपने कि मास्टर और बच्चों का रेश्यो हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी में क्या है आपका ? यहां आ जाते हैं जवाब देने के लिए, स्टूडेंट और टीचर्स का रेश्यो क्या है, आप चलिये यहीं बता दीजिये।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : यह रेश्यो से सम्बन्ध भी है पर सब्जैक्ट टीचर तो सब्जैक्ट ही बढ़ायेगा। इसमें व्याख्याता ही पढ़ायेगा और इसमें व्याख्याता के 1950 पद राजस्थान में आज दिन तक रिक्त हैं।

**श्री माधवसिंह दीवान** : अध्यक्ष महोदय, यह प्राब्लम को बाईपास कर रहे हैं। शहरों में सब मास्टर बैठे हुए हैं, शाखाएं लगाते हैं और कोई भी जाना नहीं चाहता... (व्यवधान)... यह 1 : 6 का रेश्यो है टीचर टू स्टूडेंट का....(व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष** : ग्रार्डर प्लीज।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विषय को इस तरह से न करें। वास्तव में यह समस्या है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। मैं ना नहीं कर रहा हूं इसको।

**श्री माधवसिंह दीवान** : मंत्री महोदय, आपने जो कहा ना कि टीचर्स की कमी है, 1 : 6 से, और क्या रेश्यो कम आयेगा ? 6 बच्चों के पीछे एक मास्टर बैठा है और आप कह रहे हैं, पद कम हैं, पद कम हैं, आप ज्यादा से ज्यादा भर्ती करने में लगे हुए हैं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : श्रीमान्, सब्जैक्ट टीचर नहीं हैं और व्याख्याता सब्जैक्ट टीचर के अनुसार ही होगा। भूगोल का व्याख्याता ही भूगोल पढ़ा सकता है। कामर्स पढ़ाना है तो कामर्स का ही व्याख्याता पढ़ायेगा। वह भी लगातार आप सबके प्रश्नों से हमेशा आ रहा है कि राजस्थान में 1950 व्याख्याताओं के विभिन्न सब्जेक्टों के पद रिक्त हैं। आप चाहेंगे तो मैं विद्यालय-वार आपको सूची दे सकता हूं कि किस विद्यालय में किस व्याख्याता का पद रिक्त है। कई गांव के स्कूल तो ऐसे मिलेंगे जहां 9 व्याख्याताओं में से 6 पद रिक्त हैं। शहरों में पद रिक्त नहीं हैं यह सच है.... (व्यवधान).... लेकिन यह बिलकुल असत्य है कि कोई गांव का व्यक्ति शहर में बैठकर वहां अपनी नौकरी दे रहा है। यह अब नहीं है। प्रतिनियुक्तियां सब निरस्त करदीं। जो जिस स्थान पर था उस स्थान पर भेज दिया। उसके बाद भी जो रिक्त पद हैं वह तो अगले साल, इस गर्मी में आर. पी. एस. सी. से चयन होने के बाद ही भरे जाना सम्भव होगा। यह इस समय सम्भव नहीं होगा। डेपूटेशन पर कोई है नहीं। यह प्राब्लम अब है नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री आर. पी. शर्मा।

**श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में ट्यूशन रूपी केन्सर की जो बीमारी लग गयी है उसको सरकार कैसे खतम करेगी ? क्या सरकार इस रोग को खतम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है ? यह सदन में कहे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री धारीवाल।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी विद्यालयों में मेरिट पर आने वाले छात्रों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। कई अनुदानित और गैर अनुदानित विद्यालयों में हमेशा मेरिट पर जो स्थान प्राप्त होता है वह अपनी स्थिति बनाये रखें, ऐसे विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या सोचती है ?

**श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं। आप एक्जामिन करवा लें। बायोलोजी के एक स्कूल का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वहां अभी भी 4 या 5 बायोलोजी के मास्टर लगे हुए हैं, वहां

(श्री रामनारायण डूडी)

शैक्षणिक स्तर पहले से ही बढ़ाये हुये थे, तो अब वहां कितने स्टूडेंट हैं उस सब्जेक्ट के और कितने अध्यापक हैं। मैं यह निवेदन इसलिए करना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : हो गया आपका सवाल। शिवनाथ सिंहजी। आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब देंगे। कारण बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपने क्यों पूछा यह सवाल।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, जैसा बतलाया गया, स्टूडेंट-टीचर रेश्यो 1/6 है और मंत्री कहते हैं कि 2 हजार के आसपास रिक्त पद हैं, तो सरकार का स्टूडेंट-टीचर रेश्यो क्या रखने का मन है और यदि और भर्ती होते हैं, होने चाहिए, तो फिर उसके बाद में जो सरप्लस हैं उनका किस प्रकार से आप समायोजन करेंगे? यह जानना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : खेतसिंहजी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी शिक्षा मंत्री रहने का थोड़ा-सा मौका मिला था। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप डायरेक्टर को और एडीशनल डायरेक्टर को पूरे राजस्थान को बांटकर कहिये कि डिविजनल लेवल पर जाकर आपके ई. ओज. हैं उनकी मीटिंग बुलवायें, उनको हिदायत देवें और अगर कहीं पर भी डेपूटेशन खतम करने के बाद में टीचर गांवों में नहीं गया है तो उसकी तनख्वाह बन्द कर दीजिये और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिये। अगर यह कार्यवाही करेंगे तो....

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मणसिंह जी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : एडवाइस करने में भी एतराज क्या है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि डायरेक्टर को आप हिदायत दीजिये।

**श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो कारण बताये, क्या इन कारणों के अलावा भी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अध्यापकों का स्कूल में देरी से आना, अध्यापकों का जल्दी चले जाना, अध्यापकों का ट्यूशन करना, प्रधानाध्यापक का सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल कमजोर रहना, इनको भी एक प्रमुख कारण मानते हैं और क्या शिक्षा मंत्रीजी भविष्य में इंस्पेक्टिंग आफिसर्स सुपरवाइजिंग आफिसर्स, इंस्पेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स, जोइन्टस डायरेक्टर को भी इन गिरते परिणामों के लिए रेस्पांसिबल ठहरायेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : श्री रमाकान्त। पूछ लिया। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगी, मंत्री महोदय ने बताया कि प्रतिनियुक्तियां सब कैन्सिल कर दी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उनके रिश्तेदार या उनके पतिदेव जोधपुर में प्रतिनियुक्ति पर कितने बैठे हैं? मैं आपसे जानकारी चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सदस्य ने ट्यूशन के बारे में कहा। इस प्रकार की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त हुई। डी.ई.ओ के लेवल पर उनकी जांच भी करवायी गयी है लेकिन जांच होने के बाद उन पर जो एक्शन होना चाहिए वह एक्शन नहीं हुआ। ऐसी जो जांच रिपोर्ट आयी हैं ट्यूशन करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होगा, यह विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं।

**श्री आर. पी. शर्मा** : यह खतम हो जाए। मैं यह नहीं कहता, जांच करवायें या नहीं करवायें। एक रोग पैदा नहीं हो यह काम उनको करना है बजाय इसके कि रोग पैदा करें फिर उसका इलाज करें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : इस प्रवृति को समाप्त करने के लिए ऐसे लोगों के अगर स्थानान्तरण करना विभाग अनिवार्य समझेगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का स्थानान्तरण भी करेंगे।

गैर-सरकारी स्कूलों के बारे में माननीय सदस्य का सवाल था। यह बात सच है कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का परीक्षा परिणाम राजकीय विद्यालयों की तुलना में अच्छा है मेरिट के हिसाब से तो। फिर भी राजकीय विद्यालयों में कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है क्योंकि आपका ही एक प्रश्न 3 तारीख को लगा हुआ था उसमें मैंने आपको जवाब दिया था। मैं मान रहा हूं, क्योंकि जितने छात्र हमारे बैठते हैं, सरकारी विद्यालयों के उनकी तुलना में निजी शिक्षण संस्थाओं के बालक कम बैठने के बाद भी कई बार मेरिट में हमारे 40 आये तो कई बार हमारे 24 होते हैं उनके कम होते हैं। कभी उनके ज्यादा हैं, कभी हमारे कम हैं। आप चाहें तो सारे फिगर्स मेरे पास हैं, मैं आपको यह बता सकता हूं। यह जरूर है कि संख्या की तुलना में निजी शिक्षण संस्थाओं के बालक ज्यादा मेरिट में आते हैं। यह सच है। इसको मैं ना नहीं कर रहा हूं, यह वास्तव में है।

समायोजन की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि रेश्यो क्या रहे, इसके बारे में सारी डिटेल डिस्कशन करके मंगल बिहारीजी की कमेटी इसी बात पर फैसला करने वाली है कि रेश्यो क्या रहे, अध्यापकों की संख्या किस आधार पर मुकर्रर करें। मैं सोचता हूं कि एक महीने में ही उनकी रिपोर्ट आने वाली है उसके आधार पर अगले साल में हम सत्र में अध्यापकों को उसी आधार पर पद सृजित करके लगायेंगे। अभी यह रेश्यो कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। कहीं 3 लड़कों पर ही अध्यापक है कहीं 50 लड़कों पर शहरों में एक अध्यापक है। यह रेश्यो में अन्तर है। वैसे अभी मैं एग्जेक्ट नहीं बता सकता कि हर सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर-स्टूडेंट रेश्यो क्या है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसकी जानकारी लिखित में भेज दूंगा।

डी. ई. ओ. की मानीटरिंग के बारे में मैं सोचता हूं कि इस विभाग की मैंने 4 रेंज की बैठक अपने अधिकारियों के साथ की हैं, इन सारे विषयों पर, जिसमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा और चूरू यह चार हो गये और मैं सोचता हूं कि इस महीने के अन्त में जो बाकी बचे हुए डिवीजन हैं उनमें भी सारे अधिकारियों की बैठक लूं। इसके बारे में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमने डिटेल में विद्यालयवार परीक्षा परिणामों का मूल्यांकन किया, बातचीत की और डी. ई.ओ. को इस बात के लिए पाबन्द किया है कि वे स्वयं इसकी मानीटरिंग करके देखें कि परीक्षा परिणाम निश्चित रूप से सुधरना चाहिए और एकाध जिसमें 18 पर्सेण्ट या 12 पर्सेण्ट रिजल्ट है वह डी. ई. ओ. को ही सुपुर्द किया कि इसका रिजल्ट अगर कम रहा तो यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। ऐसी स्कूल भी आइडेंटिफाई करके हमने उनको दी हैं।

अध्यापकों का अभाव, अध्यापकों का समय पर पहुंचना न पहुंचना तो मैंने आपको बताया कि यह शिकायत आप और हम सब लोग क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोग करते हैं। इसकी मानीटरिंग करने के लिए हमने व्यवस्था की है और हमने संख्या निर्धारित की है कि डी. ई. ओ. कम से कम इन्टीरीयर क्षेत्र के इतने विद्यालयों का निरीक्षण साल में करेगा। उप जिला शिक्षा अधिकारी के लिए भी संख्या निर्धारित की है और मैं समझता हूं कि शायद कुछ समय में इसके परिणाम जरूर ठीक आने चाहिए।

रहा सवाल रिश्तेदारों का। मैं सोचता हूं कि यह आदेश जाने के बाद कोई ऐसा चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मेरा भाई ही क्यों न हो, कोई भी प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान में नहीं है। अगर किसी कारण से रह गया और आप मुझे जानकारी दे देंगे, मेरी जानकारी यह है कि हमने सब केन्सिल कर दिये हैं उनकी रिपोर्ट मैंने मंगा ली लेकिन उसके बाद कोई अगर रह गया हो और आपके ध्यान में कोई विषय आता है तो उस डी. ई. ओ. के खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री किशनाराम।

## श्रीडूंगरगढ़, जिला चूरू में भेड़-ऊन विभाग का कार्यालय भवन

**237. श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में भेड़ व ऊन विभाग का कार्यालय कार्यरत है? यदि हां, तो कार्यालय भवन किस आदेश के तहत कितनी भूमि पर बना ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंटित सरकारी भूमि अतिक्रमण कर लोगों ने अनधिकृत मकान बना रखे हैं ? यदि हां, तो किस-किसके द्वारा और कब-कब तथा कितनी-कितनी भूमि पर मकान बना रखे हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सरकारी भूमि पर विभागीय भवन बनाने हेतु कितनी राशि आबंटित की तथा उसमें से कितनी व्यय की गयी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भवन अभी भी अधूरा है? उक्त भवन को कब तक सरकार पूर्ण करवा देगी ?

**राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन** (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) जी हां, श्रीडूंगरगढ़ जिला चूरू में भेड़ व ऊन विभाग का कार्यालय कार्यरत है, जो कि एक किराये के भवन में स्थापित

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

है। राजकीय भूमि पर कार्यालय बना हुआ नहीं है।

(2) श्रीडूंगरगढ़ कस्बे से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर भेड़ व ऊन विभाग बनने से पूर्व राजस्व विभाग के खसरा नम्बर 454/2 में 10 बीघा एवं 453 में 1/4 बीघा कुल सवा दस बीघा भूमि पर पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ द्वारा एक सामुदायिक ऊन कल्पन गृह बनवाया गया था। इस भूमि पर वर्तमान में बाहरी लोगों द्वारा कोई अतिक्रमण किया हुआ नहीं है और ना ही किसी के द्वारा कोई मकान बनाया हुआ है।

(3) उक्त सरकारी भूमि पर भेड़ व ऊन विभाग द्वारा विभागीय भवन बनाने हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गयी।

(4) उक्त भूमि पर पंचायत समिति द्वारा बनवाया गया भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में है जिसको मरम्मत कराकर कार्य में लिया जावेगा।

**श्री किशनाराम नाई** :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा कि डूंगरगढ़ में भेड़ व ऊन विभाग का कार्यालय है वह कब, कौन से सन् में कौनसी तारीख को खुला और जो खसरा नम्बर 454 में भूमि अलाट हुई है वह कब और किस तारीख को किस सन् में हुई है और इन्होंने ऊन कल्पन गृह जो बनाया है वह कब बनाया, कौनसी तारीख और कौनसे सन् में बनाया ?

**श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** : अध्यक्ष जी, यह 1965-66 में भेड़ व ऊन कार्यालय खुला और इसमें जो जमीन दी पंचायत समिति ने, उसका भी 1992 में भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा नामान्तरण कर दिया गया जिसकी कापी मेरे पास है और उसमें भी सीमा निर्धारित कर दी गयी। सभी जगह पिलर्स लगा दिये हैं। इसलिए वहां पर कोई अतिक्रमण करने जैसी स्थिति नहीं है।

**श्री किशनाराम नाई** : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक ऊन कल्पन गृह जो बनाया गया था वह आज वहां नहीं है और आप फरमा रहे हैं कि भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पूरी की पूरी भूमि पर नाजायज कब्जे कर लिये गये हैं। वहां कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आपके विभाग को आदेश देकर उनको खाली करवायें। उसमें करीब 500 ईंटें वहां पड़ी हैं। वहां कोई कल्पन गृह नहीं है।

**श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 26-2-94 को अलग से हमने फतेहपुर से एक और अधिकारी को भेजा है जिससे जांच करवा ली गयी है। अगर माननीय सदस्य की जानकारी में कोई है, हालांकि हमारे विभाग में तो ऐसे अतिक्रमण का नहीं है, अगर आपकी जानकारी में है तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष** : आप और बता देना, वह करा देंगे।

**श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** : जब वहां पर कोई अतिक्रमण ही नहीं है, अगर आपकी जानकारी में है तो आप जरूर बतायें।

**श्री अध्यक्ष** : हां, बता देंगे। नेक्स्ट, श्रीमती उजला अरोड़ा।

(9)

## उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

23?. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने स्वीकृत पद हैं ? उनमें से कितने स्थान रिक्त हैं ?

(2) राज्य के उच्च न्यायालय में महिला तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कितने न्यायाधीश हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा किये गये व किये जा रहे प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, विधि** (श्रीमती शशि दत्ता) :

(1) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 32 पद हैं, उनमें से 11 पद रिक्त हैं।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| महिला न्यायाधीश | एक |
| अनुसूचित जाति | शून्य |
| अनुसूचित जन जाति | एक |

(3) उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय की अभिशंषा के आधार पर की जाती हैं। राज्य सरकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय के द्वारा की की गयी अभिशंषा को केन्द्र सरकार को प्रेषित करती है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, जैसा बताया गया है कि 11 पद रिक्त हैं, जो न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं आपने कहा कि अभिशंषा उच्चतम न्यायाधिपति द्वारा की जाती है पर जैसा मेरी जानकारी में है कुछ प्रस्ताव आये हैं, मैं जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार इन रिक्त पदों के लिये कितनी जिम्मेदार है ? क्या राज्य सरकार के पास उच्चतम न्यायालय के प्रस्ताव आये हुए हैं ? यदि आये हुए हैं तो कब से ? उन्हें नियुक्तियां देने में देरी क्यों की जा रही है ?

**श्री अध्यक्ष** : इसमें आप समझिये। उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों हैं। उच्च न्यायालय राज्य सरकार को भेजती है और राज्य सरकार आगे भेजती है। उच्चतम न्यायालय की अभिशंषा पर राष्ट्रपति करते हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : वही मैं बता रही हूं। उन्होंने जो उत्तर दिया है कि अभिशंषा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है....

**श्री अध्यक्ष** : उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों हैं। आप पढ़िये, इसमें दोनों हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उच्चतम न्यायालय की....

**श्री अध्यक्ष** : दोनों हैं। आप पढ़िये। उच्चतम भी है और उच्च न्यायालय भी है। आप जवाब पढ़ लीजिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : यह लिखा है, मुझे उत्तर दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में....

**श्री अध्यक्ष** : उच्च न्यायालय भी है और उच्चतम न्यायालय भी है, दोनों हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां महामहिम राष्ट्रपति द्वारा....

**श्री अध्यक्ष** : उच्चतम न्यायालय भी है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय की अभिशंषा के आधार पर की जाती हैं। तो मैं जानना चाहती हूं कि इस अभिशंषा के आधार पर कितने प्रस्ताव राज्य सरकार के पास कब से आये हैं? उनकी नियुक्तियां क्यों नहीं दी गयी हैं जिन नामों के लिए कहां से अभिशंषा आयी है?

**श्री अध्यक्ष** : वह जवाब दे रही है, वह समझ गयी हैं। वह तो आपको समझाने के लिए कह रहा था।

**श्रीमती शशी दत्ता** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदस्या को यह बताना चाहूंगी कि यह मेटर जो है, this is not related to our jurisdiction. हमारे जूरिस्डिक्शन के बाहर की बात है? फिर भी माननीय सदस्या कुछ जानकारी चाहती हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि यह डायरेक्ट उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय मांगता है और उच्च न्यायालय से ही सम्बन्धित होता है। इसमें हमारा जूरिस्डिक्शन नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं हैं।

दूसरा, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा, I am related to the Law Department. I am not related to the Justice Department. इसलिए माननीय सदस्या को जवाब दूं मैं कि यह मेरे से रिलेटेड नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदया हिन्दी में जबाव दें।

**श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि...

**श्री अध्यक्ष** : अभी तो उनका सैकण्ड सप्लीमेंटरी है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर सरकार दे। माननीय मंत्री महोदया ने बता दिया कि वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगी कि "शीघ्र न्याय और सस्ता न्याय" यह जो हमारी धारणा है....

**श्री अध्यक्ष** : आप सवाल पूछिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : ....जिसको हम करना चाहते हैं, इसके प्रति जो भी प्रस्ताव आये हैं उनमें नियुक्तियां दिये जाने में, फाइल खोल कर देखे जाने में क्यों देरी की जा रही है, क्या दिक्कत है? कितने दिन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से फाइलें आयी हुई हैं? यह मैं जानना चाहूंगी।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

**मुख्य मंत्री** (श्री भैरोंसिंह शेखावत): अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसके आधार पर राज्य सरकार को नियुक्ति देनी है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस रिकमण्ड करता है केसेज को। चीफ मिनिस्टर के पास यह सारे केसेज आते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की सिफारिश गवर्नर महोदय के पास....

**श्री अध्यक्ष** : यह तो जबाव में दिया हुआ है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : नहीं दिया है। यह कहते हैं कि राज्य सरकार का ...

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें। मैं पढ़ कर सुना देता हूं। इसमें साफ लिखा है कि राज्य सरकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय के द्वारा की गई अभिशंषा को केन्द्र सरकार को प्रेषित करते हैं। यह जबाव में लिखा हुआ है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : हां, लेकिन इन्होंने यह कहा है कि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : नियुक्ति का। वो नियुक्ति के लिए कह रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं। आप नाराज मत हों। मुझे थोड़ा अफसोस है कि ऐसे विद्वान सदस्य....

**श्री खेतसिंह राठौड़**, जिनके पास यह पोर्टफोलियो रहा हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इसलिए तो और ज्यादा अफसोस है कि इस सम्बन्ध में यह जानकारी नहीं रखते। पहले यह व्यवस्था थी कि चीफ जस्टिस राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को लिखते थे और दोनों मिल कर गवर्नर को लिखते थे और गवर्नर साहब लिखते थे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट की अभिशंषा के आधार पर प्रेसीडेंट उनका अपाइंटमेंट करते थे। अभी आपको मालूम हुआ होगा कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जजेज की एक कांफ्रेंस हुई थी 4 दिसम्बर को....

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अभी?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हां अभी। इसलिए तो अफसोस है कि आप अखबार तो पढ़ते नहीं हो।....

**श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : It is related to the judgment also, Supreme Court's judgment.

**श्री खेतसिंह राठौड़** : तो आपकी सिफारिश खतम? कोई इतना नहीं है मुख्य मंत्रीजी को।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह सिफारिशें इसलिए खतम हो गयीं क्योंकि आपने कुछ ऐसी परम्पराएं डाल दीं सिफारिश करने की जिसके कारण से सरकार ने सोचा कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस राजनैतिक आधार को थोड़ा-सा इससे दूर किया जाए और हाईकोर्ट के जज जिस वकील को अच्छा समझें या जिस सेशन जज को अच्छा समझें उसके बारे में सीधे ही यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिकमण्ड कर दें। वहीं से यह नियुक्तियां होती हैं। तो भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखें और बिना ध्यान दिये आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछें जो आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ हो।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट, श्री विष्णु मोदी।

**श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

**श्री अध्यक्ष** : बहुत प्रश्न हैं। देखिये, बहुत प्रश्न हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और लेने हैं।

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब देते समय सदन को गुमराह किया है। इन्होंने ऐसा इम्प्रेशन दिया है जैसे चीफ जजेज और चीफ मिनिस्टर्स ने मिल कर यह तय किया है। अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं, 60 और 40 के रेश्यो में....

**श्री जगदीप धनखड़** : भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में ऐसा कार्य हुआ है। मुख्य मंत्रीजी को थोड़ी-सी क्रेडिट इस बात में नहीं जाती है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह भी सही है। गुमराह करने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं वह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार का हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : बात तो वही घूमफिर करके। श्री विष्णु मोदी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, मुख्य मंत्रीजी ने यहां उत्तर दिया.... (व्यवधान) एक मिनट, मेरी बात कहने दीजिये। मुख्य मंत्रीजी ने यहां उत्तर दिया है, इस उत्तर के रहते हुए और इस प्रश्न के रहते हुए मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या हमारा दायित्व आगे जाकर के प्रयास करने का नहीं है ताकि राज्य में न्याय जल्दी मिले।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : और हम वहीं से यह प्रस्ताव लाकर अपने यहां लागू करायें। वहां से लाएं हम न्यायाधीश ? छोटी-छोटी नौकरियों में सिफारिशें की जाती हैं, यहां से यहां लगा दें, यहां से यहां लगा दें। तो इस मामले में क्या हमारी राज्य सरकार जाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति या केन्द्र सरकार से सिफारिश नहीं कर सकती कि यहां न्यायाधीशों की नियुक्ति शीघ्र हो ? मुझे उत्तर दें।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये। नैक्स्ट, श्री विष्णु मोदी।

**बड़े अस्पतालों में हड़तालों को रोकने के उपाय**

230. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा के बड़े अस्पतालों में गत 4 वर्षों में डाक्टरों, नर्सों एवं अन्य टेक्निकल स्टाफ की कब-कब और कितनी-कितनी अवधि की हड़तालें हुई हैं ? इन हड़तालों के मुख्य कारण क्या रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन बडे बड़े अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों एवं अन्य टेक्निकल स्टाफ की हड़तालों के कारण आम जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है ? यदि हां, तो उपरोक्त हड़तालों में से कितनी हड़तालों को सरकार ने गैरकानूनी घोषित किया था तथा उपरोक्त हड़तालों में से कौन-कौनसी हड़तालें किन-किन आधारों पर समाप्त हुईं और उनमें से किन-किन हड़तालों को सरकार ने पूर्व में गैर-कानूनी घोषित किया था ?

(3) क्या सरकार द्वारा किसी भी गैर-कानूनी घोषित हड़ताल के कारण किसी डाक्टर, नर्स एवं अन्य टेक्निकल स्टाफ के सदस्य के विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस प्रकार की हड़तालें भविष्य में नहीं हों, इसके लिए सरकार कोई कारगर व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

**राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य** (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) अध्यक्ष महोदय, विगत 4 वर्षों में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा के बड़े अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों एवं अन्य टेक्निकल स्टाफ की हड़तालों का उपलब्ध विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। हड़ताल की आशंका होने या हड़ताल होने की स्थिति में चिकित्सा सुविधाओं को बरकरार रखने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा एहतियाती कदम उठाये जाते हैं तथा वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। दिनांक 30-9-92 को राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 की धारा–3 की उप धारा–1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं समस्त मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों के अन्तर्गत समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया था। उपरोक्त वर्णित समस्त हड़तालें राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मांगों पर समुचित कार्यवाही का आश्वासन देने पर समाप्त हुई हैं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी हां। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा में कर्मचारी समुदाय की औचित्यपूर्ण अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। आकस्मिक कारणों की वजह से होने वाली हड़तालों के लिए अस्पताल प्रशासन को जिला प्रशासन के साथ समन्वित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

**श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का पार्ट था—"क्या राज्य सरकार द्वारा किसी भी गैर-कानूनी घोषित हड़ताल के कारण किसी डाक्टर, नर्स व अन्य टेक्निकल स्टाफ के सदस्य के विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही की गयी है ?" उन्होंने उत्तर दिया, "जी नहीं" और एक विवरण भी सदन के पटल पर रखा है। इसमें आवश्यक सेवाएँ घोषित करने के बावजूद राजस्थान के सभी मेडिकल कालेजेज के अस्पताल में यह स्ट्राइक हुई है और उससे मरीजों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आपने अत्यावश्यक सेवा तो घोषित कर दी है लेकिन उसके बावजूद हड़ताल हुई। कार्यवाही आपने कोई की नहीं। मैं तो ❀श्रीमान्, कोई सप्लीमेंटरी नहीं पूछना चाहता, सिर्फ हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन हड़तालों को रूकवा दीजिये और इस तरह की व्यवस्था कर दीजिये....

**श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)** : यह ❀श्रीमान् क्या है ?

**श्री अध्यक्ष** : हां, ठीक है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : पुरानी बात कही है। मेरे पूर्वजों की बात कही है।

**श्री विष्णु मोदी** : यह हड़तालें अस्पताल में नहीं हों, मरीजों को दिक्कत नहीं हो। तो सरकार इस तरह की कार्यवाही करे कि आगे इस तरह की हड़तालें न हों।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शान्तिलाल खोईवाल।

**राजसमन्द जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस का निर्माण**

240. **श्री शान्तिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजसमन्द जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण किस स्थल पर एवं कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

**राज्य मंत्री, वित्त** (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी हां, सर्किट हाउस के निर्माण हेतु रुपये 25.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) स्थल का चयन विचाराधीन है। स्थल का चयन होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

**श्री शान्तिलाल खोईवाल** : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार तीन जिलों का नये तरीके से सृजन हुआ था और उन तीनों जिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा 75 लाख रुपये सर्किट हाउस के निर्माण के लिए स्वीकृत किये गये थे। 25-25 लाख रुपये हर जिले के लिए। हालत यह है कि बारां और दौसा में सर्किट हाउस का काम आरम्भ हो गया और लगभग समाप्ति पर है जब कि राजमन्द में अभी भी स्थल का चयन नहीं हो सका और इसके कारण वहां के

---

❀ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रति स्थापित किया गया।

(श्री शान्तिलाल खोईवाल)

विकास के काम ठप्प हो रहे हैं। जो भी योजनाएं बनाने के लिए अधिकारीगण या कोई भी वहां जाता है तो न तो वहां डाक बंगला है, न वहां पर सर्किट हाउस है। अभी फिलहाल एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है, which is under the occupation of the S. P. for his residence. और दूसरा पी. डब्ल्यू. डी. का डाक बंगला है वह जिलाधीश के निवास के लिए है। आज की तारीख में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कोई भी आगन्तुक रुक सके। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि दो जिलों में जब काम आरम्भ हो गया और समाप्ति पर है तो राजसमन्द में कार्य आरम्भ क्यों नहीं हो सका? अब सरकार कब तक इसको प्रारम्भ करके सुविधाएं उपलब्ध करा देगी?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। मंत्रीजी।

**श्री अनंग कुमार जैन** : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि तीन जिलों के लिए सर्किट हाउस की मंजूरी यहां से दी गयी थी। राजसमन्द के लिए एक समिति बनायी गयी थी संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में, जिसके अन्दर सभागीय आयुक्त, वहां के जिलाधीश, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग व कुछ और व्यक्ति सदस्य थे। उन्होंने यह रिकमण्ड किया कि वहां वर्तमान में जो डाक बंगला चल रहा है उसको ही रिनोवेट करवा करके सर्किट हाउस में तब्दील कर दिया जाए। वह प्रस्ताव विचाराधीन था और उसके लिए यहां से 25 लाख रुपये की वापस स्वीकृति जारी कर दी गयी थी 28-12-92 को। लेकिन उसके बाद जो नये कलक्टर वहां पर पहुंचे, उन्होंने इस फाइल का पुनरीक्षण किया और उन्होंने यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा कि चूंकि इसके अन्दर सर्किट हाउस के जो मापदण्ड हैं उसके तहत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी इसलिए नये स्थल का चयन करके सर्किट हाउस नये स्थल पर ही बनाया जाए। यह सारा प्रकरण मेरे ध्यान में भी आया तो मैंने स्वयं भी तत्काल यहां से यह निर्देश जारी किये कि स्थल का चयन वहां के जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए। तो राज्य सरकार की ओर से इसमें कतई देरी नहीं बरती जा रही है। वहां के जिलाधीश को यह निर्देश भी दे दिये गये हैं कि जल्दी से जल्दी कम समय के अन्दर स्थल का चयन करके और माननीय सदस्य को भी स्थल के चयन में साथ लेकर उसका कार्य प्रारम्भ करवा दिया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : अब यह आपकी गलती होगी स्थल का चयन नहीं होगा तो।

**श्री शान्तिलाल खोईवाल** : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है मेरा। अभी वहां पर जैसा कि मैंने निवेदन किया....

**श्री अध्यक्ष** : आपको पता है स्थल कहां है?

**श्री शान्तिलाल खोईवाल** : स्थल बताया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : है आपको पता? तो बता दीजिये, हो जाएगा। अब खतम हुआ प्रश्न।

**श्री शान्तिलाल खोईवाल** : नहीं नहीं, प्रश्न एक यह है....

**श्री अध्यक्ष** : अब प्रश्न क्या रहा ? आप स्थल बता दीजिये, निर्माण शुरू हो जाएगा।

**श्री शान्तिलाल खोईवाल** : इससे रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न है। आज कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां रूकने के लिए नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जिला स्तर पर....

**श्री अध्यक्ष** : वह वैकल्पिक व्यवस्था भी आप बता दीजिये, वह हो जाएगी और आप स्थल बता दीजिये, निर्माण शुरू हो जाएगा। आप पर ही सब कुछ निर्भर है।

**श्री शान्तिलाल खोईवाल** : थैंक यू, साहब।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जगदीप धनखड़।

**बंजर भूमि विकास की योजना**

241. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालय के समक्ष बंजर भूमि के विकास हेतु कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं ? यदि हां, तो योजनाओं का स्वरूप एव केन्द्र से प्राप्त सहायता का विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार की अजमेर इलाके की बंजर भूमि विकास हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन** (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी हां, राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास मण्डल को 25 परियोजनाएं विभिन्न जिलों की स्वीकृति हेतु भेजी हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बंजर भूमि पर जलाने की लकड़ी, चारा, घास व इमारती लकड़ी लगाकर ऐसे क्षेत्रों का विकास करना है एवं इन क्षेत्रों में होने वाले भूमि के कटाव को रोकना भी है।

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा अजमेर की पीसांगन एवं जवाजा पंचायत समिति की क्रमशः डूमाड़ा एवं पुनेरा वाटर शेड की परियोजनाएं राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास मण्डल, नयी दिल्ली के पास स्वीकृति हेतु भेजी गयी हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर यह सरकार फिस्कल मैनेजमेंट का दावा करती है, यह जो परिशिष्ट "अ" है, इसको आप देखेंगे तो अब तक कुल मिलाकर 8 करोड़, 81 लाख, 68 हजार रुपये मिले हैं। मुख्य मंत्रीजी समय-समय पर कहते रहे हैं कि राज्य में विकास की भारी आवश्यकता है। राज्य में काफी बंजर भूमि है और केन्द्र सरकार से पैसा लेने में जो सफलता प्राप्त की है वह नागालैंड के मुकाबले भी कम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य के सभी डिवीजन्स को हिदायत दी गयी है कि बंजर भूमि के बारे में केन्द्र को अपनी योजनाएं भेजें ताकि राजस्थान को वांछित हिस्सा केन्द्र से मिल सके ?

**श्री अनंग कुमार जैन** : अध्यक्ष महोदय, राज्य के तीसों जिलों को यह निर्देश दिये गये हैं कि जिला, ग्रामीण विकास अधिकरण वहां से अपनी योजनाएं बनाकर बंजर भूमि के डवलपमेंट के लिए भेजे। इस वक्त बारह जिलों की योजनाएं हमने केन्द्र सरकार को भेज दी हैं और उसमें से सात जिलों की योजनाएं तो मंजूर हो चुकी हैं जिन पर कार्य प्रगति पर है। वह विवरण भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : जरूरत नहीं है।

**श्री अनंग कुमार जैन** : सभी जिलों की योजनाएं बनवाने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं और जिस-जिस जिले की भी योजनाएं आ रही हैं हम उसको तुरन्त केन्द्र सरकार को भेज रहे हैं।

**श्री जगदीप धनखड़** : अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन के अलावा भी केन्द्र सरकार की बहुत-सी योजनाएं हैं जिसके अन्तर्गत राज्य को काफी धन मिल सकता है और यह मंत्रालय, यह विभाग भी उसी तरह का है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कोई टास्क फोर्स कांस्टीट्यूट करने की सरकार की योजना है ताकि राज्य को इन योजनाओं के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो सके?

**श्री अनंग कुमार जैन** : अध्यक्ष महोदय, रूरल डवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, यह इन सब योजनाओं की मानीटरिंग करता है और इसके माध्यम से ही सारी योजनाएं केन्द्र सरकार को भेजी जाती हैं और सरकार इस विभाग के माध्यम से सारी योजनाओं पर पूरी नजर रखती है और जो भी योजना होती है उसको त्वरित गति से केन्द्र सरकार तक पहुंचाया जाता है।

**श्री जगदीप धनखड़** : मुख्य मंत्रीजी, बताइये, क्या कोई टास्क फोर्स कांस्टीट्यूट करेंगे जिससे केन्द्र से इन योजनाओं के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा धन राज्य के लिए प्राप्त कर सकें?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये आप। मांगीलाल जी।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा, क्या यह सही है कि राजस्थान में बंजर भूमि और अकृषि योग्य जमीन है? 18 लाख हैक्टेयर ऐसी जमीन पड़ी है जो रेवाईंस है, सीपेज वाली है और सेलेनिटी वाली है। पूर्व में भी केन्द्रीय मद से पैसा आ रहा था और विशेषकर मैं बात करूंगा कोटा सम्भाग के सवाईमाधोपुर, धौलपुर और बूंदी की, इनमें पेड़ लगाकर, लेवलिंग करके जमीन के कटाव को रोकने के लिए कार्यक्रम चल रहे थे। तो इस चम्बल क्षेत्र में विशेष रूप से जो कार्यक्रम बन्द किया गया था, पुनः केन्द्रीय मद से इसका पैसा आये और इस क्षेत्र के लोगों को राहत हो।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये।

**श्री मांगीलाल मेघवाल** : वहां की जो नदियां हैं उसका बहुत सारा क्षेत्र है, राजस्थान में 18 लाख हैक्टेयर ऐसा क्षेत्र है....

**श्री अध्यक्ष** : हां बिराजिये।

**श्री मांगीलाल मेघवाल :** जिसमें अगर कार्यक्रम लिया जाए और केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा पैसा लाकर काम किया जाए तो हमारे यहां बहुत सारे लोगों को इसमें जमीन मिल सकती है और होने वाले कटाव से भी जमीन को रोका जा सकता है।

**श्री अनंग कुमार जैन :** माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा और बूंदी जिले को इसके लिए लिखा जा चुका है, वहां से योजना प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यों का आग्रह यही है कि केन्द्र सरकार के पास जो पैसा पड़ा है ऐसी योजनाओं के लिए, तो वह योजनाएं ज्यादा से ज्यादा बनाकर भेजें।

**श्री अनंग कुमार जैन :** राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाकर भेज देगी।

**प्रश्न संख्या 242**

**श्री अध्यक्ष :** श्री अमराराम चौधरी। (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री चुन्नीलाल धाकड़।

**फसल नुकसान का मुआवजा का आधार**

243. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गांवों में फसलों पर पाला पड़ने, ओले पड़ने से फसलें नष्ट हो जाने पर व खलिहानों में आग लगने से होने वाले नुकसान का मुआवजा जिस आधार पर निश्चित किया जाता है? और इसकी अधिकतम सीमा कितनी है?

**राज्य मंत्री, अकाल राहत एवं सहायता (श्री सांवरलाल) :** शीतलहर एवं ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में लघु एवं सीमान्त कृषकों को निम्नानुसार सहायता दी जाती है :—

(1) फसलों के 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 500 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से।

(2) फसलों के 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 750 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से।

(3) फसलों के 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से।

एक काश्तकार को उपरोक्तानुसार दी जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा 1000 रुपये है। अन्य श्रेणी के काश्तकारों को उपरोक्त सहायता का 50 प्रतिशत ही देय होता है।

अग्निकाण्ड से नुकसान के लिए केवल ऐसे परिवारों को तत्कालिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है जिनकी वार्षिक आय 11000 रुपये से अधिक न हो।

सहायता के मापदण्ड निम्नानुसार हैं :—

(अ) भोजन एवं अस्थायी आवास सुविधा के लिए 200 रुपया प्रति सदस्य। यह राशि प्रति परिवार 1000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(श्री सांवरलाल)

(ब) मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में यदि मकान झोंपड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत आता हो तो सहायता झोंपड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाती है। अन्य मामलों में होने वाले नुकसान की 1/6 राशि जो 1000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(स) पशुधन के नुकसान होने पर निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है :—

(1) भैंस, गाय, बैल, एवं ऊंट के लिए 750 रुपये प्रति पशु,

(2) बकरी, भेड़ आदि के नुकसान होने पर 250 रुपया प्रति पशु,

(द) अनाज, चारा एवं अन्य गृहस्थी के सामान के नुकसान होने पर अधिक से अधिक 500 रुपया प्रति परिवार,

(य) जन हानि के नुकसान पर :—

(1) परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 10000 रुपये

(2) परिवार के किसी सदस्य न चाहे वह कमाने वाला हो या न हो, स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर 5000 रुपये

(3) अस्थाई अयोग्य होने की स्थिति में 1000 रुपये

(4) अन्य प्रकार की गम्भीर चोट आने पर 500 रुपये

(न) यदि किसी परिवार/व्यक्ति को मुख्य मंत्री सहायता कोष से अग्निकाण्ड के मामले में कोई राशि स्वीकृत की गयी हो तो वह राशि उपरोक्तानुसार देय राशि में से कम कर दी जाती है।

(प) अग्निकाण्ड से गृहविहीन हुए व्यक्तियों में से यदि किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए नौकरी की आवश्यकता हो तो यथा सम्भव किसी राजकीय विभाग एजेन्सी में नौकरी की व्यवस्था की जाती है।

**श्री चुन्नीलाल धाकड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह मापदण्ड बताये हैं पहले तो लगता है कि यह बहुत पुराने समय के हैं और वर्तमान में यह सहायता काश्तकारों के लिए बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्तमान महंगाई को देखते हुए कोई नये मापदण्ड तय करने जा रही है ?

**श्री सांवरलाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहायता विभाग तात्कालिक सहायता प्रदान करता है और यह जो मापदण्ड हैं, माननीय भैरोंसिंह जी के राज्य में ही रिवाइज हुए हैं। पहले इससे बहुत कम सहायता दी जाती थी। इसलिए अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इसमें परिवर्तन किया जाय।

**श्री चुन्नीलाल धाकड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, नुकसान हो जाने के 4–6 महीने बाद तक भी सहायता लोगों को नहीं मिल पाती है और जो नुकसान का अनुमान लगाते हैं वह भी बहुत कम लगाते हैं। जैसे किसी को एक कम्बल है, किसी को 100 रुपया है, 150 रुपया है, जब कि किसानों के सारे खेत नष्ट हो जाते हैं। तो इस मामले में सरकार पुनः विचार करेगी ?

**श्री सांवरलाल :** इसके लिए मेरा निवेदन है कि अग्निकाण्ड के लिए हर जिले के अन्दर रिवाल्विंग फण्ड हमने दे दिया है यह सरकार आने के बाद में और यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि जहां भी ऐसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा से हो, तत्काल रिलीफ दे दी जाए।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, यह कोई प्रोफेसर हैं ? मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** यह जाट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। दोनों हैं।

**श्री अध्यक्ष :** अब कोई माने नहीं माने, वह हैं सो हैं।

**मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) :** आप यह मानते हैं कि आप ही प्रोफेसर हैं और कोई नहीं है।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह बात श्री खेतसिंहजी के गले नहीं उतर रही है कि यह प्रोफेसर हैं यूनीवर्सिटी के। यह कहते हैं कि मुझे नहीं लगता। कहने लगे कि मैं तो पूछूंगा अध्यक्ष महोदय से।

**श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहूंगा। यह बहुत ही सैंसेटिव मामला है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष :** आप सवाल पूछिये, भाषण मत दीजिये। पूछिये।

**श्री रामनारायण वर्मा :**....जहां अग्निकाण्ड हो यह बात दूसरी है लेकिन जहां ओलावृष्टि होती है प्राकृतिक, ऐसा है कि आप खरीफ की फसल में अकालग्रस्त घोषित करते हैं लेकिन जहां ओलावृष्टि हो जाए और एक मानवीय दृष्टिकोण से जिस गांव के अन्दर पूरा का पूरा 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हो जाए तो क्या राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है कि उस गांव को अकालग्रस्त घोषित किया जाए। क्योंकि रबी में नहीं होती है और रबी में ओलावृष्टि का मामला अधिक होता है इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ऐसे सैंसेटिव मामले में माननीय दृष्टिकोण से उस गांव को अकालग्रस्त घोषित करके काम देने की बात सोचते हैं क्या ? और नहीं, तो किस आधार पर ?

**श्री सांवरलाल :** माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की जो घोषणा होती है खरीफ की फसल के आधार पर होती है और यह बहुत पुराने समय से परम्परा चली आ रही है। चूंकि राजस्थान में खरीफ की फसल ही मुख्य हुआ करती है और जहां खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता अकाल राहत कार्य शुरू किये जाते हैं। ओलावृष्टि की स्थिति में तात्कालिक सहायता राज्य सरकार उपलब्ध कराती है और ऐसा अभी कोई विचार नहीं है कि उसके आधार पर अकालग्रस्त घोषित किया जाए।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। इन्होंने जबाब दिया है कि

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत नुकसान होने पर 500 रुपया प्रति हैक्टेयर के निर्धारित किये हैं और अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है एक हजार रुपया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मान लो 20 हैक्टेयर में नुकसान होता है तो क्या 10 हजार नहीं दिये जाएंगे और उसको हजार रुपया ही दिया जाएगा। तो यह हजार रुपये की जो सीमा है यदि एक काश्तकार को दस हैक्टेयर नुकसान होता है तो उसको प्रति हैक्टेयर के हिसाब से दिया जाना चाहिए और सीमा अधिकतम निर्धारित की है तो 20 हैक्टेयर में नुकसान हुआ है तो क्या 10 हजार रुपया देय होगा या एक हजार की सीमा जो निर्धारित की है वही हजार रुपया ही दिया जाएगा।

**श्री सांवरलाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीमान्त और लघु कृषकों के लिए है तात्कालिक सहायता। यह कम्पेन्सेशन नहीं है। इसलिए हजार रुपये की अधिकतम राशि है।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट, श्री परसादीलाल।

**श्रीमती कमला** : अध्यक्ष महोदय ...

**श्री अध्यक्ष** : इनका रह जायेगा फिर इम्पारटेंट क्वेश्चन।

**श्रीमती कमला** (बैराठ) : सिर्फ एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके पिछले शासन-काल में भी एक चिट्ठी लिखी थी गवर्नर महोदय को भी और आपको भी कि यह जो दैवी आपदाएं हैं इनके लिए जो सहायता का प्रावधान है यह ना के बराबर है और कलक्टर के स्तर पर तो बिलकुल नहीं है। अग्निकाण्ड हो जाते हैं तो मामूली-सी सहायता देने में भी कलक्टर के पास कोई साधन नहीं हैं इसलिए उस सहायता को तो बढ़ाया जाए। ओलावृष्टि और अग्निकाण्ड हो तो वह हो ही लेकिन साथ ही जो मवेशी जल जाते हैं, अग्निकाण्ड होने में मवेशियों के लिए नहीं दिया जाता है, उसको नहीं गिनते हैं और सिर्फ अनाज जल जाए, मकान जल जाए उसी को करते हैं जब कि मवेशी उसकी आजीविका का साधन होता है। तो उसमें संशोधन किया जाए यह भी मैंने निवेदन किया था उसमें। तो माननीय मंत्रीजी इस पर भी विचार करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री परसादीलाल।

**मोरेल बांध की भराव क्षमता**

244. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मोरेल बांध को 5 फीट ऊंचा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना की क्रियान्विति शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) अब कब तक उक्त योजना को क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

**गृह मंत्री** (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी नहीं। इस बांध को पांच फीट ऊंचा करने की, कोई योजना विचाराधीन नहीं है। पूर्ववर्ती योजना के तहत बांध की

(श्री कैलाश मेघवाल)

ऊंचाई साढ़े आठ फीट बढ़ा दी गयी है। स्पिल वे का काम बाकी है।

(2) पांच फीट ऊंचा करने की जब कोई योजना ही नहीं है तो क्रियान्विति शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) पूर्ववर्ती योजना के अन्तर्गत स्पिल वे का डिजाइन फाइनल होना शेष है तथा वर्ष 1996-97 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया कि पांच फीट के बजाय साढ़े आठ फीट की ऊंचाई बढ़ायी गयी है, तो मेरा पहला सवाल तो यह है कि साढ़े आठ फीट आपने इसकी ऊंचाई बढ़ाई है तो स्पिल वे को आप कितना बढ़ायेंगे ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पिल वे के बारे में दो स्थितियां सामने आयी हैं। यह दो स्थितियां तब सामने आयी जब कि 1981 में यह बांध टूट गया था और 1981 में बांध टूटने के बाद जो पूर्व में योजना सी. डब्ल्यू. सी. को भेजी थी और जिसमें 3 लाख 30 हजार क्यूसेक के आधार पर स्पिल वे बनने वाला था उस स्पिल वे को सी. डब्ल्यू. सी. ने मंजूर नहीं किया और फिर से बांध टूटने के कारण सारी स्थिति को देखते हुए पुनर्मूल्यांकन करके जब वापस सुझाव मांगे तो उसमें 6 लाख क्यूसेक के आधार पर उस स्पिल वे को बनाना तय किया है। इस आधार पर डिजाइन तैयार कर लिए गये और अब यह डिजाइन सी. डब्ल्यू. सी. में जाएगा और वहां के सारे डिजाइनर्स इसको देखेंगे और चूंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें खर्चा अधिक आने की सम्भावना है इसलिए विश्व बैंक से जो सहायता मिल रही है उन योजनाओं के अन्तर्गत इस सारी स्कीम को ले लिया गया है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 1981 की बाढ़ में इस बांध के बाद जब इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, क्या इसकी भराव क्षमता में इतनी कमी आ गयी कि जिससे किसानों को सुविधा नहीं मिली इसीलिए आपने सी डब्ल्यू. सी. को भेजा ? सी. डब्ल्यू. सी. ने क्या शर्तें मांगी थीं और क्या वे राज्य सरकार ने पूरी कर दीं ? पहले जितना पानी इस बांध में आता था उस स्टेज पर ले जाने के लिए, आपने बांध तो बढ़ा दिया इसके स्पिल-वे की ऊंचाई भी सरकार बढ़ायेगी ताकि किसानों की पहले जितनी भूमि सिंचित होती थी उसी के अनुरूप सिंचाई हो ? यह बांध बिलकुल बीच में क्रास देकर आपने बनाया है। क्या सी डब्ल्यू. सी. ने आप को यह कहा है कि पहले के बराबर इसकी सिंचाई क्षमता नहीं रही, आप इसका स्पिल-वे बढ़ाइये ? पहले जितना पानी आता था उसके बराबर आप करने का विचार रखती हैं ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि बांध जब टूट गया है और स्पिल-वे नहीं बनता है तब तक उसकी भराव क्षमता में कुछ कमी रहेगी क्योंकि बांध को बढ़ा तो दिया साढ़े आठ फीट। जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूं कि 1981 की बाढ़ की पूर्व की स्थिति में इस बांध की नहरों की लम्बाई 170 किलोमीटर थी, जो

(श्री कैलाश मेघवाल)

नयी योजना तैयार की है उसके अनुसार बांध के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के पश्चात् जो स्थिति होगी उसके अनुसार 190 किलोमीटर होगी। समग्र कमाण्ड क्षेत्र....

**श्री परसादीलाल मीणा** : मैं सिर्फ स्पिल-वे की बात पूछ रहा हूं कि आप उसको कितना बढ़ायेंगे जिससे पानी पहले के बराबर भरने में आ जाए।

**श्री अध्यक्ष** : वह बता दिया। वहीं तक सीमित रहिये। स्पिल-वे बनने के बाद उतना हो जाएगा।

**श्री कैलाश मेघवाल** : समग्र कमाण्ड क्षेत्र जो 1981 के....

**श्री परसादीलाल मीणा** : कमाण्ड की नहीं पूछ रहा हूं।

**श्री कैलाश मेघवाल** : 1981 के पहले 52,632 एकड़ था वह इसके पुनर्निर्धारण के बाद 59,996 एकड़ होने वाला है। यह प्रस्तावित है।

**श्री अध्यक्ष** : हो जाएगी उसमें।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी इधर-उधर बातों को घुमा रहे हैं। सवाल यह है कि 1981 में जब बांध टूटा उससे पहले जितना एरिया इरिगेट होता था, 1981 से 1994 तक क्या उतना ही एरिया इरिगेट हो रहा है या कम हो रहा है? अगर स्पिल-वे आपको बढ़ाना था तो 15 साल से आप उसको क्यों रोके बैठे हैं?

**श्री अध्यक्ष** : उन्होंने बताया है कि एरिया बढ़ रहा है।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : जब डिजाइन पूरी बनेगी तब एरिया बढ़ेगा।

**श्री अध्यक्ष** : हां यह तो है ही।

**श्री हरिसिंह** : 14 साल से कमाण्ड एरिया के किसान लगान दे रहे हैं... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। ठीक है. समझ गया। एरिया बढ़ेगा?

**श्री कैलाश मेघवाल** : शुरू में जैसा निवेदन किया, स्पिल-वे जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक पूर्ण भराव क्षमता नहीं आएगी। इसलिए वह स्थिति जो 1981 में थी उसमें थोड़ी कमी है। यह सारी योजना लागू हो जाने के बाद दोनों ही स्थितियां–कमाण्ड एरिया भी बढ़ रहा है और रकबा भी बढ़ेगा।

### विधान सभा क्षेत्र सांचौर में अध्यापकों के रिक्त पद

245. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर के गांव में कुल कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद अध्यापकों/व्याख्याताओं/प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों के कितने-कितने

(श्री हीरालाल विश्नोई)

समय से रिक्त पड़े हैं और उक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

**शिक्षा मंत्री** (श्री गुलाबचन्द कटारिया) :

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर के गांव में कुल 70 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों/व्याख्यताओं/प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों के रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। इन पदों में तो व्याख्याता/प्रधानाध्यापकों के पद चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। प्रधानाचार्यों के पद 1994-95 की डी. पी. सी. की बैठक के बाद भरे जाएंगे। अध्यापकों के पद मार्च, 1994 तक निर्मित वरीयता सूची में आशार्थी उपलब्ध होने की स्थिति में मार्च, 1994 तक भर दिये जाएंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

**श्री हीरालाल विश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक ही उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरी में 11 पद रिक्त हैं और जो सूची सदन की मेज पर रखी गयी है उसमें इन्होंने 2-3 पद खाली बताये हैं। मेरे सांचौर विधान सभा क्षेत्र में 1990-91 से तीन वर्षों में कितनी प्राथमिक पाठशालाएं बन्द कर दी गयीं ? कम - से कम. 44 प्राथमिक विद्यालय 1990-91 के साल में बन्द कर दिये गये। सरकार शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दे रही है तो जो विद्यालय बन्द कर दिये गये उनको कब तक चालू करने की मंशा रखते हैं ?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने जो जानकारी दी, प्रधानाध्यापकों के केवल छह पद आपके क्षेत्र में रिक्त हैं और 16 व्याख्याताओं के पद, पांच वरिष्ठ अध्यापकों के पद और चार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद रिक्त हैंऔर जो प्राथमिक शाला का आप कह रहे हैं वह विषय मेरे से सम्बन्धित नहीं है, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : पंचायत से है।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, इन रिक्त पदों का एक-एक शाला में जाकर मैंने पता किया है, एक-एक स्कूल में कम से कम 5-5, 7-7 पद खाली पड़े हैं और यहां मंत्री महोदय बता रहे हैं कि एक-एक, दो-दो पद खाली हैं। तो क्या ये सदन को गुमराह कर रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : सदन को नहीं, यह हमेशा से उठ रहा है कि स्वीकृत पद हैं उनका उत्तर देते हैं।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : मैं स्वीकृत पद की ही बात कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : यह आप कन्फर्म कर लीजिये। यदि स्वीकृत पद हैं और आप जो बता रहे हैं उतने पद खाली हैं, तो आप मुझे बताइये।

**श्री हीरालाल विश्नोई** : मैं जानकारी कर आया हूं कि एक ही डूंगरी के अन्दर....

**श्री अध्यक्ष** : आप इसकी जानकारी करके कि स्वीकृत पद वहां पर कितने हैं

(श्री अध्यक्ष)

और जो आप खाली बता रहे हैं उसमें और इनके कहने में अन्तर है, मुझे बताइये।

**पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड**

246. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा पशु चिकित्सालय खोलने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बजट सत्र वर्ष 1994-95 के दौरान क्या राज्य सरकार डेगाना तहसील जिला नागौर में नये राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि किसी ग्राम में जन सहयोग द्वारा भवन उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार पशु चिकित्सालय खोलने को प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)** : (1) पशु चिकित्सालय खोलते समय पशु संख्या क्षेत्र में पूर्व से कार्यरत पशु चिकित्सा संस्था से दूरी एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे भवन, डाक व्यवस्था, आवागमन के साधनों को ध्यान में रखा जाता है।

(2) वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। चिकित्सालय/औषधालय खोलते समय जिला नागौर पर भी विचार किया जाएगा।

(3) नये पशु चिकित्सालय खोलते समय निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत आने पर जन सहयोग द्वारा भवन उपलब्ध करवाये जाने पर चिकित्सालय खोलने पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

**श्री रिछपाल सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या पशु चिकित्सा का विस्तार करने का सरकार का इरादा नहीं है ? इसीलिए वर्तमान में पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरा सवाल यह है कि पशु चिकित्सा विस्तार के सम्बन्ध में 1994-95 में क्या-क्या कार्य किये जाएंगे ?

**श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं कि राजस्थान में नये औषधालय खुलने चाहिए लेकिन स्थिति ऐसी है कि करीब 373 पद पशु चिकित्सकों के रिक्त थे। अभी 150 जगहों पर अपाइंटमेंट कर दिया गया है तो भी 223 पद अभी भी रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में अगर नये और पशु चिकित्सालय खोले जाएं तो निश्चित तौर पर खोलना तो आसान है लेकिन उनको भरा नहीं जा सकता। इसलिए सरकार की यह मंशा है कि इस साल जिन पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों की उपलब्धि नहीं है वहां पर सर्वप्रथम डाक्टरों की नियुक्ति कर दी जाए। उसके बाद जहां-जहां भी इसकी आवश्यकता होगी वहां पर इसके खोलने पर विचार कर लिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ?

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढा) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि डाक्टरों की कमी के कारण औषधालय नहीं खोल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : डाक्टर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वे कह रहे हैं।

**श्री शिवनाथ सिंह** : आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहां वेटरिनरी कालेज से इतने निकले हुए हैं कि वे बेकार बैठे हुए हैं। आप उनको काम नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। स्थिति तो यह है और आप उलटे यह कह रहे हैं कि डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो क्या आप शार्ट टर्म एडवर्टाइजमेंट करके डाक्टर्स की भर्ती करने की चेष्टा करेंगे ?

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : डाक्टर्स की कमी है और पिछली बार जो 85 विकास अधिकारी चयनित किये गये हैं उनमें से 82 वेटरिनरी डाक्टर हैं। कमी का कारण यह है। हम टेक्निकल साइड में जिनको ट्रेन करके, पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, पूरी सोसायटी उनके ऊपर खर्चा करती है उनको विकास अधिकारी चयनित करने की जो यह परम्परा बन गई है, क्या मंत्रीजी इस परम्परा को रोकेंगे ताकि हमारे हास्पिटल्स में डाक्टर्स की कमी नहीं आए ? जो अभी चयनित हुए हैं उनको रिवर्ट बैक करके आप अपने विभाग में लें।

(12.00)

**श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले बताया गया, राजस्थान में कई डाक्टर हैं जिनको नियुक्ति नहीं दी गयी। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 78 डाक्टर आये थे जिनमें एक डाक्टर ओवरऐज होने के कारण नहीं ले पाये और बाकी जितने डाक्टर थे उन सबको नियुक्ति दे दी गयी है। इसलिए, बीकानेर वेटरिनरी कॉलेज से कोई भी ऐसा बचा हुआ डाक्टर नहीं है जिसको हमने नियुक्ति नहीं दी।

दूसरी, माननीय सदस्य ने जो बात बतायी कि जो विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्ति दी गयी, यह राष्ट्रपति शासन के दौरान नियुक्तियां दी गयीं। सरकार इस पर....(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति उस समय दी गयी थी....

**श्री अध्यक्ष** : सुन लेना, उत्तर सुनिये। ....(व्यवधान)

**श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** : और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर भी विचार कर लिया जाएगा।....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

## अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

### छात्रावास भवन, बालोतरा

242. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमराराम चौधरी)

(1) क्या बालोतरा में समाज कल्याण छात्रावास राजकीय भवन में चल रहा है ? यदि नहीं. तो सरकारी भवन की कब तक सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ?

(2) बालोतरा समाज कल्याण छात्रावास में कुल कितने छात्र हैं तथा उन पर मासिक प्रति छात्र सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है ?

(3) क्या बालोतरा समाज कल्याण छात्रावास में छात्र स्वयं भोजन पकाते हैं यदि नहीं तो रसोईदार को कितने रुपये माहवार दिये जाते हैं ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। बालोतरा में समाज कल्याण का अनुसूचित जनजाति छात्रावास किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। यह सरकार के पास वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) बालोतरा में राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास में पचास छात्र हैं। छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र पर 250/– रुपये प्रति छात्र प्रति माह व्यय किया जाता है। यह राशि शिक्षा सत्र के 9½ माह के लिये दी जाती है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/– रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/– रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र एक मुश्त प्रदान किये जाते हैं।

(3) जी नहीं। छात्रावास में छात्रों का खाना रसोईया बनाता है, जिसे 350 रुपये दैनिक वेतनभोगी के रूप में प्रतिमाह भुगतान किया जाता है।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र

296. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किन-किन कस्बों व गांवों में पशु चिकित्सालय हैं ?

(2) क्या इन पशु चिकित्सालयों के साथ-साथ उपकेन्द्र भी बनाये गये हैं ? यदि हां, तो केन्द्र व उपकेन्द्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 9 पशु चिकित्सालय क्रमशः अनूपगढ़, विजयनगर, जी. बी. 65, सूरतगढ़, बीरमाना, जैतसर, लिखमीसर, गोलूवाला एवं पीलीबंगा कार्यरत है।

(2) जी हां। कार्यरत उपकेन्द्रों की सूची "क" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

### मेवों की पुनर्वास भूमि के प्रकरण

297. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री तैयब हुसैन)

क्या यह सही है कि जिन स्थानों पर पुनर्वास के दौरान मेवों को बसाया गया था उन पर मकान बनाने के लिये सरकार द्वारा रोक लगा रखी है? यदि हां तो धारा 90 ए एवं 91 एल. आर. एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही के मामलों को सरकार वापिस लेकर नियमित आबादी घोषित कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जिन स्थानों पर पुनर्वास के दौरान मेवों को बसाया गया था, उन पर मकान बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई रोक नहीं है। विस्थापितों को आबादी भूमि का आवंटन मकान बनाने हेतु ही किया गया था। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–90 ए, और 91 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

**जिला नागौर में अकाल राहत कार्य**

298. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में कितने गांव अकाल की चपेट में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इसमें अकाल राहत हेतु कितनी राशि खर्च किये जाने की योजना है? यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कम या अधिक होगी?

(3) नागौर जिले में गत अकाल के समय किस-किस स्थान पर पक्के काम हाथ में लिए गए थे जो अभी अधूरे पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) नागौर जिले में अकाल राहत में कितने डाक बंगलों के निर्माण कार्य चालू किये गये थे? उन पर कितना धन खर्च हुआ? इस खर्चे का सदुपयोग कराने के लिए अब कितनी और राशि व्यय कर इन्हें पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) अभाव वर्ष सम्वत् 2050 में नागौर जिले में कुल 1040 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं? सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) अकाल राहत कार्यों के लिए राशि खर्च किये जाने की जिलेवार योजना नहीं बनाई जाती। जिले में अकाल की विभीषिका तथा रोजगार के अन्य श्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए राहत कार्यों पर लगाये जाने वाले श्रमिकों की सीमा निर्धारित की जाती है। नागौर जिले के लिए फरवरी माह के लिए 5 हजार श्रमिक संख्या निर्धारित थी तथा मार्च, 1994 के लिए इसे बढ़ाकर 7,500 कर दी गई है। भविष्य में भी आवश्यकतानुसार श्रमिक सीमा निर्धारित की जावेगी। नागौर जिले में राहत कार्य के लिए अब तक निम्नानुसार राशि आवंटित की गई है:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान आदि के लिए प्रथम किश्त के रूप में | 50 लाख रु. |
| 2. | टैंकर्स की मरम्मत के लिए | 0.20 लाख रु. |
| 3. | पेयजल परिवहन व्यवस्था के लिए | 0.40 लाख रु. |

(अकाल राहत राज्य मंत्री)

नागौर जिले में लागू जवाहर रोजगार योजना, साक्षी रोजगार योजना व अन्य विकास कार्यों पर भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

पिछले वर्ष अर्थात् सम्वत् 2049 में नागौर जिला अभावग्रस्त नहीं था। अतः पिछले वर्ष इस जिले में राहत कार्यों पर कोई राशि खर्च नहीं हुई।

(3) नागौर जिले में विगत अभाव वर्ष सम्वत् 2048 के समय कराये गये पक्के कार्यों एवं इनमें से अधूरे रहे कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ख")

(4) नागौर जिले में अभाव वर्ष सम्वत् 2048 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत डाक बंगलों के निर्माण की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**जिला सीकर में अकाल राहत कार्य**

299. **श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले की किन-किन तहसीलों के किन-किन गांवों में अकाल राहत कार्य खोले गये हैं ? इन कार्यों का ग्रामवार प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल राहत योजना के तहत कितने कार्य निपटा दिये गये हैं ? कितने चालू हालात में हैं व कितने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) सम्वत् 2050 में सीकर जिले के किसी भी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। अतः राहत कार्य खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) सीकर जिला अभावग्रस्त घोषित नहीं होने के कारण वहां अकाल राहत कार्यों के तहत कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और न ही कोई कार्य प्रस्तावित है।

**जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत शेरगढ़ व बालेसर पंचायत समिति को आवंटित राशि**

300. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य आयोजना मद एवं जवाहर रोजगार योजना मद के तहत पिछले एक वर्ष में कितनी धनराशि पंचायत समिति शेरगढ़ एवं पंचायत समिति बालेसर को आवंटित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पूर्णधन राशि का 31 मार्च, के पूर्व विभिन्न कार्यों में उपयोग करा लिया जायेगा ? जो कार्य पिछले एक वर्ष में उक्त तहसील में लिये गये उनमें से कितने पूर्ण हो चुके हैं ? कितने अधूरे पड़े हैं और कितनों पर काम शुरू ही नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 (जनवरी, 94 तक) में पंचायत समिति शेरगढ़ एवं बालेसर में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत राज्य आयोजना मद में क्रमश: 6.459 लाख तथा 6.919 लाख राशि आवंटित की गई है तथा जवाहर रोजगार केन्द्रीय मद में क्रमश: 25.837 लाख तथा 27.677 लाख राशि आवंटित की गई है। अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत आयोजना मद में बालेसर पंचायत समिति को रुपये 20 000 राशि आवंटित की गई। ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट में सदन की मेज पर प्रस्तुत है। मैसिव योजनान्तर्गत शेरगढ़ पंचायत समिति में रुपये 3358/– राशि दी गई।

(2) आवंटित धनराशि को विभिन्न कार्यों में 31 मार्च 1994 तक उपयोग होने की सम्भावना है जिसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1993-94 (जनवरी, 94 तक) में शेरगढ़ तहसील में 193 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 42 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 117 कार्य अपूर्ण हैं तथा 34 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए, जो 93–94 में ही स्वीकृत हुए हैं। मैसिव योजना में 1 कार्य प्रगतिरत है। सूची संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**योजनान्तर्गत चयनित परिवारों को लाभान्वित**

**301. श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से दिनांक 31 जनवरी, 1994 की अवधि में पंचायत समिति नैनवां क्षेत्र से पिछड़े से पहले योजनान्तर्गत चयनित परिवारों में से कितनों को लाभान्वित किया जा चुका है ? लाभान्वित व्यक्तियों की सूची मय दिलाये गये लाभ के विवरण सहित, सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त परिवारों में से लाभान्वित होने से वंचित रहे व्यक्तियों को कब तक लाभान्वित करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या चयनित किये गये उक्त व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों द्वारा कूप निर्माण हेतु फार्म भरे गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के द्वारा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कुए के निर्माण हेतु फार्म भरने वालों को कब तक सहायता एवं स्वीकृतियां प्रदान कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) पिछड़े से पहले नाम से कोई योजना विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग क्रियान्वित नहीं की जाकर "अन्त्योदय" योजना माह अक्टूबर, 1990 से क्रियान्वित की गई जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े से पहले को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया गया है। उक्त कार्यक्रम तहत सन्दर्भित अवधि में पंचायत समिति नैनवां में कुल 1185 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। जिनको दिलाये गये लाभ के विवरण सहित सूची परिशिष्ट 'अ' 'ब' व 'स' पर प्रस्तुत है।

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

(2) बैंकों को वर्षवार आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप लाभार्थियों द्वारा औपचारिकताए पूर्ण करने के उपरान्त शेष रहे परिवारों को लाभान्वित कराया जावेगा।

(3) हां, चयनित परिवारों में से 188 व्यक्तियों द्वारा जीवन धारा योजनान्तर्गत कूप निर्माण हेतु आवेदन-पत्र भरे गये हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-2 'अ' 'ब' 'स' पर प्रस्तुत है।

(4) आवेदन-पत्र भरने वाले व्यक्तियों में से 177 के पक्ष में कूप निर्माण की स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं, शेष 11 आवेदन पत्रों में से 4 निरस्त कर दिये गये हैं एवं 7 आवेदन पत्र-आक्षेपों की पूर्ति हेतु विकास अधिकारी को लौटा दिये गये हैं, आक्षेप पूर्ति के उपरान्त इन व्यक्तियों को नियमानुसार लाभान्वित किया जावेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य**

302. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति जहाजपुर की पचायतें एवं पंचायत समिति कोटड़ी की जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में लगने वाली पंचायतों को वर्ष 1990–91 से 1993–94 के बीच जवाहर योजना की राशि कितनी-कितनी किस कार्य हेतु दी गई? विवरण प्रत्येक पंचायत एवं ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायतों को दी गई राशि से क्या-क्या कार्य सम्पन्न हुए, क्या ये कार्य नियमानुसार कराये अथवा ठेके आदि पर भी दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ये कार्य पूर्ण होकर कार्य पूर्णतया प्रमाण-पत्र दे दिये हैं? यदि नहीं, तो कौनसे कार्य अधूरे हैं?

(4) क्या यह सही है कि घटिया सामग्री के कारण कुछ कार्य क्षतिग्रस्त होकर गिर गये हैं? यदि हां, तो गिरने के कारण सहित प्रत्येक कार्य का नाम मय पंचायत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त प्रकरण में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति जहाजपुर की पचायतें एवं पंचायत समिति कोटडी की जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में लगने वाली पंचायतों को वर्ष 1990–91 से 1993–94 के बीच जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत दी गई राशि का विवरण ग्रामवार तथा कार्यवार परिशिष्ट-1 में संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) उक्त पचायतों को दी गई राशि से सम्पन्न कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है। सम्पन्न कार्य जवाहर रोजगार योजना की नियमावली एवं ग्रामीण

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

कार्य निर्देशिका के अनुसार कराये गये। कोई कार्य ठेके आदि पर नहीं दिया गया।

(3) वर्ष 1990-91 से 1992–93 तक के पूर्ण हुए कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिये गये हैं। वर्ष 1993-94 के पूर्ण हुए कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र वर्ष समाप्ति पर दे दिये जायेंगे। अधूरे कार्यों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) उक्त प्रकरण में किसी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

### विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब लोगों का आवास

303. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के, पीपल्दा गणेशगज व चाणदा खुर्द के पास अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब लोगों के लिए रहने के लिए मकान बनाये गये थे? यदि हां, तो क्या यह मकान वर्तमान में रहने योग्य है?

(2) यदि नहीं, तो उक्त मकानों की मरम्मत व अधूरे निर्माण कार्य को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पीपल्दा, गणेशगंज व चाणदा खुर्द में अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के रहने के लिए 58 इंदिरा आवास बनाये गये थे। वर्तमान में 12 मकान रहने योग्य हैं।

(2) इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अधूरे आवासों को पूरा कराने हेतु स्वीकृत इकाई लागत से अधिक राशि व्यय करने का प्रावधान नहीं है। अत: अधूरे 'मकान आवंटित व्यक्तियों द्वारा स्वयं के संसाधनों से पूर्ण कराये जाने हैं।

### कुशलगढ़ क्षेत्र में वर्ष 1980 से 1993 तक निर्मित सम्पर्क सड़क

304. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में पंचायत समितियों द्वारा वर्ष 1980 से 1993 तक कितने एप्रोच रोड प्रथम योजना से चालू किये गये? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों पर वर्षवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 से जनवरी, 1993 तक अधूरे एप्रोच रोड पड़े हुये हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त अधूरी सड़कों को कब तक पूर्ण कराये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ में वर्ष 1980 से 1993 तक क्रमश: 63 एवं 76 कुल 139 एप्रोच रोड के कार्य विभिन्न योजनान्तर्गत चालू किये गये। पंचायत समितिवार सूची संलग्न कर सदन की मेज पर रखी गयी है।

(2) उक्त सडकों पर वर्षवार व्यय की गई राशि के आंकड़े संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां, राज्य सरकार अधूरे कार्यों को उपलब्ध संसाधन के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**राज्य में 1990 से अब तक "अपना गांव अपना काम" योजनान्तर्गत आवंटित राशि कार्य**

305. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़), **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 से अब तक अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के कार्य करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत जनता की भागीदारी हेतु ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में कोई नया कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो इसकी क्या योजना है?

उत्तर

(1) अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत वर्ष 1990 से जनवरी, 94 तक कुल रुपये 4410.62 लाख राशि के कार्य करवाये गये। वर्षवार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है:

| वर्ष | व्यय राशि (लाखों में) |
|---|---|
| 1990-91 | 427.07 |
| 1991-92 | 1077.87 |
| 1992-93 | 1475.46 |
| 1993-94 | 1430.22 |
| योग | 4410.62 |

(2) योजनान्तर्गत कार्यों में 30 प्रतिशत जन सहयोग के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित है व राज्य सरकार जन प्रतिनिधियों का अधिक से अधिक सहयोग चाहती है। वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं में जन प्रतिनिधि न होने के कारण इस हेतु राज्यमंत्री महोदय की ओर से सभी विधायक महोदय को पत्र लिख कर जन भागीदारी बढ़वाने का आग्रह किया गया है। स्थानीय स्तर पर भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व पंचायत समिति द्वारा प्रयास किये जाते हैं।

**राज्य में बंजर भूमि प्रक्रिया**

306. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) राज्य में बंजर भूमि का पता लगाने का क्या तरीका है ?

(2) कितनी बंजर भूमि किस-किस जिले के उपखण्डों में है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) ऐसी कितनी भूमि है, जिसे उचित प्रयासों से उपजाऊ बनाया जा सकता है ?

उत्तर

(1) राज्य में बंजर भूमि का पता स्टेट रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर जोधपुर, रीजनल रिपोर्ट सेन्सिग सर्विस सेन्टर, जोधपुर एवं नेशनल रिपोर्ट सेन्सिग एजेन्सी हैदराबाद द्वारा उपग्रह छाया चित्रों के माध्यम से लगाया जाता है ।

(2) स्टेट रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर द्वारा 15 जिलों में उपग्रह छाया चित्रों के माध्यम से बंजर भूमि का पता लगाया गया है । जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है । शेष 15 जिलों का एवं समस्त जिलों के उपखण्डवार बंजर भूमि का पता लगाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) उपलब्ध बंजर भूमि में से लगभग 60 प्रतिशत पुनः चारागाह, वृक्षारोपण, ईंधन वृक्षारोपण, जल भण्डारण, वन आदि विकसित कर उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है । क्षारीय भूमि को भी उपचार कर उपजाऊ बनाया जा सकता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें ।)

## राजसमन्द तहसील में "इन्दिरा आवास योजना" के अन्तर्गत आवंटित राशि प्रकरण

307. **श्री शान्तिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द तहसील के किन-किन व्यक्तियों को दिनांक 1-4-1991 से 31-1-94 तक "इन्दिरा आवास योजना" के तहत किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ?

(2) प्रत्येक को स्वीकृत राशि में से कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है ? यदि भुगतान अपूर्ण है, तो कारणों का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजसमन्द तहसील में 1-4-91 से 31-1-94 तक की अवधि में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण कार्य के लिये प्रत्येक लाभार्थी को रु. 9800/- की दर से राशि स्वीकृत की गई. जिसका व्यक्तिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट में प्रस्तुत है ।

(2) प्रत्येक लाभार्थी को स्वीकृत राशि के विरुद्ध भुगतान की गई राशि संलग्न परिशिष्ट में प्रस्तुत है । जिन व्यक्तियों ने पूर्ण निर्माण नहीं करे केवल लिंटन लेवल तक ही निर्माण किया है उनको स्वीकृत राशि का पूर्ण भुगतान न कर केवल रु. 6000/- का भुगतान किया गया है । शेष आवास भवनों का कार्य जनवरी, 94 में स्वीकृत होने के कारण अभी कुर्सी लेवल तक नहीं आया है व प्रथम किश्त का भुगतान कुर्सी लेवल तक

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

पूरा होने पर ही होता है। अतः कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**अतारांकित प्रश्न संख्या 308**

(अग्राह्य)

**पंचायत समिति सराड़ा जिला उदयपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र**

309. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सराड़ा जिला उदयपुर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र पिछले 5 वर्षों से चल रहे हैं तथा कितने कहां के बन्द हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या-क्या मापदण्ड हैं ? क्या सरकार सराड़ा तहसील में और केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के लिए पोषाहार दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? क्या जो खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, वह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है ?

**उत्तर**

(1) बाल विकास परियोजना, सराड़ा जनजाति क्षेत्र की परियोजना है तथा वर्ष 1983-84 से संचालित है। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 125 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिनमें 124 आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में संचालित है तथा एक केन्द्र ग्राम शक्तावतों का गुड़ा पिछले 2 वर्ष से बन्द है। केन्द्रों की सूची संलग्न कर सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण जनजाति क्षेत्र में 700 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

जी हां। भारत सरकार से जनवरी, 1994 में 13 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये अतिरिक्त स्वीकृत केन्द्र शीघ्र प्रारम्भ किये जावेंगे।

(3) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा पोषाहार दलियां एवं सोया तेल का वितरण किया जाता है। वर्तमान में सत्तु का वितरण किया जा रहा है।

जी, हां। यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिये उपयुक्त है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की यात्रा के प्रकरण**

310. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने 1 जून, 1993 से अब

(36)



(श्री हरजीराम बुरडक)

तक कहां-कहां की यात्राएं की ? यात्राओं का प्रयोजन क्या था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त यात्राएं सरकारी गाड़ी से की हैं ? यदि हां, तो कौनसी गाड़ी से ? उक्त अवधि की लोग बुक की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस अवधि में स्थानान्तरण पर रोक होने के उपरान्त भी उक्त अधिकारी ने कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये ? यदि हां, तो किस-किस के कहां से कहां और क्यों ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अधिकांश यात्राएं सरकारी वाहन से की गई है। प्रश्न के भाग एक के लिये सलंग्न विवरण में किस-किस वाहन से यात्राएं की गई हैं कि बाबत उल्लेख किया जा चुका है। लोग बुकों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के सामान्य चिकित्सालय की एक्सरे मशीन**

311. **श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद में एक्सरे मशीन आ गयी है ? यदि हां, तो इसे अब तक क्यों नहीं स्थापित किया गया ? अब कब तक इसे स्थापित करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। प्राप्त एक्सरे मशीन दिनांक 20-2-94 से स्थापित करने की कार्यवाही कम्पनी के इंजिनियर द्वारा शुरू करदी गई है, जो शीघ्र चालू कर दी जावेगी।

**जिला डूंगरपुर में महिला प्रसाविका के पदों के सृजन प्रकरण**

312. **श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितने महिला प्रसाविका के पद सृजित हैं ? इनमें अनुसूचित जनजाति की महिलायें कितनी हैं ?

1. महिला प्रसाविकाओं का कार्यरत समय कितना-कितना है एवं इनकी संख्या क्या है ?

2. महिला प्रसाविकाओं की पदोन्नति कितने वर्ष बाद होती है ?

3. अब तक महिला प्रसाविकाओं से पदोन्नति किन-किन पदों पर की गई है एवं कितने काल तक प्रसाविका पद पर कार्य करने के बाद पदोन्नति की गई है ?

(श्री शंकरलाल अहारी)

4. क्या पदोन्नति में कोई अनियमितता की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय डूंगरपुर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तीर्ण महिलाओं के लिए प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था थी? यदि हां, तो उक्त प्रशिक्षण केन्द्र को अब बन्द करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त प्रशिक्षण केन्द्र को पुनः प्रारम्भ करने जा रही है यदि हां, तो कब?

**उत्तर**

(1) डूंगरपुर जिले में 316 प्रसाविकाओं के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 109 प्रसाविकाएँ अनुसूचित जनजाति की हैं।

महिला प्रसाविकाओं का विवरण सलंग्न है:—

दिनांक 31-10-67 तक की नियुक्ति लगभग सभी महिला प्रसाविकाओं को स्टाफ नर्स के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। दिनांक 3-6-82 के पश्चात् मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रसाविका जिन्हें पांच वर्ष का सेवा अनुभव हो, को उनके स्वयं की प्रार्थना पर महिला स्वास्थ्य दर्शिका के प्रशिक्षण के लिए चयन किए जाने का प्रावधान है तथा प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्ति तिथि से कुल सात वर्ष का सेवा अनुभव होने पर वरिष्ठता के आधार पर नियमानुसार महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

इस प्रश्न के भाग दो में दिए गए विवरण के अनुसार अब तक प्रसाविकाओं को स्टाफ नर्स एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पर पदोन्नति दी गई है।

जानकारी के अनुसार किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाया जाता।

(2) जी हां, वर्ष 1979 से पूर्व जिला मुख्यालय डूंगरपुर पर प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तीर्ण (आठवीं पास) महिलाओं को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान था। वर्ष 1979 के पश्चात् इस केन्द्र पर मैट्रिक पास महिलाओं को ही प्रशिक्षण के लिए चयन किये जाने का प्रावधान है। प्रसाविका का प्रशिक्षण केन्द्र बन्द नहीं किया गया है।

(3) प्रशिक्षण केन्द्र बन्द नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

**बिजोलिया क्षेत्र में मलेरिया के पोजेटिव केस**

313. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बिजोलिया क्षेत्र में कितने मलेरिया के पोजेटिव केस प्रतिवर्ष स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत दर्ज होते हैं?

(2) क्या यह संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक से अधिक है? यदि हां, तो सरकार इनके उपचार हेतु क्या प्रयत्न कर रही है?

(3) क्या बिजोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एम्बूलेन्स उपलब्ध करा

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

इस बीमारी व अन्य आवश्यकताओं को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बिजोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में गत तीन वर्षों में मलेरिया के पोजेटिव केसेज की संख्या निम्न प्रकार से है :—

| वर्ष | रक्त पट्टिका परीक्षण | पोजेटिव |
|---|---|---|
| 1991 | 23624 | 1179 |
| 1992 | 26718 | 1830 |
| 1993 | 30133 | 2680 |

(2) जी नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। मलेरिया के जीवाणु युक्त रोगियों की संख्या को मध्य नजर रखते हुए इसके नियंत्रण हेतु निम्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है :-

1. बुखार से रोगियों के खून का परीक्षण।
2. जीवाणु युक्त रोगियों का आमूल उपचार।
3. लगभग पूरे वर्ष इकट्ठे रहने वाले पानी में लार्वा भक्षी मछलियों का उपयोग में लिया जाना।
4. डी. डी टी. छिड़काव।
5. स्वास्थ्य शिक्षा।

मलेरिया प्रभावित ऐसे क्षेत्र जहां प्रति हजार 2 से अधिक जीवाणु युक्त रोगी पाये जाते हैं वहां डी.डी.टी. का छिड़काव कराया जाता है। इसी परिपेक्ष्य में वर्ष 1991 में कमरे एवं पशुवाड़ा में क्रमश: 70% एवं 100%, वर्ष 1992 में 65% एवं 100 प्रतिशत एवं वर्ष 1993 में 70% एवं 100% डी.डी.टी. का छिड़काव करवाया गया।

(3) मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए एम्बूलेन्स का होना आवश्यक नहीं है।

**जिला बूंदी में डी.डी.टी. का छिड़काव**

**314. श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1993 में बूंदी जिले में डी. डी. टी. का छिड़काव किया गया है ? यदि हां, तो कितने गांवों में ?

(2) क्या छिड़काव हेतु उपलब्ध कराई गई दवाई की शुद्धता की जांच की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ? उक्त दवायें प्राप्त करने के स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या छिड़काव कार्य में लगाये गये मजदूरों एवं ठेकेदारों को मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(4) छिड़काव करने वाले मजदूरों को मजदूरी के भुगतान में देरी करने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रथम चक्र में 412 गांवों में छिड़काव किया गया है ? द्वितीय चक्र में 147 गांवों में छिड़काव किया गया है :

(2) जी नहीं, उपलब्ध कराई गई दवाई की शुद्धता की राज्य स्तर पर जांच कराने का कोई प्रावधान नहीं है। कीट-नाशक दवाई भारत सरकार के माध्यम से 'हिन्दुस्तान इन्सीटिसाईड लिमिटेड, गोविन्द सिंह मार्ग, नई दिल्ली' से प्राप्त की गई है।

(3) जी हां, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) बून्दी के द्वारा प्रथम चक्र के छिड़काव कार्य हेतु ठेकेदारों का भुगतान निम्न तिथियों को भेजा गया है :-

दिनांक 15-12-93 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कापरेन का।

दिनांक 16-12-93 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली का।

दिनांक 30-12-93 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई का।

द्वितीय चक्र का बिल ट्रेजरी भिजवाया गया है, ट्रेजरी से पारित होते ही भुगतान करा दिया जायेगा।

(4) मजदूरों को मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाना था जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार था। ठेकेदार द्वारा कार्य रिपोर्ट समय पर नहीं देने तथा रिपोर्ट सही नहीं होने के कारण कभी-कभी भुगतान में विलम्ब हो जाता है। फिर भी भुगतान समय पर किए जाने का प्रयास किया जाता है।

**राज्य में नये चिकित्सालय खोलने बाबत**

315 **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नये चिकित्सालय खोलने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) जोधपुर जिले में कौन-कौन से नये चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

(3) क्या ब्लाक (बिलाड़ा) में चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जोधपुर जिले में कोई चिकित्सालय खोलने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**दवाइयों सम्बन्धी मूल्य नियन्त्रण कानून**

316. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दवाइयों पर मूल्य नियंत्रण कानून लागू है ? यदि हां, तो ऐसी कौन सी दवाई बनाने वाली

(श्री माधवसिंह दीवान)

कम्पनियां हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं होता और क्यों ?

(2) क्या इस छूट का कोई उद्योग गलत लाभ उठाकर दवाई पर छपी कीमत की वास्तविक कीमत से कई गुणा बढ़ा देते हैं जिससे उक्त दवाई लिखने वाले चिकित्सक को भी बड़ा कमीशन प्राप्त होता है ? यदि हां; तो गरीब मजदूर को इस जुल्म से बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1987 जो कि केन्द्र सरकार द्वारा अगस्त 1987 से लागू किया गया है, के पैराग्राफ 9, 10, 11 तथा 22 (2) के प्रावधान केवल लघु औद्योगिक क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा निर्मित वह औषधियां जो उक्त आदेश के अनुसूची-III के कैटेगरी-II फार्मूलेशन है पर लागू नहीं है। तथा वे औषधियां मय विटामिन युक्त औषधियों के जो कि उक्त आदेश के शिड्यूल I एवं II में वर्गीकृत नहीं है के बारे में सभी निर्माताओं को भी मूल्य निर्धारण के प्रावधान से छूट दी गई हैं।

(2) औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1987 केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया है तथा मूल्य निर्धारण केवल उन्हीं बल्क ड्रग्स एवं फार्मूलेशन पर लागू है जो कि उक्त आदेश की अनुसूची I, II एवं III में वर्णित है। शेष पर नहीं। लघु औद्योगिक क्षेत्र के निर्माताओं पर मूल्य की पाबन्दी केवल उक्त आदेश की अनुसूची के तहत कैटेगरी I में वर्णित औषधियों पर ही लागू है। शेष पर नहीं। अतः लघु औषधि निर्माता लागत से अधिक स्वयं के विवेक से मूल्य अंकित कर सकता है जिस पर पाबन्दी केन्द्र सरकार द्वारा क़ानून में संशोधन करने पर ही लगाई जा सकती है।

**प्रत्येक पंचायत समिति में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने बाबत**

317. **श्री रामेश्वरलाल माटो** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति में एक प्रसूती एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा जा रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

**राज्य के सामुदायिक चिकित्सालय**

318. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस-किस जिले में कितने-कितने अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरीज, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एडपोस्ट अभी कार्यरत हैं ?

(श्री विष्णु मोदी)

(2) प्रत्येक जिले में उपरोक्त सभी चिकित्सा सेवा केन्द्र किस आधार पर निर्धारित किए हुए हैं और क्या प्रत्येक जिले में उस आधार पर ही चिकित्सा सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कमी पूर्ति कब तक कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) राज्य में जिलेवार स्वीकृत अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिसपेन्सरी, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्ट (उच्चीकृत उपकेन्द्र) की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) स्वीकृत चिकित्सा संस्थाएँ निम्न आधार पर स्वीकृत है :—

1. चिकित्सालय स्थानीय आवश्यकता एवं वहां की जनसंख्या के आधार पर ।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :—प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र एवं एक लाख की आबादी पर एक ।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :— (अ) सामान्य क्षेत्र, प्रति 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक ।

   (ब) जनजाति एवं रेगिस्थानी क्षेत्र :— प्रति 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक ।
4. उपकेन्द्र (अ) सामान्य क्षेत्र प्रति हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक

   (ब) जनजाति रेगिस्थानी क्षेत्र, प्रति तीन हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक ।
5. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र :— स्थानीय आवश्यकता के आधार पर ।
6. एडपोस्ट :—स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वर्ष 1993–94 से एडपोस्ट स्थापित नहीं की जा रही है ।

प्रत्येक जिलें में निर्धारित मापदण्ड के के अनुसार सभी प्रकार की संस्थाएँ स्वीकृत नहीं है । जिन-जिन जिलों में विभिन्न संस्थाओं की विशेष कमी रही है, उन जिलों में वर्षानुसार संस्थाएं स्वीकृत की जाकर पूर्ति किए जाने का प्रयास किया जाता रहा है ।

इसी परिपेक्ष में वर्ष 1993–94 तक सभी जिलों में प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा चुका है और वर्ष 1993–94 तक राज्य में कुल 1453 पी एच सी. स्थापित की जा चुकी हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वर्ष 1994-95 में 40 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है । भारत सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण वर्ष 1989-90 के पश्चात् राज्य में उपकेन्द्र स्थापित किया जाना सभंव नहीं हो पा रहा है । (सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें ।)

**देवस्थान के मन्दिरों में पुजारी**

319 श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में देवस्थान के मन्दिर कहां-कहां पर स्थित हैं तथा प्रत्येक में कौन-कौन पुजारी कब से कार्यरत हैं तथा कौन-कौन से मन्दिर में पुजारी नहीं है ? मन्दिर का नाम, पुजारी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(2) क्या सरकार रिक्त मन्दिरों में पुजारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर में देवस्थान विभाग के अधीन मंदिर, उनमें नियुक्त पुजारियों एवं कब से कार्यरत हैं, के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। पुजारी का कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) पुजारी का कोई पद रिक्त नहीं होने से नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

### प्रदेश में महिला साक्षरता

320. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के 14 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिसमें एक भी साक्षर महिला नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता में 34 प्रतिशत का अन्तर है?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत 11.54 है?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार महिलाओं के इस प्रतिशत को संतोषजनक मानती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार महिलाओं को साक्षर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। महिला साक्षरता के लिये निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही है:—

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम:—वर्ष 1989–90 से 6000 बालिका केन्द्र स्वीकृत हैं। दिसम्बर, 1993 में 5627 केन्द्र कार्यरत थे। जिसमें 189553 बालिकायें नामांकित हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, जैसलमेर व अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) में वर्ष 1988 से 300 केन्द्रों की एक-एक परियोजना स्वीकृत है जिसमें औसतन 9000 नामांकन होता है। जिसमें अधिकांशतः महिलायें होती हैं।

व्यापक साक्षरता कार्यक्रम:—यह योजना 1986 से कार्यरत है जिसमें स्कूली छात्र/छात्राओं द्वारा निरक्षरों को साक्षर किया जाता है, कोटा विश्वविद्यालय के बी.एड. छात्रों द्वारा भी निरक्षरों को साक्षर किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकांशतः महिलायें ही लाभान्वित होती हैं।

सम्पूर्ण जिला साक्षरता अभियान:—वर्ष 1990–91 से सम्पूर्ण जिला साक्षरता अभियान अजमेर, जिले का चयन कर आरम्भ किया गया। वर्ष 1991–92 में डूंगरपुर, भरतपुर व सीकर का चयन किया गया। वर्ष 1992–93 में टोंक, पाली, बारां का चयन किया गया। वर्ष 1993–94 में अलवर, टोंक, झुन्झुनू और राजसमन्द का चयन किया गया। इन जिलों में से अजमेर एवं डूंगरपुर सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं एवं वहां उत्तर

(शिक्षा मंत्री)

साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शेष जिलों मे साक्षरता कार्यक्रम गति में है। अतः इन जिलों में महिला निरक्षरता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं शेष जिलों में आगे आने वाले वर्षों मे यह कार्यक्रम लिया जावेगा।

**रामचन्द्र जी के मन्दिर में सेवानिवृत व मृत कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन**

**321. श्री रेवतराम पंवार** (नोखा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1962 से 64 में रामचन्द्रजी का मन्दिर, जयपुर देवस्थान विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों में से वर्तमान में कितने कर्मचारी सेवारत हैं ?

(3) क्या सेवानिवृत/मृत कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन परिलाभ प्रदान कर दिये गये हैं ? नहीं, तो किन-किन आश्रितों के पेंशन आवेदन पत्र कब से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इन्हें अब कब तक पेंशन परिलाभ प्रदान कर दिया जाएगा ?

(4) पेंशन परिलाभ समय पर प्रदान नहीं किये जाने के लिये कौन अधिकारी दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) 1962 से 1964 तक मंदिर श्री रामचन्द्र जी देवस्थान विभाग, जयपुर में कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(3) केवल एक कर्मचारी की आश्रिता श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी श्री गुलाबचन्द उर्फ गुलबदन का आवेदन पत्र विचाराधीन हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण शीघ्र किया जावेगा।

(4) पेन्शन परिलाभ का आवेदन पत्र दिनांक 8-10-93 को प्राप्त हुआ है जबकि श्रीमती भंवरी देवी के पति की मृत्यु 27-6-93 को हुई थी। प्रकरण पुराना होने के कारण निस्तारण में समय लग रहा है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

**आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों की क्रमोन्नति**

322. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालय क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आदिवासी छात्र कृषि विषय को प्राथमिकता देते हैं ? यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्र के विद्यालयों में कृषि विषय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 1994-95 में आदिवासी बाहुल्य उदयपुर सम्भाग में विद्यालय क्रमोन्नत करने का विचार रखती

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

है ? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस श्रेणी के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त क्षेत्र के विद्यालयों मे वर्ष 1994-95 में सरकार कृषि विषय भी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय वित्तीय सीमा में गुणावगुण के आधार पर निम्नलिखित मानदण्ड पूर्ण करने वाले विद्यालयों पर विचार किया जाता है :—

| | सैकण्डरी | उप्रावि | प्रा.वि. |
|---|---|---|---|
| गांव की जनसंख्या | 4000 | 2500 | 500 |
| अन्तिम कक्षा की संख्या | | | |
| छात्र | 50 | 30 | 20 |
| छात्रा | 40 | 20 | 15 |
| फिडर विद्यालयों की संख्या | 2 | 2 | 2 |

(2) सामान्यतया कृषि विषय खोलने के प्रस्ताव आदिवासी क्षेत्र से प्राप्त नहीं होते हैं। कृषि विषय खोलने के लिये क्षेत्रीय मांग, कृषि हेतु भूमि एवं पानी की उपलब्धता पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी हां। सरकार प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सीमा में गुणावगुण के आधार पर उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सभी स्तर के विद्यालयों की क्रमोन्नति पर विचार कर सकेगी।

(4) सरकार प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वित्तीय सीमा में गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

**खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों की क्रमोन्नति**

323. **श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? क्या यह मानदण्ड छात्र-छात्राओं के विद्यालय के लिये भिन्न-भिन्न है ?

(2) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में निर्धारित मानदण्डानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कब तक क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) क्षेत्र की आवश्यकता, फीडर स्कूलों की संख्या, छात्र संख्या, निकटस्थ विद्यालयों की दूरी, भवन, बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं। जी नहीं।

(2) राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावों पर बजट की सीमा में निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

**राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाज व आनन्दपुर कालू में अध्यापकों के रिक्त पद**

**324. श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र जैतारण की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाज एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय आनन्दपुर कालू में सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति की हुई है ? यदि नहीं, तो कब तक इन रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी ?

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र जैतारण की राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, निमाज एवं माध्यमिक विद्यालय, आनन्दपुर कालू में व्याख्याता के पद क्रमश: 3 व 2 हैं, जो सेवा निवृत्ति एवं स्थानान्तरण से रिक्त हुए हैं। इन पदों की लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर पूर्ति की जा सकेगी।

**राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों की क्रमोन्नति**

**325. श्री मोहन लाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र (अलवर) के किन-किन विद्यालयों की क्रमोन्नति प्रस्तावित है ? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति किये जाने वाले प्रस्तावित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाखडा वाया पिनान तहसील राजगढ़ जिला-अलवर जो कि जिले की सबसे पुरानी प्राथमिक स्कूल है ? क्या सरकार वर्ष 1994–95 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) मानदण्डों के अनुसार वर्ष 94–95 हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं।

(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाखडा वाया पिनान तहसील राजगढ़ जिला अलवर सबसे पुराने प्राथमिक विद्यालयों में से एक है।

राज्य सरकार अपनी वित्तीय सीमा एवं गुणावगुण के आधार पर इस विद्यालय की क्रमोन्नति पर विचार कर सकेगी।

**श्री महेश सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल**

**326. श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रबन्ध समिति का गठन विभागीय नियमानुसार (शिवरा के आधार पर) अनुदान नियम 1963 के विरुद्ध है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रबन्ध समिति द्वारा श्री महेश सीनियर हायर

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

सैकण्ड्री स्कूल (हिन्दी मीडियम) संचालित किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि महेश सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल की उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों से गत दो वर्षों से क्राफ्ट विषय नहीं पढ़ाये जाने पर भी 60 हजार रुपये वसूल किये ? यदि हां, तो क्या विभागीय अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निजी शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समिति का गठन संशोधित नियम, 1993 लागू होने से पूर्व नियम, 1963 के अनुसार किया जाता रहा है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वर्ष 1991-92 एवं 92-93 में महेश सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय की उच्च प्राथमिक कक्षाओं में क्राफ्ट विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है और न इन दोनों वर्षों में छात्रों से क्राफ्ट शुल्क वसूल किया गया है।

**जिला सवाई माधोपुर में एनीकट**

327. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर के पास रोली तहसील नादौती में बड़ापुरा के पास रहने वाले नाले पर एनीकट बनाने का सर्वे करा चुकी है ? यदि हां, तो एनीकट कब तक बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कहां-कहां एनीकट बनाये गये, कितने अधूरे रहे और कितने पूर्ण हो गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने गम्भीर नदी महावीरजी, गम्भीर नदी सिद्ध-बाबा का स्थान पाड़सी टोडाभीम तहसील के पास नांगल पहाड़ी पर एनीकट बनाने की कोई योजना बनाई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सिंचाई विभाग द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है। एनीकटों से निर्धारित लाभ लागत अनुपात के मापदण्ड पूरे नहीं होने के कारण सिंचाई मद से एनीकट नहीं बनाये जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से निम्न चार एनीकटों का कार्य प्रारम्भ किया गया था जिनमें से बाढ़ नादौती के अतिरिक्त तीनों एनीकटें अपूर्ण अवस्था में हैं।

1. रलावता तहसील नादौती
2. बाढ़ नादौती तहसील नादौती
3. माता सूला तहसील टोडाभीम
4. महेश्वा तहसील टोडाभीम

(3) सिंचाई विभाग द्वारा प्लान मद में एनीकटों के निर्माण हेतु योजना नहीं

(सिंचाई मंत्री)

बनाई जाती है। श्री महावीरजी के पास गम्भीरी नदी पर एक एनीकट बनाने की योजना बनाई गई थी। विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है। गम्भीरी नदी पर सिद्ध बाबा का स्थान पाडुली पर कोई एनीकट बनाने की योजना इस विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है।

टोडाभीम तहसील के ग्राम नांगल पहाड़ी पर एक एनीकट बनाने की योजना उपयुक्त रिपोर्ट बनायी गयी थी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

**निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के सिंचाई कार्य**

328. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में विगत 5 वर्षों में कौन-कौन से कार्य कहां-कहां विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं? आदेशों की प्रतियां एवं लागत मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गए तथा कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं? अधूरे कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा इनके अधूरे रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

**उत्तर**

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 88 से 93 तक प्लान मद में 4 लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनकी आदेशों की स्वीकृति एवं परियोजनाओं का विवरण मय स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) कोल्यारी, जड़ा पीपला एवं बक्सा का नाका परियोजना के कार्य पूर्ण हो गये हैं। ओगणा परियोजना का कार्य अभी अधूरा है इस पर 1/94 तक 318.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है। अब तक इसके अधूरे रहने का कारण वित्तीय संसाधनों की कमी है।

(3) जी हां। ओगणा परियोजना के अधूरे कार्य को वर्ष 1994-95 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

**असिंचित भूमि के विकास बाबत**

329. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जवाजा क्षेत्र में जवाजा, लसानी, शेरों का बाला, जालिया पीथावास तालाबों से ओवरफ्लो होकर बेकार बहकर जा रहे पानी को रोककर पानी के उपयोग तथा असिंचित पड़ी भूमि के विकास के लिए सरकार के पास क्या योजना है?

उत्तर

फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

दानपुर विधान सभा क्षेत्र का कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने बाबत

330. श्री दुलीचन्द (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दानपुर विधान सभा क्षेत्र के पूर्वांचल में कृषि योग्य भूमि हेतु सिंचाई की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि यह पूर्वांचल माही नदी एवं बांध से सटकर है जहां पर सैंकड़ों हैक्टेयर भूमि बिना सिंचाई के बेकार है ? क्या सरकार इस बेकार भूमि को सिंचित करने के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दानपुर विधान सभा क्षेत्र के पूर्वांचल में 230 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु पांच तालाब हैं ।

(2) जी हां । इस असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिए माही परियोजना के अंन्तर्गत नाथपुरा एवं बद रेल लिफ्ट सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनसे लगभग 2000 हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हो सकेगा ।

जवाहर सागर बांध के भराव क्षेत्र में खानों से उत्पन्न समस्या

331. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर सागर बांध के भराव क्षेत्र के आस-पास होने वाले खनन कार्यों के कारण बांध के भराव क्षेत्र में खानों से निकलने वाला मलबा डाला जा रहा है और इस कारण जवाहर सागर बांध में पानी की भराव क्षमता एवं बिजली के उत्पादन कार्य में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ?

(2) क्या सरकार ने कभी इसकी जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में तुरन्त जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस बारे में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वे विभाग, पर्यावरण विभाग एवं खनन विभागों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है । निरीक्षण प्रतिवेदन अपेक्षित है ।

कामां क्षेत्र के गुड़गांवा नहर का निर्माण कार्य

332. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में गुड़गांवा नहर का निर्माण कार्य बंद पड़ा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार इस नहर के निर्माण कार्य को पुनः चालू करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नहर पर कार्य चालू है।

## बेगूं विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई हेतु जलाशय के स्रोतों का सर्वे

333. श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई हेतु जलाशय बनाने की दृष्टि से कौन-कौन से मुख्य स्रोत हैं जिन्हें बनाकर किसानों को राहत दी जा सकती है ?

(2) क्या ऐसे स्रोतों का सर्वे कराया गया है यदि हां, तो किन किन का ? नहीं तो अब कब तक सर्वे कराया जाकर योजना में लेने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु जलाशय बनाने की दृष्टि से मुख्य स्रोत रूपारेल, बढ़ेच एव ब्राह्मणी नदियां हैं, जिन पर क्रमशः रूपारेल, बूजड़ा एवं दौराई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

(2) जी हां, उपरोक्त तीन परियोजनाओं का सर्वे कराया जा चुका है। रूपारेल एव बूजड़ा परियोजनाओं का कार्य एन.आर.ई.पी. एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इन योजनाओं को प्लान मद में लिया जा सकेगा। दौराई का कार्य प्लान मद में प्रगति पर है।

## गणेश गुज, भीमसागर तथा हरिशचन्द्र सागर से रिसाव

334. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खानपुर तहसील क्षेत्र में आने वाली सिंचाई योजना गणेशगुज, भीमसागर तथा हरिशचन्द्र सागर में पानी छोड़ने के बाद कुछ गांवों का रास्ता पानी के रिसाव के कारण पूर्ण रूप से बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो यह गांव कौन-कौन से हैं ?

(2) क्या विभाग इस रिसाव को रोकने तथा रास्तों को खुलासा रखने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु काश्तकारों द्वारा सिंचाई हेतु आवश्यकता से अधिक पानी के उपयोग के कारण फालतू पानी बहकर रास्तों को अवरुद्ध कर देता है इस समस्या से गणेशपुरा परियोजना के छतरपुरा व जावरा भीमसागर परियोजना के गाडर, वाडानूरजी, चांदनिया खेड़ी, गुवाडी, कंवरपुरा, खेड़ली, अचरावा, मूडला, वादनखेढ़ी, राजपुरा, धानोदा कला एवं हरिशचन्द्र सागर का आकोदिया, उम्मेदपुरा एवं सरखेड़िया गांव प्रभावित होते रहते हैं।

(2) चूंकि परियोजनाओं से रिसाव के कारण रास्ते अवरुद्ध नहीं होते हैं अतः सिंचाई विभाग से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**नेहड़ा बांध के अधूरे कार्य**

335. **श्री मोमराज भाटी** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रोहट पंचायत समिति जिला पाली में नेहड़ा बांध पर सिंचाई विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) उक्त बांध पर निर्माण कार्य किस कारण से व कब से अधूरा पड़ा है ?

(3) उपरोक्त बांध का अधूरा कार्य अब कब तक पूर्ण करवाया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) नेहड़ा बांध पर सिंचाई विभाग द्वारा रु. 72.68 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(2) वित्तीय संसाधनों की कमी से यह कार्य वर्ष 1988 से अधूरा पड़ा हुआ है।

(3) उपरोक्त कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था जिसे वर्ष 1994-95 में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत लिया जाना प्रस्तावित है तथा इसे पूर्ण करने की अवधि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

**नहरों के रिसाव से हुई बेकार कृषि भूमि का मुआवजा**

336. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सरकारी बांधों की नहरों के रिसाव से यदि किसी काश्तकार की भूमि बेकार होती है तो उसको मुआवजा देने के क्या नियम हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र के थालीतलाई, नालवाड़ा घाणोवा आदि गांवों में नहरों के रिसाव से हजारों बीघा जमीन बेकार हो गई है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उन काश्तकारों की भूमि का मुआवजा देने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) कोई नियम नहीं है।

(2) जी नहीं। किन्तु काश्तकारों द्वारा सिंचाई हेतु आवश्यकता से अधिक पानी के उपयोग से फालतू पानी जमीनों में इकट्ठा हो जाता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

**गंगनहर के पुनर्निर्माण की योजना**

337. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगनहर के पुनः निर्माण के संबंध में राज्य सरकार की क्या योजना है तथा कब तक इसका पुनःनिर्माण कर दिया जायेगा।

(2) क्या यह सही है कि गंगनहर के पुनःनिर्माण में देरी हुई है ? यदि हां, तो गंगनहर लिंक चैनल का निर्माण व उस पर खर्च धनराशि उपयोगी सिद्ध नहीं होगी ?

उत्तर

(1) गंगनहर के पुन: निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है, किन्तु इसके जीर्णोद्धार की योजना प्रस्तावित है, जिसकी पूर्ण होने की अवधि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(2) जीर्णोद्धार में देरी हुई है, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि गंगनहर लिंक चैनल का निर्माण एवं उस पर खर्च की गई धनराशि उपयोगी नहीं होगी।

**बरसाती पानी से नहरों का कटाव**

338. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बरसात के पानी का नहरों के दोनों ओर गिरने से मिट्टी में कटाव आ जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि बरसात के कटाव को फिर से सही करने में खर्च हुई है? डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच माईनरी इत्यादि पर खर्च की गई राशि का विवरण मय नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बरसात के पानी से नहर के दोनों ओर कटाव न आये उसके लिये इस पानी को नीचे उतारने के लिये जगह-जगह पर पक्के नाले बनाये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूटरी, मैन कैनाल पर कितने चैन से कितने के बीच बनाये गये तथा इस पर खर्च कितना आया?

उत्तर

(1) जी हां, बरसात का पानी नहरों के दोनों ओर गिरने से पटरों में कटाव आ जाता है। जिन्हें भरने के लिये विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 से 1993-94 तक रुपये 81.92 लाख का व्यय किया है, जिसका वर्षवार विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ" में दर्शाया गया है।

(2) जी हां, बरसात के पानी से नहर के दोनों ओर कटाव न आये इसके लिए पानी को नीचे उतारने के लिए जगह-जगह पर पक्के नाले बनाये जाते हैं। ब्रांच एवं डिस्ट्रीब्यूटरियों पर पक्के नाले बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं किया गया है। मुख्य नहर पर पक्के नालों के निर्माण हेतु 201.03 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। जिनका विवरण संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

**फलोज डूंगरपुर के सिंचाई तालाब की नहरों पर अतिक्रमण**

339. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) एवं **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह भी सही है कि फलोज डूंगरपुर में सिंचाई का तालाब है? यदि हां, तो उसकी दांयी नहर पर किन-किन व्यक्तियों ने कब से अनधिकृत अतिक्रमण कर रखा है तथा उन्हें हटाने की सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(52)



उत्तर

जी हां। दो काश्तकारों द्वारा जिनकी जमीन का मुआवजा न दिये जाने के कारण नहर पर पट्टी डालकर चौक की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है।

अ. वल्लभ पाटीदारी — एक वर्ष से

ब. शिवलाल कलाल — पांच वर्ष से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है जिसके पश्चात् ही उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

**प्रदेश में मद्यनिषेध कार्यक्रम**

**340. श्री शम्भू दयाल बड़गूजर (केकड़ी) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो ये किन के माध्यम से चलाया जा रहा है तथा इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के क्या प्रावधान है?

(2) राजस्थान में कितने स्थानों पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है? संस्था का नाम व स्थान कितने वर्षों से ये संस्थायें कार्यक्रम चला रही हैं व कितनी-कितनी वित्तीय सहायता अब तक इनको दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन संस्थाओं की समय-समय पर जांच की जाती है? यदि हां, तो कब-कब और किन-किन संस्थाओं की जांच की गई?

(4) क्या इन संस्थाओं में अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुदान सहायता से राज्य में नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत मद्य निषेध कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चलाया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के प्रावधान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं तथा प्रोजेक्ट की लागत का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, 10 प्रतिशत हिस्सा राशि संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

(2) राजस्थान में नशामुक्ति कार्यक्रम जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, जयपुर, झुन्झुनू, भरतपुर एवं बीकानेर में संचालित है। संस्थाओं को वर्षवार दिये गये अनुदान सहायता का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सलग्न है।

(3) जी हां, आवश्यकतानुसार किसी संस्था की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई जाती है। निम्न संस्थाओं की शिकायतों के आधार पर जांच करवाई गई :—

1. मारवाड़ मैडिकल एण्ड रिलीफ सोसायटी मण्डोर रोड, जोधपुर की दिनांक 26 व 27-2-93 को जांच की।
2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति, के–28 सैक्टर–5, हिरणमगरी, उदयपुर की दिनांक 27-8-93 को जांच की गई।

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(4) जी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति के-28, सेक्टर नं.-5, हरिण मगरी, उदयपुर की जांच के समय पाई गयी कमियों की पूर्ति हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

**बिजोलियां में अवैध खनन पर पेनल्टी**

341. **श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** (माण्डलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अवैध खननकर्ताओं के बिजोलियां अतिरिक्त तहसील के अन्तर्गत सरकार द्वारा पेनल्टी लगाई गई है ? यदि हां, तो इससे अब तक कितनी राशि की वसूली हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

बिजोलिया क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में निम्नांकित कार्यवाही की गई :—

| वर्ष | पकड़े गये मामले | वसूली | औजार जब्ती (वजन किलो में) | खनिज जब्त | एफ. आई आर. दर्ज |
|---|---|---|---|---|---|
| 91-92 | 233 | 9,16,322/- रु. | 479 | 37 ट्रक | — |
| 92-93 | 88 | 6 44 210/- रु. | 398 | 36 ट्रक | 4 |
| 93-94 | 89 | 6 93,207/- रु. | 402 | 34 ट्रक | — |

जहां तक शास्ती लगाने का प्रश्न है नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभाग अवैध रूप से निकाला गया खनिज, यदि ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको रायल्टी की 25 गुणा राशि खनिज की कीमत के रूप में वसूल की जाती है। अन्य स्थिति में खनिज को विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया जाकर उसे बेचने की कार्यवाही की जाती है। अवैध खननकर्त्ता के खनन औजार भी जब्त किये जाते हैं जिसके फलस्वरूप भी अवैध खनन-कर्त्ता पर आर्थिक भार पड़ता है।

पिछले 3 वर्षों में की गई वसूली का योग रु. 22,53,739/- है कुल 1279 किलो वजन के औजार व 107 ट्रक खनिज जब्त किये गये हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त तहसील बिजो-लिया के अन्तर्गत सरकार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 (7) के अन्तर्गत पेनल्टी लगाई जाती है। इससे अब तक 3,39,550/- रु. पेनल्टी वसूल की जा चुकी है तथा शेष 4,35,55,716/- रु. बकाया है, जिसकी वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली की प्रभावी कार्य-वाही जारी है।

**कोटा स्टोन खदानों का मलवा**

**342. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या** खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी तहसील क्षेत्र में कोटा स्टोन खदानों से निकाले जा रहे मलवे को किसी निर्धारित स्थान पर डम्प करने की व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव-गांव में मलवे के पहाड़ बन गये हैं, जिससे आवागमन व वातावरण दूषित हो गया है ?

(2) क्या यह सही है कि खदानों से निकाले जा रहे पानी का योजनाबद्ध उपयोग नहीं करने से पानी बेकार बह कर जा रहा है व पानी के निकास के कारण सारे क्षेत्र में कुओं का जलस्तर नीचे चला गया है व खेती में उपयोग के लिये व पीने के पानी तक की कमी आ गई है ?

(3) क्या यह सही है कि मलवों के ढेरों को बिना रायल्टी चार्ज की शर्त पर उठाने हेतु मंगलम सीमेंट कम्पनी, मोडक ने सेक्रेट्री, पर्यावरण, वन विभाग व कलक्टर, कोटा को आफर दी हुई है ? यदि हां तो सरकार को पर्यावरण सुधारने की दृष्टि से आफर मंजूर करने में क्या आपत्ति है ?

(4) क्या राज्य सरकार क्षेत्र में बाढ़ रहे प्रदूषण को कम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की क्या योजना है ?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि रामगंजमण्डी क्षेत्र में कोटा स्टोन खानों से निकलने वाले मलवे के ढ़ेर खानों के पास लगे हुये हैं। जहां तक मलवा डालने की व्यवस्था का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र के अन्दर जिस जगह भविष्य में खनन कार्य करने की सम्भावना नहीं हो/कम हो, मलवा डालते हैं व जिन खानों में खनन कार्य हो चुका हो, उनमें भी मलवा भरा जाता है तथा आवश्यकता होने पर वे भूमि धारक से इस परियोजना हेतु भूमि क्रय कर अपनी भूमि में मलवा डालते हैं। उक्त मलवे से आवागमन असाधारण रूप से प्रभावित नहीं होता। उक्त खानों से निकलने वाले मलवे में ग्रेवल व ग्रिट होती है, मिट्टी सामान्यतया नहीं होती। सामान्य वायुवेग से यह हवा के साथ उड़ नहीं पाते। तथापि विभाग इस दृष्टिकोण की तरफ सतत जागरूक एवं प्रयत्नशील है।

(2) उक्त खानों का पानी पास के खेतों की सिंचाई व कार्यरत मजदूरों व पास के ग्रामवासियों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। यह सही है कि खानों से पानी निकालने से भूमि का जलस्तर नीचे जाता है, परन्तु क्षेत्र में वर्षा हो जाने से भूमि का जल स्तर पुनः सुधर जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि इन खानों में इकट्ठा पानी रिजरवायर का कार्य करता है जिससे जमीन का जलस्तर सुधरता है अन्यथा क्षेत्र में वर्षा का पानी बहकर नदी-नालों में चला जाता है।

(3) उक्त कम्पनी ने कलक्टर, कोटा को ऑफर दी थी। उक्त कम्पनी ने इस विभाग को भी ऐसे डम्प हटाने के लिये अनुमति देने हेतु निवेदन किया था, जिस पर राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 26-2-88 से उक्त कम्पनी को 500 टन लाइमस्टोन उसके सीमेन्ट प्लान्ट में ट्रायल के लिये प्रयोग हेतु

(खनिज मंत्री)

अनुमति दी थी, जिसका पार्टी ने उपयोग नहीं किया ।

(4) राज्य सरकार द्वारा उक्त खनन पट्टा क्षेत्रों से मलवे को पट्टेधारियों को पूर्व में खुदी हुई खानों में भरने के लिये प्रेरित किया जा रहा है । सरकार ने मलवे को डालने हेतु निम्न तीन (3) स्थान निश्चित कर जिला कलक्टर, कोटा को उक्त क्षेत्रों को डम्पींग ग्राऊण्ड घोषित करने के निर्देश दिये है, जिस पर कार्यवाही जारी है :—

1. गांव तेलियाखेड़ी एवं धबादेह के बीच का क्षेत्र जो पूर्व में ए. एस. आई. के पक्ष में धारित रहा ।
2. गांव सुकेत एवं गिसी के बीच का क्षेत्र जो पूर्व में ए. एस. आई. के पक्ष में धारित रहा ।
3. खसरा नम्बर 304 में 15 बीघा 5 बिस्वा का क्षेत्र ।

विभाग उक्त मलवे के ढेर व उसके आस पास वृक्षा रोपण करने हेतु पट्टाधारियों को प्रेरित करता रहा है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में लाखों पेड़ लग चुके हैं ।

**राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन को सरकार द्वारा जारी निर्देश**

343. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेण्ट कारपोरेशन को गत तीन वर्षों में कोई डाइरेक्ट आदेश तथा निर्देश जारी किए हैं ? यदि हां, तो किस-किस विषय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त निगम ने सरकार द्वारा दिए गए डाइरेक्ट आदेश एवं निदेशों का पालन किया है ? यदि हां, तो किस-किस रूप में ? यदि नहीं, तो किस-किस डाइरेक्ट आदेश अथवा निदेश का पालन नहीं किया है और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने निगम द्वारा पालना नहीं किये जाने के संदर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 88 में, निगम के निदेशकों को कम्पनी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के अधिकार है । यह विषय उक्त आर्टिकल के (ए) (बी) और (सी) पर वर्णित हैं । (सी) में महामहिम राज्यपाल द्वारा निगम को आर्टिकल 88 में वर्णित विषयों पर तथा निगम के कार्य कलापों के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने के अधिकार दिये गये हैं जो सुविधा के लिये नीचे उद्दरित हैं :—

(C) Notwithstanding, any thing contained herein above, the Govrnor may from time to time issue such directives as he may consider necessary in regard to the coduct of the business of the company and in like manner may very and annul any such directive.

(56)



(खनिज मंत्री)

The Board shall give immediate effect to the directives so issued.

उल्लेखित अवधि में इस प्रकार के कोई निर्देश (डायरेक्टिव) जारी किये जाना नहीं पाया जाता। निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार भी निर्देश (डायरेक्टिव) जारी किया जाना नहीं पाया जाता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम**

344. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये?

(2) गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि खनन उत्पादकों में बकाया रही? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अवैध खनन को रोकने हेतु राज्य सरकार ने संबंधित क्षेत्रों के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा निदेशालय में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) के अधीन अधीक्षण खनि. अभियन्ता सतर्कता एवं "5" खनि-अभियन्ता (सतर्कता) को लगाया गया है, जो राज्य में समय-समय पर अवैध खनन कार्य को रोकने का कार्य करते हैं। इसके अलावा सरकार ने राजस्व-विभाग के अधिकारियों को भी अवैध खनन को रोकने हेतु अधिकृत कर रखा है।

(2) गत पांच वर्षों में खनन उत्पादकों (पट्टेधारियों) में बकाया रही राशि की स्थिति निम्नानुसार है :—

| वर्ष | वर्षवार बकाया (लाखों में) | 31-3-93 तक वसूल होने के उपरान्त वर्षवार बकाया की स्थिति (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1988 89 | 138.32 | 30.54 |
| 1989-90 | 174.31 | 45.36 |
| 1990-91 | 240.21 | 112.06 |
| 1991-92 | 288.44 | 126.70 |
| 1992-93 | 452.92 | 452.92 |

**औद्योगिक क्षेत्र खाजूवाला में ग्रिड सब स्टेशन**

345. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र खाजूवाला जिला बीकानेर में 33 के. वी. का ग्रिड सब स्टेशन न बनने के कारण औद्योगिकरण में रुकावट आ रही है तथा उद्योग कर्मी अपने जनरेटर लगाकर उद्योग लगाने में असमर्थ हैं?

(2) क्या यह सही है कि खाजूवाला में 33 के वी का सब स्टेशन इसी वर्ष में

(श्री भीमसेन चौधरी)

निर्माण करना प्रस्तावित है लेकिन रीको द्वारा अभी तक भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मण्डल के सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता ने उक्त औद्योगिक क्षेत्र में स्टेट वेयर हाऊस के पास खाजूवाला-घड़साना सड़क पर भू-खण्ड को कब्जा लेने हेतु रीको प्रशासन को ग्रावेदन किया है ? यदि हां, तो औद्योगिकरण को बढ़ाया जाने हेतु उक्त भू-खण्ड का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि खाजूवाला औद्योगिक क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति एवं विद्युत मण्डल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए खाजूवाला में 33 के वी. सब स्टेशन न बनने के कारण इस क्षेत्र के औद्योगिकरण में रुकावट आ रही है।

(2) जी हां, यह सही है कि खाजूवाला औद्योगिक क्षेत्र में 35 के.वी.ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये रीको द्वारा 10.000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन दिनांक 24-2-94 को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को खाजूवाला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है, जिसका कब्जा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात रीको द्वारा दिया जावेगा।

(3) जी हां, यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता ने खाजूवाला औद्योगिक क्षेत्र में स्टेट वेयर हाउस के पास खाजूवाला-घड़साना सड़क पर भूखण्ड आवंटन कराने हेतु आवेदन किया था एवं नियम द्वारा 24-2-94 को 10 000 वर्गमीटर भूमि विद्युत विभाग को आवंटन कर दी गई है। भूमि का कब्जा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात दे दिया जावेगा।

**राजस्थान वित्त निगम द्वारा वितरित ऋण**

346. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वित्त निगम ने अपनी स्थापना काल से लेकर वर्ष 1993 तक की समाप्ति तक कुल कितनी राशि ऋण के रूप में वितरित की है ? वर्षवार उद्योगों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितना रुपया वसूल हो चुका है और कितना बाकी है ?

(3) वित्त निगम कितने को डूबा हुआ मानता है, और किस-किस उद्योग में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) ये रुपया किन कारणों से डूबा तथा कितने उद्योग रूग्ण हैं तथा इस सम्बन्ध में निगम क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर दिसम्बर, 1993 तक 852.35 करोड़ रुपये के ऋण वितरण की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) 31 दिसम्बर, 1993 तक कुल 732.97 करोड़ रुपया मूलधन एवं ब्याज वसूल हो चुका है तथा नकद सेवा प्रणाली (CASH SYSTEM BASIS) के अनुसार 532.31 करोड़ रुपया बकाया है।

(3) राजस्थान वित्त निगम किसी ॠण को डूबा हुआ नहीं मानता। अतः उद्योग वाईज सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता। राजस्थान वित्त निगम से वित्त पोषित इकाईयों में से वर्तमान में 5518 इकाईयां रूग्ण हैं जिनमें निगम का 144.33 करोड़ रुपया बकाया है। इनके संबंध में निगम निम्न कार्यवाही कर रहा है :—

(1) राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत अधिगृहित इकाईयों के प्रबन्ध में परिवर्तन कर पुनः उत्पादन में लाना।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

**राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्र लिपिकों के रिक्त पद**

347. **श्री बिश्वेन्द्र सिंह (नदबई)**: क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्र लिपिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से व कितने? सरकार इन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कब तक भरने का विचार रखती है?

**उत्तर**

जी हां। विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार हिन्दी शीघ्र लिपिक के 129 पद तथा अंग्रेजी शीघ्र लिपिक के 100 पद क्रमशः 26-5-93 व 1-3-93 से रिक्त है। सरकार इस संबंध में शीघ्र ही संयुक्त परीक्षा आयोजित कराने का इरादा रखती है तथापि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अवमानना याचिका विरेन्द्र ठाकुर बनाम महेन्द्र सिंह तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग में नई परीक्षा आयोजित कराने पर रोक आदेश न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की वजह से सरकार के सामने परीक्षा कराने में रुकावट आ रही है। मामले में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रयास जारी है।

**वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा करवंचना को रोकने के उपाय**

348. **श्री रामेश्वर लाल (सुजानगढ़)** एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू)**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 1994 तक कर चोरी का पता लगाने हेतु कब-कब और किस-किस के यहां छापे डाले गये और उससे कितनी राशि की कर वंचना का पता चला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कर वंचना को रोकने हेतु सरकार क्या पुख्ता कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी, 1994 तक कर चोरी का पता लगाने हेतु विभिन्न फर्मों का सर्वेक्षण किया गया एवं कर निर्धारण करते हुए अतिरिक्त कर एवं शास्ति आदि का आरोपण किया गया। वर्तमान वर्ष में इस प्रकार के प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार हैं।

| कुल प्रकरण | सृजित मांग राशि (लाखों में) |
|---|---|
| 513 | 1256 74 |

उनमें से कुछ प्रमुख फर्मों की विवरण सहित सूची संलग्न है।

(2) कर वंचना को रोकने के लिए सरकार सदा सर्वदा पुख्ता कदम उठाने का विचार रखती है। मात्र विचार ही नहीं रखती है अपितु इस कार्य हेतु पुख्ता कदम समय समय पर उठाये गये हैं एवं भविष्य में भी इस प्रकार की योजना बद्ध कार्यवाही की जावेगी।

यहां पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रति करापवंचन के कार्य को गति प्रदान करने के लिए निम्न मशीनरी कार्यरत हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, वाणिज्यिक कर | विभागाध्यक्ष |
| 2. | अतिरिक्त आयुक्त (प्रतिकरापवंचन) | 1 |
| 3. | उपायुक्त प्रतिकरापवंचन | 6 |
| 4. | जांच चौकियां | 72 |
| 5. | प्रतिकरापवंचन वृत | 10 |
| 6. | उडनदस्ते | 20 |

इनके अतिरिक्त सामान्य वृत एवं विशेष वृत भी समय-समय पर प्रतिकरापवंचन कार्य करते हैं। करवंचना रोकने के लिए पूर्व में भी सरकार ने पुख्ता कदम उठाये हैं एवं भविष्य में भी आवश्यकतानुसार कदम उठाने का विचार रखती हैं, उनमें से कुछ उल्लेखनीय निम्न हैं :—

1. समय समय पर कर कानून में संशोधन करना।
2. संभागीय अधिकारियों, प्रतिकरापवंचन वृतों एवं उडनदस्तों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि करना।
3. प्रदेश की सीमा से लगे हुए अन्य प्रदेशों में प्रयुक्त विभिन्न जिन्सों की कर दर का अध्ययन करते हुए राजस्थान की कर दर का संशोधन करना, आदि।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

**जिला सवाई माधोपुर में पैट्रोलिंग आफिसर व इन्सपेक्टर के स्वीकृत पद**

5349. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में अवैध शराब बनाने एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए इन्सपेक्टर एवं पैट्रोलिग ऑफिसर के कितने पद स्वीकृत है और कहां-कहां ?

(2) क्या यह सही है कि करौली, गंगापुर, हिण्डौन में इन्सपेक्टर एवं पैट्रोलिंग ऑफीसर के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में अवैध शराब बनाने एवं बिक्री पर रोकथाम के लिये इन्सपेक्टर के 4 एवं पेट्रोलिंग ऑफिसर के 2 पद निम्न स्थानों पर स्वीकृत है :—

| इन्सपेक्टर | पेट्रोलिंग ऑफिसर |
|---|---|
| (1) हिण्डौन | (1) सवाईमाधोपुर |
| (2) करौली | (2) हिण्डौन सिटी |
| (3) गंगापुर सिटी | |
| (4) सवाई माधोपुर | |

(2) यह सही हैं कि इन्सपेक्टर के पद करौली, गंगापुर सिटी एवं हिण्डौन में खाली हैं एवं पेट्रोलिंग ऑफिसर का पद हिण्डौन सिटी में खाली हैं। इन्सपेक्टर एव पेट्रोलिंग ऑफिसर के रिक्त पदों को शीघ्र ही भरे जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

**दौसा जिले के घोषित डार्क जोन गांव**

350. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दौसा जिले के कई गांव डार्क जोन में घोषित हो जाने के कारण किसानों को कृषि कार्यों के लिये बैंकों से सुविधायें नहीं मिलती हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति के कितने-कितने गांव डार्क जोन में घोषित किए गए हैं? डार्क-जोन में घोषित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गांवों को डार्क-जोन में घोषित करने का क्या मापदण्ड है?

(3) क्या सरकार कृषि कार्यों के लिए किसानों के हितार्थ डार्क जोन के गांवों को ग्रीन-जोन में करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न पंचायत समितियों में घोषित डार्क जोन के गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य स्तरीय भू जल आंकलन समिति के मापदण्ड के अनुसार जिस पोटेन्शियल जोन में भू जल विकास का स्तर 85% से अधिक हो उसे डार्क जोन घोषित किया जाता है।

(3) भू जल संसाधनों का पुर्नमूल्यांकन हर वर्ष किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 1993 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया हुआ प्रतिवेदन भू जल आंकलन समिति के स्तर पर विचाराधीन है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर पानी की उपलब्धता के अनुसार अगर पानी का निकास, आवक के 85% से कम रहा तो इन्हें डार्क जोन से हटाया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

**प्रदेश में प्रकाशित समाचार–पत्र**

351. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य में कुल कितने समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं?

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

(2) उनमें से कितने दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक पत्र-पत्रिकायें हैं ?

(3) ये सभी पत्र किस-किस भाषा में प्रकाशित होते हैं ?

(4) प्रत्येक भाषा के समाचार पत्रों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ?

(5) समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में कुल 5329 समाचार/पत्र पत्रिकायें प्रकाशित होते हैं ।

(2) इनमें से 430 दैनिक, 1906 साप्ताहिक, 1596 पाक्षिक, 1029 मासिक, 17 द्विमासिक, 71 त्रैमासिक, 177 अर्द्ध-वार्षिक एवं 103 वार्षिक पत्र-पत्रिकायें हैं ।

(3) ये पत्र-पत्रिकायें हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बृजभाषा, गुजराती, अंग्रेजी (जर्मन), बंगाली, मलयालम, राजस्थानी, सिंधी एवं पंजाबी भाषा में प्रकाशित होती है ।

(4) भाषावार समाचार पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—हिन्दी-4905, अंग्रेजी-279, राजस्थानी-22, उर्दू-35, संस्कृत-11, सिंधी-23, मलयालम-1, बंगाली-2, पंजाबी-3, बृजभाषा-1, अंग्रेजी (जर्मन)-1, गुजराती-2, द्विभाषी एवं हिन्दी-अंग्रेजी-44 ।

(5) राजस्थान विज्ञापन नियम-1962 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत समाचार-पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं । नियमों की प्रति संलग्न है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

**सन्देश**

**राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन**

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 2 मार्च, 1994 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :—

"अ.शा पत्रांक 12/87/रा.बा/93-94/1189 दिनांक 3 मार्च, 1994

प्रिय श्री भामड़ाजी,

आपका अ. शा. पत्रांक एफ 10 (2) सदन/विस/94/182 दिनांक 2 मार्च, 1994 प्राप्त हुआ । माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं । आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें ।

सादर,

भवन्निष्ठ,

ह.

(बलिराम भगत)

## अनुपस्थिति-अनुमति

**श्री अमरा राम चौधरी सदस्य, को दिनांक 3 मार्च, 1994 से 16 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने अपनी माताजी के देहान्त के कारण दिनांक 3 मार्च, 1994 से 14 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री देवीसिंह भाटी, इन्दिरा गांधी नहर मंत्री को दिनांक 2 मार्च, 1994 से 9 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा को सदन द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 1994 से 1 मार्च, 1994 तक पुत्र विवाह के कारण विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी थी। श्री भाटी ने अब शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 2 मार्च, 1994 से 9 मार्च 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री मोहन मेघवाल, सदस्य को दिनांक 23 फरवरी, 1994 से 16 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति**

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मोहन मेघवाल, सदस्य, विधान सभा से पुत्री विवाह के कारण दिनांक 25 फरवरी, 1994 से 2 मार्च, 1994 तक तथा शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 3 मार्च, 1994 से 16 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय-सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :--

(1) श्री वीरेन्द्र सिंह एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार में कथित दोषी पाये अधिकारियों के विरुद्ध चालान

(श्री अध्यक्ष)

पेश करने की अनुमति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह (महुआ) सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के थाना नयापुरा के थानेदार द्वारा बीकानेर शहर की रामपुरा कालोनी निवासी एक महिला व उनकी पुत्रियों को नाजायज कार्य के लिए बाध्य कर मकान से बेदखल करने की कथित वारदात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमरा राम (5), सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना कस्बे में दिनांक 2-3-94 को दोपहर 1·50 बजे हथियारों से लैस पांच डाकुओं द्वारा एक बैंक को लूटने के प्रयास की वारदात में गिरफ्तार दो डाकुओं को पुलिस द्वारा छोड़ने का प्रयास करने तथा डाकुओं को गिरफ्तार करवाने में साहसपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति श्री धर्मवीर को पुरस्कार दिलवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामस्वरूप मीणा एवं 23 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष को एकतरफा एवं असंवैधानिक आदेश द्वारा हटाने तथा अकादमी को भंग करने के कथित प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर एवं राज्य के अन्य नगरों में मुर्गियों पर "गम्भीरी" बीमारी का प्रकोप होने से मुर्गी व्यवसाय के चौपट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(6) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की तहसील डीडवाना और लाडनूं को अकाल-ग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य आप इस सम्बन्ध में रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकेंगे।

(7) श्री रामपाल उपाध्याय एवं श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में गम्भीर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री भीमसेन चौधरी सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के अकालग्रस्त क्षेत्रों में काश्तकारों से बैंक ऋण वसूली के नाम पर उनके ट्रैक्टर वगैरह नीलाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गयी है। स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य आप इस सम्बन्ध में रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकेंगे।

(9) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आर.ए.एस.,

(श्री अध्यक्ष)

प्रारम्भिक परीक्षा, 1993 के परिणाम में अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रत्याशियों के साथ बरते गये कथित सौतेले व्यवहार के क्रम में।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गयी है, कि प्रारम्भिक परीक्षा, 1993 में सफल घोषित अभ्यार्थियों की कुल संख्या 4465 है। यह सही है कि यह संख्या रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना से कम है, लेकिन यह सेवानियमों के अनुसार ही है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट आज इस सम्बन्ध में जो 295 श्री विष्णु मोदी का स्वीकार किया है उस समय बोलने की अनुमति होगी। यह भी अपनी बात उस समय कह सकेंगे।

इसी सन्दर्भ में मुझे यह भी सूचित करना है कि दिनांक 4 फरवरी, 1994 को आर.ए.एस. की प्रारम्भिक परीक्षा, 1993 का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कई प्रकार का विवाद उत्पन्न होने तथा परिणाम में कई गम्भीर खामियां होने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परीक्षार्थियों के नियम विरुद्ध क्रम संख्या में सफल घोषित करने आदि के सम्बन्ध में सर्व श्री विष्णु मोदी एवं श्री परसराम मोरदिया ने प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नोटिसेज दिये हैं, वे भी साथ ही इस सम्बन्ध में 2-2 मिनट अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

(10) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर शहर में श्रीनगर रोड पर दिनांक 2 मार्च, 1994 को श्री किशन चन्द नामक व्यक्ति की गोली मारकर की गयी हत्या से शहर में व्याप्त रोष एवं भय के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है कि अभियोग का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर व अन्य पुलिस अधिकारियों की देखरेख पर अभियुक्त का पता लगाये जाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

राज्य सरकार को उक्त दुखद हत्या के लिए खेद है और सरकार इस प्रकार की अज्ञात अपराधियों द्वारा की जाने वाली घटनाओं के लिए चिंतित है तथा पुलिस प्रशासक को पूर्ण सतर्क व सचेष्ट रहने के लिए निर्देश दे चुकी है। किन्तु इस प्रकार के अपराधों का पता लगाने के लिए जन सहयोग के बिना सफलता दुश्वार है, अतः सरकार जनता और विशेषतः विधायकगण का सहयोग अपेक्षित करती है ताकि ऐसे जघन्य अपराधों की राज्य में पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(11) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर के मण्डी खाजूवाला में वर्ष 1980 से पूर्व आबाद हुए सैंकड़ों हरिजन परिवारों को पुलिस के सहयोग से रीको द्वारा बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि इस क्षेत्र के उद्यमियों से बातचीत करने के पश्चात् यह तथ्य सामने आया है कि कुछ व्यक्तियो द्वारा सुनियोजित ढंग से रीको के औद्योगिक क्षेत्र एवं मण्डी की जमीन पर अतिक्रमण कर उसे आगे बेचने का व्यवसाय बना रखा है। औद्योगिक क्षेत्र मण्डी खाजूवाला के सम्बन्ध में एक मीटिंग जिला कलक्टर के कक्ष में दिनांक 24-11-92 को सम्पन्न हुई जिसमें उक्त औद्योगिक क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि 35 भूखण्डों का भौतिक कब्जा अतिक्रमण होने के कारण उद्यमियों को रीको नहीं दे पा रहा है। रीको के अधिकारियों द्वारा राशि लौटाने की कार्यवाही की गयी इन 35 भूखंण्डों के अलावा 3 भूखण्ड ऐसे हैं जिनका कब्जा उद्यमियों को दे दिया गया किन्तु कब्जा देने के पश्चात् अतिक्रमियों ने अभी तक कब्जा कर रखा है।

अत: उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वर्ष 1990 से पूर्व आबाद हुए किसी भी हरिजन परिवार व अन्य लोगों के परिवारजनों को रीको अधिकारियों ने 2 दिन पूर्व बेघर बाहर नहीं किया है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री रामस्वरूप मीणा एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर की बन्द पड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री को पुन: चलवाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड को पुन: चालू किये जाने के सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में मामला बी.आई एफ आर. के विचाराधीन है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री जगदीप धनखड़।

**श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी है, दो मिनट बोलूंगा आपकी अनुमति से। मैं अन्वेषण के बारे में नहीं कह रहा हूं। अन्वेषण तो अच्छी तरह से हो रहा है, मुझे सेंटस्फेक्शन है।

**श्री अध्यक्ष :** जरा 295 और पढ़ दूं, दो मिनट बैठिये। श्री धनखड़ साहब बैठिये 295 पर व्यवस्था दे दूं।

## प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर की अनुसूचित जाति की बस्तियों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को सरकारी खर्चे पर हटवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में महाविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

बामनवास की ग्राम पंचायतों को डामर की सड़कों से जुड़वाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भीखाभाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासी जिले डूंगरपुर की माही उप नहर योजना सागवाड़ा, आसपुर और सीमलवाड़ा को पूरा करवा कर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका धौलपुर के अध्यक्ष द्वारा कथित गैरकानूनी एवं नियम विरुद्ध कार्यों की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं एवं पिलानी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति दयनीय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जायल के कतिपय गांवों में अधिकारियों की कथित हठधर्मिता के कारण नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में आटोरिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने तथा मीटर से नहीं चलने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(9) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आर.ए.एस. प्रारम्भिक परीक्षा, 1993 का परिणाम त्रुटिपूर्ण तथा विवादित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री शांतीलाल खोईवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के राजपत्रित अधिकारियों को भी अराजपत्रित कर्मचारियों की भांति 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रेवतराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सन् 1955 से पूर्व काबिज काश्तकारों को सरकार द्वारा गैर-खातेदार मानकर मालकाना व सरचार्ज अधिक वसूले जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(12) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आर.ए.एस. परीक्षा, 1993 के घोषित परिणाम में गम्भीर खामियां होने से परीक्षार्थियों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री धनखड़।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री किशन मोटवानी** : अन्वेषण के बारे में कोई आबजेक्शन नहीं है। अन्वेषण पूर्णतः सही हो रहा है किन्तु उसी स्थान

(श्री किशन मोटवानी)

पर दो बार पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं पुलिस की अव्यवस्था है, फौज कम है, राज्य सरकार को चेतना चाहिए विदिन स्पान आफ 10 डेज दो इस किस्म की घटनाएं हो चुकी हैं इसलिए राजस्थान सरकार को चिन्तित होना चाहिए। मुर्गियों में गम्भीरो बीमारी के कारण करोड़ों रुपये का लास हो गया है, धंधा चौपट हो गया है राज्य सरकार अभी तक नहीं चेती है। मैं चाहता हूं कि राज्य मंत्रीजी अभी स्वयं अजमेर जाएं और जाकर उसका अध्ययन करके राहत दिलवायें।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 295 में प्रस्ताव दिया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : आपका भी लग जाएगा। संख्या निर्धारित है उस हिसाब से सब लग जायेंगे।

**श्री जगदीप धनखड़** - (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले पुलिस एट्रोसिटीज के मामले को लेकर सदन में बहस हुई थी और सरकार ने अपनी नीति को जाहिर किया था। अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अजमेर शहर में जब कल माननीय मुख्य मंत्रीजी अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे दिन के करीब 12 बजे एक व्यक्ति का अपहरण होता है और उसमें पुलिस की पूरी भागीदारी होती है। उसके मकान पर पुलिस की जीप जाती है, पुलिस के अधिकारी जाते हैं, उस आदमी का अपहरण करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ मार-पीट की जाती है और जब पुलिस अधीक्षक के इन्टरवेंशन से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस उसको छोड़ती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में मौलिक और माननीय अधिकारों का पूर्णतः हनन हुआ है। दिन-दहाड़े इस प्रकार की घटनाएं होना किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक चीज है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो दोषी अधिकारी हैं, जो इस इलाके में कार्यरत हैं जो पुलिस वाहनों के साथ जाते हैं, अपनी वर्दी में जाते हैं, अपहरण का कार्य करते हैं उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जाकर उनको तुरन्त दंडित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस एट्रोसिटीज पर सदन में सरकार ने कहा था कि शीघ्रातिशीघ्र दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय जुगताराम प्रकरण के अन्दर एक बात देखने को मिली है। उसमें भी एक अभियुक्त का नाम भैरोंसिंह था, अजमेर में भी अभियुक्त का नाम भैरोंसिंह है। मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि जहां राज्य में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करें वहां कम से कम जो इनके नाम राशि हैं, उनको तो कन्ट्रोल में रखें।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संभ्रान्त नागरिक शराब के ठेकेदार सत्यनारायण टांक का यहां के सर्किल इंस्पेक्टर ने पुलिस जीप में जाकर दिन-दहाड़े अपहरण किया है। मैं आपके माध्यम

(श्री जगदीप धनखड़)

से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में वक्तव्य देने के साथ-साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करवा कर इस मामले की समयावधि में यदि राज्य के सी.आई.डी. से करवायें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शांति कुमार धारीवाल....(व्यवधान)....बोलिये।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मुझे सारे तथ्य मालूम हैं और मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एस. पी. अजमेर को सख्त निर्देश दिये जा रहे हैं कि इस सारे प्रकरण में निष्पक्ष जांच करके जो भी जिस तरह के दोषी हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उस पर कार्यवाही की जाएगी।

**श्री जगदीप धनखड़** : कितने समय में, रिपोर्ट कितने समय में ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : आप और हम तय कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : हो जाएगा अब।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : आप इसको क्लेरीफाई कीजिये। माननीय गृह मंत्रीजी ने एस. पी. को आदेश दिये हैं कि निष्पक्ष जांच करके भेजें। मैं आपकी मार्फत जानना चाहता हूं कि जांच निष्पक्ष दो तरह की भी होती क्या ? जांच तो होती है वह निष्पक्ष ही होती है। यह निष्पक्ष आपने क्यों लगाया है कि निष्पक्ष जांच करके भेजें। तो क्या कोई पक्षपाती जांच करके भी भेजी जाती है ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने इसी शब्द पर जोर दिया था कि उसकी निष्पक्ष जांच करवायी जाए। मैंने भी केवल उस शब्द को पकड़ लिया है और कहता हूं कि निष्पक्ष जांच करवायी जाएगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री धारीवाल।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, विख्यात गिटार वादक और जयपुर निवासी श्री विश्व मोहन भट्ट को पिछले मंगलवार को न्यूयार्क में एक समारोह में विश्व संगीत के सबसे बड़े पुरस्कार "ग्रेमी अवार्ड" से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड उनको A Meeting by the River" "रचना पर दिया गया है। इस रिकार्ड को बनाने और रिकार्डिंग करवाने में उनके साथ प्रख्यात गिटार वादक श्री कूडर व तबले पर श्री सुखविन्दर सिंह नामधारी थे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रिकार्ड की बिक्री अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में और कई अन्य यूरोपीय देशों में रिकार्ड तोड़ हुई है।

श्री विश्व मोहन भट्ट ने इस गिटार जिसको हवाईन गिटार बोलते हैं, भारतीयकरण करके "मोहन वीणा" नाम दिया है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का दुनिया में नाम ऊंचा करने और भारत को ऊंचे स्थान पर बैठाने की घटना घटी है। मैं आपके माध्यम से यह संकल्प रखना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा उन्हें मुबारकवाद दे।

श्री अध्यक्ष : संकल्प, संकल्प के तरीके से रखिये । ठीक है, आपने कह दिया है । श्री शिवकिशोर सनाढ्य (अनुपस्थित) श्री शिवनाथसिंह ।

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी समय पहले राजस्थान हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी द्वारा हरिजनों और आदिवासियों को गृह निर्माण के लिए 4-4 हजार रुपये ब्याज मुक्त दिये गये थे, उस सोसायटी को ब्याज देने की जिम्मेदारी सरकार की थी और उन हरिजनों और आदिवासियों को ऋण मिला था, वह असल उनको वापस करना था । काफी समय हो गया है और ऋण वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी, यह बात सही है लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गयी और जो ब्याज की रकम सरकार को देनी थी, वह सरकार ने नहीं दी । इस कारण वह रकम बहुत बढ़ गयी और 4-4 हजार की जगह अब उनसे 14,000 और 18,000 रुपये वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील सरकार है । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल घोषणा की थी कि तकाबी पर जो बकाया था वह माफ कर दिया, खालों की रकम माफ कर दी । मैं निवेदन करना चाहूंगा, वे दोनों वर्ग ही सशक्त थे । आज गंगानगर का किसान, जिनसे खालों की रकम वसूल की जाती है, लखपति से कम नहीं हैं । तकाबी ऋण का हाल यह है कि आज से 40 साल पहले वे तकाबियां दी गयी थीं, न किसी का पता है, किसने लिया और किसने नहीं लिया और सरकार की मजबूरी थी कि यह तकाबी ऋण को माफ करती क्योंकि उसके पास वसूली का कोई साधन नहीं है । यह जो समस्या मैं उठा रहा हूं, वे हरिजन हैं, गरीब हैं और आदिवासी हैं, सरकार का दायित्व बनता है कि ब्याज की जिम्मेदारी सरकार ने इस राजस्थान हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी को देने की ली थी, सरकार उससे नहीं मुकरे और ब्याज की रकम जो बनती है वह सोसायटी को सरकार जमा करावे और असल रकम यदि बकाया है उन हरिजन, आदिवासियों में तो वह रकम उनसे वसूल की जाए । ब्याज की मिली हुई रकम उनसे वसूल नहीं की जाए । इससे कुर्कियां होंगी और कुर्कियां हो रही हैं और वह गरीब तबका बरबाद हो रहा है । इसलिए मैं चाहूंगा सरकार इस ओर ध्यान दे और अविलम्ब इसमें कार्यवाही करें ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नारायण मीणा ।

**श्री नारायण मीणा** (लसाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में 17-2-94 को विजय लाल आदिवासी के सुपुत्र बालू की बरात ले जाते हुए बरातियों के साथ मंगाने के पास पुलिस थाना पाफला के हैड कांस्टेबल ने मारपीट की । लाडे को भी डंडा-दो डंडा मार दिया । वापस बरात दिनांक 20-2-94 को पूना गांव जगलादा उसके घर पर आयी । वापस पूना हैड कांस्टेबल जाबता लेकर वहां जगलादा पहुंचा । जो मेहमान आये हुए थे उनके साथ मारपीट की और वापस बरातियों में से 5 आदिवासियों को पकड़कर थाना पाफला में लेकर आये । मंगलाराम फरदारिया, बिरची कमला, लालजी जीवणा, पूंजिया रूपला, बानची वासजी, इन 5 आदिवासियों को रात भर थाने में बन्द

(श्री नारायण मीणा)

रखा और इनके साथ मारपीट की और 500 रुपये लेकर सुबह वापस इनको छोड़ दिया गया। आज थाना पाफला के क्षेत्र में आदिवासी और पुलिस में तनाव बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। यह गजेन्द्र थानेदार पूर्व में थाना जलार में था। जिस समय वहां आदिवासी और पुलिस में तनाव हुआ जो अरमदे जैसा काण्ड हुआ। मैं सरकार से निवेदन करूंगा जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं वहां के गजेन्द्र थानेदार और हैड कांस्टेबल खोदाराम पटेल को तत्काल वहां से हटाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए ताकि पुलिस और आदिवासी में तनाव नहीं बढ़े और अरमदे जैसा काण्ड पाफला के क्षेत्र में नहीं हो। मैं इतना ही निवेदन करता हूं।

**नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख**

**श्री अध्यक्ष :** श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (अनुपस्थित) श्रीमती इन्दिरा मायाराम (अनुपस्थित)।

**श्री विष्णु मोदी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि....

**श्री अध्यक्ष :** आप करेंगे, फिर वह काल अटेन्शन नहीं लगेगा। आप देख लीजिये।

**श्री विष्णु मोदी :** ठीक है।

**श्री अध्यक्ष :** It is your choice.

**श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** I am mantianing it, अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखती। इन्होंने विजय नगर के अन्दर जो इलेक्टेड चैयरमैन था, विजय नगर अजमेर जिले में म्यूनिसिपल कमेटी का जो इलेक्टेड चैयरमैन था, उसको 25 तारीख को 4 लाइन के एक आदेश (व्यवधान) 'चूंकि श्री सोहन लाल तालेड़, अध्यक्ष, नगरपालिका विजय नगर के विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के तहत जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।"

नम्बर एक....(व्यवधान) और उसके नीचे कहते हैं, "अतः राज्य सरकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री सोहन लाल तातेड़, अध्यक्ष, नगरपालिका, विजय नगर को अध्यक्ष पद से एवं सदस्यता से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।"

सदस्यता से भी, चूंकि वहां वाइस-चैयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है, यह आदमी जो चैयरमैन था वहां, विजय नगर में नहीं था और कलक्टर....(व्यवधान)....

**श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) :** एक ही आर्डर से जांच भी हो रही है और उसी में उसको निलम्बित भी किया जा रहा है....(व्यवधान)

**श्री विष्णु मोदी :** और सिर्फ इस कारण....(व्यवधान)

**श्री शांति कुमार धारीवाल :** एक ही आर्डर से... (व्यवधान) वह कांग्रेस पार्टी का चुना हुआ अध्यक्ष था और नगरपालिका को मजबूत करने के इरादे से जिस तरह से

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

(व्यवधान) आप उससे खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं ...(व्यवधान) यह आपकी + + + नहीं चलेगी। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कई शास्तियां दूसरों के विरुद्ध भी हुई हैं....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैंने श्री विष्णु मोदी को अलाउ किया है। आप सब बोलेंगे तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा....(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : यह गजब का मामला है। आप देखें तो सही।.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री सुरेन्द्र गोयल। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र गोयल का नोट कीजिये। (व्यवधान) आपका नोट हो जायेगा। आप पढ़िये। (व्यवधान) आपका वैसा का वैसा लिखा हुआ नोट हो रहा है।

**जैतारण में महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति**

**श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैतारण जिला पाली में कालेज नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

(विपक्ष द्वारा सदन में नारेबाजी)

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पिछले कई वर्षों से वहां के नागरिकों विद्यार्थियों व जन-प्रतिनिधियों द्वारा कालेज खोलने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया जा चुका है। जिस पर राज्य सरकार ने जांच भी करवायी और जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जैतारण एस.डी.एम. हैडक्वार्टर होने व आसपास 50 किलोमीटर की परिधि में कोई कालेज नहीं होने व 6 से भी ज्यादा....(व्यवधान)....(नारेबाजी)

**श्री अध्यक्ष** : आप पढ़ते रहिये। वह लिख लेंगे। उनके पास है। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र गोयल** :... सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय आसपास होने से कालेज खोलने हेतु सिफारिश की गयी है। परन्तु अभी तक कालेज नहीं खोला गया है जिससे जैतारणवासियों में रोष है। कालेज हेतु दानदाताओं द्वारा भवन बनाने हेतु सहमति प्रकट की गयी है एवं जमीन भी उपलब्ध है। इसलिए निवेदन है कि राज्य सरकार जनहित में इस वित्तीय वर्ष में कालेज खोलने की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करे। (व्यवधान)

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : × × ×

**श्री जगदीप धनखड़** : × × ×

**श्री विष्णु मोदी** : × × ×

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : × × ×

**अनेक माननीय सदस्य** : × × ×

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

72



**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : पाइट आफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष** : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : *यह हाउस परम्परा और प्रक्रिया से चलता है। (व्यवधान)

(विपक्ष द्वारा सदन में धरना एवं नारेबाजी)

**श्री अध्यक्ष** : आप यहां मत आइये। आप वहां करते रहे। आगे नहीं पढ़िये। आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको मार्शल से निकलवा दूं? अखबारों में नाम आ जाएगा। मैं आप सबको निकलवा दूं। अखबारों में नाम आ जाएगा। (व्यवधान) आप सबको निकलवा दूं। आप हाउस से चले जाइये, अच्छा है। (व्यवधान) मैंने देख लिया है। यह नोटिस का तरीका नहीं है। (व्यवधान) This is not the way. यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) मैं नहीं करूंगा। सरकार सब सुन रही है। आप इतनी जोर से बोल रहे हैं, सुन रही है सरकार। (व्यवधान) आप बोलिये, मैं कब मना कर रहा हूं, आप बोलिये। आप अपनी नारेबाजी चालू रखिये, मैं मना नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) खूब जोर से लगाइये। हां लगाइये, लगाइये। (व्यवधान) आपको वैल में आने का अधिकार, यदि राजनैतिक पार्टियों ने आपको यह स्वतन्त्रता दे रखी है, आप उसका उपयोग करिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) करिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सुन रहा हूं। करिये, करिये आप। (व्यवधान) आप सब बोल रहे हैं। मैं रोक नहीं रहा। आप बोलिये ना, मैंने कब रोका है (व्यवधान) बोलते जाओ आप। आप एक साथ 10-10 बोल रहे हैं। (व्यवधान) चर्चा नहीं कराऊंगा। नो, नो। शून्यकाल में केवल उल्लेख की बात है... (व्यवधान) विधिवत आयेगा तो मैं अलाउ करूंगा। यदि विधिवत आपका कोई मोशन होगा, अवश्य चर्चा कराऊंगा। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाने का उनको अवसर दिया है इस पर चर्चा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जवाब भी होना जरूरी नहीं है। Not necessary यह मंत्री की मर्जी पर है, वह देना चाहें तो दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं बाध्य नहीं कर सकता। शून्यकाल में उठाये गये मुद्दे पर सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य करने की परम्परा नहीं है। आपको मैंने शून्यकाल में उठाने का अवसर दिया, अब आप जो मर्जी आये करो। आप नारे लगाइये, आप बैठें, मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। आपका मोशन विधिवत् नहीं है। विधिवत् नहीं होने से मैं सरकार को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। केवल शून्यकाल में उल्लेख करने की इजाजत मैंने दी है। यदि आप मेरी इजाजत का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपकी मर्जी की बात है वरना भविष्य में मुझे यह सोचना पड़ेगा कि आपको शून्यकाल में इजाजत दूं या नहीं। शून्यकाल में मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। आप विधिवत् उठाइये, मैं मौका दूंगा। मैं बिल्कुल मौका नहीं दूंगा जब तक विधिवत् मोशन नहीं आएगा।.... (व्यवधान)....नियम की प्रक्रिया के मुताबिक विधिवत् जब तक प्रस्ताव नहीं आएगा तब तक सरकार का जवाब नहीं होगा।.... (व्यवधान)... आप विराजिये।....(व्यवधान)

(विपक्ष द्वारा नारेबाजी)

(श्री अध्यक्ष)

आप बैठिये। श्री हीरालाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री भीखा भाई, आप पढ़िये। भीखा भाई, आप पढ़िये। आप पढ़िये, आपका लिखा जा रहा है। भीखा भाई, आप पढ़ते जाइये, लिखा जा रहा है आपका। आपने जो दिया है वह पूरा वर्बेटम लिखा जाएगा, आप पढ़िये। श्री भीखा भाई। नहीं पढ़ रहे हैं? श्री बनवारी लाल शर्मा। (अनुपस्थित) श्री श्रवण कुमार। पढ़िये आप। आपका लिखा जाएगा, आप पढ़ते जाइये। आप पढ़िये। (व्यवधान) पढ़िये, पढ़िये आप। पढ़िये आप। रिपोर्टर्स के पास नकल है, वे लिख रहे हैं, आप पढ़िये।.... (व्यवधान)....परम्परा को मत तोड़िये। श्री श्रवण कुमार।

## झुन्झुनूं एवं पिलानी में सड़कों की दयनीय स्थिति

**श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत झुन्झनूं जिले तथा विशेष रूप से पिलानी विधान सभा क्षेत्र में सड़को की शोचनीय स्थिति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।....(व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष :** अभी नहीं विधिवत् उठाइये। विधिवत् उठाइये, मैं मौका दूंगा। मैंने विष्णु मोदीजी को पहले ही कहा था कि आप काल अटेंशन और आज शून्यकाल के उल्लेख में से कोई एक चूज कर लीजिये। आप चाहें तो मैं काल-अटेंशन लगाऊंगा, शून्यकाल में मत बोलिये। शून्यकाल में बोलेंगे तो फिर कॉल-अटेंशन नहीं लगेगा। अब वह उनकी चोइस है।....(व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार :** झुन्झनूं जिले में सड़कों की स्थिति दयनीय है। विश्व बैंक से धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसके अन्तर्गत सीकर से लोहारू तक की सड़क का सुधार कार्य हाथ में लिया जाना था। जर्मन कम्पनी को ठेका दिया गया था लेकिन सरकार तथा सरकार के विभागों की निष्क्रियता के कारण सब मामला खतम हो गया। कम्पनी एडवांस लेकर भाग गयी। सड़क जो बनी हुई थी, खराब कर दी गयी। और गाड़ियां चलने के लायक इस सड़क को नहीं छोड़ा गया है। समझ में नहीं आता कि विश्व बैंक का रुपया इस सड़क को तोड़ने के लिए स्वीकृत हुआ था इसके सुधार के लिए।

झुन्झनूं जिले में सड़कों की स्थिति सभी क्षेत्रों से दयनीय है लेकिन पिलानी विधान सभा क्षेत्र और भी अधिक उपेक्षा का शिकार है। पिलानी से कुलडिया का बास, खुदानिया, खण्डेला आदि गांवों की ग्रेवल सड़क लम्बे अरसे से पड़ी है लेकिन डामरीकरण कार्य हाथ में नहीं लिया जा रहा है। अनेक पंचायत हैडक्वार्टर बिना सड़कों के पड़े हैं। राज्य सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अकाल राहत कार्यों में भी गांवों की सड़कों को जोड़ने का कार्य हाथ में नहीं लिया जा रहा है यह कहकर कि पुराने अधूरे कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है। तमाम सड़कें टूट-फूट चुकी हैं। कोई मरम्मत कार्य नहीं हो रहा है। पिलानी से बेरी, जीणी से पिलानी, हुलानिया से छापड़ा, प्रभातावा से किठाना कुछ उदाहरण-स्वरूप पेश कर रहा हूं। ... (व्यवधान).... मेरा निवेदन है कि झुन्झनूं जिला उपेक्षित है तथा सड़कों की दृष्टि से और भी उपेक्षित

(श्री श्रवण कुमार)

है। अतः मैं इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस समस्या के निवारण हेतु कारगर कदम उठाये।... (व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष :** आप उधर मत आइये। please, don't come to me. मार्शल फोर्स लाइये और श्री पारीक को ले जाइये। नीचे उतारिये। आप नीचे उतारिये इनको और ले जाइये। ले जाइये इनको बाहर। फोर्स बुलाइये। ले जाइये बाहर। उधर चढ़ोगे तो बाहर ले जाएंगे।.... (व्यवधान)....

(विपक्ष द्वारा नारेबाजी)

श्री मोहन लाल गुरुपाल। (अनुपस्थित), श्री हरिसिंह (कुम्हेर)। (अनुपस्थित), श्री विष्णु मोदी। आप अपना 295 पढ़ेंगे ? श्री शांतिलाल खोईवाल। पढ़िये, पढ़िये। इनका नोट कीजिये।

### राजपत्रित अधिकारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर वेतन वृद्धि

**श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर अराजपत्रित अधिकारियों की भांति वेतन वृद्धि दिए जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा हूं।

अराजपत्रित कर्मचारियों के पदोन्नति के कम अवसर होने के कारण....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** केवल उनका ही नोट करिये।

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** राज्य सरकार ने तीन स्तर तक सलेक्शन स्केल स्वीकृत करके पदोन्नति नहीं होने की कमी को आर्थिक लाभ देकर काफी सीमा तक राहत पहुंचाई है, परन्तु राज्य सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है जिससे अधिकारी वर्ग में काफी रोष व्याप्त है। कई विभागों जैसे आयुर्वेद, पशुपालन, कृषि विभाग (अभियंता वर्ग), सिंचाई विभाग आदि में 20-25 वर्ष तक सहायक अभियंता या अन्य पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अराजपत्रित, कर्मचारियों को यह लाभ देने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर विभाग में समुचित पद उपलब्ध नहीं है तो उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देकर राहत पहुंचाई जा सके परन्तु राजपत्रित अधिकारियों को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है।

राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ के प्रतिनिधि-मण्डल ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मुख्य शासन सचिव, सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से कई बार वार्ता की। परन्तु इस विषय में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मुख्य मंत्री महोदय, कृपया यह बताने की कृपा करें कि राज्य सरकार कब तक राजपत्रित अधिकारियों को भी 9, 18 व 27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर, जहां-जहां पदोन्नति के अवसर नहीं हैं, वेतन

(श्री शांतिलाल चोईवाल)

वृद्धि देने के आदेश जारी करेगी। राजपत्रित अधिकारी केवल वार्ताएं करके ही अपनी न्यायोचित मांगों को मनवाने का प्रयास कर सकते है, वे अराजपत्रित कर्मचारियों की तरह आन्दोलन आदि नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रेवतराम पंवार।.... (व्यवधान)....

(विपक्ष द्वारा नारेबाजी)

फोर्स और बुला लो। और फोर्स बुला लो। यहां आगे बढ़ते ही ले जाओ पकड़ करके। और बुला लीजिये फोर्स। श्री रेवतराम पंवार। (अनुपस्थित) श्री परसराम मोरदिया। (अनुपस्थित)

नियम 295 के तहत प्रस्ताव समाप्त।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री शिवकिशोर सनाढ्य। ध्यान आकर्षित करिये।

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड उदयपुर में नियुक्तियां

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्थान की वित्तीय स्थिति पूर्व वर्षों से अधिक सुदृढ़ है। वर्ष 1992–93 में शुद्ध लाभ 1.35 करोड़ रुपये था जो, इस वर्ष फरवरी, 94 तक बढ़कर 5.42 करोड़ रुपये हो गया है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में राक फास्फेट की कीमत अप्रेल, 92 में 2100 रुपये से घटते-घटते मई, 93 में 1450/– रुपये प्रति टन तक गिर गयी। राक फास्फेट का उत्पादन वर्ष 1990–91 में कुल उत्पादन 61.66 लाख मीट्रिक टन था जो इस वर्ष 31 जनवरी, 94 तक ही 104.30 लाख मीटिग टन रह गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में राक फास्फेट 240 दिन के उधार पर बेचा जाता है। फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड भी सितम्बर, 1992 से उधार पर राक फास्फेट बेच रहा है जिसकी वसूली भी निरन्तर हो रही है। वर्ष 1993–94 में माह फरवरी, 94 तक उधार पर कुल बिक्री 69.42 करोड़ रुपये की गयी जिसमें से 42.88 करोड़ रुपये की वसूली बाकी है जिसकी वसूली निरन्तर चल रही हैं।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं हेतु नये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की बजाय संस्थान में उपलब्ध अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। केवल कुछ श्रमिकों व अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु विकल्प की एक सूचना भी सितम्बर, 93 को जारी की गयी थी।

पदोन्नति—श्री बर्जन को अन्य 12 व्यक्तियों के साथ नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी गयी थी। वित्त एवं लेखा विभाग के रिक्त चल रहे 6 पदों

(श्री कैलाश मेघवाल)

के कारण श्री शाह को एक वर्ष के अनुबंध पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् रखा गया क्योंकि 5 मैनेजमेंट प्रशिक्षणार्थी अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसमें एक वर्ष का समय लगेगा।

कम्पनी के भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आई.आई.टी., खड़कपुर में कैम्पस इन्टरव्यू के द्वारा कुल 5 ग्रेजूएट इंजीनियर/मैनेजमेंट ट्रेनीज का चयन किया गया है। कैम्पस इन्टरव्यू अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में से हीं किया जाता है क्योंकि अंतिम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् तो वे शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध ही नहीं होंगे।

3 मार्च, 94 को मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशासन हेतु अखबारों में विज्ञापन देकर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा 3 मार्च को साक्षात्कार किया जा चुका है व 3 सामान्य श्रेणी एवं 2 अनुसूचित जाति, कुल 5 मैनेजमेंट ट्रेनीज का चयन कर प्रशिक्षणों पर नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार मैनेजमेंट ट्रेनिंग (वित्त) के लिए भी विज्ञापन जारी कर इन्टरव्यू करके 5 मैनेजमेंट ट्रेनीग प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किये गये हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशासन के पद के लिए विज्ञापन जारी कर ट्रेनीज आमंत्रित किये गये हैं जिसमें 290 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें रद्दी की टोकरी में नहीं डाला गया बल्कि उनकी स्क्रूटनी कर 50 व्यक्तियों को इन्टरव्यू हेतु बुलाया गया जिनमें से 5 का चयन किया गया परन्तु श्री एन जी. दास, वरिष्ठ (प्रबंधक कार्मिक) के पुत्र श्री शुधाकर दास का चयन नहीं हुआ है।

सहायक प्रबंधक (वित्त) के तीन पदों हेतु विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे तथा इस हेतु निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान की अध्यक्षता में बनी चयन समिति के द्वारा 3 अभ्यार्थियों को विधिवत चयनित किया गया जिसमें से एक श्री दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं। इनके साथ ही श्री सिंघी व श्री छापरवाल का भी चयन किया गया।

सुश्री किरण माथुर की जयपुर कार्यालय में अस्थायी तौर पर 5 माह के लिए (31 मार्च, 94 तक) पी. ए. बी. एक्स. टेलीफोन आपरेटर पद पर नियुक्ति की गयी थी। जैसे ही इस पद पर अन्य व्यक्ति का नियमानुसार चयन हो जाएगा, इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। सुश्री माथुर किसी श्रमिक नेता के साथी से सम्बन्धित है, इसकी सूचना संस्थान को नहीं है।

श्री प्रदीप बोस 31-3-94 तक के लिए अनुबंध के आधार पर झामरकोटड़ा क्षेत्र के आस-पास के गांवों में ग्रामीण विकास सम्बन्धी सर्वेक्षण हेतु नियुक्त किये गये थे। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और पूर्व में "प्रदान" नामक स्वयंसेवी संस्था, अलवर से सम्बद्ध थे।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी से मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जैसा सरकारी अधिकारी एक पत्र बना कर भेज दें, वह उसे पढ़ कर सदन में सुना दें। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कुछ पढ़ा उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इन अधिकारियों ने जैसा कोई हम बंगाल के लोगों के खिलाफ हों, इस

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

तरह का जवाब प्रस्तुत किया है। जिनका सलेक्शन किया गया है वह कहां के रहने वाले हैं, यह तो मैंने पूछा नहीं था मैंने तो आपके सामने केवल यह ध्यान आकर्षित किया है कि जिस तरीके से आर.एस.एम.एम. के अन्दर अभी 26 जनवरी को सब लोगों को पत्र भेजा है, मैं आपको वह पढ़ कर बताऊ कि किस तरीके से आर. एस. एम. एम. के अन्दर छंटनी करके अधिकारियों को और उनको निकालने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो वह लिख रहे हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है और हम उसमें काफी उत्पादन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वह लिख रहे हैं, "इन सब के बावजूद आगामी दो साल तक हमें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विश्व बाजार में राक फास्फेट की कीमतों में अभी भी नरमी है एवं अप्रेल, 1993 की दर जो कि यू. एस. डालर 53 थी वह घटकर अब 50.50 रह गयी है। डालर के मुकाबले रुपया मजबूत होता जा रहा है और रुपये की कीमत अभी और बढ़ सकती है, यदि ऐसा हुआ तो राक फास्फेट की कीमत और गिर सकती है। यदि हमें कामयाबी रहना है तो हमें राक फास्फेट की उत्पादन लागत में आगामी एक वर्ष में कम से कम 33 प्रतिशत की और कमी करनी ही होगी। इसका तात्पर्य यह है कि हम में से प्रत्येक को और अधिक उत्पादनशील होना पड़ेगा। हमारा विभागीय उत्खनन आगामी एक वर्ष में क्रमशः बढ़ाकर कम से कम 100 लाख टन (10 लाख टन प्रति माह) करना आवश्यक है। साथ ही साथ खदान पर कार्यरत कुल मानवशक्ति में से लगभग 250 व्यक्तियों की कमी करनी होगी जिनको अन्यत्र लगाया जाएगा। यदि फास्फेट संभाग को सफल एवं लाभप्रद रखना है तो उपरोक्त सभी लक्ष्यों को आगामी 12 से 18 महीनों में प्राप्त करना होगा।"

माननीय मंत्री महोदय, एक तरफ तो 33 प्रतिशत लागत में कमी की जा रही है, 250 श्रमिक जो वहां हैं उनको वहां से शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ नये लोगों को भर्ती करने जा रहे हैं तथा जिन लोगों को भर्ती किया गया है, आपने जैसा अभी जवाब दिया है कि वह तो हिमाचल के रहने वाले हैं, बंगाल के नहीं, मेरा यह दोषारोपण नहीं है कि वह बंगाल का है या हिमाचल का, मेरा तो दोषारोपण यह है कि विभाग के अन्दर जब उसी योग्यता के लोग हैं तो डेपूटेशन पर नये आदमियों को क्यों लिया जा रहा है। थोड़े दिन पहले इन मिस्टर दिनकर भट्टाचार्य की सहायक प्रबन्धक (लेखा), प्रदीप बोस की सलाहकार (पर्यावरण), श्रीमती शुभजीत देव राय एवं सुश्री कुश्मीता शाह की मैनेजमेंट ट्रेनीज के पद पर नियुक्ति की गयी है, श्री टी. बी. शाह एवं श्री डी. एन बर्मन को रिटायरमेंट में छह महीने से कम समय होने पर भी प्रमोशन दिया गया है, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन प्रमोशन देने के बाद रिटायर हो गया और रिटायरमेंट के बाद इनको 1-1-94 से पुनः कांट्रेक्ट अपाइंटमेंट दिया गया। तो जब इस योग्यता के व्यक्ति उस विभाग में हैं, जिनको प्रमोट करना चाहिए था, उनकी जगह उनको रखा जा रहा है। ऐसे पांच ट्रेनीज को वहां पर रखा है।... (व्यवधान)....

(विपक्ष द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

**श्री अध्यक्ष** : आप लोग अपनी सीटों पर जाकर बात करिये । मैं सुनूंगा, यहां खड़े-खड़े नहीं सुनूंगा, आप चाहें जितने नारे लगाइये । आज की कार्यवाही आपके नारों में पूरी होगी और मैं कार्यवाही पूरी करने के बाद ही यहां से हटूंगा । हाउस फिर एडजोर्न करूंगा. पूरी कार्यवाही करने के बाद आप चाहे नारे लगायें । सीटों पर बैठें, मैं आपकी बात सुनूंगा । यदि आप सीट पर बैठकर कहेंगे, आपकी बात सुनूंगा । आप नारे लगाइये, मैं आपके नारे सुन रहा हूं, कार्यवाही चल रही है .. (व्यवधान)....

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : रिटायर होने के बाद .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : Please take your seat. I request you all to kindly take your seat in the name of democracy, in the name of procedure, rules and all traditions everything. In my position, I again request you, please maintain the dignity of the House, please maintain the traditions of the House, please maintain the precedents of the House. Don't make it a laughing stock before the public. Please take your seat.

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : माननीय मंत्री महोदय, श्री एन जी. दास, वरिष्ठ प्रबन्ध (प्रशासन) के पुत्र को मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर लिया गया है । ऐसे छह पद आर. एस. एम. एम. में रिक्त हैं और उन्होंने कहा, क्योंकि यह ट्रेनिंग आप....(व्यवधान).... कराये, उसके बाद लगेंगे । तो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उसी योग्यता के हैं....(व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** :

जन गण मन अधिनायक जय हे ।
भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा
जन गण मंगल दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ।

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये हां, बोलिए । (व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य** : We want justice. We want Justice.

**श्री अध्यक्ष** : मैं समझता हूं आपने राष्ट्रीय गान का प्रयोग इस सदन में जिस तरीके से किया है, मैं अध्यक्ष के नाते उसकी घोर निन्दा करता हूं । राष्ट्रीय गान का दुरुपयोग सदन में आकर करने की परम्परा विश्व में कहीं नहीं है । सम्पूर्ण विश्व की प्रजातन्त्र की परम्पराओं के विपरीत राष्ट्रीय गान का जिस प्रकार से उपयोग आप लोगों ने किया है, वह घोर अनुचित है, निन्दनीय है और इस देश की भावनाओं के विपरीत है ।....(व्यवधान)

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : माननीय मंत्री महोदय, हिन्दुस्तान जिंक के दो लोगों को डेपूटेशन पर लिया जा रहा है जबकि 35 अधिकारियों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इन 33 प्रतिशत अधिकारियों को निकालना है....(व्यवधान)....

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो तथ्य रखे थे वह अधिकारियों द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिये थे और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो भी सवाल का जवाब, स्टेटमेंट या अन्य कोई भी जवाब यहां दिया जाता है वह अधिकारियों के सहयोग से तैयार किया जाता है। लेकिन यहां परीक्षण होता है उसका। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में और अभी भी कुछ गम्भीर अनियमितताओं की ओर मुझे इशारा किया है। मैं माननीय विधायक को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आर. एस. एम. एल. एक कम्पनी है, उस कम्पनी के कार्य करने के तरीके हैं। लेकिन चूंकि हमारे शासन के मुख्य सचिव वहां के चेयरमैन हैं, मैं उनके ध्यान में इन बातों को लाऊंगा और राज्य सरकार अपने स्तर पर यह जिस तरह के आरोप लगे हैं, अगर इन आरोपों में सत्यता है तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी और आर. एस. एम. एम एल. की कार्य-प्रणाली को सुधारने का सख्त प्रयत्न करेगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री परसादीलाल मीणा, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत। (अनुपस्थित)।

श्री नरपतसिंह राजवी, 131 के अन्तर्गत (अनुपस्थित)।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

## समिति का प्रतिवेदन

### कार्य सलाहकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 4 मार्च, 1994 को मध्याह्न पश्चात् 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1994 से मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 1994 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाए :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

| | | |
|---|---|---|
| सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1994 | : | वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय-व्ययक अनुमान का उपस्थापन। |
| मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1994<br>बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 1994 | : | वर्ष 1994–95 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) पर सामान्य वाद-विवाद। |
| गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 1994<br>शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 1994<br>शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 1994<br>रविवार, दिनांक 13 मार्च, 1994<br>सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 1994 | : | बैठक नहीं होगी। |
| मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 1994 | : | वर्ष 1994–95 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) पर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर। |

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

**आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद**

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

आय-व्ययक (बजट) 1994-95 पर वाद-विवाद।

श्री चन्दनमल बैद। (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान) .. तथ्यों में यह ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और बहुत विशाल बजट है। इस बजट में राजस्थान की जनता को एक सन्देश दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वह सन्देश है विकास का, वह सन्देश है राजस्थान को गरीबी की रेखा के नीचे से उठाने का... (व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये। सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे दो घंटे के लिए स्थगित हुई।)

पुनः समवेत् होने पर

(15.02)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी सभापति, पदासीन।)

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.03 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

पुनः समवेत होने पर

(15.30)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

## घोषणा

### आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

**श्री अध्यक्ष** : वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक, वर्ष 1994-95 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए दलों में समय के आबंटन की घोषणा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक, वर्ष 1994-95 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 12 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी शामिल है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं :—

| | |
|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | 5 घंटे 45 मिनट |
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 4 घंटे 35 मिनट |
| जनता दल | 10 मिनट |
| भारतीय जनता दल | 10 मिनट |
| सी. पी. एम. | 05 मिनट |
| निर्दलीय | 1 घंटा 15 मिनट |

आप बोलिये।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय जहां तक विजयनगर के केस का सवाल है, उसके बारे में तो माननीय मंत्रीजी से बातचीत हो गयी है और उसके बारे में स्टेटमेंट बाद में दे देंगे। जहां तक राष्ट्र गान के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की, राष्ट्र गान की इज्जत कौन नहीं करता है, अपने में से हरेक ही करता है और राष्ट्र गान तो सबके लिए ही मान्य है। यह जरूर था कि वह ऐसा टाइम नहीं था कि जिस वक्त में राष्ट्र गान गाने की जरूरत थी। वह गा दिया, आप भी खड़े हो गये और माननीय सदस्य भी खड़े हो गये और राष्ट्र गान की सबने इज्जत की और इज्जत के साथ वह हो गया। लेकिन चूंकि वह समय उपयुक्त नहीं था इसलिए जरा वह ठीक नहीं हुआ है, इस बात को मैं मानता हूं।

**श्री नाथूसिंह गुर्जर** (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : खेद प्रकट करो।.... (व्यवधान)

**श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : खेतसिंहजी ने बोल दिया ना। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : घनश्यामजी कुछ बोल रहे हैं क्या ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में

(82)



(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अपने किसी मुद्दे को उठाना, उस पर जोर देना और आवश्यक हो तो उसके लिए अपनी बात को प्रकट करने का तरीका है। लेकिन जिस ढंग से आज राष्ट्र गान का अपमान हुआ है वह हम सबके लिए बहुत ही दुःखदायी है और इसको हम सब फील करते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : अपमान शब्द गलत कह रहे हो। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** टोडाभीम) : कोई अपमान नहीं हुआ है। कोई अपमान नहीं हुआ है।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : अपमान शब्द गलत कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपमान शब्द कार्यवाही से हट-वाया जाए।

**श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : राष्ट्र गान का अपमान किया है, आपने।

**श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : कोई अप-मान नहीं हुआ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : सदन के बाहर और सारे हिन्दुस्तान में भी इस प्रकार की बात जाए.... (व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष** : राष्ट्र गान का सम्मान नहीं हुआ।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : राष्ट्र गान तो सम्मान के साथ ही गाया गया था। आप सब भी खड़े हुए थे। माननीय अध्यक्ष महो-दय, आप सब ने राष्ट्र गान.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : इस सम्बन्ध में कानून बना हुआ है, राष्ट्र गान का सम्मान करने के लिए। उसके लिए उचित अवसर है। इसलिए सम्मान नहीं हुआ।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : हां, यह कह सकते हैं। अपमान शब्द हटवाया जाना चाहिए।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (वल्लभनगर) : उचित अवसर नहीं था इसका। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : यदि कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर राष्ट्र गान गायेगा तो वह अपमान नहीं होगा मगर सम्मान भी नहीं होगा।

**श्री अमराराम चौधरी** (धोद) : जिनकी तो जिन्दगी ही सड़क पर है वह तो सड़क पर ही गायेंगे।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : फिर भी यह अप-मान शब्द हटवाया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : खैर, आप छोड़िये उस बात को :

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : जिस समय राष्ट्र गान का अवसर... (व्यवधान)...

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : आपने खड़े होकर सम्मान दे दिया, अध्यक्ष खड़े हो गये, सब खड़े हो गये, नाबीज भी खड़ी हो गयीं, अब इस मामले को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। खेतसिंहजी ने दे दिया। सबने सम्मान दे दिया। हरेक के मन में सम्मान है।

**श्री अध्यक्ष** : वह दूसरी बात कह रहे हैं। आप जरा पूरी बात सुन लीजिये।

(श्री अध्यक्ष)

विराजिये धारीवाल साहब। प्लीज सिट डाउन।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : सर, मैं एक बात का जवाब .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आपको पुकारा नहीं। हां, बोलिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि सम्मान करना चाहिए। मेरी भावना यह थी और मैं यह कह रहा था, जिस ढंग से यह मैसेज जाएगा, उस ढंग से ऐसा लगेगा कि यह अवसर ऐसा नहीं था जिसमें हम नारे लगा रहे थे, जब हम सदन के वेल में थे। उस समय इस प्रकार इसका प्रयोग करना न सदन को अच्छा लगेगा, न सारे समाचार पत्रों में जाने से हिन्दुस्तान की जनता को अच्छा लगेगा और इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय मदेरणा साहब दो शब्द कहें ताकि अपनी जो सम्मान-सूचक बात इसके बारे में है वह सारी प्रेस में जाए और सारे हिन्दुस्तान में जाए। यही मेरे कहने का मतलब था।

**श्री परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में कुछ उत्तेजना उत्पन्न हो गयी थी और प्रतिपक्ष में बैठने वाले कुछ माननीय सदस्य हाउस के वेल में प्रवेश कर गये थे। हाउस के वेल में राष्ट्र गान का गायन करना यह असामयिक था और उसका अवसर नहीं था। राष्ट्र गान के प्रति मैं और मेरा दल और प्रतिपक्ष सर्वोच्च सम्मान रखता है और इसलिए जो उस वक्त स्थिति बनी, उस स्थिति में सदन में राष्ट्र गान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सभी माननीय सदस्यों ने, असामयिक गायन होते हुए भी और अवसर नहीं होते हुए भी जो सम्मान प्रकट किया, इस अवसर पर मैं, अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि मैं मेरे दल की ओर से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और जो कुछ भी यह घटना घटी इससे राष्ट्र गान का क्या स्थान है और कुछ किस वक्त इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और कब यह प्रारम्भ किया जाना चाहिए, इसकी एक सेवरीनटी है इसकी एक डिग्निटी है। कुछ माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं थी। आज के बाद राष्ट्र गान के प्रति जो एक आदर और सम्मान प्रकट होना चाहिए, उसको प्रकट करने में मैं सदन को आश्वस्त इतना ही करना चाहता हूं कि मेरा दल भविष्य में कोई भी गैर अवसर के ऊपर असामयिक रूप से राष्ट्र गान का कभी भी इस तरह से प्रयोग नहीं करेगा और मैं राष्ट्र गान के प्रति सर्वोच्च आदर प्रकट करता हूं

**श्री अध्यक्ष** : श्री चन्दनमल बैद।

## आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, 1994-95 का जो बजट कल पेश किया गया उसके बारे में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। बजट पेश करते समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि बजट किन-किन बातों का दिग्दर्शन कराता है। एक बात वह भूल गये, कि किसी प्रदेश का बजट उस प्रदेश के आर्थिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराता है, उस प्रदेश का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है,

(84)



(श्री चन्दनमल बैद)

उसका वह दिग्दर्शन कराता है। अगर हम इस बात को भूल जाते हैं तो हम चाहे कितनी ही लच्छेदार भाषा का उपयोग करें, कितनी ही +++ करें, कितनी ही चाहे सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश करें लेकिन बजट के आंकड़े खुद, अपने आप बोल जाते हैं कि इस प्रदेश का स्वास्थ्य इस बजट से कैसा दिख रहा है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इस वास्ते में सबसे पहले आपका ध्यान इस बात की तरफ से जाना चाहता है, अध्यक्ष महोदय कि आज कई तरह के डेफिसिट की बात की जाती है। रेवेन्यू डेफिसिट, कैपीटल डेफिसिट, बजट डेफिसिट लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण डेफिसिट माना जाता है वह फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय डेफिसिट है। मैं इस वास्ते इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्रीजी, जो मुख्य मंत्रीजी भी हैं, इस फिस्कल डेफिसिट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। फिस्कल डेफिसिट ही वह महत्वपूर्ण चीज है जो हमको यह बताती है कि जिस प्रदेश का बजट पेश हुआ है उस प्रदेश की आर्थिक अवस्था, उस प्रदेश का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है।

मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां का फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट में दूसरी बातें मिलाने के बाद आता है 2229 करोड़ 29 लाख। और जो डेफिसिट उन्होंने बताये हैं, चाहे वह 276 कैपीटल का डेफिसिट है, चाहे 206 रेवेन्यू डेफिसिट हैं लेकिन यह जो 2229 करोड़ 29 लाख रुपये राजकोषीय डेफिसिट है यह सबसे महत्वपूर्ण गेफिसिट है।

यह इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना बजट पेश किया और उन्होंने पिछले चालू साल के बजट में 50 हजार करोड़ का घाटा दिखलाया और अगले साल के अपने बजट में उन्होंने 55 हजार करोड़ का घाटा दिखाया तो बहुत बड़ी आवाज उठाई गयी खास कर के बी.जे.पी. के सदस्यों की तरफ से कि वह देश को वहां धकेल कर ले जा रहे हैं, यह तो बहुत बुरी बात हुई। और वहां जोड़ा जिन्होंने इस तरह की बात कही, वहां कल कह रहे थे कि कहीं, राजस्थान का बजट तो बड़ा शानदार आता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस फिस्कल डेफिसिट हैं और हमारे राजस्थान के फिस्कल डेफिसिट में क्या सम्बन्ध है। मैं निवेठन कर रहा हूं कि हमारे वहां का जो घरेलू उत्पाद है, जो कि आपने 1993–94 के फिगर देखते हुए बताया है वह 23,302 करोड़ का है। 23,302 करोड़ का आपका घरेलू उत्पाद है। उसके अगेन्स्ट मैं आपका राजकोषीय घाटा 2229 करोड़ 29 लाख रुपये है। यह एन.डी.पी. का, मतलब आपके घरेलू उत्पाद का 9.56 प्रतिशत है, साढ़े नौ प्रतिशत है। घाटा जो हैं हमारे इस साल के बजट का वह हमारे घरेलू उत्पाद का साढ़े नौ प्रतिशत से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोकित किया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

स्थिति बहुत खतरनाक है और हम आलोचना कर रहे हैं उनकी जिन्होंने अपना चाहा अगले साल के लिए घरेलू उत्पाद का, राष्ट्रीय उत्पाद पर 6 प्रतिशत रखा है। तो 6 प्रतिशत के लिए तो हमें बड़ी चिढ़ हो गयी और साढ़े नौ प्रतिशत जिन्होंने रखा है उनका बजट शानदार हो गया। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि और निराशावादी बजट है। यह तो घोर निराशावादी बजट था जिसमें 6 प्रतिशत का फिस्कल डेफिसिट था और साढ़े नौ प्रतिशत का जिसमें आपका राजकोषीय डेफिसिट है वह आशावादी बजट हो गया। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि हम बड़े गौर से इस बात को देखें कि हमारे राज्य की आर्थिक व्यवस्था का, राज्य की वित्तीय व्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, दूसरा पाइण्ट जो हमारा स्वास्थ्य बताता है वह यह है कि हमारे राज्य पर कर्जा कितना है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो किताबें दी हैं उनके आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1994 को आपका आन्तरिक ऋण 2200 करोड़ रुपये होना, आप पर केन्द्रीय ऋण 5492 करोड़ रुपये होगा और आपके जो अन्य ऋण हैं वह 2281 करोड़ रुपये होगा और लोक खाते का जो ऋण है वह 3785 करोड़ रुपये होगा। यानि अगले साल 31 मार्च, 1995 को आपके ऊपर 13,750 करोड़ रुपये का ऋण होगा। यह ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 59 प्रतिशत है। आपका सकल घरेलू उत्पाद जो मैंने बताया आपको 23,302 करोड़ रुपया उसके अगेन्स्ट में अगले साल 31 मार्च, 1995 को आप पर ऋण होगा 13748 करोड़। यानि आपके जो ऋण का हिस्सा है वह सकल घरेलू उत्पाद का 59 प्रतिशत होगा। यह एक बहुत खतरनाक और गम्भीर बात है जिसके प्रति मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आबादी पर पर केपिटा ऋण जो है, 3139 रुपया होगा। आज जब हम खड़े हुए हैं तो हमारे ऊपर 3,139 रुपये का ऋण माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लाद रखा है। आप यह कह सकते हैं कि चालीस साल तो कांग्रेस ने राज किया चालीस साल में आपने बड़ा ऋण पैदा कर दिया, हम क्या करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : यह बता दें, आप तो विशेषज्ञ हैं, यह जो अपने पर वर्तमान ऋण है इसमें राजस्थान के प्रोविडेंट फण्ड और जो अपना सारा है उसमें से तो कितना है और बाहर का कितना है, इसमें बड़ा फर्क आ जाएगा।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैंने बता दिया आपको। लोक खाते 3785 करोड़ है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : धीरे-धीरे क्या हो गया है यह। आपके समय मे जितना बाहर का कर्जा था उसके बजाय अब राजस्थान का घरेलू यानि लोकल फण्ड और प्रोविडेंट फण्ड से खर्चा ज्यादा आया है और बाहर का कर्जा कम हो गया है, इसलिए आपकी बात सही नहीं बैठती है।

**श्री चन्दनमल बैद** : जी नहीं। यह बात सही नहीं है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इण्टरप्ट न करें।

**श्री चन्दनमल बैद** : नहीं नहीं, करने दें, कोई बात नहीं है। यह जो प्रोविडेंट फण्ड और इन्श्योरेंस का पैसा आपके पास है वह भी आप पर ऋण है। आपका पैसा नहीं है यह। और आप जो कह रहे हैं ना कि यह ज्यादा हो गया और दूसरा कम हो गया, उसके बारे में भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। 1989-90 में जब हमने राज छोड़ा था तो इस राज पर कर्जा था 7392 करोड़ 26 लाख रुपये और आज कर्जा है 13 हजार 748 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि आपके चार साल में 6356 करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : जितना हम छोड़कर गये उससे डबल कर दिया।

**श्री चन्दनमल बैद** : हमने चालीस साल में जितना कर्जा नहीं किया उतना ही करीब-करीब कर्जा आपने चार साल में कर लिया और यह कर्जा जो आपने किया वह 6356 करोड़ रुपया बढ़ाया। मैं यह निवेदन कर रहा था आपसे कि यह कर्जा 86 प्रतिशत बढ़ाया है आपने चार साल में। हमने कितना कर्जा छोड़ा था उसमें आपने 86 प्रतिशत कर्जा बढ़ा दिया। यह एक आदमी पर कर्जा 3139 रुपये आ रहा है। प्रतिपक्ष के नेता जब भाषण दे रहे थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि कर्जा ले करके विकास का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कर्जा ले करके आप विकास का काम करते हैं तो, मैं समझता हूं, आप ठीक काम करते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कर्जा लेकर आपने विकास का काम किया है या आपने अविकास का काम किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने रेवेन्यू अकाउण्ट में जो डवलपमेंट का खर्चा दिखाया है वह खर्चा कम हुआ है। 1992-93 में डवलपमेंट का खर्चा 66.95% था, 1993-94 में 66% हुआ और 1994-95 में यह कम होकर के 65.21% हो गया। यानि जब से आप मुख्य मंत्री बने हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं तब से यह डवलपमेंट का खर्चा आप कम करते जा रहे हैं। और अविकास का खर्चा 1992-93 में 33.28% था, 1993-94 में 36.88% हो गया और 1993-94 में 42.06% हो गया। यानि आप अपने मुख्य मंत्री काल में, वित्त मंत्री काल में विकास के खर्चे कम कर रहे हैं और अविकास के खर्चे बढ़ाते चले जा रहे हैं।

यह रेवेन्यू अकाउण्ट की बात मैंने बतायी, अब इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं आपको कि रेवेन्यू अकाउण्ट, कैपीटल अकाउण्ट और लोन, तीनों में आपने डवलपमेंट का खर्चा कितना कम किया है और अविकास का खर्चा कितना ज्यादा किया है। विकास व्यय में आपकी बढ़ोतरी हुई है। 1993-94 में रिफाइण्ड एस्टीमेट के हिसाब से आपका विकास व्यय था 5047 करोड़ रुपया 5047 करोड़ रुपये रिवाइज्ड एस्टीमेट में आपका है और बजट एस्टीमेट में आपने किया है 5583 करोड़। यानि आपका विकास का खर्चा रिवाइज्ड एस्टीमेट से बजट एस्टीमेट में 536 करोड़ रुपया बढ़ा है। यानि 10.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी आपने विकास के खर्चे में की है। इसी तरह

(श्री चन्दनमल बैद)

से खर्चे रिवाइज्ड एस्टीमेट में आपका गैर विकास का खर्चा था 2088 करोड़ और बजट एस्टीमेट में यह खर्चा हो गया 2373 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अविकास का खर्चा 285 करोड़ रुपये बढ़ाया जिसकी बढ़ोतरी होती है 13.65 प्रतिशत विकास का खर्चा बढ़ता है 10.62% और अविकास का खर्चा बढ़ रहा है 15.65 प्रतिशत।

अब मैं और निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि यह जो कैपीटल अकाउण्ट का पैसा है उस कैपीटल अकाउण्ट के पैसे में भी 276 करोड़ रुपये आप रेवेन्यू अकाउण्ट में ले गये। कैपीटल अकाउण्ट में से आपको विकास का काम करना चाहिए था। आप कहते हैं कि कर्जा ले करके हमको विकास का काम करना चाहिए तो जो पूंजी आपको दी गयी थी कैपीटल अकाउण्ट की, वह भी आप रेवेन्यू अकाउण्ट में ले गये तो मैं जैसे मानूं कि आप कर्जा ले करके विकास का काम करेंगे। यह साफ जाहिर होता है कि आपने विकास के काम कम किये हैं, अविकास के काम भी ज्यादा किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे राज्य की आर्थिक अवस्था का जो स्वास्थ्य है, हमारी वित्तीय अवस्था का जो स्वास्थ्य है वह उतना ही खराब है जितना हमारे मुख्य मंत्रीजी का स्वास्थ्य है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके दोनों स्वास्थ्य को सुधारिये आप। यह अच्छी बात नहीं है कि आपका स्वास्थ्य भी खराब रहे और हमारी वित्तीय अवस्था का स्वास्थ्य भी खराब रहे। यह बात ठीक नहीं है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) मुझे स्वयं मालूम है। मुझे खुद कह रहे थे कि मैं दिन भर उठ ही नहीं सका उसके बाद। आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। मुझे चिन्ता है इस बात की। आपको चिन्ता नहीं हैं, मुझे चिन्ता है। मैंने इनसे कहा था कि हमारी विधान सभा में आपके बगैर बड़ा खाली-खाली महसूस होगा।....

**श्री अध्यक्ष** : यह इसीलिए कह रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य खराब नहीं हो, ऐसी बात ना कहें आप।

**श्री चन्दनमल बैद** : हां ना है। यह तो मैं चाहता हूं। यह कामना करता हूं कि खराब ना हो।

**श्री अध्यक्ष** : यही वह कह रहे हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** : अध्यक्ष महोदय, पावर के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई बातें कहीं और पावर के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय से भी उन्होंने कई बातें कहलवायी हैं। जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जवाब हो रहा था तब पावर के बारे में उन्होंने नहीं कह करके हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कुछ बातें कहलवायी। मैं पावर के बारे मे थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। आज राजस्थान में पावर की जितनी खपत है उसका 50 प्रतिशत हम बाहर से ले रहे हैं और 50 प्रतिशत यहां पैदा कर रहे हैं और आठवीं योजना के अन्त तक 55 प्रतिशत बाहर ले लेंगे और 45 प्रतिशत यहां पैदा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि

(श्री चन्दनमल बैद)

मांगी हुई छाछ से कब तक कढ़ी बनाते रहेंगे आप ? जिन लोगों से आप पावर ले रहे हैं वह किसी समय भी पावर की रेट बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप सोच रहे हैं। और जिनसे आप पावर ले रहे हैं वह किसी समय भी ना कर सकते हैं। फिर आपकी क्या स्थिति होगी। पावर के बारे में आपका जो तरीका है वह तरीका सही नहीं है। आप क्या कहते हैं ? आप कहते यह हैं कि चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट कोई पावर प्रोजेक्ट चलता हुआ नहीं छोड़ गयी इस वास्ते हम क्या बनाते और हमने जो पावर प्रोजेक्ट बनाये हैं उसको भारत सरकार स्वीकृति नहीं दे रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि 11500 करोड़ रुपये का प्लान हम सैंटर से ले आये, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि फाइनेन्स कमीशन से हम 6500 करोड़ रुपया ले आये। यह तो आप ले आये इसके लिये तो शाबासी है, इसके लिये तो आप छाती ठोकते हैं अपनी और चूंकि पावर प्लान्ट आप नहीं चला पा रहे हैं उसका दोष कांग्रेस सरकार पर, उसका दोष भारत सरकार पर दोष आपका है। धौलपुर में अगर पर्यावरण वाले एतराज कर रहे हैं तो क्या आप दूसरा लोकेशन नहीं ढूंढ सकते ? क्या कर रहे थे 4 साल तक आप ? आप कह रहे हैं कि हम 500 मेगावाट पावर आठवीं योजना में जनरेट कर लेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप 250 मेगावाट से ज्यादा पावर आठवीं योजना में जनरेट नहीं कर सकेंगे। आठवें प्लान में आपका जो एलोकेशन है, हमको तो सातवें प्लान का एलोकेशन मिला था उससे बहुत ज्यादा है। हमने सातवें प्लान में 569 मेगावाट बिजली के प्लांट्स का इन्स्टालेशन किया और आप ज्यादा एलोकेशन होने के बावजूद 250 मेगावाट से ज्यादा पावर का जनरेशन नहीं नया कर सकेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कोटा में 210 मेगावाट का जनरेशन कर सकेंगे, यह मैं मानता हूं। रामगढ़ में भी आप 35 मेगावाट का जनरेशन कर सकेंगे, यह मैं मानता हूं और हाइडल स्कीम्स में भी करीब 3-4 मेगावाट का जनरेशन कर सकेंगे यह मानता हूं। यह 250 से कम ही हुआ है। मैं लिबरली आपको 250 का मार्जिन दे रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** सूरतगढ़ आ गया है।

**श्री चन्दनमल बैद :** सूरतगढ़ तो नहीं आयेगा 2 × 22-25 आठवें प्लान में नहीं आएगा। धौलपुर तो किसी हालत में भी नहीं आएगा और आपके इस चित्तौड़गढ़ का कोई पता नहीं है। और बरसिंहसर भी आपका आने वाला नहीं है। तो फिर क्या स्थिति होगी आपकी ? जो प्राइवेट पावर के बारे में प्रोजेक्शन किया गया है उस प्रोजेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उस प्रोजेक्शन में हमारे बड़े-बड़े जो पावर के एक्सपर्ट्स हैं, बेग साहब और दूसरे, वह सब इसमें शामिल हैं, उन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि 1996-97 में पीक डिमाण्ड में राजस्थान में 48.3 की शार्टेज होगी और जनरल शार्टेज 42.9 की होगी। इससे ज्यादा शार्टेज किसी स्टेट में नहीं होगी और हिन्दुस्तान का एवरेज होगा पीक आवर का 23.1 और जनरल शार्टेज होगी। 9.1 हिन्दुस्तान के एवरेज 23.1 और 9.1 के अगेन्स्ट में आपकी शार्टेज होगी 48.3 और 42.9 यह पूरे हिन्दुस्तान में

(श्री चन्दनमल बैद)

सबसे बड़ी शार्टेज होगी। नाइन्थ प्लान के अन्त में जो प्रोजेक्शन किया गया है, 2001 और 2002 के हिसाब से, उसमें पीक डिमाण्ड में आपकी शार्टेज होगी 56 प्रतिशत और जनरल शार्टेज होगी 49.4 जबकि पूरे हिन्दुस्तान का एवरेज होगा 27.3 शार्टेज पीक आवर में और जनरल शार्टेज 14.91 इस स्थिति में जब आपकी इतनी बड़ी शार्टेज होगी, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं और प्राइवेट पार्टीज के पास भारत सरकार ने 102 पावर प्रोजेक्ट तैयार किये थे उसमें से 46 प्रोजेक्ट्स का मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिग हो गया है और उस 46 मेमोरेण्डमं आफ अण्डरस्टेंडिग से साथ 24017 मेगावाट बिजली पैदा करने की स्थिति में होंगे और इसमें से एक भी पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में नहीं है। आपकी इतनी बड़ी शार्टेज, आप कुछ कर नहीं सकते, प्राइवेट पार्टीज को आप ला नहीं सकते और फिर यहां खड़े होकर कल आप हमको भाषण दे रहे थे। 20 पेज आपने लिए। किस काम के लिए? 15 करोड़ की टैक्सों की छूट देने के लिए, 45 मिनट लिए। मैं समझ रहा था कि 5-7 सौ करोड़ की छूट होगी। चूंकि अस्वस्थ होते हुए भी आपने पूरे 45 मिनट लिए। उसमें और पावर के बारे में आपको कोई चिन्ता नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, यह आप जानते हैं और मेरी तमन्ना है यह कि राजस्थान के इतिहास में आप एक कुशल राजनेता के रूप में जाने जाएं....

(16.00)

लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि आप राजस्थान के इतिहास में एक +++ चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाएंगे क्योंकि वह दिन दूर नहीं है कि यही हालत रही तो जयपुर में भी 12 घण्टे ब्लैक आउट हो। वह दिन दूर नहीं है। मेहरबानी करके उसकी तरफ ध्यान दीजिए आप। आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको इस बात के लिए कोसेगी। यह तो वैसा ही हुआ जैसा एक समधी दूसरे समधी से मिला उससे पूछा कि समधीजी, झींनां क्या है? उसने कहा, समधीजी झींनां बहुत है। कि क्या है? कि एक बकरी ब्याऊं ब्याऊं करै है, एक बकरी मैं ल्याऊं ल्याऊं करूं हूं, एक बकरी छोरै का नानेरा आला देऊं देऊ करै है, झींनों घणो ही है। आप क्या कह रहे हैं, यह पावर एक्स्पेक्टेड है, यह पावर आने वाला है, यह पावर आ जाएगा, प्राइवेट पार्टी से चर्चा हम कर रहे हैं। हो कुछ भी नहीं रहा है। सम्भावनाएं हैं, सम्भावना हमारी यह हैं। इस वास्ते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके इस पर गम्भीरता से विचार कीजिए। कई बार आप हम से राय मांगते हैं, कई बार हमसे हमारी मदद भी मांगते हैं। हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। ले चलिये हमको जहां भी ले चलना हो। हमसे जो भी कुछ आपको करवाना हो, हमारे प्रतिपक्ष के नेता उसके लिए तैयार हैं लेकिन मेहरबानी करके इस पर ध्यान दीजिये। कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान अंधेरे में जाए और आपका नाम इतिहास में गलत

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चन्दनमल बैंद)

रूप से लिखा जाए। यह न आपको पसंद आएगा न मुझे पसंद आएगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी को इस बात की बड़ी फिक्र है कि केन्द्र से हमको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। बड़ी चर्चा करते हैं। कई बार विधान सभा में भी और जगह भी कहते हैं कि हमें ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास पानी नहीं है, पानी आप पंजाब से ले रहे हैं, गुजरात से नर्मदा का लेने की बात सोच रहे हैं, यमुना का पानी, उत्तर प्रदेश से लेने की बात सोच रहे है और चम्बल का पानी हम मध्य प्रदेश से ले रहे हैं। अधिकार ज्यादा आपको भी मिलेंगे तो मध्य प्रदेश को भी मिलेंगे, पंजाब को भी मिलेंगे, सब को मिलेंगे। आज पंजाब जिसके हाथ में हैडवर्क्स का पूरा कण्ट्रोल है वह आज भी आपको पूरा पानी नहीं दे रहा है और जब उसको और अधिकार मिल जाएगे तब आपकी क्या हालत होगी ? बिजली के बारे में आप कहते हैं, बिजली कहां है आपके पास ? अभी भी नहीं है और जो कुछ भी बिजली आ रही है, सतपुड़ा से आ रही है, सिंगरोली से आ रही है, दूसरे स्टेट्स से आ रही है। पानी की यह हालत, बिजली की यह हालत और आपके पास इतना बड़ा डेजर्ट है, ऐसा कोई साल नहीं जाता जिसमें किसी न किसी तहसील में, गांव में, जिले में अकाल नहीं पड़ता, बिना भारत सरकार की मदद के आप कुछ कर नहीं सकते। इतनी बड़ी आपकी सीमा है जिस पर आपको कितनी चौकसी रखनी पड़ती है, बिना भारत सरकार की मदद के वह भी आप नहीं कर सकते। आप ज्यादा पावर ले लेंगे, पता नहीं आपको कौन सलाह दे रहा है। आपका और हमारा इंट्रेस्ट तो इस बात में है कि सैण्टर के पास ज्यादा पावर रहें, स्टेट्स के पास कम पावर रहें ... (व्यवधान).... हां, बिलकुल सही बात कह रहा हूं मैं, आप कितना ही हंसिये लेकिन आपकी हंसी आपको रिकाइल करेगी। यह सही बात है क्योंकि स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होंगे तो हमारी हालत जो आज है उससे बुरी होने वाली है। है क्या आपके पास ?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज फाइनेंस कमीशन जब अपने डिवोल्यूशन करता है तो बैकवर्ड स्टेट्स को ज्यादा देता है, यह मैं साबित करना चाहता हूं। तीन हायर इनकम स्टेट्स माने गये, नाइन्थ फाइनेंस कमीशन ने माने, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। तीन लो इनकम स्टेट्स माने, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सेवन्थ फाइनेंस कमीशन में महाराष्ट्र को सारे डिवोल्यूशंस का 8.22 पर्सेण्ट मिला था, एट्थ फाइनेंस कमीशन में वह घट कर 6.88 हो गया और नाइन्थ फाइनेंस कमीशन ने वह 5.84 कर दिया। यानि धीरे-धीरे जो हाई इनकम स्टेट्स थे उनके डिवोल्यूशंस कम हो रहे हैं। गुजरात का भी सेवन्थ फाइनेंस कमीशन में 4.63 था, एट्थ फाइनेंस कमीशन में 3.77 हो गया, नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में वह जा करके 3.54 हो गया। यानि गुजरात का भी जो डिवोल्यूशन था वह हर फाइनेंस कमीशन के साथ कम होता चला गया। पंजाब का डिवोल्यूशन जो सेवन्थ कमीशन

(श्री चन्दनमल बैद)

में 2.01 था वह एट्थ कमीशन में 1.64 हो गया और नाइन्थ कमीशन में 1.57 हो गया। यानि तीनों हाई इनकम स्टेट्स का डिवोल्यूशन था वह हर कमीशन के साथ घटता चला गया। इसी तरीके से उड़ीसा, यू. पी. और राजस्थान का तीनों फाइनेंस कमीशन के बाद डिवोल्यूशन बढ़ता गया। उड़ीसा का सेवन्थ फाइनेंस कमीशन में 4.72 था और नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में 5.28 हो गया, एट्थ फाइनेंस कमीशन में थोड़ा-सा उसका घटा था लेकिन नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में बढ़ करके 5.28 हो गया। यू. पी. का सेवन्थ फाइनेंस कमीशन में 13.90 था एट्थ फाइनेंस कमीशन में 15 47 था और नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में 16.45 हो गया। राजस्थान का सेवन्थ फाइनेंस कमीशन में 4 33 डिवोल्यूशन का हिस्सा था, एट्थ में जरूर कम हुआ, 4.25 हुआ लेकिन नाइन्थ कमीशन में जाकर 6.15 हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सेन्टर भी जो लो इन्कम स्टेट हैं, बैकवर्ड स्टेट्स है उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और जो हाई इन्कम स्टेट्स है, जो बड़े स्टेट्स हैं, प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं उनके साथ डिवोल्यूशन में कमी की जा रही है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम सारे स्टेट्स के बराबर अपने आपको खड़ा करके देखना चाहेंगे तो हमारी क्या स्थिति है? आज सेन्टर है तो बहुत-सी बातों का आज निपटारा हो सकता है। आज पंजाब भी दबता है, गुजरात भी उससे दबेगा, यू पी. भी उससे दबेगा, मध्य प्रदेश भी उससे दबेगा। और जब उनको ज्यादा अधिकार आप दे देंगे तो तब आपकी गर्दन पर सवार हो जाएंगे। किस को पानी नहीं चाहिए, किस को बिजली नहीं चाहिए? सबके पास पानी की कमी है, बिजली की कमी है। कौन आपकी मदद करेगा? इस वास्ते, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मुझे पता नहीं कौन आपको यह सलाह दे रहा है। यह सलाह गलत दी जा रही है आपको। एक दफा आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ मिल कर एक सम्मिलित मेमोरेण्डम दिया था, अब तो आप अकेले रह गये। एक दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी आपके साथ है। अकेले रह गये लेकिन फिर भी कभी न कभी इस तरह की बातें आप करते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके इस बात से अब अलग हटिये। जो इस चीज का आप बेसुरा राग गा रहे हैं इस बेसुरे राग से अलग हट जाइये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय से दसवीं विधान सभा के बनने के बाद इस सदन में आपने दो भाषण करवाये। दोनों भाषणों में, आपने तो नहीं कहा कुछ भी, डंकल प्रपोजल्स के बारे में बहुत चर्चा आपने करायी और यह कहा कि डंकल के जो दुष्प्रभाव होंगे उससे हम किसानों को बचायेंगे। यह नहीं बताया है कि किसानों पर क्या दुष्प्रभाव होंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो "गैट" बना था, "जनरल एग्रीमेण्ट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड", उस समय 23 देश इसमें शामिल थे। यह सन् 1948 में बना था। आज इसमें 117 देश शामिल हैं। जुड़ते जा रहे हैं। यह देश इस बात को जानते हैं कि साथ बैठ करके काम करने में ज्यादा फायदा है बनिस्पत कि अकेले-अकेले आप करें। 117 के बाद

(श्री चन्दनमल बैद)

आज दूसरे देश भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि हमको भी इसमें शामिल करो। चाइना जैसा बड़ा देश भी कह रहा है कि हमको भी इसमें शामिल करो। अगर आप "गैट" से बाहर निकल जाएगे तो 117 देश के साथ जब आप व्यापारिक समझौता करने के लिए जाएंगे तो क्या हालत होगी आपकी ? अमेरिका के साथ आप समझौता करेंगे, अमेरिका आपकी बात मान लेगा ? जर्मनी के साथ करेंगे, जापान के साथ करेंगे, अलग-अलग समझौता करेंगे तो क्या बात करेंगे ? लेकिन "गैट" का मेम्बर होने से मोस्ट फेवर्ड नेशन्स का आपको एडवांटेज मिल रहा है। जो "गैट" के सदस्य हैं वह किसी दूसरे सदस्य के साथ जो भी समझौता करेंगे वह समझौता आपके साथ भी उनको करना पड़ेगा। तो कितने बड़े फायदे की बात है। एग्रीकल्चर से आपको कोई नुकसान नहीं है। कहते हैं, सब्सिडी घट जाएगी। सब्सिडी नहीं घटने वाली है क्योंकि दस पर्सेण्ट से ज्यादा सब्सिडी देंगे, उस पर उन्होंने रोक लगाई है। आपकी सब्सिडी तो पांच पर्सेण्ट से भी नीचे आ रही है। टैक्सटाइल के बारे में तो आपका सारे एक्सपोर्ट का तीस पर्सेण्ट एक्सपोर्ट है और जो हमारा कपडा ले रहे हैं उन्होंने एक मल्टी फाइबर एग्रीमेंट बना रखा है, कि हम आपका कपड़ा इतने से ज्यादा नहीं लेंगे। क्वांटिटी तय कर रखी है उन्होंने। ज्यों ही "गैट" बनेगा, दस साल के अन्दर-अन्दर धीरे-धीरे उनको यह रेस्टिक्यांस हटाने पड़ेंगे। इसका मतलब यह होगा कि हमारी टैक्सटाइल्स की जो इण्डस्ट्रीज हैं वह ज्यादा पनपें। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि उनके पास ऊंची तकनीक है। उनके पास ऊंची गुणवत्ता है और पूंजी भी है। ऊंची पूंजी, ऊंची तकनीक, गुणवत्ता और हमारा चीप लेकर, इन चारों का समन्वय होने के बाद हमारे यहां जो इन्डस्ट्री लगेगी उससे हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारी कण्ट्री खुशहाल होगी। आज क्या हालत है हमारी ? आज 3800 मिलियम डालर का जो सारा विदेशी व्यापार है उसमें हमारा हिस्सा 21 बिलियन डालर है। 3800 बिलियन डालर के विदेशी व्यापार में हमारा हिस्सा केवल 21 बिलियन डालर है। मैं पूछना चाहता हूं कि दुनियां को आपकी जरूरत है या आपको दुनियां की जरूरत है। यह 117 देश जो 3800 बिलियन डालर का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं उनको तो आपकी इतनी जरूरत नहीं, जितनी हमको उनकी जरूरत है। डंकल का जो प्रस्ताव है यह तो एक कम्प्रोमाइज्ड फार्मूला है। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं तो हमको यह कम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमेशा, कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। देखना हमको यह है कि हमको एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है। यह तो नहीं हो सकता, डिसएडवांटेज को सब कण्ट्री को होगा लेकिन हमको देखना यह है कि हमको एडवांटेज, ज्यादा हैं या डिसएडवांटेज ज्यादा हैं। आज हमको एडवांटेज ज्यादा हैं, हमको फायदे ज्यादा हैं। इस वास्ते आज जो आप यह प्रचार कर रहे हैं डंकल के विरुद्ध, अब तो आप में भी रिफ्ट हो गयी है, बी.जे.पी. में भी रिफ्ट हो गयी है अब, बी.जे पी. वाले भी कहने लग गये हैं कि गलत बात कर रहे हैं अपन, लेकिन जो आप यह प्रचार कर रहे है और गवर्नर साहब से जो बात कहलवा रहे

(श्री चन्दनमल बैद)

हैं, यह ठीक नहीं किया आपने। अच्छा किया आप इसके बारे में नहीं बोले। क्योंकि मैं समझता हूं कि धीरे-धीरे आप तक भी वह बातें पहुंच गयी हैं कि हमारे रिफ्ट हो गयी है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : बहुत होशियार हैं, बदल जायेंगे।

**श्री चन्दनमल बैद** : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान का वित्तीय स्वास्थ्य बहुत खराब है, इसको सुधारने की जरूरत है। यह लच्छेदार भाषा, + + + और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के तरीके से नहीं सुधर सकता। आंकड़े बड़े बेरहम होते हैं, यह बोल जाते हैं। इनको छिपाये छिप नहीं सकते थे। ये बिलकुल बोल रहे हैं, ये आंकड़ें जो मैंने दिये हैं यह आपकी किताबों में से लेकर दिये हैं, मैंने और कहीं से नहीं दिये हैं। यह आंकड़े बोल रहे हैं कि आपका आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, मेहरबानी करके इसको सुधारिये जिससे कि राजस्थान बहबूदी के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर तेजी के साथ चल सके। यही निवेदन करता हुआ अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सौभाग्य रहा है. मैं 1980 से 1985 के बीच में जब इस सदन का सदस्य रहा तो माननीय श्री चन्दनमलजी बैद वित्त मंत्री रहे, मैंने उस समय विपक्ष में बैठ कर आपका भाषण सुना और आज सत्तारुढ़ दल में बैठ कर भी आपका भाषण सुना। वित्तीय मामलों में आपकी पकड़ है मैं इसको मानता हूं और वित्तीय अनुशासन रखने के मामले में भी आपने बहुत अच्छे ढंग से भाषण दिये थे वह भी मुझे याद है। अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय शेखावत साहब ने प्रस्तुत किया है, माननीय चन्दनमल जी ने उनकी दो बात कहने के अलावा इस बजट में कमी कोई नहीं देखी। उन्होंने फिस्कल घाटे की बात की और राजस्थान पर कर्जे की बात की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बिलकुल ठीक कहा, आंकड़े बेरहम होते हैं और खुद बोलते हैं और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका एक आंकड़ा भी बेरहम है और खुद बोल रहा है। आप जब 1980 में वित्त मंत्री आये और फिर गये 1985 में आप लोग 1550.19 करोड़ रुपये का कर्जा राजस्थान पर था और पांच करोड़ साल में, जिसमें दो साल आप भी वित्त मंत्री रहे, यह कर्जा बढ़ कर 3055.44 करोड़ रुपये हो गया। आपने उसको डबल कर दिया। जिस समय 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, उस समय आप छोड़कर गये थे 5563 67 करोड़, जो इस समय बढ़ कर 9867.11 करोड़ हो गया। आपने 2229 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट इसमें जोड़ा है और लास्ट तक जो एन्वीसेज हुआ है 11 हजार का, वह जोड़ कर आपने इस आंकड़े को 13 हजार करोड़ तक पहुंचाया

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

(94)



(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। लेकिन आपका जो कर्जा बढ़ाने का तरीका था यह तरीका इस प्रकार का था, भैरोंसिहजी का स्वास्थ्य ठीक हो या न हो, इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कल सवा दो घंटे तक बोलकर गये राजस्थान की एक-एक समस्याओं को आपके कलेजे में और मस्तिष्क में उतारने का इन्होंने प्रयत्न किया है और मुझे लगा कि आपका स्वास्थ्य इससे ठीक हुआ और आपने बजट की कोई आलोचना नहीं की।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो लोन था उसमें कर्जे की क्या मात्रा थी और इस समय 89 से लेकर अब तक जो लोन है उसमें कर्जे की क्या मात्रा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 85 में यह कर्जा छोड़ कर गये थे....

**श्री परसराम मदेरणा** : कुल 13 हजार और कुछ करोड़ के घाटे में फिस्कल डेफिसिट नहीं जोड़ा गया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : जोड़ा गया है।

**श्री परसराम मदेरणा** : 3 हजार का फिस्कल है कि सिएट तो बहुत है। अगर इसको आप गिनते हो तो आपके पास 9 हजार का आंकड़ा गलत है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : 9 हजार का आंकड़ा बिल्कुल सही है और मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने मुझे दिया है, और हुआ तो अपन देख लेंगे। लेकिन आंकड़ा यह है। आंकड़ा सरकार ने दिया है। 1994 के रि-एस्टीमेट 3867.11 करोड़ के हैं, यह घाटा इसमें अपने ऊपर कर्जा है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कर्जे में जो लोन और एडवान्सेज सेन्टर से है वह 4822.39 करोड़ के हैं और जिस समय आप गये थे और 5563.67 करोड़ का छोड़ कर गये थे उस समय 3054.05 का कर्जा सेन्टर का और अन्य एजेन्सीज का था। यह धीरे-धीरे भैरोंसिहजी की सरकार आने के बाद में कर्जा कम करने का प्रयत्न किया गया। इसलिए आप यह चार्ज नहीं लगा सकते लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कर्जा 13 हजार करोड़ का है, लेकिन बाकी जो कर्जा है, हमने बाहर का कर्जा और सेन्टर का कर्जा कम करके स्टेट प्रोविडेंट फंड, इन्श्योरेंस और पेंशन का फंड है उस फंड पर, जो स्टेट का ही फंड है उस फंड से कर्जे को काम में लेकर उसका प्रयोग करने की कोशिश की है। वह रुपया अगर एक जगह पड़ा रहता तो हमारे काम नहीं आता इसलिए माननीय चन्दनमलजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कर्जे का जो स्वास्थ्य खराब होने का मामला बताया है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने फाइनेंस के अधिकारियों से पूछ लीजिए fiscal deficit is bodgetary deficit plus borrowings and other liabilities. वह जोड़कर मैंने आपको बताया है। आप पूछ लीजिए कि यह फिस्कल डेफिसिट है या नहीं है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : नहीं है ना। उसको मैं मना कहां कर रहा हूं। वही मैं कह रहा हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं भी आपको व्यवधान नहीं डालना चाहता। आप यही बता दीजिए कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन का टोटल अमाउन्ट है, अगर आपका आंकड़ा सही है साढ़े नौ करोड़ का, इसमें यह अमाउन्ट कितना है ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह अमाउन्ट अपने पास इस समय नहीं.... 2102.76 करोड़।

**श्री परसराम मदेरणा** : यह तो कुछ नहीं है, वन फोर्थ ही नहीं है श्रीमन्।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : नहीं, लेकिन दूसरी स्टेट एजेन्सीज से भी, तो पैसा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि 3139 करोड़ का राजस्थान के हर आदमी पर कर्जा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान में 3139 करोड़ का कर्जा बताते हैं उस समय हमको यह भी देखना पड़ेगा कि आज भारत पर तीन लाख करोड़ रुपये का विदेशी कर्जा है और भारत सरकार पर इतना ही स्वदेशी कर्जा है और हिन्दुस्तान के हर आदमी पर तीन हजार रुपये विदेशी और तीन हजार रुपये स्वदेशी और, यह करके छह हजार रुपये का कर्जा भारत सरकार ने थोप रखा है और तीन हजार का कर्जा यह है आज राजस्थान का हर नागरिक नौ हजार रुपये के विदेशी कर्ज से दबा हुआ है। और हर पर 9,149 रुपये का कर्जा है उसमें 6 हजार का, और इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी छोड़कर गयी थी, उसका हिस्सा मानकर भैरोंसिंहजी के हिस्से में अगर आता है तो एक हजार रुपये प्रति व्यक्ति पर आता है और नौ हजार रुपए प्रति व्यक्ति पर कर्जा थोपने की जिम्मेदारी चन्दनमल जी बैद और कांग्रेस पार्टी की है, उससे आप बच नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब राजस्थान के बजट पर चर्चा होती है तो हिन्दुस्तान का बजट हमको अफेक्ट करता है। कर्जा बढ़ाने के कई कारण हैं ज्यों ही हमारी भारत सरकार ने रुपए का अवमूल्यन किया, हमारा कर्जा बढ़कर अपने आप 125 पर्सेण्ट बढ़ गया। अवमूल्यन करके आपने कर्जा बढ़ाया और भारत सरकार विदेशी एजेन्सियों से पैसे लेती है। पैसे लेती है 5 प्रतिशत ब्याज पर और राजस्थान को देती है 7 प्रतिशत या 8 प्रतिशत ब्याज पर। यह भारत सरकार जो +++ करती है बीच में। इस +++ के कारण से भी राजस्थान सरकार पर कर्जा बढ़ा है और माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र का जो बजट है, उसके आंकड़ों को अगर अपन देखें तो उन आंकड़ों को देखने से पता लगेगा कि सारे देश की अर्थ-व्यवस्था को और राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था को भी अगर खतरे में डालने का काम किया है तो भारत सरकार ने किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्रीजी के और मनमोहन सिंहजी के स्वास्थ्य का ख्याल करिये। वह सारे हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य खराब करने पर तुले हुए हैं। माननीय चन्दनमलजी साहब, जब उन्होंने 1993-94 का बजट पेश किया था इतना असत्य, इतने भ्रामक आंकड़ें शायद कोई भी वित्त मन्त्री नहीं दे सकता। उन्होंने

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहा था कि 1993-94 में राजस्व घाटा 17,630 करोड़ का होगा लेकिन अब जब बजट पेश किया है और वास्तविक स्थिति सामने है तो पता लगा है कि 34 हजार 58 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा भारत सरकार के बजट में है और वह 100 प्रतिशत बढ़ा है एस्टीमेट से 100 प्रतिशत बढ़ा है। आप राजस्व में इसका पक्ष नहीं ले सकते यह जो नोन प्लॉन एक्सपेन्डिचर राजस्व में है, वो बढ़ता है तो किसी स्टेट के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप जब वित्त मन्त्री थे तो यह बात भैरोंसिंहजी ने इधर बैठकर उठाई और आज आप इस बात को उठा रहे हैं यह हमारे सबके सोचने की बात है कि अगर हमारा नोन प्लान एक्सपेंडिचर जो राजस्व खाते का है वह अगर बढ़ता जायेगा तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है। इस बात को मानने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए और इस स्थिति को सुधारने का सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन केन्द्र का हमारे पर उसर पड़ता है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं आपने बजट घाटे के बारे में चर्चा की। जब शुरू में 1993–94 में 186 करोड़ रुपए का, आपने सोचा यह कि अपने पास सरप्लस बचेगा, राष्ट्रपति का शासन था। लेकिन अन्त में 5.60 करोड़ के घाटे में चला गया तो इस सरकार के आते ही 191 करोड़ रुपए तो आप, उसको घाटे में दे गये और फिर 50 करोड़ का जो हमको सैण्ट्रल शेयर और मिलना चाहिए था, वह कम मिला तो यह सारा मिलाकर 240 करोड़ तो वहां पहुंच गया। अब दो महीने में आप इस सरकार से कितनी अपेक्षा कर सकते थे कि कितना इस घाटे में जो 340 करोड़ रुपए का है, उसमें 240 करोड़ रुपए का तो आपका हिस्सा है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, 100 करोड़ का घाटा हमने एन्वीसेज किया है, उसको नहीं, 340 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करके, योजना को पूरा करके अन्त में सरकार सरप्लस में आयेगी, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसके बजट, 340 की चर्चा कीजिये। भारत सरकार ने 1993-94 में जो बजट घाटा तय किया था वह 4,314 करोड़ का था और बढ़कर 9,060 करोड़ का हो गया। हमें मार केन्द्र रहा है। केन्द्र में यह 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है बजट घाटे में। उसी प्रकार से बोरोइंग्स जो हैं आप कह रहे हैं ऋण ले रहे हैं। भारत सरकार ने कहा हम ऋण लेंगे तीन लाख दो हजार छह सौ पैंतालीस करोड़ रुपए का और भारत सरकार ने अन्त में कर्जा लिया चार लाख नौ हजार चार सौ इक्यासी करोड़ का, इसमें 52 प्रतिशत वृद्धि हुई और राजस्व खर्च में कितनी वृद्धि हुई। अब हम राजस्व खर्च की चर्चा करते हैं, राजस्व खर्च उन्होंने कहा था एक लाख एक हजार आठ सौ उन्चालीस करोड़ रुपये होगा और हुआ एक लाख दस हजार दो सौ चौबीस करोड़। आठ हजार तीन सौ अट्ठावन करोड़ रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई। यह सभी अनुमान जो 1993–94 के बजट में हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी ने प्रस्तुत किए थे, वो गलत साबित हुए और यह बजट इसलिए पेश किया गया था कि पांच राज्यों के चुनाव आने वाले थे। सारे हिन्दुस्तान की जनता को धोखा दिया गया और इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रकार का बजट दिया। सारे स्टेट्स की इकोनोमी खराब हो गयी। आज राजस्थान के जिस घाटे की चर्चा कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ? उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। जब राष्ट्रपति शासन लागू करके यहां की सरकार को बर्खास्त किया गया और राष्ट्रपति शासन राज्य में रहा 12 महीने तक उस राष्ट्रपति शासन में प्लान का पैसा, आप कहते हैं रेवेन्यू, एक्सपेंडीचर उस बात की अगर किसी पर जिम्मेदारी है तो कांग्रेस पार्टी की है। राष्ट्रपति शासन में रेवेन्यू का 458 करोड़ रुपया नोन प्लान एक्सपेंडीचर में राजस्थान सरकार का बढ़ा हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति कभी नहीं हो सकती और इसके लिएं जिम्मेदार आप हैं।

यहां पर सकल उत्पाद की चर्चा कर रहे हैं। सकल उत्पादन की चर्चा करते समय हमको सोचना चाहिए था कि पिछली बार राजस्थान में अकाल रहा और अकाल के कारण से हमारा सकल उत्पाद घटता-बढ़ता रहता है जो वाकई माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिखाया नहीं। बजट के पहले के दो पैराग्राफों में व इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, उल्लेख किया है ...

**श्री चन्दनमल बैद** : छिपा सकते भी नहीं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : छिपाना भी नहीं चाहिए। लेकिन छिपाने की कोशिश भारत सरकार ने की। पांच पर्सेण्ट उन्होंने तय किया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पानन में वृद्धि होगी। लेकिन कितनी हुई, तीन पर्सेण्ट तो इस प्रकार की स्थिति की अपने को चर्चा करनी पड़ेगी और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह फर्क, आपने कहा कि भैरोंसिंह जी ने 45 मिनट तक छूटों को पढ़ा। छूट पढ़नी चाहिए थी। क्योंकि इन्होंने जो छूट दी है वह ग्वार पर दी है, मोठ पर दी है, मक्का पर दी है, बाजरे पर दी है, खल पर दी है, चने पर दी है और चारे पर दी है और दो एक-एक चीज पर दी है और जो किसान के काम आने वाली चीजें हैं। चन्दन मलजी आप कहेंगे 15 करोड़ रुपया है, आप जिस वर्ग को रिप्रजेंट करते हो, उसके लिए 15 करोड़ रुपये ज्यादा नहीं हैं लेकिन एक किसान का जो वर्ग बैठा हुआ है उसके लिए 15 करोड़ रुपये की छूट बहुत है और इसलिए पहला अध्याय उनका किसानों की ओर गया और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 15 करोड़ की छूट बहुत बड़ी है, यह चिन्तन की छूट। मनमोहन सिंह जी ने छूट दी है वी.सी.आर. पर, वी.सी.पी. पर और छूट कहां दी है फाइव स्टार होटल जिनमें दो हजार, पांच हजार रुपये रोज का किराया है, वहां जाकर बैठने वाले आदमी को....(व्यवधान) वहां जाकर बैठने वाले आदमी पर जो सैल्स टैक्स के व्यय करके 20 रुपये लगते हैं या 50 रुपये लगते हैं उनकी आंख में वह आया। किसान नहीं आया। गरीब नहीं आया। मनमोहन सिंहजी की नजर गयी फाइव स्टार में रहने वाले आदमी पर, यह जो होटल में बैठकर खर्चा करते हैं, पांच हजार का बिल चुकाते हैं, उन पर नहीं, इस पर जो व्यय कर रहा है, उस पर छूट दी जानी चाहिए....(व्यवधान)

(98)



**श्री शांतिकुमार धांरीवाल (हिण्डौली) :** अध्यक्ष महोदय, जिस एक्सपेंडिचर टैक्स के बाबत आप भाषण दे रहे हैं कि ये कम किया मनमोहन सिंह जी ने, इसकी डिटेल्स समझा दीजिए। आपने कहा कि पांच हजार रुपये पर यह टैक्स लगता है और वो भी 20 रुपये लगता है, जरा आप हमें जानकारी दे दें। मेहरबानी करके जानकारी दे दीजिएगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** शांतिजी अगर शांति रखेंगे तो शांति से सब बात समझ में आ जाएगी। शांति रखिये, शांत रहिए और शांति रखिए। मैं, सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था....

**श्री अध्यक्ष :** आप बार-बार सभापति महोदय, कह रहे हैं, मैं सभापति को बुला रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह दृष्टिकोण का फर्ज है। भारतीय जनता पार्टी का एक दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण को माननीय शेखावत साहब ने बजट के द्वारा राजस्थान की जनता के सामने रखने का प्रयत्न किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब करने में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और माननीय चन्दनमल जी, आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि उनमें आपकी चुनी हुई बातें हैं। आपने कहा था कोरपोरेट टैक्स में राजस्थान का हिस्सा होना चाहिए, राज्यों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कन्साइनोमेंट टैक्स में राज्यों का हिस्सा होना चाहिए। यह ऐसा क्यों नहीं किया गया? और हमारे ऊपर एक दिन में उन्होंने आघात कर दिया। जिस समय उत्पाद कर में छूट दी गयी, 40% हिस्सा जब राज्यों का

(10.50)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

उसमें होता है तो राजस्थान सरकार को पूछे बिना उन्होंने इस प्रकार की छूट देकर हमको जो शेयरों का हिस्सा मिलने वाला था, उस पर चोट कर दी। आज राज्यों की स्थिति जो बिगड़ती जा रही है, उसका मूल कारण है भारत सरकार का आपके साधनों पर एकाधिकार और राज्यों के आर्थिक क्षेत्रों का धीरे-धीरे कम होते जाना। मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं किस बात की हैं। 1993–94 में राजस्थान की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में नोन प्लान एक्सपेंडिचर 40 पर्सेण्ट बढ़ा, जो बड़े दुःख की बात है। लेकिन जब शिक्षा, चिकित्सा, कृषि यह जनोपयोगी कार्य राज्य के विषय हैं तो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं बताने की क्या आवश्यकता है? इनको एक-एक करके राज्यों को जितना रुपया मिलना चाहिए, उतना रुपया दे देना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, धीरे-धीरे अनुदान की मात्रा भारत सरकार बन्द करती जा रही है और लोन कमी मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके कारण से राज्यों की स्थिति गड़बड़ा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सैन्ट्रल स्टेट्स का जो मामला है वह मामला केन्द्र को कमजोर करने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केन्द्र को कमजोर नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि भारत में जब केन्द्र कमजोर होगा तो देश की स्थिति डगमगा जायेगी, इस भारत के केन्द्र को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अत्यधिक मजबूत करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक आधारों पर राज्यों को स्वायत्तता भी देना चाहते हैं ताकि विकास की गंगा बहे। हम केन्द्र को कमजोर नहीं करना चाहते लेकिन केन्द्र अधिकारों पर एन्ट्रोपमेंट नहीं करे, यह हम चाहते हैं।

सभापति महोदय, यहां पर बिजली की चर्चा हुई। बिजली के साथ राजस्थान का भाग्य जुड़ा हुआ है और मैं मानने के लिए तैयार हूं कि बिजली के मामले में अगर किसी को दोष दिया जाए तो किस को दिया जाए। बिजली के लिए अगर दोषी है जो भारत सरकार। आज तक हमारे इन्टर स्टेट मैटर्स का कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने आज जगन्नाथ पहाड़िया का भाषण सुना था, चट्टान की तरह दृढ़ रहूंगा। मोम की तरह पिघल गये और नाथरा-बाकड़ी में से हमारा हिस्सा निकल गया। माननीय पूनमचन्दजी साहब उस समय हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। हम बहुत + + + कि नाथला-भांकड़ी गयी,—नाथरा-झांकड़ी गयी. लेकिन वह चली गई हमारे हाथ से। उसी प्रकार हम चर्चा कर रहे थे कि कोल पार्वती का एग्रीमेण्ट था पंजाब से हमारा, उनसे बिजली जाने का मामला था, आज भाखड़ा-व्यास से रोपड़, फिरोजपुर और हरिके का मामला था, मैं समझता हूं कि आप लोग भी कोशिश करते रहे होगे, माननीय शेखावत साहब भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक इस बात का कोई परिणाम नहीं निकला। जब तक हाइडल पावर में राजस्थान का हिस्सा प्राप्त नहीं होगा, आज हिमाचल में बहुत बड़ी केपेसिटी है, आज पंजाब उत्पन्न कर रहा है। जब एक कमजोर राज्य राजस्थान, बिजली के संसाधनों की दृष्टि से कमजोर है तो भारत सरकार को चाहिए कि हाइडल पावर में राजस्थान का जो हिस्सा है उसी को दिलाये और हम सबको मिलकर चाहिए कि इसके लिए कोशिश करें और मैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि कोई भी कदम उठाना पड़े, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े और चाहे राजस्थान ने विधायकों को पार्टी की लाइन तोड़ कर राजस्थान में एक आन्दोलन खड़ा करना पड़े, जब तक पंजाब हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश इनसे हमारे इन्टर स्टेट मैटर्स का विमोचन नहीं होगा, और जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति से माननीय मुख्य मंत्रीजी सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखायेंगे जब तक हमारे पास बिजली की कमी बनी रहेगी। उनको लेने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन इस बजट में बिजली की कमी की, पूर्ति करने का तरीका सुजाया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे 210 मेगावाट कोटा थर्मल का आपने स्वीकार किया और मुझे विश्वास है कि 250 मेगावाट का सूरतगढ़ का 1096 में आयेगा और जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि आर.ए-पी.पी. में जो तीसरी यूनिट पैदा हो रही है उस यूनिट की बिजली पहले की तरह, फर्स्ट, सैकड यूनिट की तरह से अगर राजस्थान को देने की कोशिश भारत सरकार करें तो 250 मेगावाट बिजली हमारे यहां से प्राप्त होगी और पूरा का पूरा गैस रामगढ़ को हमको

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया जाय तो 150 मेगावाट की केपेसिटी 1990 तक हम यहां प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार और कारखाने लगा कर, हम संसाधन जुटाकर, बाहर के व्यापारिक संसाधनों से सम्पर्क करके इसको करें तो प्रति वर्ष अगर 500–400 मेगावाद बिजली हम लेने की स्कीम बनाकर चलते हैं तो राजस्थान का इससे उत्थान हो सकता है और मैं समझता हूं मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको करने का प्रयत्न करेंगे और सारा सदन उनके साथ रहेगा कि राजस्थान के किसान को, मजदूर को बिजली मिलनी चाहिए। बिजली की इन्फ्रा-स्ट्रेक्चर इनको हर रूप में तैयार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस बजट में हमने जो स्ट्रेस किया है, यह शिक्षा पर किया है। आज हम जानते हैं, व किसी को दोष नहीं देना चाहता। यहां यह बार-बार मांग उठती है कि अरस्ट व्हाइल प्रिसरी स्टेट्स थे इस कारण इन्फ्रा-स्ट्रेक्चर नहीं था, और राज्य का विकास नहीं हुआ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो इस बात का चार्ज लगाये कि 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। राज्य के शासन में आने वाले लोगों ने काम किया है। इन्दिरा गांधी कैनाल की स्कीम बनवायी, चालू की, लेट हुई अलग बात है, कांग्रेस के राज में हुई। कई बातें हुई। उनको अस्वीकार करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि....

**एक माननीय सदस्य** : भ्रष्टाचार कितना हुआ ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह एक अलग मामला है। भ्रष्टाचार भी हुआ है। भ्रष्टाचार की रोकथाम... (व्यवधान) लेकिन जिस बात में हम कम रहे यह शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के ऊपर एक प्रकार से इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया गया कि शिक्षा में एकदम से हम उत्थान कर सके। मैं माननीय, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का गरिमामय जीवन बनाने के लिए अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वह है शिक्षा की। राजस्थान में महिला शिक्षा का जो सबसे कम था 11 प्रतिशत का है, टोटल 38 पर्सेन्ट हमारा साक्षरता का है। उसमें पढ़े-लिखे कितने लोग हैं ? इसलिए जो स्ट्रेस की गयी है, पहली बार घोषणा की गयी है कि 3600 के करीब प्राइमरी स्कूल राजस्थान में खोले जायेंगे, मामूली उपलब्धि नहीं है। पहली बार घोषणा की गई है कि एक हजार उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे।....

**एक माननीय सदस्य** : बन्द करने के बाद।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : और आपको जो बन्द करने का दर्द है वह दर्द नहीं है, पैसे के बल पर अगर कहीं राज शिक्षा के नाम पर राजनैतिक कार्यकर्ता पैदा करने की कोशिश की गई या पोलीटिकल एजेन्ट पैदा करने की कोशिश की गई तो वह शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ के पढ़ने वालों के साथ घोर अन्याय था और हमने इसका निराकरण किया है कि हर ढाणी में हम प्राईमरी स्कूल खोलेंगे, टीचर्स देंगे और आप कह रहे थे, आपने जो बजट भाषण की प्रतिक्रिया व्यक्त की उसमें यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि यह पैसे वालों का बजट है। अगर प्राईमरी स्कूल खुली 3600, अगर एक टीचर वाली जितनी स्कूल खोली गई है उन स्कूल्स में एक टीचर और लगा, दो टीचर लगे और राजस्थान में मेरा अनुमान है कि कम से कम 20 हजार अध्यापकों को नौकरी मिलेगी। क्या यह 20 हजार लोग व्यवसायी वर्ग के है ? यह पहला काम होगा कि 20 हजार टीचर्स को एक साथ राजस्थान सरकार में नौकरी मिलेगी। इतना बड़ा शिक्षा के साथ पहले कभी काम नहीं हुआ है। महिला शिक्षा के लिए स्पष्ट घोषणा की....

**श्री परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष) : स्कूलें 3,600 नहीं है, दो हजार कुछ हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : नहीं वो इसमें जुड़ जुड़ा कर 3,600 हो जायेगा। ढाई सौ, मैं बता रहा हूं साहब आपको।

**श्री परसराम मदेरणा** : यह मिडल स्कूल है और सब शामिल जोड़ रहे हैं यूं ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिए अलग है और उसी प्रकार से शहरों में जो गन्दी बस्तियां हैं उनके लिए अलग से घोषणा की गई है और यह सारी मिलाकर 3,600 के पास पहुंचती है। इसी प्रकार से 4,000 अनौपचारिक केन्द्र और प्रारम्भ किये जायेंगे भारत सरकार के सहयोग से और इसी प्रकार से 138 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल और 90 सैकण्डरी स्कूल खोलने की तो घोषणा की गई है बहुत अधिक है और इनमें कम से कम 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा की सरस्वती योजना जो आपने प्रारम्भ की है, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि कभी इस देश में अनुसूईया मैत्रेयी गार्गी जैसी महान् स्त्रियां हुई जिन्होंने सारी दुनिया को उपदेश दिया है। आज उसी देश के लोग हम स्त्री शिक्षा में इतने पिछड़ जाय। तो सरस्वती योजना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यह योजना सफल हो। इसको निष्ठा के साथ लागू किया जाय और भारत माता की और राजस्थान की बेटियां सरस्वती के रूप में अवतीर्ण हो जायं, यह हम प्रयत्न करेंगे। सरस्वती योजना चालू की गई, महिला फाउण्डेशन चालू किया जिसमें आगे जाकर धार्मिक ट्रस्टों और अन्य ट्रस्टों से मदद लेकर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जायेगी। इस कार्य के लिए एक भागीरथ प्रयत्न की बात है। सभापति महोदय, पहली से लेकर आठवीं तक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किताबें देने का जो अभिनव प्रयोग किया गया है वह अपने आप में एक अनूठा और बहुत बड़ा कार्य है जिस पर 9 करोड़ 62 लाख रुपये मतलब 10 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। उस गरीब के घर में जो पुस्तकों के कारण या पार्टी के कारण से नहीं पढ़ सकता था उसको पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पार्टी और किताब पहुंचायी है। यह क्या कम मामला है ? मैं समझता हूं इस योजना को ठीक ढंग से लागू किया जाना चाहिए और इसमें अन्य लोगों को अगर शामिल किया जाय तो शामिल किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से बुक बैंक की स्थापना की गई है। जो अनुसूचित जाति और जन जाति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के बच्चे आगे नहीं पढ़ सके उनके लिए बुक-बैंक की और महिला शिक्षा पर कुल मिला कर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान को आर्थिक विकास किस कारण से रूका, राजस्थान की प्रगति क्यों नहीं हो रही है, राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। आज सर्विसेज में हमारा पर्सेंटेज हिन्दुस्तान में कम है, सब कामों में हिन्दुस्तान में हमारा पर्सेंटेज कम है और इसका सबसे मूल कारण शिक्षा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह बजट निश्चित रूप से, मैं कहना चाहूंगा हमारा सबका यह बजट जो है शिक्षा को समर्पित बजट है और शिक्षा को समर्पित बजट राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ायेगा। इस प्रकार का क्रान्तिकारी और शिक्षा के लिए क्रान्तिकारी भागीरथ प्रयत्न इसको मैं कहना चाहूंगा। जिस प्रकार भागीरथ लाया था गंगा उसी प्रकार से राजस्थान में शिक्षा की गंगा लाने का यह भागीरथ प्रत्यन श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया है इसके लिए मैं इनको, इनकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा :** आप उधर नजर डालें, साहब।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** देखिये, मैंने एक बात पहले भी कही थी, दुबारा कहना चाहता हू। मैं किसी की मेहरवानियों पर जिन्दा नहीं हूं, मेरा स्वभाव है और मंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। नजर डालें या नहीं डालें। मैं अपना कर्त्तव्य अपने हिसाब से निभाता हूं।

**श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) :** यहां कुछ और कहते हो और पीछे से कुछ और कहते हो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** न मैं ऐसी संस्कृति में पला हूं ...

**श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :** आप पिघल गये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं एक समाचार पत्र में लिखा कि मैं असंतुष्ट हूं। मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हूं और कम से कम मैं भैरोंसिहजी से असंतुष्ट नहीं हूं। राजनीतिक कारणों के साथ-साथ मेरे व्यक्तिगत कारण भी हैं इसलिए कोई यह समझे कि कोई बात, मुद्दा उठा दिया पुलिस का, या किसी का, यह कारण नहीं है। मैं वास्तव में ब्राह्मण हूं। इसलिए 'असंतुष्टा द्विजा नष्टा," जो असंतुष्ट द्विज होता है वह नष्ट हो जाता है और मैं नष्ट नहीं होना चाहता हूं इसलिए मैं बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हूं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दूसरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेस किया है, जोर दिया गया है इस बजट में, वह खेती पर है। जैसा कि माननीय चन्दनमलजी कह रहे थे राजस्थान का सकल उत्पाद बढ़ता है अगर फसल ठीक होती है और राजस्थान का सकल उत्पाद गिर जाता है अगर फसल नष्ट होती है। विद्युत शुल्क दो पैसा बढ़ाया गया है लेकिन किसान की विद्युत पर पैसा नहीं बढ़ाया गया....

**श्री इन्द्रसिंह पूनिया :** ठहर जाओ। थोड़े दिन बाद देखना कि नहीं बढ़ता है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति-महोदय, ठहर जाओ, यह तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। वित्त मंत्रीजी, जब बजट के पहले हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री चीनी के दाम बढ़ाते हैं, गेहूं के दाम बढ़ाते है, डीजल के दाम बढ़ाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, गैस के दाम बढ़ाते हैं और सात हजार करोड़ रुपये के चोरी से हिन्दुस्तान की जनता की जेब काटते हैं, उस संस्कृति के लोग कह सकते हैं कि आगे जाकर बढ़ा देंगे। यह नहीं है। यहां यह संस्कृति नहीं है। जो कहना चौगान, खुले आम कहना। खुली सरकार है।

**श्री चन्दनमल बैद** : घनश्याम जी, मेहरबानी करके मुख्य मंत्रीजी से कहला दीजिये कि 1994-95 में बिजली की दरें नहीं बढ़ने देंगे। कहला दीजिये इनसे। कहला दीजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अभी मैं ही कह दूं। एक बात सुन लें आप....

**श्री चन्दनमल बैद** : कहला दीजिये इनसे कि 1994–95 में बिजली की दरें नही बढ़ायेंगे। कहला दीजिये। मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा आपका।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह आपसे उत्प्रेरित होकर नहीं बोलेंगे। यह बोलेंगे लेकिन आपसे उत्प्रेरित होकर नहीं बोलेंगे। बिजली की जहां तक....

**श्री विष्णु मोदी** : सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जो बिजली का उत्पाद शुल्क है वह किसान पर इस बजट के पहले कितना था और इण्डस्ट्रीज पर कितना था ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री)** : यह मैं बता दूंगा, आप क्यों पूछ रहे हो ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह आप मुझे मुख्य मंत्री क्यों बनाना चाहते हो ? इसका मतलब आप मुझे एम एल.ए. भी नहीं रहने देना चाहते। आप सुनिये। मैंने आपसे निवेदन किया था कि खेती पर और किसान पर हमने बहुत बढ़िया ढंग से ध्यान दिया है और खेती के लिए जो-जो व्यवस्था कर सकते थे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल सैक्टर में सबसे बड़ा प्लान का एलोकेशन आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है डेढ़ सौ करोड़ से एक हजार 82 करोड़। यह कोई मामूली बात नहीं है। कृषि के काम आने वाली हर चीज, उन्होंने गायों की नस्ल सुधार का एक कार्यक्रम घोषित किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पांच जगह उसके लिए भारतीय, राजस्थान की नस्ल की राठी, साईवाल, थारकर गायों के सुधार के लिए कार्यक्रम घोषित किया है। उसी प्रकार खेती के लिए हाट बाजार लगाने की चाहे किसान के लिए बात की गई है, उसी प्रकार हर पंचायत समिति में दो गांवों का चयन करके उनको सारी सुविधाएं देने की बात की गयी है और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को यदि आगे बढ़ाया, गांव में अगर सड़क, नाली, पानी, स्कूल की व्यवस्था होकर आदर्श गांव बने, यही एक तरीका है जिसका हिन्दुस्तान की संस्कृति को बचाया जा सकता है। शहर से मोह हटे और गांव में मोह रहे इसलिए ग्रामीण विकास को सबसे अधिक श्रेय दिया गया है इस बजट में। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है स्वदेशी/स्वदेशी शहर में नहीं है। शहर में तो ज्यादा इण्डिया है। भारत में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो संस्कृति बन गयी है राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से जो आजादी के समय जो तीन पर्सेण्ट अंग्रेजी या पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले लोग थे, वह आज 16 पर्सेन्ट डोमिनेटिंग क्लास में आ गये हैं। मैं उनको इंडिया कहता हूं। बाकी जो 84 पर्सेण्ट हैं, वह भारत है। पहले कभी अंग्रेज इस देश का शोषण करते थे। आज मैं कहना चाहता हूं कि यह 16 पर्सेण्ट डोमिनेटिंग क्लास इस देश का शोषण कर रही है, भारत का। इसलिए इस बजट में लड़ाई की गयी है भारत और इंडिया के खिलाफ। भारत को रिप्रजेंट करती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए हम स्वदेशी के आधार पर ग्रामीण विकास, गरीब का विकास और गांव के विकास पर सारा ध्यान केन्द्रित करके उसको शिक्षित करना चाहते हैं। जिस दिन वह शिक्षित होगा तब इस इंडिया को चुनौती मिलेगी। इसलिए इस बजट में ग्राम का आर्थिक विकास और शिक्षा, यह भारत का विकास है और, यह भारत जब मजबूत होगा तब इन सारी समस्याओं का समाधान होगा। तब यह भारत खड़ा होकर पूछेगा कि बोलो, यह डंकल प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर रहे हो। मैं आज डंकल पर नहीं जाना चाहता हूं। माननीय चन्दनमल जी ने बात कही है। मैं दो बात कहना चाहता हूं। आपने दो बातें गलत कही हैं। चीन दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। चीन ने डंकल में हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है। क्योंकि हिन्दुस्तान में और चीन में 80 करोड़ किसान हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** : क्योंकि वह गैट का मेम्बर नहीं है। चीन गैट का मेम्बर नहीं हैं। गैट का मैम्बर बनना चाहता है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : चीन को गैट का मैम्बर बनने के लिए आमंत्रित किया गया और चीन ने उसमें जाने से मनाकर दिया।

**श्री चन्दनमल बैद** : China is knocking the door.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : लेकिन मेरी यह दृढ़ धारणा है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा और इसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, प्रणव मुखर्जी ने जागरण में आज से सात दिन पहले अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि इससे सेवाओं, नौकरियों और सर्विसेस हैं। उन पर बहुत खतरा आ जायेगा। भारत के उप-राष्ट्रपति के. नारायणन् ने स्वीकार किया है कि जीवन बचाने वाली दवाइयां बहुत महंगी हो जायेंगी और भारत के सारे किसानों ने और स्वयं बलराम जाखड़ जी ने कहा है कि बीजों पर संकट आ जायेगा और एक-एक करके मैं कहना चाहता हू। आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि टेक्सटाईल उद्योग को फायदा होगा। लेकिन किसान मारा जायेगा, बीज मारा जायेगा, खेती मारी जायेगी, गाय मारी जायेंगी, भारतीय किसान का बीज मारा जायेगा और भारत का बीज करीब-करीब नष्ट हो जायेगा और कह रहे थे कौन सा सुरक्षा कवच दे रहे हो किसानों को। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सीमा शुल्क में कटौती करके 8.634 करोड़ रुपये की तीन टैक्सों में विदेशी कम्पनियों को छूट दी है। यह छूट और उत्पाद कर बढ़ाकर हिन्दुस्तान के उद्योगों को महंगा किया जा रहा है। सारा का सारा हिन्दुस्तान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के उपभोक्ता का जो 90 करोड़ का मार्केट है, वह विदेशी कम्पनियों के लिए खोला जा रहा है। यह आर्थिक गुलामी है और इस आर्थिक गुलामी से लड़ने के लिए स्वदेशी का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार जो सबसे बड़ा 18 हजार करोड़ रुपये साल का पैट्रो केमिकल्स का खर्चा करती है, उसको बचाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? करोड़ों रुपयों का कास्मेटिक्स का सामान आता है। क्या जरूरत है हिन्दुस्तान में इस सामान के आयात करने की छूट देने की? हम करते हैं। बिजली की जो आप बात कर रहे हो, जो एक मेगावाट बिजली पर डेढ़ करोड़ रुपये लगता था, डंकल प्रस्ताव के कारण से 4 करोड़ रुपये लगेंगे। बिजली हमको और महंगी होगी और किसान इस बिजली के कारण से मरेगा। रेड तो किसान की आप लेना चाहते हो। यह सारी बात कह कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में हमने इस प्रकार का स्ट्रेस किया है लेकिन सभापति महोदय, एक पाइंट, जो मैं माननीय को ध्यान कराना चाहता हूं एक बहुत बड़ी अभूतपूर्ण व्यवस्था, स्वागत योग्य इस बजट में की गयी है, वह है टैक्स सिस्टम। चलैया समिति की रिपोर्ट भी आयी, अन्य रिपोर्ट्स भी आयी और हम एक-एक करके टैक्सों के बारे में राय देते रहे। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ग्रीन चैनल प्रशमन की जो कार्यवाही आपने प्रारम्भ की, भिन्न-भिन्न ट्रेड वालों से बातचीत करके एक समझौता किया जायेगा, आज व्यापारी किस बात से पीड़ित है? व्यापारी भी समाज का अभिन्न अंग है। आज बारह इंस्पेक्टरों का राज उस पर कायम रहता है। सैल्स टैक्स का इंस्पेक्टर चला जाये, उसके लिए तो यमदूत चला गया। कभी कोई इंस्पेक्टर जाता है, अभी कोई जाता है। जितना राजकोष में पैसा आता है उसका 25 पर्सेण्ट पैसा कम से कम उन अफसरों की जेब में जाता है। कम से कम बोलकर मैंने कहा है। इसलिए मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। आज अपन एक दूसरे की आलोचना करेंगे। मेरे पर आरोप लगायेंगे? मैं अन्य कोई, या विष्णु जी पर आरोप लगा दूंगा, अखबारों में छप जायेगा लेकिन जयपुर में सर्वे करके देख लीजिये अगर सैल्स टैक्स का एक छोटा सा इंस्पेक्टर भी है तो पॉश कालोनी में राजस्थान के किसी इंस्पेक्टर का बंगला आपको मिल जायेगा। एक्साइज इंस्पेक्टर है, उसका भी मिल जायेगा, थानेदार है, उसका भी मिल जायेगा। यह सारे टैक्सों की चोरी करते हैं वह बहीखाते लेकर जाते हैं, वह कह दें पांच हजार रुपया दो, दस हजार का असेसमेण्ट कराओ। दस हजार का असेसमेण्ट किया। पांच हजार रुपये दिये। पांच हजार उसकी जेब में गये, दस हजार सरकार की में आये। अब मैं व्यापारियों से भी इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि सरकार ने जिस प्रकार की गुडविल दिखायी है, व्यवसायी वर्ग भी गुडविल दिखाये और गुडविल दिखाकर वह कहे कि कि जिस प्रकार से समझौता हो उतना पैसा राजकोष में जमा करायें। यह पद्धति अगर सफल होती है तो टैक्स सिस्टम के इतिहास में यह अभूतपूर्व प्रयोग होगा और मुझे निश्चित रूप से आशा है कि इस पद्धति से जो 340 करोड़ का घाटा है, वह राजस्थान के व्यवसायी पूरा करेंगे और यह खजाना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भर जायेगा। सरकार के बिल पर ध्यान देंगे और इसके बाद इस सिस्टम को अन्य जगहों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इस टैक्स सिस्टम में जो मोटर व्हीकल्स के टैक्स में छूट देकर अन्य राज्यों के समान किया गया है....

**श्री परसराम मदेरणा :** कब भरेगा यह खजाना। वह फिगर बता दीजिये। क्योंकि फिगर तो बेरहम होते हैं। तो आप कह रहे हैं यह खजाना भर जायेगा, कितने हजार करोड़ से भरेगा, यह भी जरा बता दीजिये। माननीय मदेरणा साहब, मैं बता रहा हूं, मेरे....(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** यह बात अलग है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** नहीं, नहीं मैं बता देता हूं. मैंने मेरे में एक कमजोरी रखी कि मेरे पिताजी से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अगर मैं ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर लेता तो मैं आपको एक्युअल फिगर बता देता लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि इससे एक भावना बनेगी, एक अपील का असर होगा, और व्यापारी भी अपना कर्तव्य समझकर राजस्थान के राजकोष में अपना पूरा योगदान करायेगा। सरकार ने जिस तरह की गुडविल व्यापारी के प्रति दिखायी है, उसी प्रकार गुडविल व्यापारी भी सरकार के प्रति दिखायेगा, यह मैं....

**श्री परसादी लाल मीणा :** आपका तो तालमेल है व्यापारियों के साथ।

**श्री घनश्यान तिवाड़ी :** मैंने बता दिया व्यापारियों के साथ किसका तालमेल है। मैं बता चुका कि....

**एक माननीय सदस्य :** यह तो आप भी मान गये कि इस बजट में गुडविल है वह व्यापारियों के साथ दिखायी है....

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : यह तो आप भी मान गये कि इस बजट में पूरी सद्भावना गुडविल आपने व्यापारियों के लिए....

**श्री सभापति :** आपका नम्बर आ रहा है साहब। बिराजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** माननीय रामनारायणजी मैं इतनी देर तक किसानों की और उनकी बात बताता रहा लेकिन व्यापारी भी इस समाज का एक हिस्सा है और उस हिस्से के प्रति भी गुडविल दिखाना कोई बुरी बात नहीं है और सरकार ने अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए उनके प्रति गुडविल दिखायी है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह जो ग्रीन चैनल सिस्टम है यह सिस्टम अगर सफल हुआ तो हिन्दुस्तान के करारोपण के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना होगी और इस अभूतपूर्व घटना के बाद इसको बढ़ाया जाएगा, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी और सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। उसी प्रकार से वाहनों का जो टैक्स कम किया है इससे काफी इन्कम होगी क्योंकि हमने देखा कि जो कैम्प लगाये, इन कैम्पों में टोटल सेल्स टैक्स हो हमारा रेगुलर बिक्री से आता था 7-7 दिन के कैम्पों में उसका 25 प्रतिशत वहां से छूट देने के कारण प्राप्त हुआ। वह जो प्राप्त

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हुआ उसके कारण से सरकार ने सोचा कि इसे अन्य राज्यों के समकक्ष कर दिया जाए तो 3/4 वाहन आज जो हरियाणा से, चण्डीगढ़ से या अन्य प्रान्तों से लाये जाते हैं वह राजस्थान से लिये जाएंगे और इस प्रकार से राजस्थान के कोष में वृद्धि होगी और इस प्रकार से टैक्स सिस्टम में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभूतपूर्व काम किया है।

सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस समय लड़ाई है सुर और असुर की। कांग्रेस पार्टी रिप्रजेण्ट कर रही है असुरों को....

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति** : क्या सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाता है।

### आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : और भारतीय जनता पार्टी रिप्रजेण्ट कर रही है सुरों को और भैरोंसिंहजी को मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने यह जो मोहिनी रूप धारण किया है, यह जो रुपये हैं जो राष्ट्र का धन है इस राष्ट्र के धन को लेने की लड़ाई हो रही है। जिस प्रकार से मनमोहन सिंहजी ने एक-एक करके बजट में छूट दी है, यह सारा का सारा पैसा बड़े-बड़े पूंजीपतियों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के पास इकट्ठा होता जा रहा है। इसमें से निकालकर वह अमृत का घट गांव और गरीब और आम आदमी तक पहुंचाया जाए इस भावना से यह बजट पेश किया है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सुर और असुर की लड़ाई में वित्त मंत्री के रूप में मोहिनी रूप धारण करके भैरोंसिंहजी शेखावत गांव-गांव तक उस पैसे को पहुंचाना चाहते हैं। इसमें आप क्यों घबराते हो ? (व्यवधान)

**श्री सभापति** : कृपया डिस्टर्ब न करें। वे समाप्त करने वाले हैं, आप बिराजिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : मोहिनी रूप धारण कर रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : महोदय, यह जब मुझे कह रहे थे कि आपने व्यापारियों पर ध्यान दिया। यह भूल गये कि तकावी की रकम तो एक करोड़ और कुछ लाख ही है लेकिन तकावी के नोटिस लेकर जब किसान के यहां बार-बार यह घूमते थे उस समय किसान की क्या हालत आप करते थे। छोटी सी रकम है, तो आप ही माफ कर देते। आपने तो माफ करना सीखा नहीं। आपने तो किसान को भेड़ समझा कि जब चाहे तब इसकी ऊन काट लो और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, रगलों की कीमत आप माफ कर सकते थे, आपने नहीं की। बैटरमेंट लेवी आप माफ कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सकते थे, आपने नहीं की। तकाबी माफ कर सकते थे, आपने नहीं की। हमने कर्जा माफ किया, नहीं। मैं मजाक में नहीं कह रहा था यह सारा पैसा जो राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का जो दूर-दूर जा रहा था वह हमने माफ करके इसको गांव की ओर मोड़ा। हमने चुनाव घोषणा पत्र....

**श्री परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष) : यह तकाबी है कौन से साल की ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह तकाबी बहुत वर्षों की है, 20-25 साल से लगातार है। (व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं नहीं, जमाना तो हमारा भी है और आपका भी। फिर हमारा भी आने वाला है, लेकिन यह तहसील में तहसील से तकाबी मिलती थी वह होगी शायद (व्यवधान) बहुत पुरानी है। (व्यवधान)

**श्री शांतिलाल चपलोत** : 1972 की बाकी है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : माननीय मदेरणा साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो जो भी प्रश्न पूछोगे मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा और आप मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे लेकिन जब तक माननीय भैरोंसिंहजी मुझे पास घोषित नहीं करेंगे तब तक इसका क्या फायदा ? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करने की कोशिश की। पहले हमने कहा था कि और राज आने पर बारानी जमीन का लगान माफ किया और अब जब राज आयेगा और हम पिछड़े, छोटे किसानों का, कुओं से सिंचित जो भूमि है उसका लगान माफ करेंगे और हम वायदा करके उसको निभाते हैं। आपने वायदा किया था सौ दिन में मंहगाई कम करेंगे। आपने पांच बार सरकार के पैसे से बढ़ा दी। आपने पिछले बजट में कहा था कि एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और इस बार के बजट में आया कि 30 लाख लोगों को रोजगार मिला तो आपने चुनाव घोषणा पत्र का एक-एक करके उल्लंघन किया और हमने पहली बार बजट में 60 प्रतिशत से अधिक बातें लागू कर दी। हमने कहा था हनुमानगढ़ को जिला बनायेंगे। डा. रामप्रतापजी बोले, हनुमानगढ़ जिला बन गया। हमने कहा था राजस्व पुनर्गठन आयोग बनायेंगे, मुख्य मंत्री ने भाषण में कहा राजस्व पुनर्गठन आयोग बनायेंगे। हमने कहा तकाबी माफ करेंगे, लोन माफ करेंगे, हमने कहा जमीन के नीचे जो पानी है वह भगवान का है, सरकार का नहीं है। किसान जब कुआ खोदता है और वह पानी निकालकर खेती को सिंचित करता है तो भगवान के पानी पर सरकार को लगान लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने भगवान के के पानी पर इस धरती के भगवान को मालिक बना दिया और किसान के लिए, इसका सारा का सारा लोन माफ कर दिया। हमने इस बार, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो बिजली....

**श्री परसराम मदेरणा** : वह महिलाओं का स्थायी आयोग। वह भी तो बजट में है, आपके मैनिफेस्टो में है (व्यवधान) नहीं, नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने किया है। घोषणा की है कल, कल मुख्य

(श्री परसराम मदेरणा)

मंत्रीजी ने अपनी स्पीच में यह बात कही है। इसे आप भूल गये। आपने सोचा है, और भी है, और भी है। आप तो भूल गये। मैं तो याद दिला रहा हूं आपको ...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : माननीय सभापति महोदय....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : यह तो यह पूछना चाहते हैं कि हमने घोषणा पत्र में कौनसी बात छोड़ी है, यह विपक्ष के नेता बता दें।

**श्री परसराम मदेरणा** : चुंगी, चुंगी, चुंगी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हैं, क्या ?

**श्री परसराम मदेरणा** : चुंगी को रिप्लेस करेंगे। मथुरादास माथुर कमेटी का क्या फेट रहा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कौनसी मथुरा दास कमेटी ?

**श्री परसराम मदेरणा** : मथुरा दास, चुंगी को समाप्त करके और दूसरी अल्टरनेटिव, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। यह कमेटी बैठायी थी आपने। उसका तो इसमें उल्लेख ही नहीं....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उसका कुछ कर दें, पहले ही भारत सरकार ने ज्योति बसु के सभापतित्व में एक नयी कमेटी बना दी, आपको जानकारी है....

**श्री परसराम मदेरणा** : नयी वह तो नयी कमेटी इसलिए बनायी है कि चीफ मिनिस्टर की कंसेशंस नहीं दी लेकिन आपने मेनिफेस्टो के अन्दर जो बात कही है वह तो राजस्थान राज्य के लिए है।....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : एक तो यह है....

**श्री परसराम मदेरणा** : आपने मुझ से पूछा, मैंने एक तो बता दी। मैं आज, आज पढ़कर आऊंगा मेनिफेस्टो। उसमें 20 तो आपने वायदे किये हैं।....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : एक बताओ....

**श्री परसराम मदेरणा** : 20 वायदे आपने पूरे नहीं किये हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अच्छा बताओ कौन-कौन से हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : आप कह सकते हैं कि अभी तो एक साल हुआ है, 3 महीने हुए हैं।....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : एक तो बता दिया है....

**श्री परसराम मदेरणा** : एक तो मैंने बता दिया, यह आपकी चुंगी वाला....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : और बताओ, और तो कोई नहीं रहा न....

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं नहीं बहुत हैं....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : और कौन-कौन से हैं ?....

**श्री परसराम मदेरणा** : बहुत वायदे आपने किये हैं.... (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपके नेता बोल रहे हैं, थोड़ी आदत सीखो, नेता खड़ा हो तो बाकी के सदस्यों को नहीं खड़ा होना चाहिए।....

**श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : नहीं, नहीं मैं नेताजी को ही मैं अपने नेता को ही बता रहा हूं कि आपने....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बता रहे हो, इनको जानकारी नहीं है? आप अपने नेता में इतना विश्वास ही नहीं रखते कि इनकी जानकारी सब चीजों की है। आप बीच में खड़े होकर, नेता के साथ खड़े हो जाते हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : I don't claim that. You are passing sarcasm. I don't claim that.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : माननीय सभापति महोदय, मैं कई बातों में यह बात भूल गया था। मुझे खुशी है कि माननीय मदेरणा साहब ने याद दिलाया। माननीय शेखावत साहब ने कहा, महिला आयोग बनायेंगे और बना दिया है और इसके सदस्यों की घोषणा कर देंगे, लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि महिलाओं की बात मुझे बाद में याद आती है और मदेरणा साहब को पहले। यह उम्र के साथ इस प्रकार रहता है। इसलिए मैं युवाओं और किसानों की पहले बात कर रहा था कि हमने उस बात को पूरा किया और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर (व्यवधान) यह वृद्धावस्था में होता है साहब, मैं कैसे....

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं, इस बिन्दु पर आप बिलकुल गलतबयानी कर रहे हैं You are a hypocrite आयु के सामने आपने जो बात कही यहां पर हिप्पोक्रेसी और साइकोफेन्सी की बात कर रहे हैं।

(17.00)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने जवाहर रोजगार योजना, केन्द्र के प्रधान मंत्री की एश्योर्ड स्कीम से कम से कम 200 मैनडेज गांव में काम करने वाले हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे लाखों आदमियों को, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

सभापति महोदय, अंत में चाणक्य के अर्थशास्त्र की दो बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे खुशी होती कि हमारे कानून बनाने के बजाय, इतना कानून का जंगल बनाने के बजाय अगर 400 श्लोक का अर्थशास्त्र लागू कर देते तो आज सी. पी. सी. भी आ जाती और सी आर. पी. सी. भी आ जाती। उन्होंने साफ कहा है कि राजा का क्या कर्त्तव्य है अकाल के टाइम पर। उन्होंने कहा है कि अकाल के समय राजा का कर्त्तव्य है कि लंगड़े, लूले, अपाहिज, अनाथ बालक, विधवा औरतों का पालन-पोषण का खर्चा राज्य सरकार उठाये। उसमें यह भी कहा है कि दुर्भिक्ष के टाइम पर अगर पानी की व्यवस्था ना हो तो पानी के लिए उस स्थान पर जाकर लोगों को बसाया जाए जहां पर पानी उपलब्ध हो और राज्य उसका खर्च वहन करे। उन्होंने यह कहा है कि दुर्भिक्ष के बाद में अगर राजकोष में पैसा नहीं हो तो मित्र राजा से या ऋण लेकर भी दुर्भिक्ष

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से बचाया जाना चाहिए, और जो राजा दुर्भिक्ष के समय यह काम नहीं करे, वह राज करने लायक नहीं है। इस समय राजस्थान के 22 हजार गांव अकालग्रस्त हैं जहां माननीय मुख्य मंत्रीजी ने काम प्रारम्भ किये हैं तथा और कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की है लेकिन मैं चाहूंगा कि चाहे किसी भी पैसे में कटौती करनी पड़े, टेम्परेरी काम की स्कीम बनायें चाहे परमानेन्ट काम करने की स्कीम बनाये और चाहे इस प्रकार के काम बनायें कि 15 जून के बाद डिपार्टमेन्ट जिन कामों को पूरा करने का हां भरे, उन कामों को लिया जाए, अकाल पर जितना भी पैसा खर्च करना है वह किया जाए परन्तु राजस्थान में अकाल में एक भी पशु और आदमी नहीं मरे, इस बात की भी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अकाल के बाद जब बरसात हो जाए तो राजा का कर्त्तव्य है कि वह उनको बैल दे, खाद दे, बीज दे और उसकी फसल खड़ी करे। अकाल के बाद कई बार हम नहीं देखते, तो मुख्य मंत्रीजी चाणक्य के इस सूत्र का पालन करेंगे।

अंत में एक बात और कहूंगा जो श्री चन्दनमल जी से मिलती जुलती है। चाणक्य ने एक बात कही कि राजा को टैक्स कैसा लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भंवरा फूल पर बैठता है और फूल का रस लेता है लेकिन फूल नहीं कुम्हलाता और लोगों को पता नहीं चलता कि इसमें से रस निकाला गया है, उसी प्रकार से राजा को टैक्स उगाना चाहिए। मतलब इनडाइरेक्ट टैक्स लगाने चाहिए....

**श्री परसराम मदेरणा :** चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कूटनीति का एक थोड़ा सा अंश भी है। लोगों का यह मानना है कि वह डिप्लोमेट थे। आपने यह जो अकाल की बात कही है वह कूटनीति से कही है. ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** चाणक्य का वह पोर्शन तो माननीय भैरोंसिंह जी के पास है, कूटनीति वाला तो।

**श्री परसराम मदेरणा :** वह मेरे पास भी है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** वह मेरे पास नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा :** मेरे पास है वह। मैंने उसमें देखा है कि वह कूटनीति है ही नहीं। यह तो अर्थशास्त्र में कही हुई बात है। ग्रंथ ही अर्थशास्त्र का है। उसमें आपने जो फेमिन को लेकर इसका क्लराइजेशन किया यह चाणक्य का डिप्लोनेटिक अंश है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** इतने बरस साथ रहते-रहते मैं भी सीख गया थोड़ा। तो इसी प्रकार से, सभापति महोदय, उन्होंने एक बात कही कि जिस राजकोष से 10 प्रतिशत से अधिक राज्य का वेतन चुकाने में जाता हो वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और दुर्भाग्य से हमारे हिन्दुस्तान के वह सभी स्टेट्स....

**श्री रामनारायण चौधरी :** यह बहुत पुरानी बात है। अब तो समय बदल गया है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** आज भी अर्थशास्त्री मानते हैं और आज भी भारत सर-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार के वित्त मंत्री श्री मनमोहनसिंह जी ने कहा है कि पहली बार है कि भारत सरकार का पैसा केवल 10 पर्सेन्ट से अधिक तो इसी में निकल गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त है और आज दुर्भाग्य से राजस्थान का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, उसमें 47 पैसा रेवेन्यू का नान-प्लान एक्सपेन्डीचर में जाता है और बजटरी सपोर्ट सिर्फ....

**श्री रामनारायण चौधरी** : नान-प्लान क्या है? इसको थोड़ा सा बताओ, क्या है?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आप जैसे विद्वान आदमी को मैं बताऊं या मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि यह नान-प्लान क्या है?

**श्री सभापति** : कल बता दिया जाएगा, आप बिराजो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह आप भी जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं इसलिए मैं इसमें समय खराब नहीं करना चाहता हूं और नहीं जानता हूं तो मैं आपसे पूछ लूंगा।

तो सभापति महोदय, इसको कम किया जाना चाहिए और इसके ऊपर चैक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए।

अंत में एक बात और कहकर कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं जो एक रुपया देता हूं उसमें 15 पैसा ही वहां तक पहुंचता है और 85 पैसा चला जाता है। इसके ऊपर लगान लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार चुनावों के समय लोगों ने कहा कि हम वोट किस बात का दें अगर रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पैसा लेते हैं, अगर नामान्तरण कराने जाते हैं तो पैसा लेते हैं। हर दफ्तर में पैसा लेते हैं तो हम जो पक्ष और विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं यह सारा उनके ऊपर आता है। यह किसी एक राज्य में नहीं सब राज्यों में है....

**श्री परसराम मदेरणा** : राजस्थान का ही बता दो। यह आपका कहां जाता है?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : बताया ना मैंने। 47 पैसा जाता है।

**श्री परसराम मदेरणा** : सभी नान-प्लान में और कर्ज चुकाने में जा रहा है। प्लान में तो 21 पैसा ही जा रहा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैंने खुद ही कहा है। बजटरी सपोर्ट 21 पैसे का है और भारत सरकार का 36 पैसा ही है। यह भी मैंने बताया।....

**श्री परसराम मदेरणा** : आप अर्थशास्त्री हैं कौटिल्य की तरह, मुझे यह मालूम हो गया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : धीरे-धीरे आपको मेरे में सब गुण नजर आ जाएंगे लेकिन इनको तो बताओ।

सभापति महोदय, इस पर हमें कन्ट्रोल करना चाहिए और मैं कहना चाहता हूं कि राज्य का वर्तमान बजट शिक्षा को समर्पित कृषि का विस्तार, रोजगारोन्मुख, विकासोन्मुख और राज्य को सन् 2000 तक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अन्य राज्यों के समकक्ष लाने वाला अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है।

इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री रामनारायण चौधरी।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : सभापति महोदय, जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया, वह ऐसा बजट है जिसे मैं कहूं कि यह एक जगलरी है मैंने डिक्सनरी में देखा कि जगलरी का वास्तविक अर्थ क्या है तो उसमें लिखा हुआ था बाजीगरी। तो यह बाजीगरी तो हल्का शब्द है। फिर मैं आगे बढ़ा तो उसमें यह भी खिला था कि इसका मतलब है इन्द्रजाल। तो यह डाकूमेन्ट एक इन्द्रजाल है और इस बजट से राजस्थान के अन्दर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

मैंने विपक्ष के माननीय चन्दनमल जी बैद और पक्ष के माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी दोनों के भाषण भी सुने। दोनों के भाषण सुनने के बाद मैं आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता। दोनों ही भाषण बहुत उच्च कोटि के थे। दोनों ही अपनी-अपनी जगह विद्वान हैं और उनको पूरा अनुभव है। यह बजट जो प्लान और नान प्लान, योजना और गैर योजना, यह जो देश में हमारी एक योजना का हिस्सा है और आज जो योजना का खर्चा है, मान्यवर, आप तो स्वयं बहुत अनुभवी प्रशासक रहे हैं, आज जो योजना का खर्चा है वह कुछ दिनों के बाद जाकर गैर-योजना में हो जाएगा तो मैं सभापति महोदय आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह चाहता हूं कि इस बजट के खर्चे से, इस बजट के द्वारा राजस्थान का वास्तविक निर्माण हो और वास्तविक निर्माण के लिए सभापति महोदय यह बजट के आंकड़े योजना और गैर-योजना–योजना में आप पैसा खर्च करते जाइये, पैसा खर्च करते जाइये उसका भी एक परिणाम आयेगा, सभापति महोदय। आप योजना में अधिक खर्च करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो आपके दूसरे खर्चे भी बढ़ेंगे। आपका गैर-योजना खर्च भी बढ़ जाएगा। तो दोनों का सम्बन्ध है योजना के साथ गैर-योजना का भी और... योजना ही योजना से आप किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को बना नहीं सकते। योजना तो उसका एक आधार है। योजना सबसे पहले रूस की क्रान्ति के बाद लेनिन ने चालू की थी। उसी के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू समाजवाद और योजनाओं से प्रभावित थे, रूस की क्रान्ति के बाद जो विकास हुआ, जो तरक्की हुई उसका असर पण्डित जवाहर लाल जी पर था। तो उन्होंने हमारे यहां भी योजना का कार्यक्रम चालू किया। अकेली योजनाओं से, अकेले बजट से राजस्थान का विकास नहीं हो सकेगा। मैंने बजट सुना भी, पढ़ा भी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। बापू महात्मा गांधी ने आजादी के दरमियान ही देश के सामने स्पष्ट रूपरेखा दी थी कि भारत का निर्माण दिल्ली में या प्रदेशों में बैठकर नहीं हो सकता। भारत को यदि भारत बनाना है तो भारत में जो परम्पराएं हैं, भारत का निर्माण करना पड़ेगा, जब भारत का जो इतिहास है, उसी तरह से भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तब

(श्री रामनारायण चौधरी)

गांधी जी ने उसको देखा तो उसमें कहीं भी पंचायती राज का कोई जिक्र नहीं था। राजेन्द्र बाबू संविधान सभा के प्रेसीडेण्ट थे। आखिर में जाकर पंचायती राज को जोड़ा गया था। आज आप खर्चा करेंगे, प्लान अगर एक्जीक्यूट करेंगे तो घनश्याम जी कह रहे थे, गांवों में गंगा आ जाएगी। कैसे गंगा आ जाएगी, मैं माननीय घनश्याम जी से पूछना चाहता हूं। सारा पैसा अफसरों के पास जाएगा। अफसरों के बाद नीचे छोटे अफसरों के पास जाएगा। सारे भारत वर्ष में घूमने के बाद इस देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव जी गांधी ने देखा और सीखा कि जो पैसा दिल्ली से चलता है यह ग्राम आदमी के कितना काम में आता है। मैं वह फिगर आपको नहीं बताना चाहता आप तो उसको खुद जानते हैं सारा सदन जानता है।। उसका क्या इन्तजाम आपने इसमें सुझाया? इसमें आपने कह दिया, यह करेंगे वह करेंगे। अन्त में वह कहां जाएगा? यह पंचायत का प्रशासक जो आपने ग्राम सेवक को बना रखा है, यह गांव का पैसा वहां जाएगा। और यह कौन है? वह इस नौकर-शाही का नीचे का एक हिस्सा है। आज हो क्या रहा है, लोअर लेवल पर हो क्या रहा है? आप तो सब लोग अनुभवी हैं, आज गांव की जो प्लान बनकर आती है वह ग्राम सेवक अपने घर बैठकर एक वर्षीय, दो वर्षीय या तीन वर्षीय बनाता है। जो ग्राम सेवक बनाता है उस कार्य योजना के ऊपर अरबों रुपया खर्च होता है। ग्राम सेवक की योजना पर होता है जिसके अन्दर जनता और जनता के प्रतिनिधियों का कोई योग-दान नहीं होता। यदि है तो आप बता दीजिये कि आपका उसके अन्दर कितना योगदान है? मान्यवर, आप तो आज भी हैं और आज से पहले भी विधान सभा के माननीय सदस्य थे, चुनकर आये थे। वह सारी की सारी कार्य योजना ग्राम सेवक बनाता है और वह आती है डी.आर.डी.ए. में। डी.आर.डी.ए. के अधिकारी और कलक्टर मिलकर उसको निकाल देते हैं और यह पैसा ग्राम सेवक के पास चला जाता है। अभी घनश्याम जी कह रहे थे कि सेल्स टैक्स का छोटा-सा कर्मचारी करोड़पति हो गया, उसने बंगला बना लिया। छोटे से छोटे, अदने से अदने आदमी हैं उन्होंने इस तरह से अपनी हैसियत बना ली। मान्यवर, जब पंचायतें भंग हुई थी, उससे पहले की और आज के ग्राम सेवक की हैसियत की जान-कारी आप करवा दीजिये और आप भी कर लीजिये अपने मन में। आप कह दीजिये अपनी आत्मा से कि कितना बड़ा फर्क उसके अन्दर आया है। कितना उसके रुतबे मे आया है, कितना उसकी चाल में आया है, कितना उसकी ढाल में आया है और कितना उसके रहन-सहन में आया है। वह कैसे आया है? कहां से आया है? वह सारा का सारा पैसा वहां चला गया, आज स्थिति यह है। यह क्यों हुआ? मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है। माननीय घनश्यामजी बोल रहे थे कि गंगा राजस्थान के गांवों में उतरेगी। गंगा चली है लेकिन राजस्थान के गांवों में नहीं उतरेगी। वह अफसरों की जटा के अन्दर आकर उलझ गयी है अटक गयी है। वह जनता तक नहीं पहुंचेगी। मान्यवर, सबसे गलत काम हुआ 1977 में वर्तमान मुख्य मंत्री जब मुख्य मंत्री बने। और उसके बाद 1990 में। पता नहीं गांवों के प्रति

(श्री रामनारायण चौधरी)

और ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रति, जनतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति उनके दिल में, मन में क्या शंका, क्या आशंका और क्या नफरत है कि आते ही सबसे पहले उनकी कलम ग्राम पंचायतों को डिजाल्व करने, पंचायत समितियों को तोड़ने और जिला परिषदों को तोड़ने के लिए चली।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : यह सब भंवरलालजी करवाते हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आज ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। इस डाकूमेंण्ट के अन्दर कहीं यह जिक्र नहीं किया गया कि हम पंचायतों को मजबूत करेंगे। विकास का जो खर्चा है, जो विकास की गंगा शुरू होना चाहती है वह पंचायत की मार्फत हम लोगों को फायदा पहुचायेंगे इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। कब होंगे कब नहीं होंगे, कोई इसमें जिक्र नहीं। जो थोड़ी बहुत नगरपालिकाएं बनी हुई हैं जिनका चुनाव पहले हो गया था उनकी हालत भी अब सरकार दिन पर दिन ऐसी करती जा रही है कि कहीं किसी को सस्पेण्ड, कहीं किसी की इन्क्वायरी। हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय जब भी दौरे में जाते हैं पता नहीं इनको क्या आनन्द और मजा आता है कि जो निर्वाचित लोग हैं, फोरन कलक्टर और अपने अधिकारियों से कहेंगे कि इसकी इन्क्वायरी करालो और इसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजो। नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को, निर्वाचित लोगों को पीटने में इनको अत्यधिक आनन्द और मजा आता है। यह मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा करते हैं। मैं इटली के तानाशाह मुसोलिनी की जीवनी पढ़ रहा था। उसके कई बीवियां थीं। उसकी आदत थी, उसको चैन नहीं पड़ता था जब तक कि वह अपनी पत्नि को रोज रात में अत्यधिक पीट-पीटकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकाल देता था।

**श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) : शंकरिया कनपटीमार की तरह।

**श्री रामनारायण चौधरी** : माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय इन नगरपालिकाओं के निर्वाचित चेयरमैनों को, निर्वाचित माननीय सदस्यों को क्यों पीट-पीटकर बेरहमी से इस सारे आन्दोलन को कुचलना चाहते हैं, मेरे यह समझ में नहीं आता।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सदस्य, आप इतने बुजुर्ग सदस्य हैं. ऐसे अनर्गल काहे को आप आरोप लगाते हैं ? कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। किसको मार दिया किसको नहीं मार दिया।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अभी आज तीन घण्टे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही है, ज्वलन्त उदाहरण यही है। आप अपने दौरे में जहां-जहां भी गये हैं, अपनी छाती पर हाथ रख लीजिये, आप किस किसको, कहां-कहां, क्या-क्या कहकर आये हैं। मैं आपके दिमाग को ताजा नहीं करना चाहता परन्तु किसी का अनर्थ हो जाएगा। उसको आप और सस्पेण्ड करेंगे, उसके खिलाफ और जानकारी करेंगे। मैं उसका नाम नहीं प्रकट करना चाहता, आप अपनी छाती पर हाथ रख लीजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मेरी पर भी रख लूंगा और आपकी पर भी रख दूंगा।

**श्री रामनारायण चौधरी** : हमारे मुख्य मंत्रीजी का गांव में जन्म हुआ जो ठेठ देहात से राजस्थान के शीर्ष प्रशासनिक पद पर लोकतान्त्रिक तरीके से तीसरी दफा पहुंचे। यह कम इतिहास की बात नहीं है, यह उनके लिए कम क्रेडिटेबल नहीं है। विधान सभा क्षेत्र हो जाने के बाद अब की बार चुनाव में इन्होंने लगोट लगायी। सारे राजस्थान में ये घूमे और सब जगह इन्होंने चुनौती दी लेकिन इनकी लंगोट कोई पकड़ने वाला नहीं मिला। किसी ने इनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। वर्ना होता क्या है, कुश्ती के मैदान के अन्दर कोई घूमता है तो उसकी लंगोट पकड़ ली जाती है कि मेरी तरफ आओ, मेरे से हाथ मिलाओ। ये तो अनचैलेंज्ड सारे राजस्थान के अन्दर घूमते रहे। उदयपुर भी पहुंच गये, गंगानगर भी पहुंच गये और लोगों ने आपको मतों से जिताया। यह आपके अपने भाग्य में, जहां माननीय खेतसिंहजी मुकद्दर के सिकन्दर निकले, कुछ भी हो लेकिन तीसरी दफा मुख्य मंत्री बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ।

राजस्थान को इस बात की उम्मीद थी, मान्यवर, कि गांवों की संस्थाओं, गांवों के डवलपमेण्ट को, गांवों के विकास को इनके आने के बाद में, जैसा ये कहते थे, तरक्की होगी, उनको एक उत्साह मिलेगा लेकिन नहीं। कहीं आज तक उसका कोई जिक्र नहीं है। आज जिला परिषद् भंग पड़ी हैं, पंचायत समिति भंग हैं, पंचायतें भंग पड़ी हैं, आधी से ज्यादा नगरपालिकाएं 20–25 सालों से भंग पड़ी हैं। ये कहेंगे कि सैण्ट्रल एक्ट आ गया। तो सैण्ट्रल एक्ट तो आज, अब आया है। आज 1990 में मुख्य मंत्री बने थे उस वक्त आप सब चुनाव करवा सकते थे, नगरपालिकाओं के करवा सकते थे, पंचायतों के करा सकते थे, पंचायत समितियों के करा सकते थे जिला परिषदों के करा सकते थे लेकिन मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्रीजी को इन संस्थाओं के प्रति निष्ठा में कमी हमें प्रतीत होती है। मैं यह मानता हूं कि जो विकास गांवों का होना चाहिए, नौकर के हाथ से नहीं हो सकता और यदि हो सकता है, आज आप भी, आपके पास साधन हैं, जिस प्रकार राजीव गांधी ने गांव-गांव, झोपड़ी-झोपड़ी ढाणी-ढाणी में जाकर के हजारों लोगों, हजारों अधिकारियों, हजारों जन प्रतिनिधियों से, देश की हालत के बारे में, सरकारी धन के दुरुपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उनको एक नक्शा मिला था। तो मैं यह तो नहीं कहता कि गांवों और ढाणियों का नक्शा आपके दिमाग में नहीं है लेकिन वास्तविकता क्या है, सभापति महोदय, यह शासन करने वाले बड़े लोगों में और मुख्य मंत्री 3–3 दफा बनने के बाद गांवों से सम्पर्क टूट जाता है।

तो मैं यह चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके मार्फत ही ग्राम पंचायतों के चुनाव, पंचायत समितियों के चुनाव, जिला परिषदों के चुनाव और नगरपालिकाओं के चुनाव तुरन्त होने चाहिए ताकि यह विकास का जो कार्यक्रम, बजट जो दिया है उसका फायदा आम अवाम को जनता के प्रतिनिधियों के मार्फत वहां पर पहुंचे। आज सारा का सारा पैसा नौकर के हाथ से खर्च हो रहा है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त भी कहा था कि बिजली एक अहम मुद्दा सारे देश के लिए, प्रदेश के लिए है। इसमें जितनी अधिक आज बिजली देंगे उतना ही प्रदेश का विकास होगा। आज बिजली का प्रोग्राम है, यह उतना उत्साहपूर्वक नहीं है जितना होना चाहिए था। आज भी राजस्थान के 80 पर्सेण्ट गांवों का ही इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, 20 पर्सेण्ट और बाकी है और यह इलेक्ट्रिफिकेशन कभी का हो जाना चाहिए था जो आज तक नहीं हो पाया है। आपने तो गिनती के ही गांव लिये। 25 हजार कनेक्शन सिर्फ गांवों के किसानों को आप देना चाहते हैं। आप 25 हजार पूरे राजस्थान के अन्दर दे रहे हैं, इनमें 30 का भाग देने के बाद में 800-1000 के आस-पास एक जिले में आयेंगे। मान्यवर, 8-8, 10-10 साल से लोगों की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, उनका पैसा लगा हुआ है, कुआ बना हुआ है और यह काश्तकार बरबाद हो गया। आज उसको यह पता नहीं है कि इस योजना के हिसाब से कब तक उसको बिजली मिलेगी और कब अपने खेत के अन्दर पानी दे सकेगा। मान्यवर, बिजली की उपलब्धि और किसान का विकास, वे दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। आप कोई राजस्थान केनाल नहीं ला सकते। मान्यवर, अब राजस्थान की केनाल उधर चली गयी। अब यमुना का पानी आपको इस उम्र में, इस सदी में मिलने की सम्भावना नहीं है। मध्य प्रदेश आपको कुछ देने वाला नहीं है, गुजरात देने वाला नहीं है। तो आपके पास में एक ही रास्ता है कि गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन करो और गांवों के अन्दर कुओं को बिजली और काश्तकार को किस प्रकार से आप खुशहाल बना सकते हैं, यह प्रोग्राम बनाइये।

दूसरा, मान्यवर, आपने छोटे काश्तकारों के बारे में जिक्र किया है कि उनकी जो सिंचित भूमि है उसका लगान हमने माफ कर दिया। मान्यवर, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। 10-15 रुपये आज मामूली बात है, इसका कोई महत्व नहीं। किसी जमाने में 10 रुपये की बड़ी कीमत थी। आज आपके लिए पब्लिसिटी के लिए तो बहुत है लेकिन इसका वास्तविक असर नहीं पड़ने वाला है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आन्ध्र प्रदेश में, मान्यवर, छोटे काश्तकार और मझोले काश्तकार हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स हैं, वीकर सेक्शन हैं, उन लोगों के खेती के कुओं के बिजली के खर्चे का जिस प्रकार से वाटर वर्क्स सरकार देती है वैसे वहां पर वहां की सरकार उसको रिएम्बर्स करती है। तो मैं देखना चाहता था इस भाषण में कि छोटे और मझोले, वीकर सेक्शन, गरीब तबका, पिसा हुआ तबका आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट, ऐसे लोग जो कुओं में से 150-200 फुट नीचे से पानी लाकर के काश्त करते हैं, उनका बिजली का खर्चा सरकार खुद वहन करे और फिर उसके प्रोड्यूस को मार्केट मे लाकर के मदद करें अन्यथा राजस्थान केनाल, चम्बल और दूसरी योजनाओं में जो उत्पादन होगा, वह उनके मुकाबले में कैसे ठहर सकता है। कितना उस पर खर्चा आता है, आप खुद जानते हैं। आप भी तो खेती करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं, मान्यवर, कि छोटे किसानों का यह बिजली का खर्चा आपको

(श्री रामनारायण चौधरी)

सरकार की तरफ से फ्री करना चाहिए, मुफ्त करना चाहिए कि कुआ खोदो बिजली का कनेक्शन लो, खेती करो बिजली सरकार की तरफ से आपको मिलेगी। आप कहेंगे कि इतना कहां से लाऊं। जिस प्रकार से और आप खर्चा कर रहे हैं, वह खर्चा दो साल के लिए कम हो सकता है। इसमें करोड़ों रुपये बचाये जा सकते हैं। आपने 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ कई जगह पर, उससे कुछ नहीं होगा, वे ऐसे ही पैसे बंट जाएंगे और वास्तविक रिजल्ट जो प्रदेश की तरक्की के लिए आना चाहिए वह नहीं आयेगा। मेरी मांग है, मान्यवर, कि छोटे काश्तकारों को बिजली का बिल माफ होना चाहिए। सरकार को बिल चुकाना चाहिए।

अब मान्यवर, मैं आता हूं शिक्षा पर। आप स्कूल खोलते जा रहे हैं, खोलिये, मैं भी मानता हूं कि स्कूल खुलनी चाहिए। शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा और भारत सरकार की भी स्कीम है कि सबको आप शिक्षित बनाओ? लेकिन जो स्कूलें आज है, सभापति महोदय, उनकी क्या स्थिति हो रही है? आज एक सैकण्डरी स्कूल 5 अध्यापकों से चल रही है। 5 अध्यापकों में हैडमास्टर भी शामिल है। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं 5 कक्षाएं। अगर उनमें एक-एक सैक्शन भी हो तो 5 सैक्शन के अन्दर 5 अध्यापक चाहिए एक्सक्लूडिंग हैडमास्टर। पांच से स्कूल चल रही है। पांच क्या पढ़ायेंगे? मान्यवर, क्या वे होमवर्क देखेंगे? क्या वे क्लास वर्क देखेंगे? क्या करेंगे? आप ही अन्दाजा लगाइये। अगर जब पढ़ते थे, आप अपने हिसाब से लगा लीजिये। आप तो जर्मनी में जाकर भी पढ़े हैं। वहां क्या स्थिति है? सारे राजस्थान को आपने देखा है कि क्या 5 अध्यापक सैकण्डरी स्कूल चला सकते हैं। आप प्राइमरी स्कूलों को लीजिये। मान्यवर, ये पांच तो हैडमास्टर वहां का होने की वजह से, सैकण्डरी होने की वजह से टाइम पर जाते हैं और आते हैं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, सभापति महोदय, 50 पर्सेण्ट टीचर आज के दिन स्कूलों में नहीं जाते है। रोज का यह कार्यक्रम। तो आप स्कूल खोलते जाइये परन्तु शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

आपने बड़ी हमदर्दी दिखायी है, मान्यवर, माननीय कमलाजी जयपुर को दूसरी काशी बनाने की बहुत वकालत करती हैं। मान्यवर, मैं किसी भी माननीय सदस्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता कि काशी में क्या है। काशी के अन्दर सिवाय भूख के, आपसी झगड़े के और भारत वर्ष के किसान पैदा करने वाले के दिमाग के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं तो नहीं चाहता कि जयपुर को आप दूसरा काशी बना दो। जयपुर का अपना एक इतिहास है।

तो मान्यवर, आपने संस्कृत पर बड़ा जोर दिया है। संस्कृत इस देश की बहुत प्राचीन भाषा है। मैं अधिक इस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके भी बहुत समर्थक होंगे लेकिन यह आम अवाम की भाषा देश में नहीं बन सकती और आम अवाम की भाषा जब तक नहीं बनेगी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। आप हिन्दी पर जोर नहीं देना चाहते। मान्यवर, आपका बजट मैंने देखा है, सारा का सारा बजट अंग्रेजी में है। अगर आज भी हिन्दी को माननीय

(श्री रामनारायण चौधरी)

भैरोंसिंहजी के मुख्य मंत्री होने के बाद भी, जो उन्होंने आदेश भी दिया है, खुद हिन्दी में काम करते हैं, सारा बजट अंग्रेजी में है। देश की आजादी के 46 साल बाद राजस्थान जिसकी भाषा, बोली और चाली, खाना-पीना सारा हिन्दी और राजस्थानी में है उसमें भी पूरा बजट अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिन्दी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसको प्रश्रय देने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। संस्कृत के बारे में है। संस्कृत में आप क्या करेंगे? मुख्य मंत्री महोदय, जिसको पंडित बनायेंगे, क्या होगा? इसकी जगह तो मैं आपसे अनुमति लेकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप उर्दू पर जोर देते, तो उर्दू तो आज भी जनता की भाषा है, आप फारसी पर जोर देते। मान्यवर, आज हमारे आर्थिक और सामाजिक सम्बन्ध गल्फ कन्ट्रीज से बन रहे हैं, किसी जमाने में हमारी संस्कृति मिस्र से जुड़ी हुई थी, रोम और ग्रीस से जुड़ी हुई थी, आज हजारों वर्षों के बाद अगर फारसी और उर्दू पढ़े हुए लोग गल्फ कण्ट्रीज में जाएंगे तो आपस में संवाद होगा, आप संस्कृत के पढ़े भेजेंगे, हिन्दी को जो समझते हैं वह मेरे ख्याल से संस्कृत पढ़कर वहां जाएंगे तो, अव्वल तो जाएंगे नहीं और जाएंगे तो और रूलियाड़ा हो जाएगा। आप संस्कृत को पढ़ाइये, मैं संस्कृत का विरोध नहीं करता हूं लेकिन उसके साथ जो जनता की भाषा है, जनता की जो लेंग्वेज उर्दू है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए था। मान्यवर, आज उर्दू के समर्थक राजस्थान में भी 20 पर्सेण्ट लोग हैं, 20 पर्सेण्ट हैं। मैं माइनोरिटी की बात नहीं करता हूं और लोग भी बहुत हैं जो उर्दू के समर्थक हैं लेकिन संस्कृत के 5 पर्सेण्ट लोग भी आपको समर्थक नहीं मिलेंगे। किस प्रकार से आप 95 पर्सेण्ट लोगों के गले यह बात उतार देंगे कि संस्कृत से हमारा भला हो जाएगा, संस्कृत से हमारा उद्धार हो जाएगा। हम डरते हैं, अंग्रेजी को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। दीजिये, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, इससे भी ज्यादा दीजिये लेकिन खाली अंग्रेजी से कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं कि सारा लिट्रेचर साइंस का, इंजीनियरिंग का है वह अंग्रेजी में है और अंग्रेजी हमारी कमजोर हो जाएगी तो हमारा मुल्क पिछड़ जाएगा।

मान्यवर, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि जर्मनी में क्या अंग्रेजी है, रूस में क्या अंग्रेजी है, चीन में क्या अंग्रेजी है, जापान में क्या अंग्रेजी है, साउथ कोरिया छोटा सा मुल्क है उसमें क्या अंग्रजी है, थाईलेण्ड में क्या अंग्रेजी है? मान्यवर, अपने-अपने देश की अपनी-अपनी, अलग-अलग भाषा है और उन्होंने उसको डवलप किया है। हमारा दिमाग ही नहीं मान्यवर, सारा हमारा जो ब्लड है वह हजारों सालों की गुलामी सहने के बाद उसमें सब जगह इस प्रकार की गुलामी के कण भर गये हैं। इसलिए हम न भाषा के बारे में सोच पाते हैं और न अन्य दूसरी बातों के बारे में सोच पाते हैं और अंग्रेजी का राग अलापते रहते हैं। आज जो अंग्रेजी में भाषण देगा तो लोग कहेंगे की जोरदार बोला। जोरदार क्या बोला, न कोई समझा, न आप समझे। जो खुद नहीं समझा वह भी कहेगा कि बड़ा जोरदार भाषण दिया। इसलिए आज हम जो हमारी हिन्दी भाषा है उसको डवलप नहीं करते। हिन्दी को डवलप और विकसित

(श्री रामनारायण चौधरी)

करने के लिए आपने इसमें कहीं कुछ भी नहीं कहा है। कहीं आपने सोचा भी नहीं है और अगर आप भी नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी मेरे ख्याल से सोचने वाली भी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा आपके जमाने की याद कर लीजिये, आपके जमाने की प्राथमिक शिक्षा और आज के जमाने की प्राथमिक शिक्षा के अन्दर आप मिलान कर लीजिये। प्राथमिक शिक्षा, जो फाउण्डेशन है, बुनियाद है, नींव है, जड़ है, वह शिक्षा ही हमारी इतनी कमजोर और अधूरी हो जाएगी तो किस प्रकार से समाज आगे बढ़ेगा और किस प्रकार से भारत और राजस्थान खुशहाल होगा, कैसे आगे बढ़ेगा?

चिकित्सा के बारे में बड़ा जिक्र किया गया है। जयपुर में सुविधाएं मुख्य मंत्रीजी बढ़ा रहे हैं लेकिन गांवों के अन्दर जहां हास्पिटल्स हैं, वहां पर 15-15 दिन से, महीने-महीने भर डाक्टर्स नहीं जाते हैं। मैं अभी मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में गया था। वहां पर मैंने देखा कि औषधालयों के अन्दर कम्पाउण्डर्स वेतन उठा रहे हैं 6 महीने में एक दिन भी हाजरी नहीं करते हैं। अस्पताल खाली पड़े हैं, कम्पाउण्डर्स नहीं हैं, डाक्टर्स नहीं हैं, चपरासी है। एक चपरासी पट्टी बांध देता है और दवा भी लगा देता है, पट्टी भी कोई लाकर उसको दे देता है तो उसके बांध देता है। यह स्थिति स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले की है।

सभापति महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, आपकी घण्टी बजे वह भी मैं नहीं चाहूंगा। मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अविलम्ब चुनाव करवाये जाएं ताकि जनता का प्रतिनिधित्व हो, विकास का पैसा ठीक प्रकार से खर्च हो, गांवों के अन्दर प्राथमिक शिक्षा के ऊपर आप जोर दीजिये, उसमें सुधार कीजिये, उसको स्ट्रेंथन कीजिये और चिकित्सा जो एक अहम मुद्दा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिये।

श्री घनश्यामजी पीने के पानी का जिक्र कर रहे थे कि अकाल के अन्दर आबादी वहां ले जाकर बसा दी जाए जहां पानी हो। मान्यवर, चाणक्य के जमाने में तो कुण्डों और तलाइयों से पानी पीते थे कुए होते नहीं थे। आबादी को वहां ले जाकर बसा देते थे। उस समय जनसंख्या क्या थी, वह तलाइयों का पानी पीकर दिन व्यतीत करते थे। वह कौनसे जमाने की बात कह रहे थे?

चाणक्य से कोई विदेशी दूत मिलने आया था। उस समय वह अपनी झोपड़ी में चिमनी की रोशनी में बैठा हुआ काम कर रहा था मिट्टी के तेल का तो उस समय ईजाद भी नहीं था। तिल्ली के तेल के दिए की रोशनी से वह अपना काम कर रहा था। दूत आया, उसने खबर दी तो उसने उस चिमनी को बुझा दिया और दूत के आने के बाद दूसरी चिमनी को जलाया। उसने पूछा कि यह तो आपने बुझा दी और यह आपने कैसे जला ली? तो उन्होंने कहा कि जिस रोशनी में तेल खर्च कर रहा था वह तेल मेरा था और अब आप मेरे से मिलने के लिए आये हैं इसलिए अब मैं सरकार का

(श्री रामनारायण चौधरी)

खर्च करूंगा। उस वक्त ऐसी बात थी। आज कोई ऐसा हिसाब लगा सकता है ? दूत मिलने के लिए आये, वह सरकारी बात करने के लिए आया तो सरकार का तेल जला रहा है और उससे पहले खुद का काम कर रहा था, पढ़ रहा था इसलिए खुद का तेल जला रहा था। वह जमाना लद गया, मान्यवर, आज चाणक्य का युग नहीं है, आज आणविक युग है। आज भारत का वह युग है जहां हिन्दुस्तान आकाश में घूम रहा है, वहां से आपको सकेत मिल रहे हैं, उससे आपके टेलीविजन टेलीफोन और दूसरे सारे उपकरण चल रहे हैं। आज तो वह भारत है—जो भगवान राम के जमाने में उड़नखटोले उड़ा करते थे, तो लोग कल्पना करते थे कि उड़न खटोले भी होते हैं क्या ? आज के आधुनिक विकास को देख कर हम सब मान सकते हैं। अर्जुन का बाण था वह बींध करके, हमला करके, आक्रमण करके वापस उनके तरकस में लग जाता था। कौन कल्पना कर सकता था ? और आज हम सब मानने के लिए तैयार हैं कि ऐसा हो सकता है। वह जमाना दूसरा था और आज यह जमाना दूसरा है।

ये भगवान राम की बात तो करते हैं, मान्यवर, भगवान राम के नाम पर आज सत्तापक्ष में भी आये हैं लेकिन इनका कौनसा भगवान राम है, यही पूछ कर अपनी बात समाप्त करूंगा। महात्मा गांधी जब जिन्दा थे तो उनकी पोती ने उनसे पूछा कि बापू आप राम की बहुत चर्चा करते हैं, राम ने तो बड़े धोखे से बाली को मार दिया था। तो गांधीजी ने कहा कि नहीं, बेटी, मेरा राम वह नहीं है। तो वह बोली कि बापू आपका राम फिर कौनसा है ? वह बोले मेरा राम तो वह दशरथ पुत्र राम है जिसने पिता की आज्ञा मानकर राज छोड़ दिया, भरत को राज दे दिया और खुद बनवास में चला गया। मेरा राम तो वह है जब भरत वापस गया और कहा कि वापस चलिये, राज सम्भालिये, तो जिसने कहा कि नहीं मैं पिता की आज्ञा मानकर आया हूं, राज तुम करो, तुम्हारे लिए ही हुक्म है। मेरा राम तो वह है जिसने अग्नि परीक्षा के बाद एक अदने से आदमी द्वारा आक्षेप लगा देने पर पवित्र से पवित्र सीता माता को वनवास दे दिया था, एक आक्षेप पर। मेरा राम तो वह राम है।

मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आक्षेप पर आक्षेप, आज कोई वचन का पालन नहीं, फिर उनके कौनसे राम हैं ? यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

**श्री सभापति :** माननीय श्री शान्तिलाल चपलोत।

**श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) :** माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अद्वितीय बजट पेश किया है। इस देश में जितने स्टेट हैं और राजस्थान राज्य जब से बना है, मुझे भी कई बजट देखने का मौका हासिल हुआ है डिटेल्स से, पहली बार इस राजस्थान में इस प्रकार का बजट आया है। राजस्थान ही नहीं सारे हिन्दुस्तान भर में राजस्थान पहला स्टेट है जिसमें इस प्रकार का बजट हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आया है, सारे के सारे पहलुओं को इसमें छुआ गया है। यह कामना की गयी है कि "सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुखभागभवेत" यानी सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोगी हो, सब लोग अच्छे हो, इस प्रकार की कामना की गयी है। "सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय" का यह एक मात्र बजट पहली बार पेश हुआ है, उसके लिए मैं ही नहीं, सारे राजस्थान की जनता माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत का आभार व्यक्त करती है। मैं ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान की जनता इस बजट को देखेगी और वाहवाही के नारों से उद्घोषित करेगी आपको।

मैं, सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के किस तरीके के हालात हैं। हिन्दुस्तान में 2 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान है, उसमे से 2 लाख 8 हजार वर्ग किलोमीटर रेगिस्तान इस राजस्थान में है यानी 89 प्रतिशत हिन्दुस्तान का रेगिस्तान राजस्थान में मौजूद है, 10 प्रतिशत की बड़ी-बड़ी पहाड़ियां, जिसमें उपज कुछ हो ही नहीं सकती। कितनी डाइवर्सिटीज है कितनी एक-दूसरे से भिन्नता है। उस रेगिस्तान में इन्वेस्टमेन्ट करना, बजट को बनाना, बजट को क्रियान्वित करना, अपने आप में एक टेढ़ा और दुष्कर कार्य है। एक हरक्यूलिअस टास्क है। यह कोई आसान बात नहीं है। इस राजस्थान में पहले भी बजट बने, सन् 1978 में बजट बना, मात्र 235 करोड़ रुपये का और अब की बार जो योजना बनी है इस साल की, वह 2450 करोड़ रुपये की यानी 10 गुना। कहां कांग्रेस का शासन जहां बजट का ज्ञान नहीं, कहां कांग्रेस का शासन जहां बजट का पता नहीं। सभापति महोदय, किसको इस बजट में छुआ नहीं गया है? क्या शिक्षा, क्या काश्तकार। काश्तकारों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में 235 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं थे, 231 करोड़ रुपये होंगे, अब की बार 1286 करोड़ रुपये के आस पास इस पूरी योजना में लिया गया है और अब की बार जितनी पूंजी का विनियोजन कृषि कार्य के लिए किया गया है, किसी के लिए नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, एजुकेशन के मामले में 121 प्रतिशत की बढ़ोतरी अपने आप में एक कीर्तिमान है। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, शिक्षा मंत्रीजी को, बजट बनाने वालों को और मुख्य सचिव जी और वित्त सचिव जी को, जिन-जिन लोगों ने मिलकर इस बजट को बनाया है, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस तरीके से एक बेमिसाल बजट उन्होंने कायम किया है।

राजस्थान की सकल आय का 48 प्रतिशत केवल कृषि से आता है 80 प्रतिशत काश्तकार और सकल आय का 48 प्रतिशत उनसे पैदा होता है और 52 प्रतिशत की आय के जो दूसरे लोग बचे हैं क्या उन पर टैक्स लादा जाए, क्या उनको कृश किया जाए? इसलिए मैंने कहा है कि यह बजट 'सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय', सर्वे भवन्तु सुखिनः' की कामना से किया गया है। कितना टैक्स हटाया? लोग कहेंगे व्यापारियों के लिए बजट है। व्यापारियों के लिए नहीं है, यह काश्तकारों के लिए बजट है। किस तरीके से सैल्स टैक्स में कमी की गयी है, कहां 12 प्रतिशत सैल्स टैक्स, कहां 4 प्रतिशत सैल्स टैक्स। सारे के सारे काश्तकार अपना माल लेकर, अपनी

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

आयल सीड्स लेकर मण्डी में पहुंचते हैं और उनको जिस प्रकार जलील होना पड़ता था, उसको मिटाया है। हमारे पास के प्रदेश गुजरात में टैक्स की भरमार थोड़ी कम है, सारे के सारे लोग वहां से तेल लेकर आते हैं। राजस्थान में पहली बार इन 2–3 सालों में राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किया है। आयल सीड्स में हिन्दुस्तान में पहला स्थान, राजस्थान का जो आया है, वह 2–3 सालों के बजट के प्रभाव के कारण ही आया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा हरियाणा से लोग वाहन खरीदकर लाते थे, ट्रक लाते थे, गाड़ियां लाते थे, जिप्सियां लाते थे। हमारे पास में गुजरात है, गुजरात से लाते थे? वाहन मेला मध्य प्रदेश में लगता है, वहां से ले-लेकर आते थे। यहां टैक्स का एक इवेजन होता था। यहां की सरकार को टैक्स नहीं मिलता था, हमने 4 प्रतिशत टैक्स करके उनको बड़ी भारी छूट दी है।

माननीय सभापति महोदय, पी.वी.सी. की पाइप किसके काम आती है? यह काश्तकारों के काम आती है। इससे पानी की एक-एक बूंद की बचत तो होगी ही होगी, जो सोर्सेज हैं हमारे पास राजस्थान में आज की तारीख में, हिन्दुस्तान में जितना पानी है और जितनी इरिगेशन होती है, उसका एक प्रतिशत राजस्थान में है, इसलिए इस पानी की बचत करने के लिए पी.वी.सी. पाइप पर आधा टैक्स कम किया है और 6 प्रतिशत किया है। 6 प्रतिशत टैक्स कोई भारी टैक्स नहीं है। पी.वी.सी. पाइप पर छूट दी गयी है, यह काश्तकारों को सीधा लाभ पहुंचाने की एक प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। पहली बार कभी काश्तकार के बारे में सोचा गया है। तकाबियों के लिए बहुत तंग होते थे। विपक्ष के माननीय नेता फरमा रहे थे कि कितना फर्क पड़ता है, एक करोड़ 80 लाख रुपये की बकाया है और एक लाख लोगों पर बकाया है, एक लाख लोग इस जलालत से मुक्त होंगे। सन् 1972 में जब कांग्रेस का ढिंढोरा पीटा जा रहा था सारे हिन्दुस्तान में, उस समय की तकाबियां हैं। 5 रुपये कभी किसी कांग्रेस की हुकुमत ने माफ नहीं किये, ये तो माननीय भैरोंसिंह जी हैं जो दरियादिल हैं और काश्तकारों के हितैषी हैं, जिन्होंने पहली बार काश्तकारों के लिए इस प्रकार का टैक्स माफ किया है....

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : माननीय सदस्य, ये भूतपूर्व जागीरदारों का माफ हुआ है। गरीबों से तो सबसे वसूल किया है। सबसे पैसा वसूल किया।

**श्री सभापति** : कृपया व्यवधान नहीं डालें। जब आपका नम्बर आये तब आप अपनी बात कहना। अब सयम रखिये।

**श्री शान्तिलाल चपलोत** : यदि 100-100 रुपये की तकावी वाले जागीरदार हैं तो मैं कांग्रेस के लोगों का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि 100–100 रुपये के आपने इस तरीके से जागीरदार कर दिये हैं कि 100 रुपये की तकाबी उन पर रह गयी है। एक लाख लोगों से ज्यादा से ऊपर तकाबी माफ हुई है। इसके साथ-साथ खालों पर कर्जा माफ हुआ है। यह अपने आप में एक मिसाल है।

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

माननीय सभापति महोदय, सारे हिन्दुस्तान में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में बिजली की दर तीन रुपये प्रति यूनिट है और राजस्थान में काश्तकारों के लिए 45 पैसा प्रति यूनिट बिजली है ? काश्तकारों के लिए बिजली पर एक पैसे की बढ़ोतरी इस बजट में नहीं की गयी है जबकि केन्द्र सरकार का बराबर दबाव बना रहा। केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार से सब्सिडी को अलाऊ नहीं करती है, खाद पर सब्सिडी को अलाऊ नहीं करती है, बिजली पर सब्सिडी को अलाऊ नहीं करती है किन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज भी बिजली पर सब्सिडी लागू रखकर और उसको खतम नहीं करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं है, माननीय सभापति महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो प्रारम्भ ही नहीं हुआ है.... (व्यवधान)

**श्री सभापति** : देखिये, और भी लोग बोलने वाले हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बोलते जाइये। आगे लोग रह जाएंगे। (व्यवधान) बोलिये, बोलिये। मैंने तो सूचित किया है....

**श्री शान्तिलाल चपलोत** : सभापति महोदय, इस प्रान्त पर कितना कर्जा है ? 13,000 करोड़ रुपये तक की बात आयी है। 10 हजार 59 करोड़ रुपये के आस-पास कर्जा है, प्रति वर्ष हमको एक हजार 59 करोड़ रुपये उसके ब्याज का अदा करना पड़ेगा ?....

माननीय सभापति महोदय, आजादी के हिसाब से किसी भी स्टेट को ग्रांट इन एड नहीं देनी चाहिए। आबादी उत्तर प्रदेश की खूब है, विकसित स्टेट है। पश्चिमी बंगाल विकसित स्टेट है, महाराष्ट्र विकसित स्टेट है। महाराष्ट्र को आप उतना दो और राजस्थान को उसके मुकाबले में नहीं दो। जितना केन्द्रीय बजट है उसका 17 से 18 प्रतिशत महाराष्ट्र को जो एक डवलप स्टेट है, दिया जा रहा है ग्रान्ट इन एड के रूप में जबकि, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 2 पर्सेन्ट मिलता था और अबकी बार केन्द्र सरकार ने घटाकर राष्ट्रीय आय का कोई इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान में करना उचित नहीं समझा। आज 1·4 पर्सेन्ट राजस्थान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसे में राजस्थान की तरक्की कैसे हो सकती है ? बिजली के पोल लगाने के लिए सभी लोग मांग करते हैं। एक पोल ले जाइये, छितरी हुई आबादी है, तीन हजार लोगों को यदि बिजली पहुंचानी है तो आपको 13 किलोमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। यू. पी. में यह हालत नहीं है, पश्चिमी बंगाल में यह हालत नहीं है, हरियाणा में यह नहीं है, इसलिए उतना व्यय कम आता है, जबकि हमारा इस मामले में व्यय अधिक पड़ता है। ऐसी डाइवर्सिटीज को भी केन्द्र सरकार ने सामने नहीं रखा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरे स्टेट बोर्डर स्टेट नहीं हैं। राजस्थान एक बोर्डर स्टेट है। बोर्डर स्टेट के बारे में केन्द्र सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं रखा। बोर्डर के लिए, उसके रख-रखाव के लिए, कितनी

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, कितना धन खर्च करना पड़ता है लेकिन केन्द्र सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं इस विधान सभा के जरिए मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान का जितना कर्जा है इसको केन्द्रीय सरकार राइट ऑफ करे। हमने 300-350 करोड़ रुपया गरीब काश्तकारों का राइट-ऑफ किया है।

आज राजस्थान विकास के मामले में सबसे पीछे आता है। पर-केपिटा इन्कम देख लीजिये, हमारी ग्रोथ रेट देख लीजिये, पापूलेशन की हमारी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 28 है जबकि हिन्दुस्तान की 24 है। यहां ज्यादा है।

हमारा एजूकेशन और एजूकेशन का सिस्टम कम है। आज सन् 1951 में 9 पर्सेन्ट और सन् 1991 में 36 पर्सेन्ट। 38 पर्सेन्ट भी हो सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, केवल दस्तखत करा लेने मात्र से शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हो जाएगा उस परिस्थिति को देखकर कि राजस्थान कितना बैकवर्ड है, कितना आर्थिक रूप से कमजोर हालत में है। यह तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस दृष्टि से सघन प्रयत्न किये हैं, घाटे को मिटाया है। आज से पहले जब 1990 में सरकार चुनकर आयी तो बिजली की लाइट 4 मार्च को इस राजस्थान को बंद हो रही थी। पंजाब ने देने से मना कर दिया, जब तक आप पैसे का भुगतान नहीं करोगे तब तक हम आपको बिजली देने वाले नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस समय बिजली का बिल चुकाया। आते ही लीगेसी में तो हमको यह मिला। आते ही हमको मिला कर्जा। अबकी बार भी बहुत बड़ा घाटा दिया। यह घाटा ही हमको मिलता है। फिर भी राजस्थान का मैनेजमेंट अच्छा है। गत वर्ष की तुलना में हमारा बजट 44 प्रतिशत अधिक हुआ। हमारी योजना कितनी सराही गयी है। हमारी योजनाओं पर केन्द्र सरकार ने आंख लगा रखी है और कहते हैं कि राजस्थान का मैनेजमेंट हिन्दुस्तान में सर्वश्रेष्ठ है। आज हमें इस बात का फक्र है, गर्व है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है। गत बार 60 करोड़ के फालतू खर्चे हमने बचाये थे। इस तरीके से हम फालतू खर्चों को बचाकर 300-350 करोड़ का जो डेफिसिट है, उसको पूरा करना चाहते हैं। किस तरीके से हमने टैक्सेशन हटाये हैं। टैक्सेशन हटाने के बाद किस तरीके से जनता को हम राहत दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, हमारा रहन-सहन जिस प्रकार का है, जिस तरह की हमारी सारी स्थिति है, उसको देखते हुए केन्द्र सरकार राजस्थान का जितना कर्जा है उसको माफ करे।

इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार आयकर भी लेती है। केन्द्र सरकार रोड टैक्स लेती है, केन्द्र सरकार अन्य कई प्रकार के टैक्स लेती है, आक्ट्राय के लेती है, एक्साइज के लेती है, उसमें राजस्थान का हिस्सा ठीक

(श्री शांतिलाल चपलोत)

ढंग से नहीं दिया जा रहा है और वह इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि हमारी आबादी के हिसाब से वे हिसाब लगाते हैं। मेरा यह कहना है कि इस आय में 55 प्रतिशत हिस्सा राज्यों का तय किया जाना चाहिए। केन्द्र की सकल आय का। 55 प्रतिशत में एक तो केलेमेटिज के लिए खर्च हो जाएगा। 11 पर्सेन्ट दूसरों के लिए और जो बाकी 43 पर्सेन्ट बचा है उसको यदि 100 मान लिया जाए तो 20 पर्सेन्ट किसी और काम के लिए, 11 पर्सेण्ट और के लिए, 15 पर्सेण्ट किसी और के लिए, इस तरह से नियत किया जाना चाहिए। हमारे लिए अभी तक किसी प्रकार का केन्द्र सरकार ने निर्णय नहीं किया है और केन्द्र सरकार का रेलवे बजट आया, रेल का काम आया तो राजस्थान में कौनसी रेल लाइन बनाने की बात की गयी है? माननीय सभापति महोदय, उदयपुर एक परम्परागत नगर है लेकिन उसमें कभी भी रेलवे लाइन की बात नहीं की गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमें तरक्की करनी है, एक काश्तकार को यदि वह बैल से खेती करता है तो 16 रुपये पड़ते हैं, यदि वह डीजल से करता है तो 8 रुपये पड़ते हैं, यदि वह बिजली से करता है तो एक रुपये का खर्च आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट की तारीफ करता हूं....

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति :** क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** माननीय सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं और उनकी कोई रूचि नहीं है तो माननीय सदस्य जब तक बोलें तब तक समय बढ़ाया जाए।

**श्री सभापति :** समय नहीं बढ़ाया गया। ये तो 6 बजे समाप्त कर देंगे।

**श्री शान्तिलाल चपलोत :** माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 0.4 पर्सेन्ट, महाराष्ट्र में 16.7 पर्सेन्ट, यह जो डाइवर्सिटीज हैं, उससे चल नहीं सकेगा। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि 16 रुपया बैल से खेती करने पर पड़ता है और एक रुपया बिजली से करने पर पड़ता है। यदि बिजली पर थोड़ी टैरिफ बढ़ायी जाती तो राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पैसा आता और राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जा सकती थी।

**श्री मगराज चौधरी** (आहोर) : माननीय सदस्य यह फीगर कहां से लाये हैं?

**श्री सभापति :** आपका प्रश्न करना आवश्यक नहीं है।

**श्री मगराज चौधरी :** तो फिर फायदा क्या है बात का?

**श्री सभापति** : आप बिराजिये। आपका नम्बर आये तो बता देना कि गलत बोल रहे हैं। आप कितने मिनट और बोलेंगे ?

**श्री शांतिलाल चपलोत** : 5 मिनट और बोलूंगा।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

**श्री सभापति** : सदन का समय जब तक माननीय चपलोत साहब का भाषण पूरा न हो जाए, तब तक के लिए बढ़ाया जाता है।

**आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद**

**श्री शांतिलाल चपलोत** : माननीय सभापति महोदय, यदि बिजली की टैरिफ बढ़ायी जाती तो मैं समझता हूं कि उससे राजस्थान का ज्यादा भला होता। उससे पैसे की प्राप्ति होती और काश्तकारों के लिए पोल्स लाने में सुविधा होती। बिजली का नियमित भुगतान करने में सुविधा होती।

इसके साथ-साथ सिंचाई के साधनों का विकास किया गया परन्तु कई मिलें ऐसी हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां ऐसी हैं इनको पानी सस्ती दरों पर दिया जाता है।

(18.00)

सभापति महोदय, उसमें भी टैरिफ बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, और तो सब दिया गया है पर उदयपुर के विकास के लिए एक मानसी वाकल की योजना थी, मानसी वाकल की योजना को इसमें शायद शामिल नहीं किया गया है। मानसी वाकल की योजना कई वर्षों से लम्बित है और यह पानी सीधा गुजरात जा रहा है। अभी गुजरात का उस पर कोई डैम नहीं है, कल की तारीख में यदि गुजरात ने कोई डैम बना लिया तो वह क्लेम करने लग जाएगा और हम अपने पानी से वंचित रह जाएंगे। यदि मानसी वाकल का पानी उदयपुर पहुंचता है तो तीन सौ गावों में सिंचाई की सुविधा भी वहां हो सकती है। हिन्दुस्तान जिंक के जरिए 131 करोड़ रुपये की यह योजना बनायी गयी थी, उस पर थोड़ा-बहुत काम भी चलाकर हिन्दुस्तान जिंक केन्द्र सरकार की उदारीकरण की नीति के चक्कर में पड़ गया।....

**श्री सभापति** : कृपया संक्षिप्त कीजिये।

**श्री शांतिलाल चपलोत** : पांच मिनट कहा है।

**श्री सभापति** : हो रहे हैं पांच मिनट।

**श्री शांतिलाल चपलोत** : और उसकी वजह से हिन्दुस्तान जिंक घाटे में जा रहा है। हिन्दुस्तान जिंक इस योजना को पूरा करने को तैयार नहीं है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

एक महत्वपूर्ण योजना और हो सकती थी। उदयपुर में राक फास्फेट बहुत होता है। राक फास्फेट बाद में काम आता है पर उस पर आधारित कोई बड़ा उद्योग लगाने के लिए इस बजट में नहीं रखा गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रावधान करके बहुत बड़े कारखाने के रूप में इसको लिया जाए।

आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**श्री सभापति** : सदन की बैठक कल दिनांक 9 मार्च, 1994 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.03 बजे बुधवार, 9 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

## परिशिष्ट—1

### तारांकित प्रश्न संख्या 236 का विवरण

**वर्ष 1988–89 से 1992–93 तक सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी (सैद्धान्तिक) की प्रविष्ट एवं उत्तीर्ण के परिक्षार्थियों की सूचना**

**सैकण्डरी परीक्षा 1988–89 से 1992–93 उत्तीर्ण परीक्षार्थी**

| वर्ष | प्रविष्ट परीक्षार्थी | प्रथम श्रेणी | प्रतिशत | द्वितीय श्रेणी | प्रतिशत | तृतीय श्रेणी के पास | कुल उत्तीर्ण | उत्तीर्ण प्रतिशत | पूरक परीक्षार्थियों की संख्या | अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1988–89 | 308558 | 11664 | 9.5 | 40925 | 33.4 | 70029 | 122618 | 39.74 | 38652 | 147288 |
| 1989–90 | 307631 | 10902 | 8.7 | 34063 | 27.1 | 80842 | 125807 | 40.87 | 19983 | 162041 |
| 1990–91 | 347323 | 15742 | 11.2 | 46531 | 33.0 | 76586 | 140859 | 40.36 | 31065 | 175399 |
| 1991–92 | 355940 | 15996 | 11.3 | 44432 | 31.3 | 81647 | 142075 | 39.92 | 37785 | 176080 |
| 1992–93 | 377637 | 16279 | 10 4 | 45648 | 29.3 | 93851 | 155814 | 41.26 | 39476 | 182347 |

**सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा 1988–89 से 1992–93**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–89 | 54919 | 2797 | 8.4 | 16465 | 49.3 | 14164 | 33426 | 60.86 | 5337 | 16156 |
| 1989–90 | 112367 | 4960 | 7.8 | 28512 | 44.8 | 30163 | 63635 | 56.63 | 11165 | 37547 |
| 1990–91 | 173880 | 4665 | 5.0 | 34923 | 37.7 | 53155 | 92743 | 53.34 | 18080 | 63057 |
| 1991–92 | 165306 | 5234 | 6.3 | 32376 | 38.7 | 45944 | 63554 | 45.09 | 22708 | 79044 |
| 1992–93 | 193966 | 6136 | 7.3 | 33367 | 39.7 | 44527 | 84050 | 43.33 | 21947 | 87969 |

## परिशिष्ट—2

### तारांकित प्रश्न संख्या 239 का विवरण

| चिकित्सालय का नाम | हड़ताल की अवधि एवं विवरण | हड़ताल का कारण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर | 1. रेजीडेन्ट डाक्टर्स ने दि. 1-4-90 से 23-5-90 तक (53 दिन) तथा दि. 6-5-91 से 17-8-91, 24-8-91, 11-2-92, 18-6-92 से 23-6-92 (6 दिन), 3-10-92 3-12-93 से 12-12-93 (5 दिन) प्रतिकात्मक हड़ताल की। | स्टाइफन्ड में वृद्धि की मांग को लेकर तथा एकदिवसीय प्रतिकात्मक हड़ताल आगंतुको के दुर्व्यवहार के विरोध में की गई। |
| | 2. दि. 10-2-94 से 17-2-94 तक (8 दिन) रेडियोग्राफरों ने हड़ताल ली। | वेतन वृद्धि की मांग को लेकर। |
| | 3. नर्सिंग कर्मचारियों ने दि. 29-6-91 से 2-7-91 तक (4 दिन) तथा दि. 26-8-91 से 8-9-91 तक (13 दिन) हड़ताल की। | समय पर पदोन्नति एवं अन्य मांगों को लेकर। |
| 2. मेडिकल कालेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा | 1. 5-8-91 से 7-8-91 (3 दिन) रेजिडेन्ट डाक्टर्स की हड़ताल। | डा. आर. के. शर्मा तत्कालीन पी.एम.ओ. के साथ मारपीट। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 2. 6-8-91 से 7-8-91 (2 दिन) समस्त स्टाफ ने हड़ताल की। | असामाजिक तत्वों द्वारा नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट। |
| 3. मेडिकल कालेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर | 1. 28-9-92 को मेडिकल टीचर्स सामूहिक अवकाश पर रहे। | मांगों के सम्बन्ध में। |
| | 2. रेडियोग्राफर / डार्करूम असिस्टेंट 11-2-94 से 18-2-94 (8 दिन) तक हड़ताल पर रहे। | —यथा— |
| | 3. रेजिडेन्ट डाक्टर्स 4-12-93 से 9-12-93 तक (6 दिन) हड़ताल पर रहे। | रेजिडेन्ट डाक्टर के साथ अभद्र व्यवहार। |
| 4. मेडिकल कालेज, एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर | 1. रेडियोग्राफर दि. 10-2-94 से 18-2-94 तक (9 दिन) हड़ताल पर रहे। | वेतन वृद्धि की मांग को लेकर। |
| 5. मेडिकल कालेज, एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर | 1. गत 4 वर्षों में कोई हड़ताल नहीं। | कुछ नहीं। |
| 6. मेडिकल कालेज, एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर | 1. 13-1-90, 2-2-90, 17-3-90 टोकन हड़ताल। 1-4-90 से 21-5-90 (51 दिन) | रेजिडेन्ट डाक्टरों की मांगों के सम्बन्ध में। |
| | 3-9-90 टोकन हड़ताल | मंडल कमीशन के सम्बन्ध में। |
| | 5 एवं 6 अक्टूबर, 90 (2 दिन) | मांगों के सम्बन्ध में। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 2. 16-2-91, 7-5-91, 20-7 91 26-8-91, 25-9-91 टोकन हड़ताल। | मांगों एवं काटजू समिति के निर्णय लागू करने के सम्बन्ध में। |
| | 3. 11.6-92, 11-9-92 से 13-9-92 (3 दिन) | मांगों एवं हॉस्टल सम्बंधी मांगों के सम्बंध में। |
| | 4. 21-6-93 टोकन हड़ताल। | रेजिडेन्ट डाक्टर के साथ मारपीट। |
| | 11-12-93 टोकन हड़ताल। | मेडिकल कालेज, अजमेर के छात्रों के समर्थन में। |
| | 12-12-93 टोकन हड़ताल। | रेजिडेन्ट डाक्टर्स के पुलिस सम्बन्धी मुकदमे वापिस लेने। |

(134)



## परिशिष्ट —3

### तारांकित प्रश्न संख्या 241 का विवरण

### बंजर भूमि विकास योजना

भारत सरकार द्वारा योजना प्रारम्भ होने से माह जनवरी, 94 तक स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(राशि लाखों में)

| क्रम संख्या | जिले का नाम | वाटर शेड का नाम | परियोजना की कुल लागत | परियोजना का कार्यकाल | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | झालावाड़ | 1. डग | 230.62 | 5 | 189.68 |
| | | 2. बकानी | 190.88 | 5 | |
| | | 3. महाराजपुरा | 273.94 | | 54.17 |
| 2. | जोधपुर | 4. कायलाना | 349.70 | 5 | 127.38 |
| 3. | उदयपुर | 5. आवड़ | 421.77 | 4 | 74.14 |
| 4. | टौंक | 6. उनियारानिवाई | 304.00 | 5 | 72.10 |
| 5. | मीलवाड़ा | 7. हुरका बनेडा जहाजपुर | 320.00 | 5 | 95.35 |
| 6. | सीकर | 8. बालेश्वर | 397.19 | 4 | 140-00 |
| 7. | जयपुर | 9. धुंद नदी | 329.40 | 4 | 80.85 |
| | | 10. कूडस डेम | 153.22 | 5 | 49.01 |
| | | योग : | 2970.72 | | 881.68 |

(135)

## "बंजर भूमि विकास योजना"

### भारत सरकार के पास विचाराधीन परियोजनाएं

(राशि लाखों में)

| क्र.सं. | जिले का नाम | वाटर शेड का नाम | परियोजना की कुल लागत | परियोजना का कार्यकाल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जोधपुर | 1. जेलवा | 321.625 | 5 |
| 2. | जयपुर | 2. बांडी | 482.950 | 5 |
| 3. | झालावाड़ | 3. सुनेल | 298.210 | 5 |
| 4. | सवाई माधोपुर | 4. गोथला | 496.920 | 5 |
| | | 5. गुरला | 276.760 | 5 |
| | | 6. हांडोली | 371.089 | 5 |
| 5. | पाली | 7. सेदड़ा | 420.290 | 5 |
| | | 8. नाना | 387.590 | 5 |
| 6. | अजमेर | 9. डूमारा | 404.700 | 5 |
| 7. | राजसमन्द | 10. रावचा | 460.820 | 5 |
| | | 11. कूरज | 487.740 | 5 |
| | | 12. आमेट एवं भीम | 493.000 | 5 |
| 8. | अजमेर | 13. पनेरा वाटर शेड | 241.820 | 5 |
| 9. | उदयपुर | 14. पिछोला लेक | 323.940 | 4 |
| 10. | जयपुर | 15. चाकसू सीकाय कोन (स्वयं सेवी संस्था) | 25.500 | 3 |
| | | | 5492.754 | |

136



## परिशिष्ट—4

### तारांकित प्रश्न संख्या 245 की सूची

### विधान सभा क्षेत्र सांचौर में राजकीय संचालित कुल विद्यालयों की सूची

| क्र. सं. | नाम विद्यालय |
|---|---|

**राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय :—,**

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांचौर
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झाब
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरी

**राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की संख्या :—**

1. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सांचौर
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वितलबाना
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुर
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हाडेचा
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, साकड
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हेमागुडा
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डाबल
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मालवाडा (सांचौर)
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वरणवा
10. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लियादरा की ढाणी
11. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, केरीया
12. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अरणाय

**राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय :—**

1. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांचौर
2. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, कबूली की ढाणी
3. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाडेचा
4. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, झाब
5. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांचौर
6. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेबारियो का गोणिया

| क्र. सं. | नाम विद्यालय |
|---|---|
| 7. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीढाणी |
| 8. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरनाऊ |
| 9. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डेडवा |
| 10. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरवाना |
| 11. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कारोल |
| 12. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दठवा |
| 13. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भोटडा |
| 14. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बन्दाऊ |
| 15. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पांचला |
| 16. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवडा |
| 17. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भडवल |
| 18. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पमाणा |
| 19. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, विरोल |
| 20. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हरियाली |
| 21. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खारा |
| 22. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुराचन्द |
| 23. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भादरूणा |
| 24. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दांता |
| 25. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धमाणा का गोलिया |
| 26. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रणोदर |
| 27. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अचलपुर |
| 28. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, इटादा |
| 29. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोलासन |
| 30. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नेनोल |
| 31. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिमडावास |
| 32. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुरावा |
| 33. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाडेसर |
| 34. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिरोडी |
| 35. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंरवा |
| 36. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिछावाडी |
| 37. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डभाल |
| 38. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धानूता |
| 39. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बांबरला |

| क्र. सं. | नाम विद्यालय |
|---|---|
| 40. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंकोली |
| 41. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जानवी |
| 42. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सेवाडा |
| 43. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोड |
| 44. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौरा |

**राजकीय प्राथमिक विद्यालय :–**

1. राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय, नं.-2 सांचौर
2. राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय, न-3 सांचौर
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सांचौर
4. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मेगवालो का वास
5. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जटियो का वास
6. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डूंगरो का गोलिया
7. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रेबारियो का वास
8. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कांजा का गोलिया
9. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माखुपुरा
10. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोचियो का वास
11. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इन्द्रा कालोनी

138

**विधान सभा सांचोर के विद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना :—**

| विद्यालय का नाम | विषय | (रिक्त पद) उप प्रधा | प्र.अ. | व्या. | व.अ. | अध्या. | कब से रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रा.सी.उ मा.वि., | संस्कृत | — | — | 1 | — | — | 2/92 |
| सांचोर | रा.वि. | — | — | 1 | — | — | 4/90 |
| | रेंडियो ओवी | — | — | 1 | — | — | 7/90 |
| | भ्रा.वि. | — | — | 1 | — | — | 7/90 |
| | इति. | — | — | 1 | — | — | 4/90 |
| | चित्रकला | — | — | 1 | — | — | 7/90 |
| रा.सी.उ.मा.वि., | अंग्रेजी | — | — | 1 | — | — | 8/93 |
| झाब | वाणिज्य | — | — | 1 | — | — | 8/93 |
| | वाणिज्य इ.एफ.एम. | — | — | 1 | — | — | 8/93 |
| | लेखा शा. | — | — | 1 | — | — | 7/93 |
| | इतिहास | — | — | 1 | — | — | 8/91 |
| | ना. शा. | — | — | 1 | — | — | 9/88 |
| रा.सी.उ.मा.वि., | राज. वि. | — | 1 | 1 | — | — | 8/92, 2/92 |
| डूंगरी | इतिहास | — | — | 1 | — | — | 2/92 |
| | अंग्रेजी | — | — | 1 | — | — | 2/92 |
| | हिन्दी | — | — | 1 | — | — | 2/92 |
| रा.मा.वि., चितलवाना | विज्ञान | — | — | — | 1 | — | 8/93 |
| रा.मा.वि., पूर | — | — | 1 | — | — | — | 8/92 |
| रा.मा.वि., डाडेपा | विज्ञान | — | — | — | 1 | — | 8/93 |
| रा.मा.वि., सांकड | — | — | 1 | — | — | — | 9/92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रा.मा.वि., हेमागुढा | — | — | 1 | — | — | — | 9/93 |
| रा.मा.वि., डावल | — | — | 1 | — | — | — | 11/92 |
| रा.मा.वि., लियादरा | — | — | 1 | — | — | — | 10/93 |
| रा.बा.मा.वि., साचौर | जी.वि. | — | — | — | 1 | — | 16-1-93 |
| रा बा.उ.प्रा.वि., साचौर | सामा. | — | — | — | — | 2 | 11/93,1/94 |
| रा.उ.प्रा.वि., चौरा | सामा. | — | — | — | 1 | — | 4/1/94 |
| रा.उ.प्रा.वि., नेनोल | सामा. | — | — | — | 1 | — | 4/1/94 |
| रा.उ.प्रा.वि., दूठवा | शा.शि. | — | — | — | — | 1 | 9/93 |
| रा.उ.प्रा.वि., सरवाना | शा.शि. | — | — | — | — | 1 | 9/93 |
| | योग : | — | 06 | 16 | 05 | 04 | — |

## परिशिष्ट – 5

( समयाभाव के कारण सदन में नहीं किये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर )

### राज्य में लोक अदालतों की अवधारणा

247. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में लोक अदालतों की अवधारणा काफी हद तक सफल रही है ? यदि हां, तो इसका और विस्तार करने की सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार सस्ता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से लोक अदालतों की अवधारणा को कार्यपालिका के न्यायालयों पर भी लागू करने का विचार रखती है ताकि राजस्व, फौजदारी व अन्य छोटे-मोटे मुकदमें केम्प लगाकर निपटाये जा सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या, योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार जिला दण्डनायक व उप जिला दण्डनायक के न्यायालयों में पृथक न्यायधिकारियों की नियुक्ति कर इन न्यायालयों में न्याय में, पीठासीन अधिकारी के अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण हो रहे विलम्ब को दूर करने की इच्छुक है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो सरकार प्रत्येक जिले में विलम्ब के कारणों का पता लगाकर क्या उपचार करेगी ?

### उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य में लोक अदालत की अवधारणा काफी हद तक सफल रही है। राज्य में लोक अदालत के माध्यम से दिनांक 1-3-92 से 31-12-92 तक लगभग 1,63,000 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा मोटर वाहन दुर्घटना के 4,800 प्रकरण निस्तारित किये गये, जिनमें आहत् एवं पीड़ित पक्षकारों को लगभग 17 करोड़ 3 लाख रुपयों का मुआवजा दिलाया गया। लोक अदालत की अवधारण के अनुरुप बैंक, पारिवारिक प्रकरणों में न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने से पूर्व अर्थात् प्री-लीटीगेशन स्तर पर भी लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण किया जाना प्रारम्भ हुआ है जो निकट भविष्य में गति प्राप्त करने में समर्थ होगा।

(2) लोक अदालतों में राजस्व सम्बन्धी मुकदमें भी समय समय पर रखे गये हैं और उनका निस्तारण भी हुआ है। मुद्रांक कानून के अन्तर्गत इस तरह की लोक अदालते राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगाई जा रही हैं। अन्य मामलों में भी इस प्रकार की लोक अदालतें लगाने का मामला राजस्व विभाग के विचाराधीन है।

(3) जिला दण्डनायक व उप जिला दण्डनायकों को न्यायालय में पृथक से न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के

(विधि राज्य मंत्री)

कारण हो रहे विलम्ब को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और राजस्व मामलों में गवाहान के बयान दर्ज करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को लगाने का नियमों में प्रावधान किया गया है।

**मयंक मेडीकल हाल, सुजानगढ़**

248. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ के मयंक मेडीकल हाल पर राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा छाप डाला गया था ? यदि हां, तो इस मेडिकल हाल से राज्य कोष को कितना नुकसान हुआ ?

(2) अब विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**उत्तर**

(1) जी हां छापे के दौरान राज्य अन्वेषण ब्यूरो की प्रारम्भिक जांच से राज्य कोष को लगभग 8057/- रु. का नुकसान होने का पता चला है।

(2) राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विस्तृत जांच जारी है। जांच पूर्ण होने पर ही कोई कार्यवाही करना सम्भव होगा।

**खैरवाड़ा में चल रही शराब की अवैध दुकानें**

249. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा में देशी व अंग्रेजी शराब के ठेके की दुकानें है ? यदि हां, तो कितनी दुकानें कहां-कहां पर हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अंग्रेजी शराब की 17 दुकानें और गांवों में नाजायज रूप से चल रही है ? यदि हां, तो उनको रोकने की क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि अंग्रेजी शराब के ठेकेदार को देशी शराब बेचने का अधिकार नहीं होता ? यदि हां, तो विभिन्न दुकानों में देशी शराब क्यों बेची जाती हैं और उसे रोकने की क्या कार्यवाही हो रही है ?

**उत्तर**

(1) जी, हां। खैरवाड़ा वृत्त में देशी शराब की 4 एवं भारतीय निर्मित विदेशी शराब की दो दुकानें है। देशी शराब दुकानात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा खैरवाड़ा, परसाद, जयसमन्द एवं नैवा तलाई में स्वीकृत स्थल पर है। अंग्रेजी शराब की दुकान नाका बाजार एवं खैरवाड़ा में स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(3) यह सही है कि जनजाति क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के ठेकेदार को देशी शराब बेचने का अधिकार नहीं होता है। किन्तु, राज्य के अन्य सभी आबकारी समूहों में अंग्रेजी एवं देशी शराब के ठेकेदार एक ही है। अत: वे दोनों प्रकार की शराब बेचने के लिये अधिकृत है। किन्तु, अंग्रेजी शराब की दुकान

(आबकारी मंत्री)

पर देशी शराब नहीं बेची जा सकती है। जब भी ऐसा प्रकरण नोटिस में आता है उसके विरुद्ध अभियोग बनाये जाते है।

**विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के निर्माणाधीन खडीन एवं एनीकट**

**250. श्री महादेव सिंह (खण्डेला)**: क्या विशिष्ट योजना-संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला (सीकर) में खडीन व एनीकट निर्माण कार्य कहां-कहां चल रहे हैं तथा कहां-कहां प्रस्तावित है ? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खण्डेला क्षेत्र के पास दायरा, रामपुरा, चौकड़ी, गुहाला, भैरा-घाटेश्वर, गुसरा, कोटडी, ठिकरिया, केरपुरा, प्रीतमपुरी आदि गांवों में नदी किनारों पर एनीकट बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या खण्डेला शहर के बीच से गुजरने वाली काटली नदी के पानी को कहीं रोका जा रहा है ? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो इसे क्यों नहीं रोका जाकर आस-पास के कृषकों को लाभान्वित किया जाता है ? क्या इसे सरकार रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों तहत खडीन व एनीकट के कार्य निर्माणाधीन नहीं हैं किन्तु मोडेला, ठिकरिया व खण्डेला का एनीकट के प्रस्ताव सिंचाई विभाग में विचाराधीन हैं।

(3) खण्डेला क्षेत्र के ग्राम भैरा, ठीकरिया व घाटेश्वर में एनीकट्स निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र सिंचाई विभाग में प्राप्त हुए हैं, जिनके द्वारा इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम दायरा, रामपुरा, चौकड़ी, कोटढ़ी व केरपुरा से एनीकट निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र, भू-संरक्षण विभाग को प्राप्त हुए हैं, किन्तु विभाग द्वारा भू-संरक्षण व वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्य जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर ही सम्पादित करवाये जा रहे हैं। इकाईवार निर्माण कार्य (एनीकट इत्यादि) वर्तमान में नहीं करवाये जा रहे हैं।

(3) काटली नदी खण्डेला शहर के बीच से नहीं गुजरती है। खण्डेला शहर के बीच से दो नाले गुजरते हैं, जिनका पानी अंततः काटली नदी में मिल जाता है। इनमें से एक नाले को खण्डेला बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत रोका गया है तथा दूसरे नाले को रोके जाने का प्रस्ताव सिंचाई विभाग के विचाराधीन हैं।

**मुस्लिम मिरासी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करना**

**251. श्री परसराम मदेरणा (गुढा-मालानी)**: क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में पिछड़ा वर्ग की जातियों की जो सूची

(श्री परसराम मदेरणा)

जारी की गई है उसमें क्रम संख्या 96 पर मिरासी जाति अंकित है ? मिरासी जो केवल मिरासी तो है ही साथ ही मुस्लिम धर्म को मानते हैं वह शामिल हैं अथवा नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग राजस्थान द्वारा अपने पत्रांक ब-11 (8) आर. एन. डी./सकवी / 2445 दिनांक 9-5-90 के द्वारा जिला कलेक्टर बाड़मेर से ऐसे मिरासी जाति के लोग जो कि मिरासी जाति के है परन्तु मुस्लिम धर्म मानते हैं और उनकी मुख्य आजीविका का साधन कला कौशल के जरिये प्रदर्शन कर जीविकोपार्जन करना है के बारे में तत्कालीन जिला कलक्टर बाड़मेर से गहन सर्वे कराया है ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि जिला कलक्टर बाड़मेर में मिरासी जाति के लोग तो मुस्लिम धर्म मानते हैं परन्तु उसके पैतृक धन्धे के आधार पर सर्वे कर, सर्वे रिपोर्ट अपने पत्रांक विकास / 91/463 दिनांक 2-4-91 को मिरासी (मुस्लिम) को पिछड़ी जातियों में शामिल करने हेतु सिफारिश की है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों की सूची में क्रमांक 53 पर गोदी व क्रम सं. 63 पर जुलाहा जाति के मुस्लिम धर्म वालों के आगे कोस्टक में (मुस्लिम) लिखा है ? यदि हां, तो क्रमांक 96 पर अंकित मिरासी जाति के आगे कोस्टक में मुस्लिम क्यों नहीं लिखा गया तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या मन्शा है ?

(5) क्या यह सही है कि मिरासी जाति (मुस्लिम) जिनको बाद सर्वे पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है उन्हें जिला स्तर पर पिछड़ी जाति के प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं या नहीं ?

## उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 1-9-93 को अधिसूचित पिछड़े वर्ग/जातियों की सूची के क्रम संख्या 96 पर "मिरासी" अंकित हैं। उपरोक्त सूची के क्र.सं. 96 पर अंकित मेरासी, मिरासी के सम्मुख किसी धर्म का अंकन नहीं हैं।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने पत्रांक प-11 (8) / आर. एण्ड पी./ सकवि/27347 दिनांक 9-3-90 के द्वारा जिला कलक्टर बाडमेर से मिरासी जाति के सम्बन्ध में यह टिप्पणी चाही थी कि क्या मुस्लिमों में जातियां होती है। इनका मूल व्यवसाय क्या है, इनका शैक्षणिक स्तर कैसा हैं। यह भी अवगत कराने हेतु लिखा गया था कि यह बतायें कि बाडमेर जिले में इनकी जनसंख्या कितनी हैं।

(3) जिला कलक्टर, बाडमेर द्वारा उनके पत्रांक विकास / 91/462 दिनांक 2-4-91 नगर के द्वारा मिरासी जाति के सम्बन्ध में यह अवगत कराया कि :—

"मुस्लिम समाज में मिरासी नाम की जाति है। इनका मूल व्यवसाय गाना बजाना है इनका शैक्षणिक स्तर गिरा हुआ हैं तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुये एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। इस जिले में

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

इनकी जनसंख्या तहसीलवार निम्न प्रकार है :—

| तहसील का नाम | जन संख्या |
|---|---|
| (1) शिव | 1700 |
| (2) चौहटन | 599 |
| (3) बाडमेर | 2204 |
| (4) बायतु | 300 |
| (5) सिवाना | 200 |

तह. पचपदरा व गुढामलानी से सूचना प्राप्त नहीं हुई है इस सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदारों को स्मरण कराया गया है। इस सम्बन्ध में मिरासी समाज सुधार के महासचिव ने इस कार्यालय को बताया है कि तहसील गुढामलानी व पचपदरा में इस जाति के परिवार नहीं रहते हैं फिर भी उक्त सम्बन्धित तहसील से प्राप्त होने पर शीघ्र उपलब्ध करा दी जावेगी।

इससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से मिरासी जाति को अन्य पिछड़ी जाति में शामिल करने की अभिमंशा नहीं की गई है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों की सूची में क्रमांक 53 पर गोदी मुस्लिम तथा क्रम संख्या 63 पर जुलाहा (हिन्दू और मुस्लिम) अंकित है परन्तु क्रमांक 96 पर अंकित "मिरासी, मेरासी" जाति के आगे कोस्टक में मुस्लिम अंकित नहीं है यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के द्वारा जो अन्य पिछड़े वर्ग/जातियों की सूची दिनांक 1-9-93 के राजस्थान राजस्व विशेषांक में प्रकाशित समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या प-11 (125) आर. एण्ड पी./मकवि/46631 दिनांक 27-8-93 को अधिसूचित की है वह मण्डल आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लिये प्रस्तावित अन्य पिछड़े वर्ग/जातियों की सूची के अनुरूप हैं जिसमें 140 वर्ग/जातियां है। राज्य सरकार के द्वारा मण्डल आयोग के द्वारा प्रस्तावित अन्य पिछड़े वर्ग/जातियों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां तक राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्ग/जातियों की सूची में संशोधन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-11-92 की पालना में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 11-3-93 के माध्यम से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति / जन जातियों को छोड़ कर पिछड़े वर्ग की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रार्थनायें तथा उक्त सूची में कम समावेश तथा अधिक समावेश सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर राज्य सरकार को सुझाव देगा जिस पर राज्य सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जावेगा। मिरासी जाति के सम्बन्ध में मुस्लिम या हिन्दू के शामिल होने के बारे में आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(5) मिरासी जाति को उक्त सूची में जिला कलक्टर, बाडमेर के पत्रांक 2-4-91 के आधार पर सम्मिलित नहीं किया गया है वरन् "मेरासी, मिरासी" 6 का अंकन

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

अन्य पिछड़ी जाति/वर्गों की सूची में मण्डल आयोग के द्वारा प्रस्तावित सूची के अनुरूप ही किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों/जातियों की सूची में सम्मिलित जातियों/वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के क्रम में आदेश आर्थिक विभाग द्वारा दिनांक 25-11-93 से दिये जा चुके हैं।

**जोधपुर जिले में चारा डिपो**

252. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का अकाल राहत के अन्तर्गत पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने एवं पेयजल संकट से ग्रस्त गांवों एवं ढाणियों में टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) जोधपुर जिले में पंचायत समिति वार कहां-कहां चारा डिपो खोले गये हैं एवं कहां-कहां पेयजल टैंकर लगाये गये हैं इसके सरकार ने क्या मानदण्ड तय किये हैं ?

(3) क्या पूर्व वर्षों में खोले गये सभी चारा डिपो भुगतान हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से एवं कहां-कहां पर किन कारणों से भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार चारा उपलब्ध करवाने के लिए चारा डिपो खोलने एवं विभागीय टैंकरों एवं किराये पर लिए गए ट्रैक्टर ट्रोलियों तथा ऊंटगाड़ियों आदि के माध्यम से पेयजल परिवहन करने के लिए जिला कलक्टर्स को आदेश दिए जा चुके हैं और इसके लिए वांछित धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।

(2) जोधपुर जिले में फरवरी माह में चारा डिपो नहीं खोले गये। आवश्यकतानुसार मार्च में चारा डिपो खोले जायेंगे।

जोधपुर जिले में वर्तमान में निम्न प्रकार टैंकर्स पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लगाए गए है :—

| क्र. सं. | नाम तहसील | टैंकरों की स. |
|---|---|---|
| 1. | शेरगढ़ | 5 |
| 2. | फलौदी | 3 |
| 3. | ओसियां | 2 |
| 4. | बिलाड़ा | 1 |
| 5. | भोपालगढ़ | 1 |
| 6. | जोधपुर | 2 |
| | योग :— | 14 |

जहां पर्याप्त संख्या में टैंकर्स उपलब्ध नहीं है अथवा दूर दराज के गांवों अथवा ढाणियां जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल योजनाएं नहीं है, उन क्षेत्रों में ट्रेक्टर ट्रोली या ऊंटगाड़ी/बैलगाड़ी आदि का उपयोग कर पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। पेयजल परिवहन के लिए विभागीय टैंकर्स के अलावा अन्य साधनों का उपयोग केवल उन्हीं गांवों में पेयजल उप-

(अकाल राहत राज्य मंत्री)

लब्ध करवाने के लिए किया जावेगा जो पेयजल समस्याग्रस्त हों तथा जिनमें 3 किलोमीटर की परिधि में पेयजल का श्रोत नहीं हो।

(3) जी नहीं। अभाव वर्ष 2043 एवं संवत 2044 में चारा डिपो खोलने वाली कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं के चारा परिवहन अनुदान से सम्बन्धित भुगतान अभी बकाया है। चारा परिवहन अनुदान के बिलों मे विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतों के कारण यह भुगतान रोके गये थे। बकाया भुगतान 11 जिलों के 293 संस्थाओं से सम्बन्धित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ठ–"क")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गयी।)

## सुनारिया बांध के विस्थापितों को मुआवजा

253. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सुनारिया बांध का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या तालाब से प्रभावित काश्तकारों को भूमि का मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो कितनों को? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त बांध में प्रभावितों को घर, जमीन, वृक्ष का मुआवजा किस दर से दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या दिया गया मुआवजा उचित है?

उत्तर

(1) जी हां। सभी प्रभावित काश्तकारों को भूमि का मुआवजा दे दिया गया है।

(2) अ. जमीन का मुआवजा निम्न दर से दिया गया है :—

सिंचित भूमि 5500/- रु. प्रति एकड़

असिंचित भूमि 3750/- रु. प्रति एकड़

ब. घरों का मुआवजा विभागीय बी. एस. आर के अनुसार न्यूनतम 1832 रुपये से अधिकतम 40,350 रुपये तक निर्धारित किया गया।

स. पेड़ों का मुआवजा उनकी किस्म व आकार को ध्यान में रखकर विभागीय बी. एस. आर. के अनुसार निर्धारित किया गया है। निर्धारित किया गया मुआवजा नियमानुसार है। अतः उचित है।

## कन्या विद्यालयो का क्रमोन्नयन

254. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार आगामी वर्ष में छात्राओं के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयो में क्रमोन्नत

(श्री हरिसिंह)

करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन मानदण्डों के अनुसार क्रमोन्नत किये जायेंगे ?

(2) सरकार छात्राओं के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल अगामी वर्ष में किन मानदण्डों के अनुसार खोलने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हा । प्राप्त प्रस्तावों में से बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नति को प्राथमिकता दी जा सकेगी । क्रमोन्नत करते समय गांव की जनसंख्या विद्यालय की अन्तिम कक्षा को छात्र संख्या, फीडर विद्यालयों की संख्या, निकटतम सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों की दूरी, वित्तीय सीमा आदि पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जा सकेंगे ।

(2) सरकार विद्यालय क्रमोन्नति के समय क्षेत्रीय मांग, जनसंख्या, विद्यालय एवं अन्तिम कक्षा की छात्रा संख्या, फीडर विद्यालयों की संख्या, निकटतम सीनियर सैकण्डरी विद्यालय की उपलब्धता तथा दूरी पर विचार कर वित्तीय सीमा में गुणावगुणों के आधार पर विचार करती हैं ।

**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिजौलिया की एक्सरे मशीन**

255. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजौलिया में कोई एक्सरे मशीन लगी हुई है ? यदि हां, तो क्या यह वर्तमान में चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इसे चालू करने के लिए कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक चालू हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्तमान में एक्सरे मशीन तकनीकी खराबी के कारण चालू नहीं है ।

(2) जी हां, एक्सरे मशीन अतिशीघ्र चालू हो जावेगी ।

**घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रम**

256. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ राजकीय उपक्रम घाटे में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से, कब कब से तथा अब तक इनमें कितना-कितना घाटा हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपक्रम के सही आंकलन व सुधार के सम्बन्ध में सुधार देने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो कब तथा समिति ने क्या रिपोर्ट दी ? रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) उपरोक्त उपक्रमों के बारे में सरकार की क्या योजना है तथा रिपोर्ट के अनुसार अब क्या कदम उठाया जाना है ?

### उत्तर

(1) जी हां। जो राजकीय उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उनका पिछले 5 वर्षों में रहे घाटे का विवरण दिनांक 31-3-92 को संचित हानि सहित सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "अ")

(2) श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में अक्टूबर, 91 में राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन राजकीय उपक्रमों के कार्यों का विस्तृत पुनरावलोकन कर उनके कार्य प्रणाली में सुधार लाने एवं लगातार घाटे में चल रहे उपक्रमों को बन्द करने सम्बन्धी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु किया गया था। समिति ने अपना प्रथम प्रतिवेदन ? उपक्रमों बाबत दिनांक 27 जून, 1992 को प्रस्तुत किया। दूसरा प्रतिवेदन 4 उपक्रमों बाबत दिनांक 15-11-92 को प्रस्तुत किया। समिति के प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष अभी विचाराधीन है। समिति की मुख्य अनुशंषाऐं सदन के पटल पर रख दी गयी हैं। (परिशिष्ट "अ")

(3) समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करने के उपरान्त समुचित कार्यवाही की जावेगी। सरकार घाटा देने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उपादेयता पुनर्जीवन की सम्भावना, श्रमिकों के हित आदि महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

### खाजूवाला में छात्रावास की स्वीकृति

257. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्र खाजुवाला में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कोई छात्रावास नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अन्तर्गत इस क्षेत्र के लिए छात्रावास स्वीकृत करना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार छात्रावास की कब तक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी हां। खाजूवाला में समाज कल्याण विभाग का कोई छात्रावास संचालित नहीं है।

(2) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई छात्रावास खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। अन्य योजना में नवीन छात्रावास खोला जाना स्थानीय आवश्यकता का आंकलन एवं सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

### तहसील शेरगढ़ में पेयजल व्यवस्था

258. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या अकाल राहत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ में पीने के पानी के लिए इस अकाल में कितने टेंकर स्वीकृत

(श्री खेनसिंह राठौड़)

किये गये है व कितने गांव व मजरों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है ?

(2) इस अकाल के दौरान पीने के पानी की समस्या को मिटाने के लिये जिन गांवों में हैण्डपम्प खोदे जा सकते हैं क्या उनमें हैण्डपम्प लगाये जाने की योजना है? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ में पीने के पानी के लिए अभाव वर्ष संवत् 2050 में वर्तमान में 5 टैंकर स्वीकृत किए गए हैं। यह टैंकर्स इस तहसील के 22 राजस्व गांवों की 96 ढाणी क्षेत्र की 20.215 जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवायेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने जहां आवश्यकता हो ऊंट-गाड़ी टैंकर, ट्रैक्टर ट्रोली व टैंकर को किराये पर लेकर उसके माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं।

(2) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्षेत्र में पूर्व से लगे 380 हैण्डपम्पों के अतिरिक्त 21 हैण्डपम्प लगाये जाने की योजना है। जिन गांवों में हैण्ड-पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है उनकी सूची परिशिष्ट "3" पर प्रस्तुत है।

**हैण्ड पम्पों की सूची**

| क्र. सं. | गांव का नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बिराई | 1 |
| 2. | डेरियां | 1 |
| 3. | सियादां | 2 |
| 4. | बालेसरसत्ता | 2 |
| 5. | भालु अनुपगढ़ | 2 |
| 6. | लालपुरा | 1 |
| 7. | चांदसमा | 1 |
| 8. | कलाउ | 1 |
| 9. | सूखमण्डला | 1 |
| 10. | देवाणिया | 1 |
| 11. | मेरिया | 1 |
| 12. | बालेसर दुर्गावता | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | भालू रतनगढ़ | 1 |
| 14. | भालू राजवा | 2 |
| 15. | चांचलवा | 1 |
| 16. | देड़ा | 1 |
| | योग :- | 21 |

ह./–
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
जिल खण्ड–II, जोधपुर ।

## छापी परियोजना से प्रभावित किसानों का मुआवजा

259. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हरिशचन्द्र सागर, भीमसागर, तथा छापी परियोजना से प्रभावित समस्त कृषकों को उनकी भूमि का मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक यह भुगतान कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि छापी परियोजना पर चल रहे नहर के निर्माण कार्य से प्रभावित कुछ किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार नष्ट की गई फसल के मुआवजे का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) इन तीनों परियोजनाओं के समस्त कृषकों को मुआवजे का भुगतान भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। हरिशचन्द्र सागर एवं भीमसागर परियोजनाओं का शेष मुआवजे का भुगतान वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक किए जाने का लक्ष्य है ।

छापी परियोजना का कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। काश्तकारों की भूमि डूब में आने से पहिलें, मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त अप्रोच रोड के लिए, 7 कृषकों के अतिरिक्त अन्य सभी काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है । 2 कृषकों ने न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है, तथा 5 कृषकों की भूमि की अवाप्ति कार्यवाही शेष है तथा इनको वर्ष 1994-95 के अन्त तक मुआवजे का भुगतान करने का लक्ष्य है ।

(सिचाई मंत्री)

(2) जी हां। काश्तकारों के खेतों में परियोजना का कार्य काश्तकारों की मौखिक सहमति के बाद प्रारम्भ किया गया था। किन्तु बाद में ऐतराज करने पर कार्य बन्द कर दिया गया। सरकार नष्ट की गई फसल का मुआवजा देगी।

**दानपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन**

260. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) राज्य सरकार इस क्षेत्र के किन-किन प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र में 51 उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्नानुसार है :—

| छात्र | छात्रा |
|---|---|
| 44 | 07 |

(2) वर्ष 1994-95 के क्रमोन्नति प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय सीमा में निर्धारित मानदण्ड एवं गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

**प्रदेश से संक्रामक रोगों का उन्मूलन**

261. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में किन-किन संक्रामक रोगों का उन्मूलन कर दिया गया है ?

(2) वे संक्रामक रोग कौन-कौन से हैं जिनका उन्मूलन अभी किया जाना शेष है तथा सरकार की ओर से इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में चेचक रोग का उन्मूलन किया जा चुका है।

(2) नारू रोग, कुष्ठ रोग एवं मलेरिया आदि का अभी तक उन्मूलन नहीं हो सका है, जिनके लिए राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। उन्मूलन कार्य-क्रम के अन्तर्गत मुख्यतया: सर्वेक्षण उपचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि गतिविधियां संचालित की जा रही है।

**राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया**

262. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में उद्योग लगाने की क्या-क्या योजनायें किस-किस प्रकार की हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक प्रकार के उद्योग लगाने में क्या-क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है ?

(श्री कुबेर सिंह)

(3) क्या सरकार जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण कर लोगों को उद्योग लगाने में प्रोत्साहन देने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उद्योग लगाने हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योगों को अलग अलग प्रक्रियाओं की पूर्ति करनी होती है इनमें से मुख्य प्रक्रियाएं परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिन जिन प्रमुख जटिल प्रक्रियाओं का राज्य सरकार द्वारा सरलीकरण किया गया है उनका विवरण परिशिष्ट "स" संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार और क्या क्या सरलीकरण किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

**परिशिष्ट "अ"**

उद्यमियों को उद्योग के चयन से लेकर उत्पादन प्रारम्भ करने तक विभाग वांछित सहयोग करता है। छोटे उद्यमियों को उद्योग स्थापना में जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर मार्गदर्शन सेवायें व सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी प्रकार उद्यमियों को उद्योग के चयन एवं वित्तीय सहायता एवं सुविधाओं एवं सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने, उद्योग हेतु मशीनों के चयन आदि में मार्गदर्शन देने हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर इण्डस्ट्रीयल इन्फोरमेशन ब्यूरो की स्थापना की गई है। सभी जिला उद्योग केन्द्रों में भी इसी प्रकार के गाईडेंस ब्यूरो की स्थापना की गई है। वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग की स्थापना में उद्यमियों को मार्गदर्शन एव सभी सुविधा के विभिन्न विभागों/नियमों के माध्यम से मुहैया कराने हेतु एस्कोट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन की स्थापना की गई है। इसका कार्यालय भी उद्योग भवन में ही स्थित है। विदेशी कोलेबोरेशन एवं विदेशी नियोजन को राज्य में आकर्षित करने हेतु भी ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन को नोडल ऐजेंसी बनाया गया है।

उद्यमियों की सुविधा के लिए सभी जिलों का औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 तैयार कर लिया गया है तथा यह सभी जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध है। इन प्रतिवेदनों में प्रत्येक जिले में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित सम्भावित उद्योगों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उद्योग निदेशालय द्वारा लगभग 400 छोटी परियोजनाएं तैयार कर जिला उद्योग केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई है जिनके लगाये जाने की सम्भावना राज्य में उपलब्ध है।

राजस्थान वित्त निगम तथा रीको में भी उद्यमियों को मार्गदर्शन देने हेतु प्रकोष्ट स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न स्थानों एवं राज्य के बाहर भी समय-समय पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किये जाते हैं जिनमें भावी उद्यमियों को राज्य मे उद्योग लगाने हेतु प्रेरित किया जाता हैं।

हाथकरघा के विकास के लिए उद्योग निदेशालय एव राजस्थान हाथकरघा विकास निगम तथा राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के माध्यम से अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण दस्तकारों एवं कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अलवर में जिला उद्योग केन्द्र, के माध्यम से काष्ठ कला एवं धातु कला में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। चर्म उद्योग में लगे कारीगरों को बेहतर तकनीकी का प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाकर प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार की सहायता से नागौर में हस्त औजार बनाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु एक केन्द्र, स्थापित है तभी हाथकरघा में तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु जोधपुर में अखिल भारतीय हाथकरघा संस्थान कार्यरत है। महिलाओं को उद्योगों एवं व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के 25 जिलों में गृह उद्योग प्रशिक्षण योजनाएं प्रचलित की जा रही है।

**परिशिष्ट "ब"**

उद्योग लगाने हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगों को भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं की पूर्ति करनी होती है। इनमें से कुछ मुख्य प्रक्रियायें निम्नानुसार है :—

(अ) भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति, 1991 के अनुसार 14 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी औद्योगिक इकाईयों को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया है। उपर्युक्त 14 प्रकार के उद्योगों को छोडकर सभी वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अब इण्डस्ट्रियल इन्टरप्रिन्योरस मेमोरण्डम भरकर भारत सरकार के उद्योग मत्रालय में सेक्रेटेरियट ऑफ इण्डस्ट्रीयल एप्रूवल को रु. 1000 के ड्राफ्ट के साथ आवेदन करना होता है।

(ब) शत प्रतिशत निर्यातक इकाई के रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित प्रपत्र में नोयेडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को आवेदन करना होता है।

(स) लघु उद्योगों के अस्थाई पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में आवेदन जिला उद्योग केन्द्र में करना होता है।

(द) प्रदूषण कारक इकाईयों को राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है।

(इ) रीको के विकसित क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है।

(ई) कृषि भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र व शुल्क के साथ आवेदन करना होता है।

(क) वित्त के लिए राजस्थान वित्त निगम, बैंक अथवा रीको में निर्धारित प्रपत्र तथा शुल्क के साथ आवेदन करना होता है।

(ख) विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत भार के अनुरूप राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सक्षम अधिकारी को आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ करना होता है।

(ग) उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात् लघु उद्योगों को स्थाई पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होता है।

परिशिष्ट "स"

अनेक प्रक्रियाओं में सरलीकरण किया जा चुका है जिनमें प्रमुख इस प्रकार है: —

1. लघु उद्योगों के लिए अस्थाई एवं स्थाई पंजीयन की सरलीकृत प्रक्रिया दिनांक 1-1-94 से लागू की गई है।

2. अस्थाई पंजीयन की वैधता अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाये जाने की शक्तियां जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदान की गई है।

3. औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि की लीज डीड के निष्पादन की शक्तियां जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदत्त की गई है।

4. जिला उद्योग केन्द्रों के उपकेन्द्रों पर पदस्थापित अधिकारियों को भी पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई ताकि उद्यमियों को अपने कार्य के लिए जिला मुख्यालय पर बार-बार न जाना पड़े।

5. पूंजी विनियोजन अनुदान योजना के अन्तर्गत 50.00 लाख तक के विनियोजन के अनुदान की स्वीकृति की शक्ति जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर प्रदत्त की गई है।

6. लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों के बिक्री कर मुक्ति/वास्थान की स्वीकृति की शक्तियां जिला स्तर पर प्रदत्त की गई है।

7. लघु उद्योग इकाईयों को डीजल जनरेटिंग सेट क्रय पर अनुदान, परीक्षण यंत्र अनुदान एवं आई.एस.आई. मार्क पर अनुदान स्वीकृत करने की शक्तियां जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदत्त की गई है।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु नये नियम वर्ष 1992 में लागू किये गये हैं जिनमें रूपान्तरण की प्रक्रिया सरल कर दी गई है।

9. 112 लघु उद्योगों की लघु सूची प्रकाशित की गई जिन्हें राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से मुक्त रखा गया है।

10. राजस्थान वित्त निगम द्वारा 10.00 लाख रु. तक के ऋण की स्वीकृति के अधिकार शाखा स्तर पर हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।

**गुड़गांवा नहर के पानी से सिंचाई**

**263. श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गुड़गांवा नहर में गत पांच वर्षों में कब-कब कितना-कितना पानी छोड़ा गया है ?

(2) क्या यह पानी सिंचाई आवश्यकता के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए क्या-क्या व्यवस्था करेगी ?

**उत्तर**

(1) गुड़गांवा नहर में गत 5 वर्षों में राजस्थान के उपयोग हेतु जो पानी छोड़ा गया है, उसका विवरण निम्नानुसार है :—

| | |
|---|---|
| वर्ष 1989 | 15 करोड़ घन फीट |
| वर्ष 1990 | 144.1 करोड़ घन फीट |
| वर्ष 1991 | 21.7 करोड़ घन फीट |
| वर्ष 1992 | 156.7 करोड़ घन फीट |
| वर्ष 1993 | 136.5 करोड़ घन फीट |

(2) यह पानी सिंचाई आवश्यकता के अनुरूप तो नहीं है परन्तु राजस्थान को मिलने वाले पानी मात्रा उत्तर प्रदेश की मांग पूरी होने के पश्चात् बचने वाले सरप्लस पानी पर निर्भर करती है। फिर भी सम्बन्धित राज्य सरकारों से बात कर अधिक पानी प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

**शिक्षा विभाग में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति**

**264. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय, झुंझुनूं से अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति के क्या कारण हैं ?

(2) जिन विद्यालयों के अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के बार-बार निवेदन करने पर भी उनके यहां से प्रतिनियुक्ति के कारण खाली हुये पदों पर अध्यापकों की पूर्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

(1) जी हां। व्याख्याता के 2 पद रिक्त रहने के कारण पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 वरिष्ठ अध्यापकों को प्रतिनियुक्त किया गया था।

(सिचाई मंत्री)

(2) प्रधानाध्यापकों द्वारा निवेदन करने पर उक्त प्रतिनियुक्तियां निरस्त कर दी गई है ।

**जनाना अस्पताल, अलवर**

**265. श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल, अलवर, पोस्टमार्टम स्कीम के अन्तर्गत महिला चिकित्सा के स्वीकृत 4 पदों के विरुद्ध पुरुष चिकित्सकों को नियुक्ति देकर उनसे नियम विरुद्ध सामान्य चिकित्सालय में कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस विसंगति को सरकार कब तक दूर करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सामान्य चिकित्सालय, अलवर में कनिष्ट विशेषज्ञ चर्म रोग, मेडिकल ज्यूरिस्ट व दन्त चिकित्सक के पदों पर कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन के चिकित्सक नियुक्त किये हुये हैं जिससे सामान्य नागरिकों को वांछनीय विशेषज्ञों की सेवा नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि सामान्य चिकित्सालय अलवर, के लिए सोनोग्राफी मशीन की करीब 3 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो अभी तक मशीन चिकित्सालय को नहीं भिजवाने के क्या कारण है ?

(4) क्या यह भी सही है कि चिकित्सालय की लिफ्ट कई वर्षों से खराब है ? यदि हां, तो इसे ठीक करवाने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जनाना अस्पताल, अलवर में पोस्ट मार्टम स्कीम के अन्तर्गत 4 चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं, महिला चिकित्सक का पद अलग से स्वीकृत नहीं है । इनके अतिरिक्त वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) एवं प्रभारी के पद पर डा. (श्रीमति) पुष्पलता जैन पदस्थापित है । जनाना अस्पताल एवं सामान्य चिकित्सालय, अलवर करीब करीब आमने सामने स्थापित है तथा आवश्यकता होने पर जनाना अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सकों से सामान्य चिकित्सालय में कार्य करवाया जाना स्वाभाविक एवं सामान्य है, जो नियम विरुद्ध होना प्रतीत नहीं होता । आवश्यकता पड़ने पर सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सकों की सेवाऐं जनाना अस्पताल में लिया जाना अवांछनीय नहीं है ।

(2) जी हां, वांछनीय विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण विशेषज्ञ विशेष की सेवाऐं प्रदान नहीं कराया जाना अस्वाभाविक नहीं है । विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विशेषज्ञों के पद भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां, वित्तीय वर्ष 1991-92 में सोनोग्राफी मशीन स्वीकृत की गई थी । सोनोग्राफी मशीन विदेश से आयात की जाती है इसके लिए कस्टम डयूटी एग्जमशन प्रमाण-पत्र आदि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

करना अनिवार्य है जिसके उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उक्त मशीन क्रय नहीं की जा सकी है।

(4) जी हां, लिफ्ट ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में कार्यरत सीमेण्ट उद्योग

**266. श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस-किस जिले में कितने लघु व बड़े सीमेंट उद्योग कार्यरत हैं एवं कितने नए उद्योग किस-किस जिले में लगने प्रस्तावित हैं?

(2) क्या सरकार नागौर जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लाइम-स्टोन व जिप्सम को देखते हुए सीमेंट उद्योग की स्थापना को प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 22 बड़े (वृहद एवं मध्यम) एव 152 लघु सीमेंट उद्योग स्थापित हैं तथा 9 बड़े (वृहद एवं मध्यम) 79 लघु सीमेंट उद्योग लगने प्रस्तावित हैं। जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है तथा राज्य में (नागौर जिले सहित) संसाधनों पर आधारित लगने वाले मध्यम एवं वृहद सीमेंट उद्योगों को स्थाई पूंजी विनियोजन हेतु 5% अतिरिक्त (अधिकतम 20 लाख रुपये तक) का पूंजी विनियोजन अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट उद्योगों में नई स्थापित होने वाली ईकाई की मशीनों के क्रय पर बिक्री कर में छूट प्रदान की जाती है। वर्तमान में नागौर में दो बड़े सीमेंट प्लांट स्थापित हो चुके हैं तथा 10 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता का बड़ा सीमेंट प्लांट प्रस्तावित है।

## राज्य में स्थापित एवं प्रस्तावित सीमेन्ट उद्योगों की जिलेवार सूचना

| क्र.सं. | जिले का नाम | बड़े उद्योग (वृहद/मध्यम | | लघु उद्योग | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थापित | प्रस्तावित | स्थापित | प्रस्तावित |
| 1. | जयपुर | 1 | — | 14 | 11 |
| 2. | अजमेर | 1 | — | 3 | 1 |
| 3. | अलवर | — | — | 32 | 3 |
| 4. | भीलवाड़ा | — | 1 | 6 | — |
| 5. | जोधपुर | 2 | — | 20 | 21 |
| 6. | कोटा | 2 | 1 | — | 1 |
| 7. | पाली | — | 1 | 5 | 2 |
| 8. | उदयपुर | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9. | बांसवाड़ा | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10. | भरतपुर | — | — | — | 1 |
| 11. | बीकानेर | — | — | 5 | 1 |
| 12. | चित्तौड़गढ़ | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | झुन्झुनू | 1 | — | 3 | 1 |
| 14. | नागौर | 2 | 1 | 17 | 6 |
| 15. | गंगानगर | — | — | — | — |
| 16. | सवाईमाधोपुर | 1 | — | 1 | — |
| 17. | सीकर | 2 | — | 17 | 5 |
| 18. | टोंक | — | — | — | — |
| 19. | बाडमेर | — | — | — | — |
| 20. | बूंदी | 1 | 2 | — | — |
| 21. | चुरू | — | — | 13 | 5 |
| 22. | डूंगरपुर | — | — | — | — |
| 23. | जैसलमेर | — | — | — | — |
| 24. | जालोर | — | — | — | — |
| 25. | झालावाड़ | — | — | — | — |
| 26. | सिरोही | 3 | — | 10 | 1 |
| 27. | धौलपुर | — | — | — | — |
| 28. | दौसा | — | — | — | 1 |
| 29. | राजसमन्द | — | — | 1 | — |
| 30. | बारां | — | — | — | — |
| | कुल योग : | 22 | 3 | 152 | 69 |

**सहायक छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पद**

267. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग में सहायक छात्रावास अधीक्षकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन पदों हेतु दो वर्ष पूर्व साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो इन पर क्या अन्तिम निर्णय लिया गया ? यदि निर्णय लिया गया तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन पदों के रिक्त रहते हुए भी कार्य सन्तोषजनक रूप से चल रहा है ? यदि नहीं, तो इसके सुधार की क्या योजना हैं ?

(4) क्या विभाग में पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी के लिए निर्धारित धनराशि पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इसकी वृद्धि की क्या योजना है ?

**उत्तर**

(1) विभाग में सहायक छात्रावास अधीक्षकों के 115 पद वेतन शृंखला 6 में रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। निर्णय विचाराधीन है।

(3) इन पदों के रिक्त होने से छात्रावासों के संचालन में कठिनाईयां तो आ रही है, किन्तु फिर भी विभाग सुचारु व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील है।

(4) पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी हेतु वर्तमान राशि पर्याप्त है। फिर भी इसमें वृद्धि किया जाना सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**वेतन संख्या 6 के रिक्त सहायक छात्रावास अधीक्षकों के पदों की सूची**

| क्र.सं. | नाम जिला | छात्रावास का नाम | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अजमेर | एस सी. अजमेर (कन्या) | 22.6.93 |
| 2. | अलवर | एस.सी. अलवर (कन्या) | 22.6.93 |
| 3. | बांसवाड़ा | एस.सी कुशलगढ़ (कन्या) | 31.8 92 |
| 4. | ,, | एस.सी. बढ़ी सरवा | 30 7.93 |
| 5. | ,, | एस टी. घाटोल (कन्या) | 21.9.89 |
| 6. | ,, | एस.टी. सज्जनगढ़ (कन्या) | 22.6.93 |
| 7. | भीलवाड़ा | एस.सी. कोटड़ी | 10.5.89 |
| 8. | ,, | एस.सी. आमली | 6.8.88 |
| 9. | ,, | एस.सी. जहाजपुर (कन्या) | 26.8.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | भीलवाड़ा | एस टी. पारोली | 27.2.88 |
| 11. | ,, | डी.टी. नागोर | 21.9.88 |
| 12. | ,, | एस.सी. करेड़ा | 22.5.92 |
| 13. | बीकानेर | एस.सी. लूणकरणसर | वर्ष 93 |
| 14. | ,, | एस.सी. कोलायत | 31.7.92 |
| 15. | ,, | एस.सी. विज्ज | 3.1.91 |
| 16. | ,, | एस सी. नोखा | 17.9.93 |
| 17. | ,, | एस.सी. दियातरा | 91-92 |
| 18. | ,, | एस.सी. वादनू | 91-92 |
| 19. | बांरा | एस.सी. कवई | 8.2.91 |
| 20. | ,, | स्वच्छकार छात्रावास अटरू (कन्या) | 27.2.89 |
| 21. | ,, | एस.टी. नाहरगढ़ (कन्या) | 16.1.88 |
| 22. | ,, | एस.टी. समरमिया (कन्या) | 27.2.88 |
| 23. | ,, | एस टी. गरड़ा (कन्या) | 27.2.89 |
| 24. | ,, | एस टी. मंगरोल | 31.7.93 |
| 25. | ,, | एस टी. बांरा (कन्या) | 18.12.91 |
| 26. | ,, | डी टी. पाली | 20.6.91 |
| 27. | बूंदी | एस.सी. लक्ष्मीपुरा | 22.9.93 |
| 28. | ,, | एस.सी. बून्दी (कन्या) | 22.6.93 |
| 29. | ,, | एस.सी. लाखेरी | 10.1.94 |
| 30. | बाडमेर | डी टी. पचपदरा | 26.6.91 |
| 31. | ,, | एस.सी. बाकासर | 4.1.91 |
| 32. | ,, | एस.सी. पादरू | 21.9.87 |
| 33. | ,, | एस.सी. शिव (गूंगा) | 4.1.91 |
| 34. | ,, | एस.सी. पाटोदी | 31.8.91 |
| 35. | ,, | एस.सी. मोकलसर | 22.5.92 |
| 36. | ,, | एस.सी. बाडमेर (कन्या) | 22.6.93 |

(162)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 37. | चित्तौड़गढ़ | स्वच्छकार छात्रावास चित्तौडगढ़ | 26.12.92 |
| 38. | ,, | स्वच्छकार छात्रावास डूंगला | 30.8.91 |
| 39. | ,, | एस सी. बांसी | 23.7.92 |
| 40. | ,, | एस.टी. बाराबरदा | 7.2.92 |
| 41. | ,, | एस टी. सामलगढ़ | 14.8.92 |
| 42. | ,, | एस टी. दालोट | 16.6.89 |
| 43. | ,, | एस.टी. गन्देर | 6.5.93 |
| 44. | ,, | एस.टी. धामोतर (कन्या) | 22.6.93 |
| 45. | ,, | एस.टी. बेगू (कन्या) | 22.6.93 |
| 46. | ,, | एस टी. रावतभाटा | 25.1.94 |
| 47. | चुरू | एस सी. तारानगर | 25.1.94 |
| 48. | दौसा | एस.सी. दौसा (कन्या) | 22.6.93 |
| 49. | धौलपुर | एस सी. धौलपुर (कन्या) | 27.2.89 |
| 50. | डूंगरपुर | एस.टी. सावला (कन्या) | 30.6.93 |
| 51. | ,, | एस टी. देवल | 8.1.91 |
| 52. | ,, | एस.टी. आसपुर | 17.9.93 |
| 53. | ,, | एस टी. गन्धवसपाल | 10.1.94 |
| 54. | ,, | एस.टी. कुचियावड़ा (कन्या) | 28.8.89 |
| 55. | ,, | एस टी. बोखलापाल | 27.2.89 |
| 56. | ,, | एस टी. चिखली (कन्या) | 21.9.89 |
| 57. | ,, | एस टी. बिच्छीवाड़ा (कन्या) | 22.5.92 |
| 58. | ,, | एस.टी. सिमलवाड़ा | 10 1.94 |
| 59. | ,, | एस.टी. पुनाली (कन्या) | 22.6.93 |
| 60. | गंगानगर | एस.सी. अनूपगढ़ | 91-92 |
| 61. | ,, | एस.सी. विजयनगर (कन्या) | 27.7.91 |
| 62. | ,, | एस.सी. घड़साना | 27.7.91 |
| 63. | ,, | स्वच्छकार छात्रावास रायसिंहनगर (कन्या) | 7.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 54. | गंगानगर | डी.टी. मुकलावा | 27.7.91 |
| 65. | ,, | स्वच्छकार छात्रावास 365 हैड | 20.6.91 |
| 66. | जयपुर | एस.टी. जमरावारामगढ़ | 25.1.94 |
| 67. | ,, | स्वच्छकार छात्रावास, जयपुर | 20.1.94 |
| 68. | जोधपुर | एस.सी. पीपाड शहर (कन्या) | 27.2.89 |
| 69. | ,, | स्वच्छकार छात्रावास जोधपुर (कन्या) | 22.11.88 |
| 70. | ,, | डी.टी. जोधपुर | 22.6.93 |
| 71. | जैसलमेर | एस.सी. नाचना | 3.8.91 |
| 72. | ,, | एस.सी. रामगढ़ | 31.1.91 |
| 73. | ,, | एस.सी. रामदेवरा | 14.8.92 |
| 74. | ,, | एस.सी. खीयां | 30.7.92 |
| 75. | ,, | एस.सी. मोहनगढ़ (कन्या) | 5.7.91 |
| 76. | झालावाड़ | एस.टी. अकलेरा | 2.7.91 |
| 77. | ,, | एस.टी. मनोहर थाना | 20.6.91 |
| 78. | ,, | एस.टी. सारोला | 22.5.92 |
| 79. | ,, | एस टी झालावाड़ (कन्या) | 22.6.93 |
| 80. | जालोर | स्वच्छकार छात्रावास यायला | 14.8.91 |
| 81. | ,, | एस.टी. भीनमाल | 30.7.93 |
| 82. | ,, | एस.टी. रानीवाड़ा | 22.5.92 |
| 83. | ,, | एस सी जालोर (कन्या) | 22.6 93 |
| 84. | कोटा | एस टी. बपावर | 31.8.91 |
| 85. | ,, | एस.सी. रामगंज मण्डी | 10.10.91 |
| 86. | ,, | एस.टी. सुल्तानपुर | 20.6.91 |
| 87. | नागौर | एस.सी. नागौर (कन्या) | 15.9.87 |
| 88. | पाली | एस.सी. सादड़ी | 26.6.91 |
| 89. | ,, | एस.सी. बेड़ा | 21.9.89 |
| 90. | ,, | एस.सी. आनन्दपुर कालू | 20.6.91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 91. | ,, | एस.सी. खोड़ | 22.5.92 |
| 92. | ,, | एस.सी. पाली (कन्या) | 22.6.93 |
| 93. | राजसमन्द | स्वच्छकार छात्रावास देवगढ़ | 24.7.82 |
| 94. | ,, | एस.सी. राजसमन्द (कन्या) | 22.6 93 |
| 95. | सवाईमाधोपुर | एस टी. सवाईमाधोपुर (कन्या) | वर्ष 92 से |
| 96. | ,, | एस.सी. टोडाभीम | 10.1.94 |
| 97. | ,, | एस.टी. करौली (कन्या) | 22 6.93 |
| 98. | सीकर | स्वच्छकार छात्रावास सीकर (कन्या) | 27.2.87 |
| 99. | सीरोही | एस सी शिवगंज | 27.2.84 |
| 100. | ,, | एस.सी. अनादरा | 4.8.86 |
| 101. | ,, | एस.टी. आबू पर्वत (कन्या) | 30.6.90 |
| 102. | ,, | एस.टी. देलदर | 1.1.90 |
| 103. | ,, | एस टी. अवपुरा | 23.12.91 |
| 104. | ,, | एस.टी. कैलाश नगर | 27.2.89 |
| 105. | टोंक | एस.टी. टोंक (कन्या) | 22.6.93 |
| 106. | उदयपुर | एस.टी कोटड़ा (कन्या) | 28.12.89 |
| 107. | ,, | एस.टी. चांवड़ (कन्या) | 1.8.93 |
| 108. | ,, | एस.टी. भीण्डर | 20.7.92 |
| 109. | ,, | एस.टी. बावलवाड़ा | 7.8.86 |
| 110. | ,, | एस.टी गोराना | 19.6 93 |
| 111. | ,, | एस.टी. जवाखा | 27 2.89 |
| 112. | ,, | एस.टी. नाई (कन्या) | 27.1.94 |
| 113. | ,, | एस.टी. भाड़ोल (कन्या) | 10.10.00 |
| 114. | ,, | एस.टी. मेहरपुर (कन्या) | 22.5.92 |
| 115. | ,, | एस.टी. उदयपुर (कन्या) | 22.6.93 |

**ग्राम-नारपुरा तहसील आमेर में एनीकट निर्माण**

**268. श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम नारपुरा तहसील आमेर में वर्ष 1986-87 में एनीकट का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या उक्त राशि का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्बन्ध में तत्कालीन कलक्टर, जयपुर को कोई पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई ?

**उत्तर**

(1) जी हां। इस कार्य पर कुल 1.15 लाख रुपयों का व्यय हुआ।

(2) जी नहीं। भुगतान के समय कुछ श्रमिकों के उपस्थित न होने के कारण उन्हें भुगतान नहीं किया जा सका।

(3) जी हां। अनपेड राशि के भुगतान हेतु सम्बन्धित श्रमिकों द्वारा उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

**बेरोजगार शिक्षकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति**

**269. श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार शिक्षा विभाग में सभी श्रेणी के पदों पर बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के तहत ?

**उत्तर**

राज्य सरकार स्वीकृत पदों में से जितने पद रिक्त हैं उस सीमा तक नियम एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार बेरोजगारों को नियुक्ति देने का विचार रखती है।

**कोटा मेडिकल कॉलेज का नया भवन**

**270. श्री अर्जुनदास मदान** (लाड़पुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा मेडिकल कालेज अपने भवन में कब तक शुरू हो जायेगा ?

(2) उक्त मेडिकल कालेज के अन्तर्गत सम्बन्धित चिकित्सालयों में कौन-कौन सी विशेषताएं विकसित की जायेंगी ?

**उत्तर**

(1) आशा है कि सन् 1996-97 तक कोटा मेडिकल कालेज भवन का निर्माण पूरा हो जायेगा तथा उसके बाद कोटा मेडिकल कालेज अपने भवन में शुरू हो जायेगा।

(2) अभी मेडिकल कालेज कोटा में 22 विषयों के अध्यापन की व्यवस्था है था इनसे संबंधित चिकित्सकीय सुविधाएं सम्बद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध है। कालेज

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

के पूर्ण रूप से फंक्शनल हो जाने के उपरान्त ही विशिष्ठ चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

**देशी एवं विदेशी शराब के नमूने का परीक्षण**

**271. श्री रामनारायण (नैनवां) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देशी एवं विदेशी शराब की दुकानों से वर्ष 1991-92 से अब तक कितने सैम्पल लिये गये ?

(2) कितने सैम्पल स्टेण्डर्ड के अनुसार पाये गये और कितने नहीं ?

(3) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) देशी एवं विदेशी शराब के निम्न अनुसार सैम्पल लिये गये :—

| वर्ष | देशी | विदेशी | कुल योग |
|---|---|---|---|
| 1991–92 | 69 | 91 | 160 |
| 1992–93 | 378 | 281 | 659 |
| 1993 दिसम्बर 93 तक | 2079 | 479 | 2558 |

| (2) वर्ष | सही पाये गये | | गलत पाये गये | | जांच रिपोर्ट नहीं आई | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | देशी | विदेशी | देशी | विदेशी | देशी | विदेशी | |
| 1991–92 | 60 | 91 | 9 | — | — | — | 160 |
| 1992–93 | 327 | 268 | 51 | 13 | — | — | 659 |
| 1993 दिस. 93 तक | 1715 | 445 | 20 | 11 | 344 | 23 | 2558 |

(3) दोषी व्यक्ति अनुज्ञाधारी के विक्रेता थे। राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 (सी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये अनुज्ञाधारियों के संयोज्य प्रार्थना-पत्र पर अभियोग को विभागीय रूप से संयोज्य किया जाकर संयोज्य राशि राज्य कोष में जमा करवाई गई।

**जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानें एवं क्योस्क का आवंटन**

**272. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में दुकानें एवं क्योस्क आवंटित किये जाने हेतु लाखों रुपये जमा करवा रखे हैं ? यदि हां, तो किस-किस योजना हेतु कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि जमा करवाई गई ?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(2) इतनी बड़ी रकम जमा करवाने के बाद निगम को कितनी दुकानें तथा कितने क्योस्क आवंटित होने चाहिये थे उसमें से अब तक कितने आवंटित हो चुके हैं ?

(3) आवंटित दुकानें तथा क्योस्क कहां अवस्थित है तथा किस-किस को आवंटित किए गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा प्राधिकरण जयपुर विकास को दुकान एवं क्योस्क (शहरी) योजना में राशि जमा कराई है। दुकान क्रय किराया पद्धति में निम्नानुसार राशि जमा करायी गयी है :—

| चैक जारी करने का दिनांक | राशि |
|---|---|
| 21.3-92 | रु. 1356318.00 |
| 27-3-92 | रु. 474743.00 |
| 6-4-92 | रु. 610160.00 |
| योग : | रु. 2441221.00 |

(2) इतनी रकम जमा करवाने के बाद निगम को 56 दुकानों के प्लाट्स तथा 32 क्योस्क आवंटित होने चाहिये थे। परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक 7476 दिनांक 30-9-93 के द्वारा 12 दुकानें तथा 19 क्योस्कों का आवटन निगम को दिया गया है।

(3) निगम को आवंटित दुकान तथा क्योस्क निम्न प्रकार आवंटित हैं :—

| क्र.सं. | योजना दुकान | दुकानों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | फतहसिंह की धर्मशाला | 4 |
| 2. | संजय भट्टा बस्ती | 3 |
| 3. | संजय भट्टा बस्ती | 5 |
| | योग : | 12 |

| क्र.स. | योजना क्योस्क | क्योस्क संख्या |
|---|---|---|
| 1. | मालवीय नगर सरस संकुल के सामने | 3 |
| 2. | हसनपुरा हटवाड़ा | 12 |
| 3. | विद्याधर नगर पुराना स्टैण्ड | 3 |
| 4. | शान्ती पथ तिलक नगर | 1 |
| | योग : | 19 |

उक्त आवंटित दुकानों तथा कियोस्को का कब्जा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। कब्जे के अभाव में किसी को भी आवटन नहीं किया गया है।

**कामेरी बांध सिरोही की मरम्मत**

**273. श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

168



(श्रीमती तारा भंडारी)

(1) कमेरी बांध सिरोही पूरा बनने के बाद कितनी बार भरा व कब टूटा ? टूटने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या इसके टूटने के बाद कोई जांच हुई ? यदि हां तो जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या बांध के पुनःनिर्माण की भी योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) कमेरी बांध पूरा बनने के बाद एक बार भरा एवं 4 जुलाई, 1990 को टूटा। बांध टूटने के निम्न कारण है :—

1. अतिवृष्टि के कारण बांध में गहरे व चौड़े धारो (deep & wide rain-cuts of gullving) का पड़ना ।
2. बांध के जलस्तर के एकदम बढ़ने से पाइपिंग (Piping) का होना ।

(2) जी हां । जांच रिपोर्ट के अनुसार बांध के टूटने के कारण अतिवृष्टि एवं बांध के जल स्तर का एकदम बढ़ना है ।

जांच में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाये जाने के कारण किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) क्षतिग्रस्त बांध के जीर्णोद्धार की योजना हैं ।

## परिशिष्ट—6

### अतारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूची

### सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत उपकेन्द्रों की सूची

(1) पशु चिकित्सालय, सूरतगढ़ के उपकेन्द्र :
1. जाखड़ावली
2. ढाबा
3. सुखाली
4. निखाण
5. ठूकराना

(2) पशु चिकित्सालय, अनूपगढ़ के उपकेन्द्र :
1. 5 ए.पी.डी.
2. 7 एल.सी.
3. 45 जी.बी.
4. खाल
5. 4 एम डी.

(3) पशु चिकित्सालय, विजयनगर के उपकेन्द्र :
1. 1 एस.टी.बी.
2. बिलोसिया
3. 4 बी.एल.डी.

## परिशिष्ट—7

### अतारांकित प्रश्न संख्या 306 का विवरण

### बंजर भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीवार भूमि का विवरण

| क्र.सं. | जिला | कुल भौगोलिक क्षेत्र (000 वर्ग कि.मी.) | कूल बजर भूमि क्षेत्र (000 वर्ग कि.मी.) | कुल बंजर भूमि का श्रेणीवार बंजर भूमि प्रतिशत (%) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गलीड लेण्ड | अप लेण्ड | तेलाइल लेण्ड | डीग्रेडेड फोरेस्त लेण्ड | डीग्रेजिग लेण्ड | लेण्ड | बेरत/ रीको लेण्ड | डीग्रेडेड लेण्ड अण्डर प्लान टेशन, कोपस | स्टीफस्लेपिंग लेण्ड |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | अजमेर | 8.4 | 3 3 | 3.7 | 46 6 | 11 6 | 14.4 | 18.0 | 2.1 | 3 6 | — | — |
| 2. | बांसवाड़ा | 5.0 | 1.1 | 0 2 | 86 7 | — | 9.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | — | 2.8 |
| 3. | भरतपुर | 5.1 | 0.6 | 23 9 | 58.3 | 3.4 | 33 3 | 6.5 | 0.4 | 1 0 | — | 3.1 |
| 4. | भीलवाड़ा | 10.4 | 3.7 | 0.8 | 36.2 | 1 8 | 11.2 | 34 1 | 0.1 | 15.8 | — | — |
| 5. | बूंदी | 5.5 | 2.4 | 17.6 | 18.8 | 1.7 | 44.2 | 6.6 | — | 10.7 | — | 0.4 |
| 6. | चूरू | 16.8 | 10.2 | — | — | 0.3 | 0.3 | 12.3 | 87.1 | — | — | — |
| 7. | डूंगरपुर | 3.8 | 1.0 | — | 77.4 | ,, | 20.5 | — | — | 0.1 | 2.0 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | झालावाड़ | 6.2 | 1.9 | 12.6 | 18.1 | — | 47.2 | 18.1 | — | 3.9 | — | 0.1 |
| 9. | जोधपुर | 22.8 | 7.0 | 1.3 | 31.5 | 2.4 | 0.5 | 18.2 | 44.4 | 1.3 | — | — |
| 10. | कोटा | 12.4 | 4.1 | 14.2 | 3.6 | — | 58.5 | 16.6 | — | 6.4 | — | 0.7 |
| 11. | नागौर | 17.7 | 2.4 | 1.9 | 21.6 | 9.2 | 5.4 | 36.7 | 21.5 | 2.9 | — | — |
| 12. | पाली | 12.4 | 3.3 | 0.5 | 28.2 | 20.3 | 18.7 | 26.2 | 1.6 | 4.0 | — | 0.5 |
| 13. | सवाईमाधोपुर | 10.5 | 3.5 | 23.5 | 3.9 | 0.1 | 31.3 | 9.3 | 0.4 | 29.4 | — | 2.1 |
| 14. | टौंक | 7.2 | 1.5 | 13.1 | 5.3 | 13.9 | 15.9 | 45.2 | 5.1 | 1.5 | — | — |
| 15. | उदयपुर | 17.3 | 3.4 | — | 94.6 | — | 2.8 | — | — | 0.1 | 2.3 | 0.1 |

(171)

## परिशिष्ट—8

### अतारांकित प्रश्न संख्या 309 की सूची

बाल विकास परियोजना, सराड़ा (उदयपुर) के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची :—

| क्र.सं. | आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम | क्र.सं. | आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | झाड़ोल—I | 23. | पादरड़ा |
| 2. | झाड़ोल—II | 24. | बिरपुरा |
| 3. | बेहूती | 25. | जावद |
| 4. | सलाड़ा—I | 26. | गातोड़ |
| 5. | सलाड़ा—II | 27. | कन्तोड़ा |
| 6. | सागातड़ा—I | 28. | श्यामपुरा |
| 7. | सागातड़ा—II | 29. | पीलादर |
| 8. | बड़गांव—I | 30. | बोबस |
| 9. | बड़गांव—II | 31. | चन्दाजी का गुढा |
| 10. | बेजपुर | 32. | सरसीया—I |
| 11. | बाणा "ए" | 53. | सरसीया—II |
| 12. | बाणा "बी" | 34. | गामड़ी |
| 13. | डिगरी | 35. | अदवास—I |
| 14. | पादड़ी | 36. | अदवास—II |
| 15. | केजड़—I | 37. | अजबरा |
| 16. | केजड़—II | 38. | सेमाल |
| 17. | करैली | 39. | अमरपुरा |
| 18. | खेतावतों का वाड़ा | 40. | पलोदड़ा |
| 19. | ढाकण | 41. | पलूना |
| 20. | कड़ी मगरी | 42. | धावड़िया |
| 21. | ऊंडावेता | 43. | महूवाड़ा |
| 22. | बटूका | 44. | देवपुरा |

| क्र.सं. | आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम | क्र.सं. | आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम |
|---|---|---|---|
| 45. | पाड़ला—I | 72. | पाराई |
| 46. | पाड़ला—II | 73. | ढ़ेसाई |
| 47. | कतिला | 74. | डेलवास—I |
| 48. | नांदवी | 75. | डेलवास—II |
| 49. | आमरा | 76. | नालहुलकार |
| 50. | बाबरमाल | 77. | खरबर "ए" |
| 51. | सेपुरा | 78. | खरबर "बी" |
| 52. | सराड़ा—I | 79. | खरबर "सी" |
| 53. | सराड़ा—II | 80. | कातनवाड़ा |
| 54. | निमच | 81. | मांडया |
| 55. | निम्बोदा | 82. | चावण्ड 4 |
| 56. | पाल निम्बोदा | 83. | चावण्ड 5 |
| 57. | बटोड़ी कला | 84. | चावण्ड 6 |
| 58. | पाल सराड़ा—I | 85. | अम्बाला |
| 59. | पाल सराड़ा—II | 86. | लालपुरिया |
| 60. | सुरखन्ड खेड़ा—I | 87. | बन्ड़ोली |
| 61. | सुरखन्ड खेड़ा—II | 88. | डाईली |
| 62. | नावड़ा | 89. | थाणा |
| 63. | खड़फला | 90. | नठारा मान्डली |
| 64. | पाल सेदपुर—I | 91. | नठारा मोडात |
| 65. | पाल सेदपुर—II | 92. | कर्मा तालाब |
| 66. | बलवा—I | 93. | सुनारिया |
| 67. | बलवा—II | 94. | झिंघटवाड़ा |
| 68. | बलवा—III | 95. | टोकर |
| 69. | सदकड़ी | 96. | पिपला भाटड़ा |
| 70. | परसाद | 97. | धोड़ासर—I |
| 71. | मालवा | 98. | धोड़ासर—II |

| क्र.सं. | आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम | क्र.सं. | आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम |
|---|---|---|---|
| 99. | काली घाटी | 113. | ब्रह्मपुरी |
| 100. | भौराई | 114. | श्यापुरा |
| 101. | रठौरा | 115. | लोडारिया |
| 102. | औड़ा | 116. | गतौड़ा |
| 103. | खैरवा | 117. | सतकड़ी—I |
| 104. | इण्टाली | 118 | सतकड़ी—II |
| 105. | इण्टाली पाल | 119. | सतकड़ी—III |
| 106. | खजुरिया | 120. | कुन्डा "ए" |
| 107. | बड़ावली | 121. | कुन्डा "बी" |
| 108. | राता खेत | 122. | धनकावाड़ा —I |
| 109. | सेमारी "ए" | 123. | धनकावाड़ा—II |
| 110. | सेमारी "बी" | 124. | चन्दौड़ा |
| 111. | सेमारी "सी" | | बन्द आगनवाड़ी केन्द्र |
| 112. | सेमारी "डी" | 125. | शक्तावतों का गुढा |

परिशिष्ट —9

अतारांकित प्रश्न संख्या 312 का विवरण

| क्र. स. | वर्ष से काम कर रही है (प्रसाविकाएं) | प्रसाविकाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 3 वर्ष से काम कर रही है | 36 |
| 2. | 4 वर्ष से काम कर रही है | 28 |
| 3. | 5 वर्ष से काम कर रही है | 27 |
| 4. | 6 वर्ष से काम कर रही है | 16 |
| 5. | 7 वर्ष से काम कर रही है | 35 |
| 6. | 8 वर्ष से काम कर रही है | 16 |
| 7. | 9 वर्ष से काम कर रही है | 22 |
| 8. | 10 वर्ष से काम कर रही है | 32 |
| 9. | 11 वर्ष से काम कर रही है | 14 |
| 10. | 12 वर्ष से काम कर रही है | 28 |
| 11. | 13 वर्ष से काम कर रही है | 2 |
| 12. | 17 वर्ष से काम कर रही है | 2 |
| 13. | 18 वर्ष से काम कर रही है | 9 |
| 14. | 19 वर्ष से काम कर रही है | 10 |
| 15. | 20 वर्ष से काम कर रहो है | 9 |
| 16. | 21 वर्ष से काम कर रही है | 6 |
| 17. | 22 वर्ष से काम कर रही है | 7 |
| 18. | 23 वर्ष से काम कर रही है | 3 |
| 19. | 25 वर्ष से काम कर रही है | 4 |
| 20. | 26 वर्ष से काम कर रहो है | 8 |
| 21. | 27 वर्ष से काम कर रही है | 2 |
| | | 316 |

## परिशिष्ट—10

### अतारांकित प्रश्न संख्या 318 की सूची

### जिलेवार चिकित्सा संस्थानों की स्थिति (31–12–93)

| क्र.सं. | जिले का नाम | अस्पताल | डिस्पेंन्सरी | मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र | प्रा स्वा.के. | एडपोस्ट | उपकेन्द्र | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अजमेर | 13 (3) | 19 | 7 | 44 (4) | 1 | 220 | 304 |
| 2. | अलवर | 9 (4) | 11 | 4 | 64 (12) | — | 341 | 429 |
| 3. | बांसवाड़ा | 2 (—) | 7 | 1 | 54 (9) | — | 277 | 341 |
| 4. | बारां | 5 (4) | 2 | — | 31 (3) | — | 150 | 188 |
| 5. | बाड़मेर | 3 (—) | 4 | 3 | 52 (7) | — | 326 | 388 |
| 6. | भरतपुर | 5 (1) | 16 | 2 | 47 (7) | — | 274 | 345 |
| 7. | भीलवाड़ा | 9 (3) | 15 | 2 | 68 (9) | 1 | 331 | 426 |
| 8. | बीकानेर | 7 (1) | 16 | 4 | 29 (3) | — | 166 | 222 |
| 9. | बून्दी | 4 (2) | 5 | 3 | 28 (3) | 1 | 122 | 165 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 5 (2) | 7 | 3 | 61 (10) | — | 291 | 367 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | चुरू | 11 (5) | 5 | 5 | 43 (2) | 1 | 228 | 293 |
| 12. | दौसा | 3 (3) | 2 | 3 | 30 (3) | — | 142 | 180 |
| 13. | धौलपुर | 1 (—) | 4 | 2 | 24 (3) | — | 134 | 165 |
| 14. | डूंगरपुर | 2 (—) | 5 | — | 38 (6) | — | 254 | 299 |
| 15. | श्रीगंगानगर | 7 (4) | 12 | 5 | 64 (6) | — | 421 | 509 |
| 16. | जयपुर | 28 (4) | 51 | 17 | 79 (8) | 2 | 397 | 574 |
| 17. | जैसलमेर | 2 (—) | 5 | 1 | 15 (2) | — | 74 | 97 |
| 18. | जालोर | 2 (—) | 2 | 4 | 45 (6) | — | 268 | 321 |
| 19. | झालावाड़ | 7 (2) | 4 | 3 | 35 (5) | — | 160 | 209 |
| 20. | झुंझनूं | 11 (3) | 6 | 10 | 66 (3) | 1 | 288 | 382 |
| 21. | जोधपुर | 15 (2) | 20 | 4 | 69 (8) | 5 | 420 | 533 |
| 22. | कोटा | 10 (5) | 15 | 1 | 29 (4) | — | 132 | 187 |
| 23. | नागौर | 10 (3) | 4 | 7 | 74 (6) | 1 | 480 | 576 |
| 24. | पाली | 10 (5) | 8 | 11 | 65 (5) | — | 388 | 482 |
| 25. | राजसमन्द | 2 (1) | 1 | — | 43 (7) | — | 181 | 237 |

(178)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | सवाईमाधोपुर | 4 (1) | 6 | 3 | 50 (8) | — | 351 | 414 |
| 27. | सीकर | 10 (7) | 7 | 9 | 53 (6) | — | 364 | 443 |
| 28. | सिरोही | 4 (2) | 4 | 1 | 26 (4) | — | 172 | 207 |
| 29. | टोंक | 7 (3) | 6 | 2 | 43 (3) | — | 206 | 264 |
| 30. | उदयपुर | 10 (1) | 14 | — | 84 (3) | — | 432 | 540 |
| | योग : | 218 (71) | 283 | 118 | 1453 (175) | 13 | 8000 | 10085 |

(  ) कोष्ठ में कराई गई संख्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की है ।

## परिशिष्ट—11

### अतारांकित प्रश्न संख्या 319 की सूची

### जयपुर स्थित मन्दिरात तथा कार्यरत कर्मचारियों (पुजारियों) की सूची

| क्र. सं. | मन्दिर का नाम मय पता | स्वीकृत पद | नियुक्ति पुजारी का नाम | नियुक्ति दिनांक | कार्यरत पुजारी एव कर्मचारी व पद | पद स्थापित दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री आनन्दकृष्ण बिहारीजी चांदनीचौक, जयपुर | 1 | श्री मातृप्रसाद पुजारी | 1.7.86 | श्री मातृ प्रसाद पुजारी | 1.7.86 |
| 2. | श्री प्रतापेश्वरजी जयपुर | 1 | श्री घनश्यामदास पुजारी | 1.7.70 | श्री घनश्याम दास पुजारी | 12.5.76 |
| 3. | श्री बृजनिधिजी जयपुर | 1 | श्री हरिश्चन्द्र शर्मा पुजारी | 26.12.83 | श्री हरिश्चन्द्र शर्मा पुजारी | 21.12.83 |
| 4. | श्री आनन्द बिहारीजी खन्दामानक चौक, जयपुर | 1 | श्री रामकिशोर चतुर्वेदी पुजारी | 17.9.71 | श्री रामकिशोर चतुर्वेदी पुजारी | 23.9.76 |
| 5. | श्री चन्दू बिहारीजी जयपुर | 1 | श्री विजयेन्द्रकुमार मिश्रा पुजारी | 27.11.90 | 1. श्री हनुमानसहाय जोशी पुत्र दुलीचन्द पुजारी | 13.8.92 |
| | | | | | 2. श्री उमाशकर मिश्रा पुजारी | 28.8.91 |
| 6. | श्री गोवंधननाथजी हवामहल | 2 | 1. श्री श्रवणलाल शर्मा पुजारी | 9.4.80 | 1. श्री भूपकिशोर पुजारी | 9.3.92 |
| | | | 2. संजयकुमार शर्मा पुजारी | 3.10.79 | 2. श्री महादेव प्रसाद पुजारी | 18.3.76 |

179

(180)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | श्री मदनमोहनजी हवामहल | 2 | 1. लादूराम शर्मा पुजारी<br>2. श्री रामेश्वर पुत्र नाथूलाल पुजारी | 1.5.70<br>27.5.76 | 1. श्री दुरजन शर्मा पुजारी<br>2. श्री रामेश्वर पुत्र नाथूलाल पुजारी | 1.5.70<br>27.5.76 |
| 8. | श्री रामचन्द्रजी सिरहड्योढी बाजार | 2 | 1. श्री बाबूलाल शर्मा पुजारी<br>2. श्री श्रीप्रकाश शर्मा पुजारी | 15.10.75<br>3.8.82 | 1. श्री लादूराम शर्मा पुजारी<br>2 श्री श्रीप्रकाश पुजारी | 15.10.75<br>3.8.82 |
| 9. | श्री चन्द्रेश्वरजी सिरहड्योढी बाजार | 1 | श्री मोहनलाल पुत्र गोविन्दसहाय पुजारी | 1.10.77 | 1. श्री भगवानसहाय शर्मा पु.<br>2. श्री कमलनेत्र गोस्वामी पु. | 21.12.85<br>17.9.79 |
| 10. | श्री किलकीजी सिरहड्योढी बाजार | 1 | श्री शम्भूदायल व्यास पुजारी | 29.4.88 | श्री रामजीलाल ठहलवा | 1986 से |
| 11. | श्री रतन बिहारीजी रायजी का घर, जयपुर | 1 | कमलनेत्र गोस्वामी पुजारी | 17.9.79 | श्री सत्यनारायण पुत्र जोड़ामल पुजारी | 5.2.85 |
| 12. | श्री रघुनाथजी राधानिवास आमेर रोड, जयपुर | 1 | उमाशंकर पुत्र देवेन्द्र पुजारी | 22.5.78 | उमाशंकर शर्मा पुजारी | 22.5.88 |
| 13. | श्री बलदेवजी परशराम द्वारा आमेर रोड, जयपुर | 1 | श्री हनुमानसहाय जोशी पुत्र दुलीचन्द पुजारी | 13.8.92 | सत्यनारायण शर्मा पुत्र भवानीशंकर पुजारी | 5.2.85 |
| 14. | श्री रामेश्वरजी आमेर रोड सागर रोड | 1 | श्यामसुन्दर पुत्र नाथूलाल पुजारी | 12.5.77 | श्यामसुन्दर पुत्र नाथूलाल पु. | 2.7.77 |
| 15. | श्री गंगाजी सिटीपैलेस, जयपुर | 1 | श्री नरेन्द्रकुमार शर्मा पुजारी | 4.3.70 | नरेन्द्र कुमार पुजारी | 11.9.78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | श्री राधागोपालजी सिटीपैलेस, जयपुर | 2 | 1. श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी पुजारी<br>2. श्री कुंजविहारी शर्मा पुजारी | 19.2.76<br>22 7.80 | 1. ओमप्रकाश चतुर्वेदी पुजारी<br>2. कुंजबिहारी शर्मा पुजारी | 5.11.81<br>22.7.80 |
| 17. | श्री लक्ष्मीनारायणजी बाग जयनिवास जयपुर | 1 | श्री मदनलाल पुजारी | 16.3.72 | श्री मदनलाल पुजारी | 18.3.76 |
| 18. | श्री राधाकृष्णजी, राजा शिवदासजी का रास्ता, जयपुर | 1 | श्री गोपालदेव पुजारी | 1.9.76 | श्री गोपालदेव पुजारी | 1.9.76 |
| 19. | श्री राधावल्लभजी, बारह भाईयों का चौराहा पुरानी बस्ती | 1 | श्री सुरेश कुमार शर्मा पुजारी | 9.10.80 | श्री सुरेश कुमार शर्मा पुजारी | 9.10.80 |
| 20. | श्री गोपालजी गाडीवालान, जाट के कुएं का रास्ता पुरानी बस्ती, जयपुर | 1 | श्री हनुमानसहाय शर्मा पुत्र बद्रीनारायण पुजारी | 27.9.76 | श्री हनुमानसहाय पुत्र बद्रीनारायण पुजारी | 7.4.79 |
| 21. | श्री नवलकिशोरजी, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग चांदपोल, जयपुर | 1 | श्री छीतरमल शर्मा पुजारी | 14.2.92 | मोहनलाल पुत्र रामेश्वर पु. | 6.4.85 |
| 22. | श्री राधामनोहरजी, झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार, जयपुर | 1 | श्री मोहनलाल पुत्र रामेश्वर पुजारी | 6.4.85 | श्री रामकिशोर शर्मा पुत्र रामेश्वर रसोइया | 24.8.92 |

182

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | श्री चतरभुजजी खिजूर चांदपोल बाजार, जयपुर | 1 | श्री बंशीधर शर्मा पुजारी | 27.9.75 | श्री बंशीधर शर्मा पुजारी | 21.7.80 |
| 24. | श्री मुरली मनोहर जी गणगौरी बाजार, जयपुर | 1 | सत्यनारायण पुत्र भवानी शंकर पुजारी | 23.7.79 | अवैध कब्जा होने के कारण विभाग का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। | |
| 25. | श्री जानकीवल्लभजी छोटी चौपड़, जयपुर | 1 | नगेन्द्रमोहन शर्मा पुजारी | 1.1.78 | श्री नागेन्द्रमोहन शर्मा पुजारी | 1.1.78 |
| 26. | श्रीरकि बिहारीजी, जयपुर | 1 | कल्याणप्रसाद पुजारी | 4.12.62 | कल्याण प्रसाद पुजारी | 27.11.88 |
| 27. | श्रीगोवर्धननाथजी, चौड़ा रास्ता जयपुर | 2 | 1-रामलाल शर्मा पुजारी | 4.1.72 | रतनलाल पुजारी | 4.1.72 |
| 28. | श्री वश्वेस्वरजी, जयपुर | 1 | 2-शम्भूदयाल व्यास आसरयित पुजारी | 29.4.88 | शम्भूदयाल व्यास पुजारी | 29.4.88 |
| 29. | श्रीबालमुकन्दजी लक्ष्मीविलास होटल, जयपुर | 1 | सत्यनारायण पुत्र कजोडीमल पुजारी | 1.2.67 | श्री लखनलाल ठहलवा | 28.2.85 |
| 30. | श्रीबृजबिहारीजी त्रिपोलिया बाजार, जयपुर | 1 | श्रीगिरीशचन्द्रशर्मा पुजारी | 13.1.78 | श्री गिरीशचन्द्र शर्मा पुजारी | 23.1.78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | श्रीमहतावबिहारीजी, जयपुर | 1 | श्री महादेवप्रसाद पुजारी | 26.2.75 | श्री छीतरमल शर्मा पुजारी | 24.2.92 |
| 32. | श्री राधेदामोदरजी, रामगंज बाजार | 1 | श्रीभूपकिशोर पुजार | 9.3.72 | केस चल रहा है इसलिये विभाग का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। | |
| 33. | श्रीलक्ष्मीनारायणजी बाईजी खन्दाबाईजी, जयपुर | 1 | श्री नारायणलाल पुजारी | 1.12.78 | श्री नारायणलाल पुजारी | 20.11.88 |
| 34. | श्रीजगतेश्वरजी, जौहरी बाजार जयपुर | 1 | श्रीरामचन्द्र शर्मा पुजारी | 1.11.73 | श्री रामचन्द्र शर्मा पुजारी | 1.11.73 |
| 35. | श्रीरूपचन्द्रमाजी, जयपुर | 1 | श्रीरामावतारशर्मा पुजारी | 1.3.76 | श्री रामावतार शर्मा पुजारी | 7.4.79 |
| 36. | श्रीफतेहपुंजबिहारीजी पुरानाघाट | 1 | श्रीउमाशंकरमिश्रा पुजारी | 28.8.91 | श्री श्रवणलाल शर्मा पुजारी | 9.4.80 |
| 37. | श्रीरामेश्वरजी, जयपुर | 0 | —— | —— | श्री सत्यनारायण रसोइया कार्यरत है मन्दिर में कोई पद स्वीकृत नहीं है सेवा पूजा सत्यनारायण ही है। | 26.3.77 |

183

184



## परिशिष्ट 12

### अतारांकित प्रश्न संख्या 321 की सूचियां

**मन्दिर श्री रामचन्द्र जी, देवस्थान विभाग, जयपुर में वर्ष 1962-1964 तक कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों के बकाया पेन्शन प्रकरण की सूची**

| क्र.सं. | आश्रित का नाम | कर्मचारी का नाम | कब से विचाराधीन है |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती भंवरी देवी | श्री गुलाबचन्द | दिनांक 8-10-93 |

**मन्दिर श्री रामचन्द्र जी, देवस्थान विभाग, जयपुर में समस्त कर्मचारियों की सूची वर्ष 1962 से 1964 तक**

| क्र.सं. | नाम कर्मचारी | पद |
|---|---|---|
| | (1962) | |
| 1. | श्री गेंदालाल | प्रबन्धक |
| 2. | श्री गोवर्धनलाल | मुखिया |
| 3. | श्री राधेश्याम | पुजारी |
| 4. | श्री रामशंकर | ,, |
| 5. | श्री गोविन्द नारायण | ,, |
| 6. | श्री रामप्रताप | भण्डारी |
| 7. | श्री पांचूलाल | वालनोगिया |
| 8. | श्री छोटेलाल | रसोइया |
| 9. | श्री गजानन्द | ,, |
| 10. | श्री दुर्गालाल | जलघड़िया |
| 11. | श्री गोपाल | ,, |
| 12. | श्री कन्हैयालाल | ठहलवा |
| 13. | श्री रघुनाथ | ,, |
| 14. | श्री कल्याण | बुहारिया |
| 15. | श्री सेडूराम | ,, |
| 16. | श्री शिवनाथ | कार्तनिया |
| 17. | श्री गोपा | ,, |

| क्र.सं | नाम कर्मचारी | पद |
|---|---|---|
| 18. | श्री छीतर | प्रहरी |
| 19. | श्री रामप्रताप | ,, |
| 20. | श्री रघुनाथ | ,, |
| 21. | श्री गुलाबचन्द | ,, |
| 22. | श्री कपूरचन्द | बेलदार |
| 23. | श्री लादूराम | नाई |

( 1963 )

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री गेंदालाल | प्रबन्धक |
| 2. | श्री गोवर्धनलाल | मुखिया |
| 3. | श्री राधेश्याम | पुजारी |
| 4. | श्री रामशेर | पुजारी |
| 5. | श्री गोविन्दनारायण | पुजारी |
| 6. | श्री रामप्रताप | भण्डारी |
| 7. | श्री पांचूलाल | बालगोनिया |
| 8. | श्री छोटीलाल | रसोइया |
| 9. | श्री लालचन्द | रसोइया |
| 10. | श्री दुर्गालाल | जलघड़िया |
| 11. | श्री गोपाल | जलघड़िया |
| 12. | श्री रघुनाथ | ठहलवा |
| 13. | श्री सेडूराम | ठहलवा |
| 14. | श्री कल्याण | फर्राश |
| 15. | श्री सेडूराम | फर्राश |
| 16. | श्री शिवनाथ | कार्तनिया |
| 17. | श्री कन्हैयालाल | कार्तनिया |
| 18. | श्री नानगराम | प्रहरी |
| 19. | श्री मदनलाल | प्रहरी |
| 20. | श्री रघुनाथ | प्रहरी |

| क्र सं | नाम कर्मचारी | पद |
|---|---|---|
| 21. | श्री गुलाबचन्द | प्रहरी |
| 22 | श्री कपूरचन्द | चोवदार |
| 23. | श्री लादूराम | प्रहरी |

( 1964 )

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री गेंदालाल | प्रबन्धक |
| 2. | श्री गोवर्धनलाल | मुखिया |
| 3. | श्री रामशेर | पुजारी |
| 4. | श्री गोविन्दनारायण | पुजारी |
| 5. | श्री रामेश्वर | भण्डारी |
| 6. | श्री रामसहाय | बालमोगिया |
| 7. | श्री लालचन्द | रसोइया |
| 8. | श्री दुर्गालाल | जलसेवक |
| 9. | श्री रघुनाथ | ठहलवा |
| 10. | श्री मुन्नालाल | ठहलवा |
| 11. | श्री लादूराम | बुहारिया |
| 12. | श्री कल्याण | बुहारिया |
| 13. | श्री शिवनाथ | कार्तनिया |
| 14. | श्री कपूरचन्द | चोवदार |
| 15. | श्री छीतर | प्रहरी |
| 16. | श्री नानगराम | प्रहरी |
| 17. | श्री रघुनाथ | प्रहरी |
| 18. | श्री उम्मेदसिंह | प्रहरी |
| 19. | श्री धन्नो | नाई |

सहायक आयुक्त देवस्थान,
जयपुर खण्ड, जयपुर

## परिशिष्ट—13

**अतारांकित प्रश्न संख्या 327 का विवरण** **परिशिष्ट "क"**

श्री महावीर जी से दो कि.मी. की दूरी पर एवं निर्माणाधीन पांचना बांध के 24 कि.मी. नीचे गम्भीर नदी पर एक एनीकट के प्रस्ताव बनाये गये थे। एनीकट की बुनियाद के लिए 50 फीट से भी अधिक गहराई तक रॉक (Rock) नहीं मिलती। अतः एनीकट का प्रस्ताव वीयर आन पर एबल 'फाउंडेशन (Perneable) की तकनीकी के आधार पर बनाया गया था इस एनीकट की ऊंचाई 3 मीटर व भराव क्षमता 19.17 एम.सी.एफ.टी. प्रस्तावित थी। वर्षा ऋतु में फ्लड डिस्चार्ज निकालने हेतु 225 मी. लम्बाई का वीयर का बनाना प्रस्तावित था। इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य की कुल लागत लगभग 1988 की बी.एस आर. के अनुसार 494 लाख रुपये थी।

इस एनीकट द्वारा प्रवाह से सिंचाई (फ्लो इरिगेशन) सुविधा सम्भव नहीं थी, मात्र आस-पास के क्षेत्र का जल स्तर बढ़ने एवं श्री महावीर जी कस्बे के आस पास के क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या तथा पर्यटन विकास की सम्भावना थी। अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग एवं पर्यटन विभाग से सम्पर्क किया गया था। परन्तु उन विभागों द्वारा इस एनीकट के लिए धनराशि उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता दर्शायी। चूंकि प्रस्तावित एनीकट से सिंचाई सुविधा सम्भव नहीं थी, अतः राज्य सरकार द्वारा इस एनीकट के प्रस्ताव को माह नवम्बर, 1991 में ड्राप कर दिया गया। पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

Government of Rajasthan
(Irrigation Department)

No : T-949/ACE/JP/7556 Dated—31.12.91

The Superintending Engineer,
Irrigation Circle Jaipur

Sub :—Regarding Anicut on Gambhir river near &
Sri Mahavirji.

Ref :—Your letter No. T-351 (21) 2081 dt. 24-9-91.

As desired vide your letter under reference. I am directed to inform you that the scheme of above Anicut on Gambhir river near Sri Mahaveerji has been dropped by the Addl. Secy, cum Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur vide his letter No. F3 (9) AS/I/Cell/89/1242 dt. 28-11-91.

Sd/-
Executive Engineer & TA to
Addl Chief Engineer,
Irrigation Zone, Jaipur.

## परिशिष्ट — 14

### अतारांकित प्रश्न संख्या 338 का विवरण

| क्र.सं. | नहरों/प्रणालियों के नाम | किये गये व्यय का विवरण वर्षवार (रुपये लाख में) | | | | | | कुल योग (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1/94 तक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **बीकानेर संभाग :—** | | | | | | | |
| 1. | मुख्य नहर बुर्जी 1120 से 1365 तक | 3.46 | 4 22 | 10.75 | 7.96 | 7.90 | 6.75 | 41.04 |
| 2. | चारणवाला शाखा बुर्जी 0 से टेल तक | 0 39 | 0.03 | — | — | 6.04 | 2.32 | 8.78 |
| 3. | कंवरसेन लिफ्ट नहर बुर्जी 381 से 425 तक | — | — | — | — | — | 0.21 | 0.21 |
| 4. | कंवरसेन लिफ्ट नहर बुर्जी 481 से 497 तक | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.20 |
| 5. | मुख्य नहर बुर्जी 620 से 1120 | 0.97 | 4.20 | 0.53 | 1.10 | 1.14 | 11.53 | 19.47 |
| 6, | कोलायत लिफ्ट केनाल | — | — | — | — | 0.50 | 2.15 | 2.65 |
| | योग (ए) : | 4.82 | 8.45 | 11.28 | 9.06 | 15.56 | 23.16 | 72.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **जैसलमेर संभाग :—** | | | | | | | |
| 1. | मुख्य नहर | — | — | — | 4.64 | — | 1.90 | 6.54 |
| 2. | शाखाएँ | 0.43 | — | — | — | 0.33 | 2.27 | 3.03 |
| 3. | वितरिकाएँ | — | — | — | — | — | — | — |
| | योग (बी) : | 0.43 | — | — | 4.64 | 0.33 | 4.17 | 9.57 |
| | महायोग (ए+बी) | 5.25 | 8.45 | 11.28 | 13.70 | 15.91 | 27.33 | 81.92 |

**इन्दिरा गांधी नहर में बरसात के पानी को किनारों से नीचे उतारने हेतु बनाये गये पक्के नालों पर व्यय का विवरण**

(रुपये लाख में)

**बीकानेर संभाग :—**

| | |
|---|---|
| 1. मुख्य नहर को बुर्जी 1120 से 1365 तक | 170.80 |
| 2. इगा मुख्य नहर बुर्जी 945 से 961.350 बायीं ओर | 2.55 |
| 3. इगा मुख्य नहर बुर्जी 970 से 977 दायीं ओर | 0.09 |
| 4. इगा मुख्य नहर बुर्जी 982 से 990 बायीं ओर | 0.13 |
| 5. इगा मुख्य नहर बुर्जी 990 से 1000 दायीं ओर | 0.21 |
| 6. इगा मुख्य नहर बुर्जी 1000 से 1010 बायीं ओर | 0.33 |
| 7. इगा मुख्य नहर बुर्जी 1010 से 1013.500 बायीं ओर | 0.23 |
| 8. इगा मुख्य नहर बुर्जी 1010 से 1017.500 दायीं ओर | 0.26 |
| 9. इगा मुख्य नहर बुर्जी 920 से 930 बायीं ओर | 0.93 |
| 10. इगा मुख्य नहर बुर्जी 850 से 860 बायीं ओर | 0.61 |
| 11. इगा मुख्य नहर बुर्जी 800 से 820 बायीं ओर | 1.06 |
| 12. इगा मुख्य नहर बुर्जी 820 से 830 बायीं ओर | 0.88 |
| 13. इगा मुख्य नहर बुर्जी 920 से 930 बायीं ओर | 0.45 |
| 14. इगा मुख्य नहर बुर्जी 690 से 711 बायीं ओर | 0.36 |
| योग : | 178.15 |

**जैसलमेर संभाग :—**

| | |
|---|---|
| 1. मुख्य नहर बुर्जी 1380 से 1420 दोनों ओर | 22.88 |
| योग : | 22.88 |
| महायोग : | 201.03 |

## परिशिष्ट—15

### अतारांकित प्रश्न संख्या 340 का विवरण

भारत सरकार के नशामुक्ति कार्यक्रम को राज्य में संचालित करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम एवं वर्षवार स्वीकृत राशि का विवरण (वर्ष 1985 से दिसम्बर 1993 तक)

| क्र सं | नाम संस्था एवं स्थान | वर्ष | स्वीकृत अनुदान राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अफीम मुक्ति चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान ट्रस्ट, माणकलाव, जोधपुर | 1985–86 | 3,45,165 |
| | | 86–87 | 8,66,616 |
| | | 87–88 | 10,76,283 |
| | | 88–89 | 25,12,531 |
| | | 89–90 | 56,23,263 |
| | | 90–91 | 33,91,832 |
| | | 91–92 | 36,38,573 |
| | | 92–93 | 42,68,944 |
| | | 93–94 | 30,38,238 |
| | | | 2,27,61,445 |
| 2. | मारवाड़ मेडिकल एण्ड रिलीफ सोसायटी, जोधपुर | 1992-93 | 3,57,300 |
| | | 93–94 | 9,57,410 |
| | | | 13,14,710 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | बेला स्कूल समिति, जयपुर (बन्द है) अलवर | 1991–92 | 37,800 |
| 4. | आदर्श बीकानेर बाल शिक्षण परिषद, | 1991–92 | 1,32,840 |
| | बीकानेर | 92–93 | 6,36,460 |
| | | 93–94 | 7,44,520 |
| | | | 15,13,820 |
| 5. | राष्ट्रीय शिक्षण परिषद समिति ऐ–28 | 1991–92 | 75,150 |
| | सेक्टर न. 5, हिरण मगरी, उदयपुर | 92–93 | 86,500 |
| | | 93–94 | 2,14,400 |
| | | | 3,77,050 |
| 6. | सर्वोदय सेवा केन्द्र, चांदपोल, उदयपुर | 1991–92 | 2,13,120 |
| | | 92–93 | 6,42,446 |
| | | 93–94 | 3,38,430 |
| | | | 11,93,996 |
| 7. | आज्ञा बाल मन्दिर समिति | 1988–89 | 48,600 |
| | मकान नं. 1 बी, कृष्णापुरी | 89–90 | 97,650 |
| | हटवाड़ा रोड, जयपुर | 90–91 | 1,26,900 |
| | | | 2,24,550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8 | निराश्रित महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति, पइबाग, भरतपुर | 1991–92 | 1,11,600 |
| | | 92–93 | 2,53,800 |
| | | 93–94 | 1,26,900 |
| | | | 4,92,300 |
| 9. | मानव कल्याण सोसायटी, 4/49, जवाहर नगर, जयपुर (बन्द है) | 1990–91 | 2,37,600 |
| | | 91–92 | 1,18,800 |
| | | 92–93 | 2,24,860 |
| | | | 5,81,260 |
| 10. | इन्दिरा गांधी महिला प्रशिक्षण संस्थान पिलानी, झुन्झुनूं | 1989–90 | 85,055 |
| | | 90–91 | 2,16,700 |
| | | | 3,01,750 |
| 11. | बृजलाल निकेतन समिति, कामां भरतपुर | 1993–94 | 2,60,460 |
| 12. | स्वावलम्बन शिक्षण संस्थान, रावजी की हवेली, जालोरी गेट, जोधपुर (बन्द है) | 1985–86 | 1,65,600 |
| | | 86–87 | 1,08,000 |
| | | | 2,73,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जेलू गयाड़ी, वाया त्रिवासी, जोधपुर (बन्द) | 1985–86<br>86–87 | 1,00,575<br>71,500<br>1,72,125 |
| 14. | अरविन्द भारतीय विद्यालय समिति 42, पटेल नगर झोटवाड़ा, जयपुर (बन्द) | 1985–86<br>87–88<br>88–89 | 50,400<br>61,020<br>67,500<br>1,78,920 |
| 15. | संदीप लोक कल्याण समिति (बन्द) 116, सिलप कालोनी, झोटवाड़ा, जयपुर | 1988-89 | 64,350 |
| 16. | जवाहर नेशनल स्कूल सोसायटी जिनारेक्ट चौक, उदयपुर (बन्द) | 88–89 | 61,560 |
| 17. | वाइल्ड होम पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, मकान नं 2 बरकत नगर, किसान मार्ग, जयपुर | 88–89 | 64,800 |
| 18. | म्यूनिसिपल बोर्ड, बालोतरा जिला बाड़मेर (बन्द) | 88-89 | 8,29,747 |
| 19. | म्यूनिसिपल कोन्सिल, अजमेर (बन्द) | 88–89 | 8,63,893 |
| 20. | म्यूनिसिपल कोन्सिल जोधपुर (बन्द) | 88-89 | 8,38,386 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21. | नशा निवारण एवं परिवार कल्याण परिषद, बाड़मेर (बन्द) | 86-87<br>87–88 | 45,000<br>83,700 |
| | | | 1,28,700 |
| 22. | ए. के. पब्लिक स्कूल, जयपुर (बन्द) | 86–87 | 11,357 |
| 23. | सरोजनी बाल विद्यालय. जयपुर (बन्द) | 86–87 | 20.160 |
| 24. | रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल समिति, जयपुर (बन्द) | 86–87 | 45,410 |
| 25. | विक्टोरिया मान्टेशरी स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर (बन्द) | 86–87 | 45,450 |
| 26. | महावीर बाल शिक्षा निकेतन समिति, जयपुर (बन्द) | 86–87 | 41,400 |
| 27. | विश्व बन्धु विद्या मन्दिर शिक्षा समिति, जयपुर (बन्द) | 86–87 | 49,230 |

## परिशिष्ट–16

### अतारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची

### निगम की स्थापना से लेकर मार्च, 1993 तक ऋण वितरण की सूची

(राशि रुपये करोड़ों में)

| क्र.सं. | वर्ष | वितरण संख्या | वितरण राशि | संचयी संख्या | संचयी राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1955-56 | 3 | 0.02 | 3 | 0.02 |
| 2. | 1956 57 | 6 | 0 07 | 9 | 0.09 |
| 3. | 1957-58 | 4 | 0.26 | 13 | 0.35 |
| 4. | 1958-59 | 6 | 0.11 | 19 | 0.46 |
| 5. | 1959-60 | 7 | 0.12 | 26 | 0.58 |
| 6. | 1960-61 | 10 | 0.10 | 36 | 0.68 |
| 7. | 1961-62 | 14 | 0 37 | 50 | 1.05 |
| 8. | 1962-63 | 16 | 0.42 | 66 | 1.47 |
| 9. | 1963-64 | 12 | 0.62 | 78 | 2.09 |
| 10. | 1964-65 | 24 | 0 63 | 102 | 2.72 |
| 11. | 1965-66 | 28 | 0.63 | 130 | 3.35 |
| 12. | 1966-67 | 26 | 0 80 | 156 | 4.15 |
| 13. | 1967 68 | 15 | 0.88 | 171 | 5.03 |
| 14. | 1968-69 | 44 | 0 62 | 215 | 5.65 |
| 15. | 1969-70 | 61 | 1.12 | 276 | 6.77 |
| 16. | 1970-71 | 151 | 1.20 | 427 | 7 97 |
| 17. | 1971-72 | 249 | 1.61 | 676 | 9.58 |
| 18. | 1972-73 | 239 | 1.88 | 915 | 11.46 |
| 19. | 1973-74 | 313 | 2.18 | 1228 | 13.64 |
| 20 | 1974-75 | 337 | 2.83 | 1565 | 16.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 1975-76 | 306 | 3.87 | 1871 | 20.34 |
| 22. | 1976-77 | 374 | 5.03 | 2245 | 25.37 |
| 23. | 1977-78 | 466 | 5.23 | 2711 | 30.60 |
| 24. | 1978-79 | 654 | 7.07 | 3365 | 38.57 |
| 25. | 1979-80 | 1964 | 17.94 | 5329 | 56.51 |
| 26. | 1980-81 | 2066 | 26.10 | 7395 | 82.61 |
| 27. | 1981-82 | 2844 | 29.96 | 10239 | 112.57 |
| 28. | 1982-83 | 2876 | 37.53 | 13115 | 150.10 |
| 29. | 1983-84 | 3966 | 38.79 | 17081 | 188.89 |
| 30. | 1984-85 | 3915 | 39.29 | 20996 | 228.18 |
| 31. | 1985-86 | 3203 | 35.98 | 24199 | 264.16 |
| 32. | 1986-87 | 2795 | 45.63 | 26994 | 309.79 |
| 33. | 1987-88 | 3270 | 57.26 | 30264 | 367.05 |
| 34. | 1988-89 | 3350 | 57.26 | 33614 | 431.09 |
| 35. | 1989-90 | 2959 | 64.04 | 36573 | 496.05 |
| 36. | 1990-91 | 2610 | 80.47 | 39183 | 576.52 |
| 37. | 1991-92 | 2826 | 101.53 | 41326 | 688.04 |
| 38. | 1992-93 | 2390 | 107.45 | 43722 | 785.49 |
| 39. | 1993-94 | 1500 | 66.86 | 45222 | 852.35 |

199

## अतारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूची

### वर्ष 1993-94 में बनाए गए एवं निस्तारण किए गए एवं कुछ प्रमुख प्रकरणों की सूची

| क्र.सं. | सर्वेक्षण दिनांक | नाम व्यवसायी | निस्तारण दिनांक | कुल मांग | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01. | 24-04-93 | मैसर्स वीरेन्द्र बाफना सामोदिया हाऊस, जयपुर | 28-08-93 | 83,310.00 | |
| 02. | 28-08-93 | मैसर्स बोहियो-कोच बीसीआर लि., जयपुर | 25-11-93 | 7,83,186.00 | |
| 03. | 04-05-93 | मैसर्स मोदी फूड प्रोडक्ट्स, जयपुर | अगस्त, 93 | 1,72,000.00 | |
| 04. | 21-06-93 | मैसर्स उवर्शी एन्टरप्राईजेज, भिवाड़ी | 30-07-93 | 7,70,159.00 | |
| 05. | 06-07-93 | मैसर्स किटप्लाई इण्ड., संसार चन्द्र रोड, जयपुर | 29-10-93 | 1,41,108.00 | |
| 06. | 21-08-93 | मैसर्स आशियाना एग्रो केमीकल्स, भिवाड़ी | 21-08-93 | 45,900.00 | |
| 07. | 28-09-93 | मैसर्स रोहित फूड्स प्रा. लि., भिवाड़ी | 31-01-94 | 93,294.00 | |
| 08. | 04-11-93 | मैसर्स बाटलीवाय एण्ड कम्पनी, एम.आई. रोड जयपुर | — | — | बहियों की जांच जारी है |
| 09. | 04-11-93 | मैसर्स ए. पी. इण्डस्ट्रीज, बी. डी. रोड, जयपुर | — | — | ,, |
| 10. | 21-08-93 | मैसर्स गंगानगर बाटलिंग कम्पनी, बीकानेर | — | — | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 23-08-93 | मैसर्स अग्रवाल भुजिया भण्डार, बीकानेर | — | — | बहियों की जांच जारी है |
| 12. | 15-07-93 | मैसर्स पार्शनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, हिगोनिया | — | — | ,, |
| 13. | 15-0[illegible]-93 | मैसर्स हितेश कुमार ट्रेडिंग कम्पनी, हिगोनिया | — | — | ,, |
| 14. | 23-07-93 | मैसर्स शक्ति मेटेसस एण्ड गेयर्स प्रा. लि. भिवाड़ी | — | — | ,, |
| 15. | 26-08-93 | मैसर्स एम. आर. एफ. भिवाड़ी | — | — | ,, |
| 16. | 21-10-93 | मैसर्स यूरेका फोर्ब्स लि. बापू नगर, जयपुर | — | — | ,, |
| 17. | 07-12-93 | मैसर्स चावला स्वीट्स, मोती डूंगरी रोड, जयपुर | — | — | ,, |